नगरीय आपदा प्रबंधन योजना
पूर्णिया

स्वामित्व : नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, पूर्णियाँ, पिन कोड – **854301**

सम्पोषण : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

तकनीकी सहयोग : प्रो॰ जी॰ पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,
रोड नं॰ 10(एच), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड – 800016
दूरभाष : 0612–2671820, मो॰ 9334766107
Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, पूर्णिया
2022

आपातकालीन संपर्क

नगर निगम नियंत्रण कक्ष – 06454 224902

जिला नियंत्रण कक्ष – 06454 243000

अस्पताल अधिक्षक – 9431872316

फायर ऑफिस – 101/9473191921

स्वामित्व : नगर निगम, पूर्णिया, पिन कोड – 854301

सम्पोषण : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,

तकनीको सहयोग : प्रो॰ जी॰पी॰सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,
रोड नं॰ 10(एच), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड : 800016
दूरभाष : 0612–2671820, मो॰ 9334766107
Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com

मुख्य पृष्ट : ऐतिहासिक पूर्णिया कोर्ट स्टेशन, नगर निगम मुख्यालय, पुनरासर जुट पार्क में अगलगी तथा डॉ॰ विश्वेसरैया चौक (सभी फोटो प्रो॰ जी॰पी॰सिन्हा सेन्टर, अगलगी फोटो– एच॰पी॰सी॰एल॰,पूर्णिया के सौजन्य से)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

परिभाषाएँ :

धारा–2 (घ) ''आपदा'' से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की व्यापक हानि या मानवीय पीड़ाएँ या संपति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण (व्यापक) का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

धारा–2 (ड.) ''आपदा प्रबंधन'' से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है –

i. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,

ii. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,

iii. क्षमता निर्माण,

iv. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,

v. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव

vi. किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,

vii. निष्क्रमण, बचाव और राहत,

viii. पुनर्वास और पुनर्निर्माण,

अध्याय	विषय	पृष्ट सं.
	कार्यकारी सारांश Executive Summary	xi
1	**परिचय Introduction** 1.1 संदर्भ 1.2 योजना का उद्देश्य 1.3 योजना का दायरा 1.4 योजना तैयार करन की कार्य प्रणाली 1.5 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्यवयन 1.6 योजना का पुनर्विलोकन एवं सुधार	1–6
2	**नगर का सामान्य विवरण City Profile** 2.1 नगर परिचय 2.2 भूगोल 2.3 प्रशासनिक विभाजन 2.4 जलवायु एवं मौसम की रूपरेखा 2.5 जनसांख्यिकी 2.6 आर्थिक रूपरेखा 2.7 व्यावसायिक रूपरेखा 2.8 योजना और जोनिंग 2.9 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 2.10 जीवन रक्षक संरचना (ट्रैफिक एवं परिवहन व्यवस्था, अस्पताल, विद्यालय/महाविधालय/जलापूर्ति व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवर, ड्रेनेज, रिहायशो मकान, ठोस कचरा प्रबंधन) 2.11 उद्योग एवं कल–कारखाने 2.12 प्राकृतिक संसाधन 2.13 वनस्पति एव जीव	7–22
3	**आपदा सुरक्षित शहर Disaster Resilient City** 3.1 पूर्व चेतावनी तंत्र तक प्रत्येक नगरवासी की पहुँच 3.2 जोखित सापेक्ष योजना (पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण एवं आपदा मोचन) 3.3 पारिस्थितिकी संरक्षण 3.4 पूर्व से बेहतर निर्माण	23–31

4	**खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण** **Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis** 4.1 खतरा विश्लेषण (शहर विशेष में पूर्वघटित, संभावित दुष्प्रभाव) 4.2 खतरों का प्रकार (प्राकृतिक, मानवनिर्मित, महामारी, शहरी बाढ़ इत्यादि) 4.3 संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण (वार्डवार खतरे के दायरे में स्थित जनधन तथा संवेदनशीलता का आकलन) 4.4 क्षमता विश्लेषणः संसाधन सूची संकलन तथा मान चित्रण	32–52
5	**संस्थागत व्यवस्था Instituional Arrangement** 5.1 नगर निगम की संरचना 5.2 मुख्य संस्थागत ढांचा 5.3 आपातकालीन संचालन केन्द्र की संभावना 5.4 बहु संस्था समन्वय प्रक्रिया तथा दायित्व 5.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना से इस योजना का संयोजन	53–59
6	**पूर्व तैयारी की कार्यवाही Preparedness Measures** 6.1 विभिन्न एजेंसी तथा हितधारकों की मुख्य भूमिका एवं कर्त्तव्य 6.2 आपदावार भिन्न–भिन्न विभागों संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्त्तव्य 6.3 आपदा जोखिम प्रबंधन के आरम्भिक पहल की सूची	60–69
7	**क्षमता निर्माण Capacity Building -** 7.1 संस्थागत क्षमता निर्माण 7.2 समाज/समाजिक संस्थाओं का क्षमता निर्माण 7.3 जन–जागरण	70–73
8	**आपदा मोचन योजना Response Plan** 8.1 मोचन योजना 8.2 आपदा मोचन हेतु शहरी नियामक संस्था का प्रशासन तंत्र 8.3 नगर कन्ट्रोल रूम 8.4 पूर्व सूचना तंत्र 8.5 सहायक यंत्र–सयंत्र (लाजिस्टिक सपोट) 8.6 जिला प्रशासन तथा अन्य एजेंसी से संयोजन 8.7 नगर आपदा प्रबंधन समिति 8.8 आपात्कालीन सहायता कार्य 8.9 घटना प्रतिक्रिया तंत्र तथा उसके मानक संचालन नियमावली नगरीय बाढ़/अग्नि इत्यादि विभिन्न संस्थाओं (गैर सरकारी) के बीच समन्वय	74–80

9	**आपदावार प्रत्युत्तर कार्य एवं उत्तरदायित्व** **Disaster wise Response Activity & Responsibilities** 9.1 आपदावार प्रत्युत्तर कार्य 9.2 नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदगण (मानव संसाधन) की सूची 9.3 सरकारी एवं निजी मानव, भौतिक एवं यांत्रिक संसाधनों की सूची 9.4 वार्डवार संकरी गलियों की पहचान 9.4 शहर में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया का विवरण	81–144
10	**पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन Reconstruction & Rehabilitation** 10.1 क्षति आकलन प्रक्रिया तथा प्रपत्र 10.2 पीड़ितो को राहत 10.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 10.4 जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मती 10.5 अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती/पुनर्निर्माण 10.6 जीविका का पुनर्स्थापन 10.7 चिकित्सीय सुविधा का पुनर्स्थापन 10.8 दीर्घकालिक पुर्नवापसी	145–148
11	**न्यूनीकरण योजना Mitigation Plan** 11.1 अल्पकालीन न्यूनीकरण योजना 11.2 दीर्घकालीन न्यूनीकरण कार्य योजना 11.3 अन्य विकास योजना से सम्मिलन (Convergence)	149–159
12	**वित्तीय व्यवस्था Financial Arrangement** 12.1 योजना का बजट तथा वित्तीय संसाधन 12.2 नगर निगम को अन्य श्रोतो से प्राप्त निधि 12.3 वर्तमान आय श्रोत 12.4 संभावित आय के श्रोत	160–161
13	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** **Monitoring, Evaluation & Updation** 13.1 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना की निगरानी, मूल्यांकण तथा सुधार	162–163
	अनुलग्नक–अनुक्रमणिका Annexure	164–178

सारणी		
1	**सारणी – (1.1)** नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण तथा मुख्य गतिविधियों का ब्योरा	4
2	**सारणी – (2.1)** नगर निगम क्षेत्र की मुख्य जानकारी	7
3	**सारणी – (2.2)** पूर्णिया जिला में वर्षापात (मि.मी.)	8
4	**सारणी – (2.3)** सामान्य तापक्रम तथा आपेक्षिक आर्द्रता	9
5	**सारणी – (2.4)** मध्य गति हवा तथा दिशा (पूर्णिया)	9
6	**सारणी – (2.5)** विशेष मौसमी घटनाए	10
7	**सारणी – (2.6)** नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर	10
8	**सारणी – (2.7)** जनसांख्यिकी विवरणी	11
10	**सारणी – (2.8)** शहर में बिजली की सुविधा	12
11	**सारणी – (2.9)** शहर में नाली प्रवाह	13
12	**सारणी – (2.10)** रसोई की सुविधा	13
13	**सारणी – (2.11)** शहर म इंधन उपयोग के प्रकार	13
14	**सारणी – (2.12)** शहर में धारित संपत्तियाँ	13
15	**सारणी – (2.13)** शहर में पेशागत कर्मी	14
16	**सारणी – (2.14)** समुहवार वार्डो की जनसंख्या	14
17	**सारणी – (2.15)** मुख्य बसावट वाले मुहल्ले	16
18	**सारणी – (2.16)** उपलब्ध पेयजल के स्त्रोत	17
19	**सारणी – (2.17)** शहर में सिवरेज की उपलब्धता	17
20	**सारणी – (2.18)** मकानों की सं॰ तथा प्रतिशत उपयोगित जल को घर बाहर किया जाता है	17
21	**सारणी – (2.19)** नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध नालों की विवरणी	18
22	**सारणी – (2.20)** नगर निगम पूर्णिया के अंतर्गत सड़कों का वर्गीकरण	19
23	**सारणी – (2.21)** अमृत योजना में किये जाने वाले कार्य	21
24	**सारणी – (3.1)** शहरी वानिकी में किये गये वृक्षारोपण	29
25	**सारणी – (3.2)** खतरा एवं संवेदनशीलता	30
26	**नगरीय आपदा तीव्रता कैलेन्डर**	32
27	**सारणी – (4.1)** 2015 भूकम्प क दौरान सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों का क्षति आकलन	32
28	**सारणी – (4.2)** शहर में हुई अग्निकांडों की संख्या	34
29	**सारणी – (4.3)** शहरी क्षेत्र में अगलगी की प्राप्त सूचना	35

30	**सारणी – (4.4)** शहर में मौसमी बीमारी का वार्षिक पुनरावृत्ति	35
31	**सारणी – (4.5)** कोविड से ग्रसित मरीजो की संख्या (जनवरी 2020 से 18.02.22 तक)	36
32	**सारणी – (4.6)** विगत चार वर्षो में कुत्ते एवं साँप द्वारा काटने की संख्या	36
33	**सारणी – (4.7)** आँधी तूफान की घटनाएँ	36
34	**सारणी – (4.8)** औसत तथा अधिकतम तापमान	37
35	**सारणी – (4.9)** शहरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी	38
36	**सारणी – (4.10)** पूर्णिया में शहर में स्लम बस्तियों का विवरण	40
37	**सारणी – (4.11)** शहर में विभिन्न प्रकार के भवन	42
38	**सारणी – (4.12)** नये हाईड्रेंट की आवश्यकता	44
39	**सारणी – (4.13)** स्कूलों में नामांकित बच्चों की सूची	44
40	**सारणी – (4.14)** सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध मानव संसाधन (18.02.2022 तक)	45
41	**सारणी – (4.15)** फायर सर्विस में स्वीकृत पद एवं वर्तमान में कार्यरत बल	46
42	**सारणी – (4.16)** शहर में उपलब्ध अग्निशमन गाड़ी तथा जल क्षमता	47
43	**सारणी – (4.17)** स्थापित हाईड्रेंट की अग्निशमानालय से दूरी	47
44	**सारणी – (4.18)** शहर में उपलब्ध मानव संसाधन	47
45	**सारणी – (4.19)** शहर में उपलब्ध भौतिक संसाधन सूची	47
46	**सारणी – (4.20)** वार्डो में उपलब्ध भौतिक एवं यांत्रिक संसाधन	48
47	**सारणी – (4.21)** वार्ड में उपलब्ध मानव संसाधन	48
48	**सारणी – (4.22)** पूर्णिया में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाय	48
49	**सारणी – (4.23)** सदर अस्पताल पूर्णिया में संसाधन की उपलब्धता	49
50	**सारणी – (4.24)** सरकारी अस्पतालों में कोविड–19 संबंधित उपकरण सुविधा(18.02.2022 तक)	49
51	**सारणी – (4.25)** संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण : (खतरा, संवेदनशील एवं जोखिम)	51
52	**सारणी – (5.1)** नगर निगम के कार्यो का वर्गीकरण	58
53	**सारणी – (6.1)** नगर निगम की भूमिका एवं कर्त्तव्य	60
54	**सारणी – (6.2)** भूकम्प की स्थिति में कर्त्तव्य	61
55	**सारणो – (6.3)** अग्नि सुरक्षा की स्थिति में कर्त्तव्य	64
56	**सारणी – (7.1)** नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों,कर्मियों का प्रशिक्षण	70
57	**सारणी – (7.2)** सामुदायिक हितधारकों हेतु प्रशिक्षण	71
58	**सारणी – (10.1)** संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी	146
59	**सारणी – (12.1)** पूर्णिया नगर निगम के वर्ष 2020–21 की बजटीय स्थिति	160

अनु॰ सं॰	(अनुलग्नक–अनुक्रमणिका)	पृष्ट सं॰
1	शहर में मानव संसाधन (पदाधिकारी एवं कर्मचारी) की सूची	164
2	चिकित्सीय मानव एवं उपक्ररण संसाधान पूर्णिया सदर अस्पताल चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का विवरण नगर निगम के पास उपलब्ध यांत्रिक संसाधन	169
3	अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP)	170
4	अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवश्यक सूचना	174
5	16 बिंदु अग्नि सुरक्षा भेद्यता मैट्रिक्स	175
6	स्थानीय आपदा की अधिसूचना	176
7	स्थानीय आपदा में सड़क दुर्घटना को विलोपित करने की अधिसूचना	177
8	पूर्णिया शहर में सर्विलांस कैमरा का विवरण	178

संक्षिप्तियाँ
ABBREVIATIONS

1. अमृत – अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अरबन ट्रांसफोरमेशन
2. बी एस डी एम ए – बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी
3. बी एस डी आर एन – बिहार स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क
4. सी जी डब्लू बी – सेन्ट्रल ग्राउड वाटर बोर्ड
5. सी.पी.एस.बी. – सेन्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
6. डी डी एम ए – डिस्ट्रिक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी
7. एम क्यु आर टी – मेडिकल क्विक रिसपॉस टीम
8. एम टी – मीन टेम्परेचर
9. एन जी ओ नन गवर्मेंट ऑग्रेनाईजेसन
10. एन जी टी – नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
11. एन बी पी डी सी एल – नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीबूशन कंपनी लि॰
12. एन डी आर एफ – नेशनल डिजास्टर रिसपॉस फोर्स
13. पी एस ए प्लांट – प्रेशर स्विंग एडजोर्प्शन प्लांट
14. क्यु आर टी – क्विक रिसपॉस टीम
15. एस डी आर एफ – स्टेट डिजास्टर रिसपॉस फोर्स
16. एस एच जी – सेल्फ हेल्थ ग्रुप
17. भी आई – वलनरेविलिटी इंडेक्स

संदर्भ
REFERENCES

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005
2. बिहार नगरपालिका अधिनियम – 2022
3. नगर ठोस कचरा (प्रबंधन एवं निस्तारण) नियम – 2000 (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)
4. बिहार भवन निर्माण उपविधि – 2022
5. बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना – 2014
6. बिहार राज्य आपद प्रबंधन नीति – 2007
7. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी अगलगी के रोकथाम संबंधी मार्गनिर्देशिक – 2018
8. जिला आपदा प्रबंधन योजना पूर्णिया –2022
9. 16 Point Fire Safety Vulnerability Matrix
10. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्ग निर्देशिका – 2007
11. बिहार आपदा प्रबंधन विभाग, प्राधिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्गत अधिसूचना, सर्कुलर, पत्र, नियमावली इत्यादि।
12. शहरी स्थानीय निकायों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" पर प्रशिक्षण – 2021
13. Bihar Economic Survey – 2019–20, 2020–21
14. Bihar Heat wave Action Plan – 2019
15. Bihar State Fire Service Rule – 2021
16. Compendium on Laws on Disaster Management
17. District Establishment Day Souvenir – 2011
18. District Census Hand book – 2011
19. District Road Safety Communities
20. Municipal Solid Waste Management Manual – 2016 (CPHEEO)
21. National Disaster Management Policy – 2009
22. National Guidelines for Recovery & Reconstruction (Draft)
23. National Guidelines on (available at website NIDM/NDMA)
    - **i.** Disability inclusive DRR
    - **ii.** Temporary Shelter for Disaster affected families
    - **iii.** Management of Thunderstorm & Lightening/Squal/Dust Storm/Hail Storm & strong wind.
    - **iv.** Minimum Standard of Relief – 2016
    - **v.** Seismic Retro Fitting of Different buildings & structures – 2014
    - **vi.** Management of Urban Floods – 2010
    - **vii.** Management of Earthquake – 2007

:=:=:=:=:=:

कार्यकारी सारांश
EXECUTIVE SUMMARY

1. पूर्णिया नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर आयुक्त, पूर्णिया नगर निगम तथा सहायक संस्था प्रो॰ जी॰पी॰सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पटना के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौता (दिनांक 03.03.2021) के अनुरूप तैयार किया गया है। तदनुसार तीनो पक्षों की बहुमूल्य सहभागिता रही है।

2. बिहार के उत्तर–पूर्व में स्थित पूर्णिया प्रमंडल तथा पूर्णिया जिले का मुख्यालय पूर्णिया है। सन 1833 में नगर पालिका का गठन किया गया था जिसे 2011 में नगर निगम के रूप में उत्क्रमित किया गया। पूर्णिया नगर निगम सम्प्रति 46 वार्डो में विभक्त है तथा 93.50 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 2,82,248 (जनगणना–2011) तथा जनसंख्या घनत्व 3018 प्रति वर्ग कि०मी० है।

3. योजना का निर्माण, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 का स्वीकृत राज्यादेश संख्या आ॰प्र॰विविध–01/2011/1867/आ॰प्र॰ पटना दिनांक 10/05/2016 के प्रस्तावना में उल्लेखित क्रिया कलापो में "सुरक्षित शहर", सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवाय तथा सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएं, के संदर्भ में तैयार किया गया है।

4. योजना का प्रारंभिक उद्देश्य आपदा से सुरक्षित (Disaster Resilience) हेतु नगर निगम क्षेत्र को भू–जलवायु परिस्थिति, जन–सांख्यिकी, पूर्व के आपदा इतिहास तथा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावर्णीय परिस्थितिकी के आधार पर नगर की जोखिम की पहचान कर बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) में उल्लेखित निम्नांकित लक्ष्यो को हासिल करना है। यहाँ की सभी प्रकार की संभावित आपदाओं यथा प्राकृतिक, मानव प्रेरित, सामाजिक तनाव से उत्पन्न, वैश्विक महामारी या जलवायु परिर्वन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण उत्पन्न हो, इसके संदर्भ में एक व्यापक खतरा – जोखिम – संवेदनशीलता – क्षमता विश्लेषण किया गया है।

5. पूर्णिया नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुये सशक्त स्थाई समिति की होगी। इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्त्तो के अध्यधीन, अपने किन्हीं शक्तियों या काया को मुख्य पार्षद या मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

6. पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का सुनियोजित विकास करने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा 'सिटी डेवलपमेंट प्लान–2016' तैयार कराया गया है। इसमें पूर्णिया शहर में चिकित्सा, पयटन विकसित करने की संभावना व्यक्त की गई हैं। इसके लिए एक अलग जोन निर्धारित किया जा सकता है। शहर के मध्य से गुजरने वाली सौरा नदी के दोनो तट पर रीभर फ्रंट विकसित किया जा सकता है। शहर के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज की योजना तथा 'सिटी सैनीटेसन प्लान' भी तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा 'अमृत योजना' 2016–20 भी क्रियान्वित किया गया है।

7. शहर की विभिन्न नागरिक सुविधाओं यथा सीवेज एवं ड्रेनेज प्लानिंग; स्ट्रॉम ड्रेनेज प्लानिंग; वाहनों के लिए उपयक्त स्थानों पर पार्किंग/टर्मिनल इत्यादि का निर्माण; यात्री शेड, जन सुविधा केन्द्र (शौचालय तथा मूत्रालय)

का विकास; सभी रोड क्रासिंग, चौक–चौराहो का सौन्दर्यीकरण; उपलब्ध खाली जगहों तथा जलाशयों के इर्द–गिर्द मनोरंजन पार्क, चिल्ड्रेन्स पार्क; भीड़–भाड़ वाले बाजार तथा अन्य जगहों पर कूडदान की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था; शहरी उष्ण टापू (Urban Heat I-land) वाले संभावित जगहों पर सघन बागवानी, जलाशय तथा जल–फव्वारा की व्यवस्था की जायगी।

8. इस शहर में प्रतिदिन 42 टन ठोस कचरा निकलता है, इसमें से लगभग 60 प्रतिशत ही इकट्ठा किया जाता है। ये कुल 10 जगहों पर इकट्ठे किये जाते है जिसमें से 4 गुलाब बाग में हैं। सड़कों की झाडू–सफाई का कार्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है। कचरा को वार्ड नम्बर 37 के गढ्ढो में भरा जाता है।

9. यहाँ पर चिकित्सा कचरा (Bio-medical Waste) भी काफी मात्रा में निकलता है। शहर में कुल 52 गैर सरकारी अस्पताल, कई निजी नर्सिंग होम तथा 159 पैथोलॉजी सेन्टर कार्यरत है। इनमें उत्सर्जित बॉयो–मेडिकल वेस्ट भागलपुर स्थित **SYNERGY Ltd.** द्वारा इकत्रित कर ले जाया जाता है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज चिकित्सा अस्पताल स्थापित होने तथा बड़ी संख्या में निजी क्लिनिक को देखते हुए जैव कचड़ा निष्पादन शहर में ही किया जा सकता है।

10. पूर्णिया नगर को एक आपदा अनुकूलित नगर के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ के वार्ड सं॰ 1 से 46 तक में आवासित सभी परिवार, व्यक्ति एवं विभिन्न समुदायिक समूह एक स्वः स्फूर्त तथा गतिशील सामाजिक इकाई के रूप में मिलजुल कर कार्य करते हुये ऐसी क्षमता हासिल कर लें जिससे कि बहुआपदा एवं जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिमों का पूर्वानुमान कर सके। इस पूर्वानुमान आधारित चेतावनी या सलाह को आपदा के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी तंत्र क्रियाशील किये जा सके। आपदा जोखिम की सटीक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में ही शमनीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर की तैयारी की जा सके तथा नये विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन किया जा सके।

11. वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीरकरण हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 30 क आलोक में 'वार्डो की समिति' गठित की जायेगी जो जोखिम विश्लेषण आधारित जोखिम न्यूनीकरण की योजना का क्रियान्वयण करेगी। वार्ड स्तर पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 31 के आलोक में गठित 'वार्ड समिति और क्षेत्र सभा' आपात्कालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) का काम करेगी। इसमें वार्ड सदस्य, नागरिक सुरक्षा से जुड़े सदस्य, सेवा प्रदाता संस्थाये तथा समुदाय से चुने गये गणमाण्य लोग होगे जो पूर्व तैयारियों एवं प्रत्युत्तर का पूरा–पूरा ख्याल रखगे।

12. शहर की पारिस्थितिकी तंत्र (Eco. System), प्राकृतिक जल बहाव मार्गो तथा बसावटा की आकृति के आधार पर बिहार भवन उपविधि 2014 के अध्याय 3 में उल्लेखित कंडिका 27 के आलोक में भूमि का क्षेत्रीकरण (Zoning) करने के बाद ही शहरीकरण योजना का स्वरूप निर्धारित किया जायेगा। नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में 'सिटी डेवलपमेंट प्लान' तैयार कराई गई है। इसमें पारिस्थितिकी संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। सम्प्रति पूर्णिया वन प्रमंडल द्वारा शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी परिसरों में वृहत् पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर मे पार्को, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी आवासीय/कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण का दायित्व वन प्रमंडल पूर्णिया को दिया गया है।

13. नगरीय आपदा तीव्रता प्रबंधन योजना सभी हितधारकों से विचार विमर्श कर तैयार किया गया है जिसके आधार पर पूर्णिया शहर की आपदा जोखिम आकलन किया गया है जो निम्नवतः है –

क्र० स०	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूकम्प	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
2	जलजमाव						मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम		
3	अगलगी	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
4	स्वास्थ्य समस्या	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम
5	ठनका				उच्च	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम		
6	चक्रवाती तूफान /तीव्रगति हवा			उच्च	उच्च	उच्च					मध्यम		
7	ओलावृष्टि			उच्च	मध्यम								
8	गर्मी/लू			मध्यम	उच्च	उच्च							
9	शीतलहर	उच्च											उच्च
10	सड़क दुर्घटना	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	उच्च
11	औद्योगिक दुर्घटना	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
12	पर्यावरण	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
13	मेला, भीड़ सुरक्षा	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम

तीव्रता मापक – उच्च (लाल) मध्यम (पीला)

14. पूर्णिया शहर में जल जमाव के कारण यहाँ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कई प्रकार से लोगों के जीवन को कष्टकर बनाने लगा है। जल जमाव वाले इलाको में निर्मित सेप्टिक टैंक का मैला पानी (Sullage) उस इलाके में अनेको दिन तक जमा रहने वाले पानी में मिलकर उसे विषाक्त तथा दुर्गधयुक्त बना देता है। इसके कारण आवागमन अवरूद्ध होता है साथ ही बीमारी उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। पूर्णिया शहर में प्रतिदिन निकलने वाले ठोस कचरे एवं जीव चिकित्सा अपशिष्ट के कारण भी पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

15. बी.पी.एल. सर्वेक्षण 2008 के अनुसार शहर में कुल 21,741 परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। पुनः SPUR कार्यक्रम के लिए बिहार सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में 2010 के दौरान 125 मलिन बस्तियों में 11,181 परिवारों की कुल जनसंख्या 63,735 है। (स्त्रोतः सिटी डेवलपमेंट प्लान) यह 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जन संख्या 2,82,248 का 24 प्रतिशत है।

16. नव निर्मित राज्य की चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास आपात स्थिति से निपटने के लिये (यथा महामारी, आग, भूकम्प आदि) स्वयं का आपदा प्रबंधन योजना हो। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट है कि मौसमो बोमारी के अतिरिक्त कोविड–19 वायरस की वजह से पूरा शहर संवेदशील है। सरकार की ओर से अनवरत प्रयास किया जा रहा है कि चिकित्सा हेतु विभिन्न स्तरों पर मानव बल की संख्या बढ़ाई जाये परंतु फिलहाल हर स्तर पर कमी की वजह से स्वास्थ्य प्रशासन पर असर पड़ा है।

17. जोखिम न्यूनोकरण तथा L_1 स्तर की आपदा का सफलता पूर्वक सामना करने के लिए सरकारी विभागों के पास उपलब्ध प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधनों का ब्योरा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org के विषय पंक्ति, our activities ds drop down menu में traning कॉलम पर देखा जा सकता है। साथ ही हितधारकों से बातचीत के आधार पर सभी वार्डो में उपलब्ध संरचनात्मक, मानव एवं यांत्रिक संसाधन संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्डवार संवेदनशील स्थल, संवेदनशील आबादी एवं जोखिम जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

18. 'स्थानीय स्वशासन' के लिये शहरी स्थानीय निकाय के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम–2022 को मुर्त्त रूप दिया गया है। अतः नगरीय स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पॉडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नगर निगम की भूमिका को देखते हुए इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम होगें। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक चेतावनी, सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेगें।

19. योजना में सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मी को आपदा जोखिम के विषय में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता महसूस की गई है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी हितभागियो तथा नियोजित कर्मियो के कौशल को मजबूती प्रदान करना तथा उनकी निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। इसके द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों तथा जटिलताओ के प्रति अवधारणा (Concept) प्रामाणिक जानकारी (Authentic Information) कौशल (Skill) दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित करना है।

20. इस नगरीय योजना में नगर निगम प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में समन्वय बनाये रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है साथ ही उनके उत्तरदायित्व को चिह्नित किया गया है।

21. चूंकि आपदा प्रबंधन एक लम्बी प्रक्रिया है, इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाई जाय। तत्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित संस्था सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगी। साथ ही संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर निगम द्वारा आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः पूर्व से बेहतर रूप में बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली एवं संचार के सभी माध्यमों की अवाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

22. जिला आपदा प्रबंधन योजना पूर्णिया 2022 में आपदावार एवं विभागवार शमनीकरण के उपबंध अध्याय 5 में दिये गये हैं। नगरीय आपदा प्रबधन योजना में शहरी विकास विभाग के लिए उपबंधित कार्य नगर निगम से अपेक्षित ह। वहीं प्रत्युत्तर योजना दो अध्यायों में रख गया है, जिसमें अध्याय–9 में आपदा के दौरान किसे क्या–क्या करना है तथा संसाधन की जानकारी सम्मिलित है।

23. पूर्णिया शहर के उत्तर पूर्व के 7 वार्डो में 38 मलिन बस्तियां तथा दक्षिण पश्चिम के 8 वार्डो में 29 मलिन बस्तियां हैं। इस इलाके में रोड घनत्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। बारह मासी रोड का सर्वथा अभाव है। कई बस्तियों तक पहुँचने तथा इससे निकलने के मार्ग कच्चे तथा संकरे हैं। यहाँ आग लगने पर अग्निशमन यत्रो का पहुँचना या निकलना दुश्कर है। नगर निगम आपदा काल में इन बस्तियों तक पहुँचने तथा निकलने का रूट मैप तैयार कर चौड़ा तथा 12 मासी सड़क संपर्क निर्माण करने का प्रयास करेगी। इन्हीं मार्गो से अग्निशमन यंत्र राहत सामग्री पहुँचाने तथा विकट स्थिति में निकासी एवं बचाव कार्य के लिए उपयोग किया जायेगा।

24. पूर्णिया नगर निगम परिक्षेत्र में नगर निगम के अपने संसाधन श्रोतों के अतिरिक्त निम्न श्रोतों से राशि उपलब्ध कराया जाना विचारणीय होगा।

- एम पी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड; प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी); बिहार शहरी आजिवीका मिशन; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन; जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युबल मिशल; राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना; प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना;

25. चूंकि शहर में सुख सुविधा बढ़ाने, साफ–सफाई एवं बुनियादी सुविधा प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी नगर निगम की है, इसलिए बीते वर्षों में निधि की आवश्यता बढ़ी है। ऐसे में राज्य वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रदान की जा रही निधि से वित्तीय संसाधन बढ़ा है जिससे कई विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं। शहर में नगर विकास एवं आवास प्रमंडल द्वारा भी कई कार्य कराये जा रहे है। होल्डिंग टैक्स की वसूली – अपेक्षित तथा वास्तविक – में काफी अंतर है जिसे पाटने हेतु प्रयास किया जायेगा।

26. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 32 के आलोक में जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना में निहित प्रावधानो का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) और अद्यतन (Update) किया जायेगा। इसी के अनुरूप नगर निगम सभी कार्यो का अद्यतिकरण किया जायेगा।

:=:=:=:=:

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, पूर्णिया

अध्याय : 1

परिचय
INTRODUCTION

1.1 संदर्भ :— विस्तृत नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015—30 का स्वीकृत राज्यादेश संख्या आ॰प्र॰विविध—01/2011/1867/आ॰प्र॰ पटना दिनांक 10/05/2016 के प्रस्तावना में उल्लेखित क्रिया कलापो में "सुरक्षित शहर", सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवायें तथा सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएं, के संदर्भ में तैयार किया जा रहा है।

उक्त प्रस्तावना के अनुसार सुरक्षित शहर से तात्पर्य है, शहरवासियों में लोचपूर्ण सुरक्षित संव्यवहार एवं आदतो (Resilient and Safe Behavior) का विकास, शहरी सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उनके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी तथा आपात्कालीन सेवाओं तक आमजनो की पहुँच सुनिश्चित करना तथा इन क्रियाकलापों के माध्यम से शहरवासियों में छोटी आपदाओं (L_1 स्तर की) से शहर स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना ।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना की पृष्टभूमि और संदर्भ

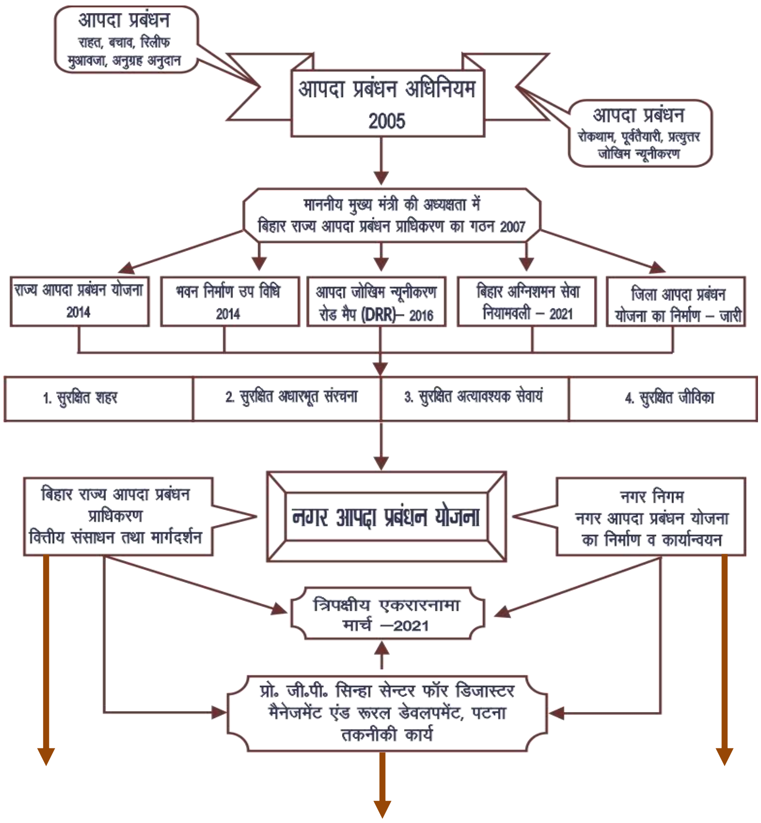

भूमिका :—

▪ आंकड़ा एकत्रीकरण हेतु क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों तक पहच सुगम बनाना । ▪ समन्वय । ▪ टेम्पलेट की स्वीकृति। ▪ प्रगति की समीक्षा एवं योजना की स्वीकृति।	▪ सी॰डी॰एम॰पी॰ की तैयारी । ▪ आंकड़ा संकलन हेतु प्रपत्र बनाना। ▪ आंकड़ों का सत्यापन। ▪ बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰ को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बना कर देना। ▪ समय बद्ध काम करना। ▪ सी॰डी॰एम॰पी॰ पर नगर निगम से अनुशंसा प्राप्त कर बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰ को प्रेषित करना।	▪ वरीय पदाधिकारी को प्रभारी नामित करना । ▪ प्रभारी द्वारा बैठकें एवं विचार विमर्श आयोजित करना। ▪ सभी संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराना तथा जिला/नगर स्थित अन्य कार्यालयों से समन्वय। ▪ हितधारकों के साथ बैठक, समूह चर्चा में सूत्रधार का कार्य करना।

सुरक्षित बुनियादी सेवाएं (Resilient Basic Infrastructure) से तात्पर्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता आदि से संबंधित सेवाओं को बेहतर आपदा प्रतिरोधक (Disaster Resistant) बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के ससमय उपाय करना। इसके लिए आपदा जोखिम को पहचान कर संबंधित विभागों की क्षमता का विकास/निर्माण एवं लोचपूर्ण (Flexible) तथा आपदा प्रतिरोधक योजना तैयार करना है। इसी प्रकार सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचना (Resilient Critical Infrasturcture) से तात्पर्य सड़क, पुल पुलिया, विद्युत संचार, दूर संचार, तटबंध, परिवहन प्रणाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवायें आदि महत्वपूर्ण सेवाओं को आपदा प्रतिरोधी बनाने एवं आपदाओं के समय इन्हें अनवरत चालू रखना है।

इसी संदर्भ मे, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा सभी नगर निगमों को एक विस्तृत नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, (CDMP) जिसमें आपदा प्रबधन के सभी अवयवों को समावेशित किया जा सके, तैयार करने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। BSDMA द्वारा नगर निगम पूर्णिया को CDMP तैयार करने में सहयोग करने के लिए प्रो॰ जी॰ पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, पटना को नियुक्त किया गया। तत्संबंधी इन तीनों के बीच एक त्रि–पक्षीय एकरारनामा दिनांक 03/03/2021 को संपन्न हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में यह योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

1.2 योजना का उद्देश्य :– इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य शहर को आपदा सुरक्षित (Disaster Resilience) हेतु नगर निगम क्षेत्र का भू–जलवायु परिस्थिति, जन–सांख्यिकी, पूर्व के आपदा इतिहास तथा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावर्णीय पारिस्थितकी के आधार पर नगर की बहुआपदा तीव्रता के अनुसार सवेदनशील स्थलों, आबादी, रिहायशी, जनसंख्या, सरकारी तथा निजी संपत्तियां, आधारभूत संरचनाए तथा मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाली सेवाओं के संदर्भ में जोखिम की पहचान कर बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) में उल्लेखित निम्नांकित लक्ष्यो को हासिल करना है।

(क) वष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को मूलाधार (Base Line) आंकड़ों की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।

(ख) वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल, नाव–दुर्घटना) में मूलाधार आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी करना ।

(ग) वर्ष 2030 तक आपदाआ से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी करना।

आपदा जनित संकट काल में प्रत्युत्तर, राहत एवं बचाव, जीविका एवं बसावट की पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्वास एवं अत्यंत जरूरी जन सेवाओं की यथाशीघ्र बहाली का कार्य पूर्णिया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व एवं निर्देशन में कराये जा सकेगें।

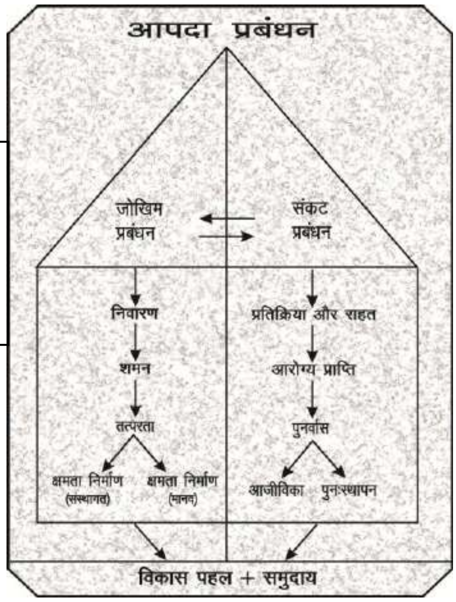

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप (2015–30) में उल्लेखित निम्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को इस नगर आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया गया है।

- आपदा जोखिम की पहचान, उसके संबंध में पूरी जानकारी तथा इसका विस्तृत विश्लेषण।
- सहभागी, विस्तृत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोखिमो का विश्लेषण करते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वार्ड स्तरीय विकास याजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन।
- जोखिमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर तदनुसार सभी हितधारको का पर्याप्त क्षमता वर्द्धन ।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्यों को हासिल करने हेतु योजनावद्ध तरीके से हितधारको से संवाद स्थापित करना। सतत् जागरूकता अभियान चलाना। समय–समय पर मॉकड्रिल आयोजित करना, प्रत्युत्तर दल का सतत् क्षमतावर्द्धन, पूर्व से बेहतर निर्माण। नगर विकास की सभी योजनओं के साथ आपदा प्रबंधन योजना का संयोजन व समन्वय।

1.3 योजना का दायरा :– इस योजना में 93.50 वर्ग कि॰मी॰ की परिधि में फैली तथा 46 वार्डो में विभक्त पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की संभावित आपदाओं यथा प्राकृतिक, मानव प्रेरित, सामाजिक आपदाएं, वैश्विक महामारी या जलवायु परिवतन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण उत्पन्न हो, इसके संदर्भ में एक व्यापक खतरा–जोखिम–संवेदनशीलता–क्षमता विश्लेषण किया गया है। विगत दशका में बहुत बड़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में स्थान परिवर्तन हुआ है। इसके कारण शहरी जनसंख्या में बेतहासा वृद्धि हुई है तथा इसका कुप्रभाव वहाँ की नागरिक सुविधाओं पर पड़ा है। शहर के सभी 46 वार्डो में लगभग 61,932 होल्डिंग है जिसमें आवासीय तथा गैर आवासीय प्लाट भो शामिल हैं। इन विभिन्न बसावटों पर आपदाओं के कारण कई बार व्यापक जान–माल की हानि के साथ जन सुविधाआ, शिक्षा, चिकित्सा तथा संचार–संपर्क अतःसंरचना की क्षति या जन सुविधाओ में व्यवधान होता आया है। विगत 10–15 वर्षो के आपदा इतिहास के आधार पर पूर्व में घटित तथा भविष्य में संभावित बहु–खतरा का विश्लेषण एवं इसका मानचित्रण भी किया गया है।

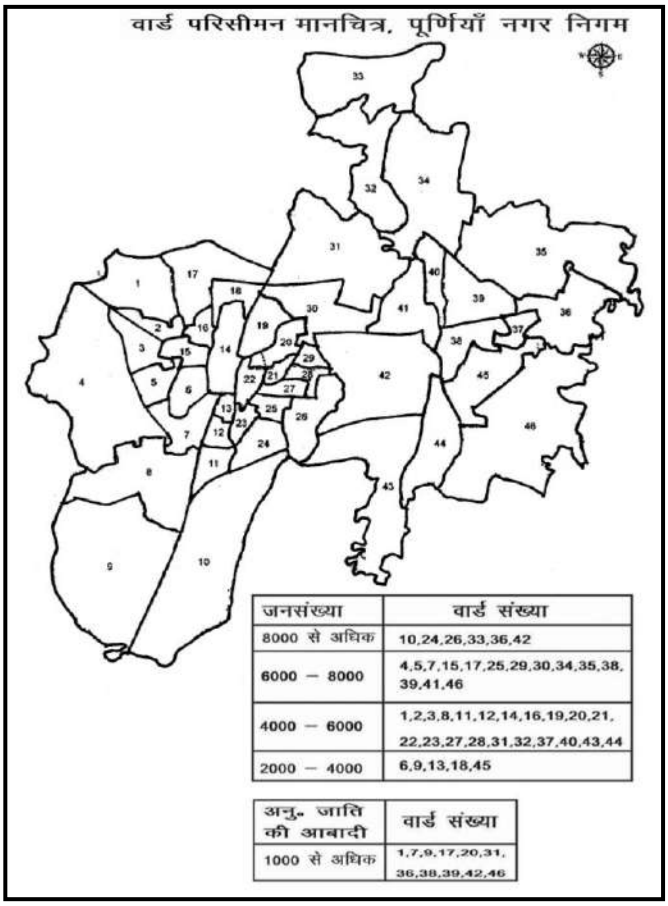

वर्ष के बारह महीनों में सभी आपदाओं के घटित होने का एक संभावित काल खंड अनुमानित किया गया है जिसे आपदा तीव्रता कैलेन्डर में दर्शाया गया है। इस वार्षिक आवर्ती आपदा के आधार पर इनकी अधिकतम तीव्रता (पूर्व अनुभव आधारित), इसके चपेट में आने वाले संभावित वार्डा तथा वहाँ स्थित संवेदनशील जान–माल तथा आधारभूत संरचनाओं की क्षति का जोखिम, नागरिक सेवाओं तथा सुविधाओं में व्यवधान का पूर्वानुमान लगाने एवं स्थानीय स्तर पर इससे निपटने की क्षमता का आकलन किया गया है। आपदाओं की विभीषिका को एक सीमा से अधिक होने पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्षमता से इसका सामना करना संभव नहीं होने पर बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। अतः ऐसी विषम परिस्थिति में नगर निगम की इन बाहरी सहायता श्रोत तक पहुँच होना/बनाना आवश्यक होगा। बाहरी मदद श्रोत का व्यवहारिक आकलन करते हुये इस तक त्वरित पहुँच बनाने तथा सहायता प्राप्त करने की औपचारिकताओं को भी चिह्नित करने का प्रयास किया गया है।

1.4 योजना तैयार करने की कार्य प्रणाली :– इस योजना का निर्माण एक त्रि–पक्षीय एकरारनामा के आलोक में किया गया है। तदनुसार तीनो पक्षों की बहुमूल्य सहभागिता रही है। नगर निगम पूर्णिया के द्वारा पूर्णिया स्थित विभिन्न विभागों से नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जरूरी आंकड़े तथा सूचनायें एकत्रित करने का हर संभव प्रयास किया गया है। इस योजना की तैयारी में तकनीकी सहयोग के लिय नियुक्त संस्था, प्रो॰ जी॰ पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट ने विभिन्न श्रोतो से कई तरह के आंकड़ो को, जो पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र से संबंधित थे, उन्हें विभिन्न वेब साईट,

जिला गजेटियर, जिला जनगणना हस्त पुस्तिका, साख्यिकी प्रतिवेदनो तथा अन्य श्रोतो से एकत्रित किया है। प्राथमिक आंकड़ा एवं सूचना श्रोत के तौर पर सरकारी पदाधिकारियों, नगर के गणमान्य प्रबुद्ध निवासियों, नगर निगम के सभी कर संग्राहक तथा कचरा एवं सफाई कार्य में जुड़े सुपरवाईजर से साक्षात्कार एवं विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए पूर्व से प्रश्नावली तैयार कर सूचनाएँ हासिल की गई। इसके साथ ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गई नगरीय आपदा प्रबंधन योजना CDMP की संरचना, प्राथमिकताओं के अतिरिक्त निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए जारी किये गये सरकारी आदेश, अनुदेश, परिपत्र, मानक संचालन प्रक्रिया, जन जागरण हेतु पत्रक, पोस्टर इत्यादि उपलब्ध कराये गये।

1.4.1 कार्रवाई योग्य एवं करने योग्य योजना :– इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक, मानवकृत तथा स्थानीय आपदा की रोकथाम, खतरों का शमन, जोखिम का न्यूनीकरण, जागरूकता सृजन, संभावित आपदा से निपटने (प्रत्युत्तर) के लिए की जाने वाली तैयारी, क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण एवं मानव तथा भौतिक संसाधनों का मानचित्रण के साथ ही किसी भी प्रकार की आपदा के घटित हो जाने पर समन्वित एव प्रभावी प्रत्युत्तर कार्य यथा खोज, बचाव, निष्क्रमण तथा जरूरतमंदो के लिए राहत शिविरो का संचालन, आपदा की समाप्ति के बाद पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्वास और पूर्व से बेहतर (बहु–आपदा–सुरक्षित) पुनर्निर्माण कार्यो की अधिकारिता एवं दायित्वों की इस प्रकार संदर्भित करने का प्रयास किया गया है जिससे कि, यह एक कार्रवाई योग्य एवं करने योग्य योजना का स्वरूप धारण कर सके। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 31 एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड–मैप 2015–30 इस योजना का औचित्य तथा अनिवार्यता बताती है। अधिनियम 2005 की धारा 32 एवं 41 तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की धारा 361 एवं 47(5)(क) इस योजना की संवैधानिक अधिकारित तथा कृत्य का निर्धारण करता है। इस परिधि के अंतर्गत निम्न संवैधानिक दस्तावेजा में प्रासंगिक संदर्भो की भी तलाश की गई हैः–

- विभिन्न कानून (Laws & Statutes)
- सरकारी नियम तथा कार्यादेश (Government Rules & Orders)
- विनियमन तथा मैनुअल्स (Regulations & Mannuals)
- औपरारिक अनुबंध (Agreements)

सारणी –1.1 नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण तथा मुख्य गतिविधियों का ब्योरा :

गतिविधि	प्रमुख चरण	मुख्य गतिविधि
1	**2**	**3**
A.	शुरूआत (10.08.21)	शुरूआती प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवं समर्पण
B.		विहित प्रश्नावली के आलोक मं आंकड़ा संकलन
C.		PRA Exercise द्वारा आंकड़ों का सत्यापन
D.	BSDMA को मध्यक्रम प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना (10.11.21)	आंकड़ों का दस्तावेजीकरण, डाटा इंन्ट्री विश्लेषण तथा व्याख्या।
E.		मानक सचालन प्रक्रिया एवं संबंधित आदेश का संकलन।
F.		खतरा जोखिम संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण (HRVCA)
G.		आपदा की रोकथाम, पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, हेतु अन्य संबंधित सरकारी योजनाओं से इस योजना का संयोजन ।
H.	BSDMA को समर्पण (26.04.22)	ड्राफ्ट योजना की तैयारी एवं BSDMA को समर्पण।
I.	BSDMA द्वारा ड्राफ्ट योजना की समीक्षा एवं अभियुक्ति (21.12.22)	BSDMA द्वारा समीक्षा के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण।
J.	BSDMA द्वारा स्वीकृति (2023)	अंतिम रिपोर्ट को तैयारी एवं समर्पण।

नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु (PERT CHART)

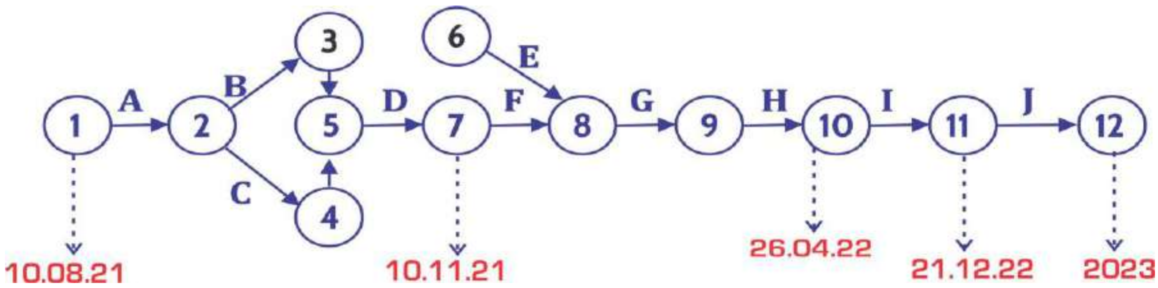

अन्य श्रोतो से प्राप्त आंकड़ो का सत्यापन, पूर्व के आपदा इतिहास संबंधी जमीनी स्तर की सूचनाएँ एवं वास्तविक अनुभवों का संकलन, स्थानीय स्तर पर घटित आपदाआ का अबतक प्रचलित परंपरागत निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी की कार्यवाहियो की जानकारी एकत्र करने के लिए सहभागी सूचना (PRA Exercise) संकलन पद्धति अपनाई गई। सभी वार्ड सदस्यों एवं विगत आपदाओं के दौरान सक्रिय रहे सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओ के प्रतिनिधिया, नगर के प्रबुद्ध नागरिका के साथ बैठकर चर्चा की गई एवं अपेक्षित सूचनाएँ एकत्रित की गई।

इन आंकड़ा का दस्तावेजीकरण तथा व्याख्या तैयार की गई। विभिन्न सारणी, चार्ट, ग्राफ तथा डायग्राम तैयार किये गये। इनको निरूपित करते हुये बहु आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता का विस्तृत विश्लेषण तैयार किया गया। पुनः इस विश्लेषण के साथ सभी हितधारकों क साथ बैठके कर उनको इसके फलाफल की जानकारी दी गई तथा उनसे आपदा प्रबंधन के सभी मुख्य अवयवो के संबंध में उनके दायित्व एवं कर्त्तव्यो तथा अपेक्षाओ की चर्चा की गई। इस चर्चा के आधार पर आपदा पूर्व तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा तय की गई जो आपदा के शमनीकरण न्यूनीकरण तथा आपदा मोचन के लिए सहायक तथा प्रभावी हो।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना को ससमय, त्वरित, तथा प्रभावी रूप से लागू करने की लिए एक सुगठित आपात्कालीन संचालन केन्द्र की रूपरेखा, प्रभावो प्रक्रिया, कार्यबलों के संस्थागत ढांचा का स्वरूप तय किया गया। इसके अतिरिक्त संसाधन सूची तैयार की गई। भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन की वर्तमान उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर इसकी प्रभावकता में उतरोत्तर सुधार करने का कार्यक्रम बनाया गया है। क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण सामग्रियां भी चिह्नित किये गये। आपदा प्रभावित लोगों के बीच खतरों तथा जोखिम की पहचान तथा स्थानीय स्तर पर बाहरी सहायता पहुँचाने के पूर्व तक बचाव कैसे की जाय अथवा कौन सी नहीं की जाय इस बारे में उन्हें जागरूक करने क सभी उपायों की विस्तृत चर्चा की गई है।

कई प्रकार की आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर योजना, सहयोगी संस्थाओं की भूमिका तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व एवं निर्देशन में आपसी सहयोग एवं समन्वय की मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है। पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास, नियंत्रण कक्ष की कार्य प्रणाली एवं सतत् सेवा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। आपदा प्रभावितों या संवेदनशील आबादी को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण तथा राहत शिविरा के संचालन की मानक प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया गया है।

इस योजना निर्माण में क्षति आकलन, पीड़ितो को राहत, पुनर्वास, आधारभूत संरचनाआ का पुनर्स्थापन जीवनदायी सेवा प्रदान की जाने वाली संस्थाओं के भवनो की त्वरित मरम्मति या क्षतिग्रस्त संरचना का पुनर्निर्माण के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निर्देश, परिपत्र, दिशा निर्देशा को परिशिष्ट में संकलित किया गया है।

योजना में प्रस्तावित कार्यो के लिए वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता का भी अन्वेषण किया गया है। विकास कार्यो के लिए किये जा रहे निवेश से आपदारोधी संरचनाओ के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। योजना का निरूपण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण को सरल एवं सुलभ बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

1.5 **नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन** :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत पूर्णिया नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2022 क अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुये

सशक्त स्थाई समिति की होगी। इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्त्तो के अध्यधीन, अपने किन्हीं शक्तियों या कार्यो को मुख्य पार्षद या मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की नीतियाँ, बिहार नगर पालिका अधिनियम, विभिन्न आपदाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं, नये सहाय्य मानदर एवं भूकम्प, चक्रवाती तूफान, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धो एवं असहाय जनो की सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों

बिहार म्यूनिसीपल एक्ट 2022 के अध्याय 39 में उद्दृत धारा 361 :

प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन – (1) जहाँ तक संभव हो सकेगा, नगरपालिका मौसम विज्ञान संबंधी कार्यालय सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संबंद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम आधृत नक्शा तथा प्रभावी क्षेत्र– आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आंकड़े एकत्र करेगा और प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) नगरपालिका आपदा प्रबंधन के संबंध में आपातकालीन क्रिया–कलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) नगरपालिका योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भूकम्पीय क्षेत्रों में भूकम्प की यथा भयानकता को कम करने तथा इस संबंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गये विनियमों को यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

की सुरक्षा, मलवों का निपटान से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। हितधारका एवं सहयोगी संस्थानों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायेगा।

1.6 योजना का पुनर्विलोकन एवं सुधार :– नगर निगम की सशक्त स्थाई समिति प्रत्येक आपदा के बाद एक निश्चित समय अंतराल पर योजना के अवयवों तथा उसके क्रियान्वयन की विवेचना करेगी अथवा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 के अनुच्छेद 33(1) में उल्लेखित शक्तियों का उपयोग करते हुये नगर आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन एवं सुधार के लिए एक तदर्थ समिति का गठन करेगी जो ऐसे कार्य करेगी या जाँच पड़ताल करेगी या अध्ययन करेगी जिसमें रिपोर्ट देना भी शामिल है, जैसा इस संबंध में प्रस्ताव द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय। अनुच्छेद 33(2) के आलोक में कोई भी व्यक्ति जो पार्षद नहीं है, किन्तु तदर्थ समिति के प्रयोजनार्थ विशेष योग्यता रखता है तो उसे तदर्थ समिति के सदस्य के रूप में संबद्ध किया जा सकेगा। यह तदर्थ समिति विवेचना के दौरान आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन के समय महसूस की गई कठिनाईयो को ध्यान में रखकर योजना के प्रावधाना में आवश्यक सुधार प्रस्तावित करेगी। प्रत्येक वर्ष संसाधन सूची अद्यतन करेगी तथा अपने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपलब्धिया की समीक्षा कर आगामी वर्ष के लिए नये लक्ष्य निर्धारित करेगी। इन सभी सुधारों को अन्ततः सशक्त स्थाई समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 2

नगर का सामान्य विवरण

CITY PROFILE

2.1 नगर परिचय :– बिहार के उत्तर–पूर्व में स्थित पूर्णिया प्रमंडल तथा पूर्णिया जिले का मुख्यालय पूर्णिया है। इस शहर के नगरीय प्रशासन के लिए सन 1833 में नगरपालिका का गठन किया गया था जिसे 2011 में नगर निगम के रूप में उत्क्रमित किया गया। पूर्णिया नगर निगम सम्प्रति 46 वार्डो में विभक्त है तथा 93.50 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 2,82,248 (जनगणना–2011) तथा जनसंख्या घनत्व 3018 प्रति वर्ग कि० मी० है। यह शहर उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं, ऑटो मोबाईल तथा अनाज की खरीद–बिक्री के लिए आसपास के इलाको में विख्यात है। यहाँ का भट्ठा बाजार खुदरा सामानों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है तो दूसरी ओर गुलाब बाग अनाज की थोक मंडी के रूप में जाना जाता है। लगभग सभी ब्राण्डेड कम्पनियों के शो रूम इस नगर में है। यहाँ की आबादी शांतिप्रिय तथा प्रगतिशील है।

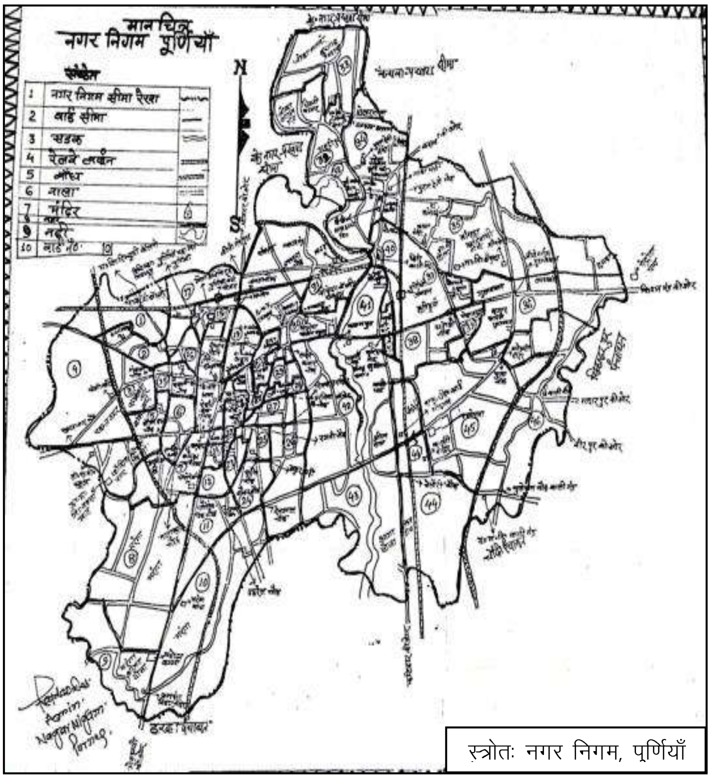

स्त्रोतः नगर निगम, पूर्णियाँ

सारणी – 2.1 नगर निगम क्षेत्र की मुख्य जानकारी :

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	2	3
1	स्थापना का वर्ष नगर पालिका एवं नगर निगम	सन् 1833 एवं सन् 2011
2	वार्डो की कुल संख्या	46
3	कुल आबादी (जनगणना 2011)	2,82,248 (जनगणना 2011)
4	कुल क्षेत्रफल	93.50 वर्ग कि॰मी॰
5	जनसंख्या घनत्व	3018 व्यक्ति प्रति वर्ग कि॰मी॰
6	कुल होल्डिंग आवासीय गैर आवासीय कुल परिवारों की सख्या	 61932 56108 5824 (जनगणना 2011)

1000 यूनिट रक्त का सुरक्षित भंडारण करने की क्षमता के साथ रेड क्रॉस सोसायटी सक्रिय है। इन्दिरा गाँधी स्टेडियम में स्पॉटस ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया का कार्यालय अवस्थित है। यहाँ की माँ पूरण देवी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, माता आश्रम, जलालगाह का किला तथा काझा कोठी, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक शहीद स्मारक द्वार दर्शनीय स्थलों में प्रमुख है। सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन के लिए पॉलिटेक्निक मैदान, डी.एस.ए. ग्राउंड एवं रंगभूमि मैदान उपलब्ध है। डी.एस.ए. ग्राउंड एक प्रमुख खेल का मैदान है। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया भी लगभग 150 वर्ष पुराना है।

बिहार की राजधानी पटना से पूर्णिया, सड़क मार्ग द्वारा 302 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। यह शहर सड़क मार्ग के अतिरिक्त रेल मार्ग से भी जुडा हुआ है। नार्थ फ्रटियर रेलवे के अंतर्गत पूर्णिया जंक्शन सीधे कटिहार, बागडोगरा, कोलकाता, जोगबनी, बनमंखी से रेल संपर्क से जुडा हुआ है। नजदीकी हवाई पत्तन पटना अथवा बागडोगरा में है जहा से नियमित हवाई सेवाये उपलब्ध है तथा पूर्णिया से 5 कि॰मी॰ दर

चूनापूर हवाई पत्तन एयर फोर्स का है जो सैन्य उपयोग के लिए बना है। पूर्णिया शहर के निकट से राष्ट्रीय राजमार्ग 31, 57, 107 जी॰टी॰रोड तथा 131A गुजरती है। इसके अतिरिक्त राजकीय उच्च पथ संख्या 60, 62, 65, 77 और 90 भी इस शहर के निकट से गुजरती है। पूर्णिया (पूर्व) प्रखंड अन्तर्गत कोर्ट स्टेशन के निकट एक पुराना हवाई अड्डा भी है।

2.2 भूगोल :– हिमालय की तराई एवं गंगा के मैदानी भाग के बीच बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 25^0 45′ उत्तरी अंक्षा" ा तथा 87^0 28′ पूर्वी देशान्तर पर पूर्णिया नगर अवस्थित है। यहाँ की भूमि औसतन समतल है तथा समुद्र तल से इसकी उँचाई 40 मी॰/131.23 फीट के आस–पास है। यहाँ की मिट्टी का प्रकार सामान्यतः जलोढ़ (Alluvium Soil) है तथा मौसम उष्ण–आर्द्र रहता है। इस नगर के आस–पास से मुख्यतः चार नदियाँ गुजरती है। पूरब में कुछ दूरी पर महानंदा और पश्चिम में कोशी नदी तथा नगर के पश्चिमी सीमा पर कारी कोशी नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। शहर के बीच से सौरा नदी गुजरती है।

पूर्णिया नगर की चौहद्दी

उत्तर	कसबा
दक्षिण	हरदा
पूरब	पोखरिया
पश्चिम	चूनापुर

2.3 प्रशासनिक विभाजन :–पूर्णिया शहर में नगर निगम का मुख्यालय के अतिरिक्त पूर्णिया प्रमंडल एवं जिला प्रशासन, पूर्णिया सदर अनुमंडल तथा पूर्णिया पूर्व प्रखंड एवं अंचल मुख्यालय है। इस शहर में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके संभाग कार्यालय अवस्थित है।

2.4 जलवायु एवं मौसम :– पूर्णिया की जलवायु सामान्यतः आर्द एवं नमीयुक्त है। शीत ऋतु नवम्बर से फरवरी तक रहती है जिसमें सबसे अधिक सर्दी जनवरी माह में पड़ती है। मार्च से लेकर मध्य जून तक गर्मी का मौसम रहता है। जून के दूसरे पखवाड़े से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है जो सितंबर तक जारी रहता है।

2.4.1 वर्षा :– साख्यिकी विभाग पूर्णिया से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार यहाँ का औसत वार्षिक वर्षापात 1435.30 मि॰मी॰ है जो राज्य के अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक है। इसका 85.7 प्रतिशत (1229.6 मि॰मी॰) वर्षा ऋतु में बारि" ा होती है।

सारणी – 2.2 पूर्णिया जिला में वर्षापात (मि.मी.)

क्र. सं.	मौसम	सामान्य वर्षा	वास्तविक 2018	वास्तविक 2019	वास्तविक 2020	वास्तविक 2021(सित॰तक)
1	दक्षिण पश्चिम मानसून (जून से सितम्बर तक)	1229.6	943.30	1130.70	1488.50	775.50
2	उत्तर पश्चिम मानसून (अक्टुबर से दिसंबर तक)	0.0	30.90	24.50	34.40	–
3	शीतकालीन वर्षा (जनवरी से फरवरी तक)	17.30	0.0	35.80	12.80	0.0
4	ग्रीष्मकालीन वर्षा (मार्च से मई)	188.40	94.60	129.40	272.40	321.4
	कुल वर्षा	**1435.30**	**1068.80**	**1320.40**	**1808.10**	**1096.90**
	कुल वर्षा प्रतिशत मं	**100**	**74.47**	**92.00**	**125.97**	**76.43**

स्त्रोत : सांख्यिकी विभाग, पूर्णिया

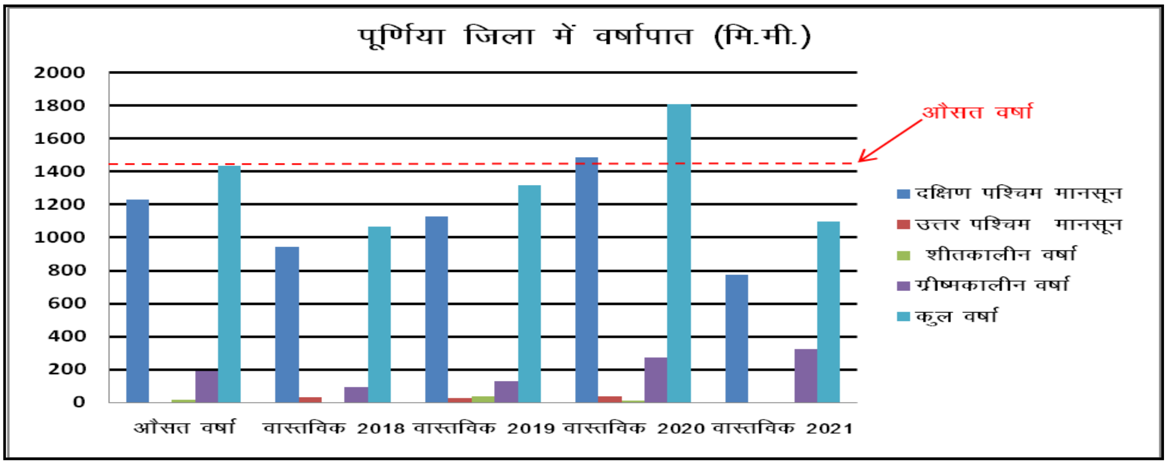

2.4.2 तापक्रम एवं अपेक्षिक आर्द्रता : – भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की पूर्णिया वेधशाला में संकलित आंकड़ा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बुलेटिन संख्या–8 "बिहार की जलवायु" नामक पुस्तिका में संधारित किया गया है। इन आकड़ों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। जनवरी माह में अधिकतम औसत तापक्रम 24.0 ^{0}C तथा न्यूनतम औसत तापक्रम 7.8 ^{0}C रहता है। सर्दियो के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के साथ शीत लहर की स्थिति भी बनती है। पूर्णिया वेधशाला में 31 जनवरी 1971 को अब तक का सबसे न्यूनतम तापक्रम 1.3 ^{0}C दर्ज किया गया। जबकि 27 मई 1916 को अब तक का सबसे अधिकतम तापक्रम 43.9 ^{0}C दर्ज पाया गया है।

दिसंबर तथा जनवरी के महीने में यहाँ औसत तापक्रम 8 से 9^{0}C के बीच रहता है। सुबह में सांपक्षिक आर्द्रता 80 प्रतिशत के आसपास रहने की कारण ही घने कोहरे की स्थिति बनी रहती है।

सारणी – 2.3 सामान्य तापक्रम तथा आपेक्षिक आर्द्रता

क्र. सं.	महीना	मध्य तापक्रम	न्यूनतम मध्य तापक्रम	उच्चतम अधिक तापक्रम		न्यूनतम न्यून तापक्रम		आपेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत)	
		^{0}C	^{0}C	^{0}C	दिनांक	^{0}C	दिनांक	प्रातः 9.30	संध्या 5.30
	वार्षिक	**30.7**	**18.00**	**43.9**	**27.5.1916**	**1.3**	**31.1.1971**	**77**	**66**
1	जनवरी	24.0	7.8	29.3	29.1.1990	1.3	31.1.1971	80	64
2	फरवरी	26.7	10.0	34.4	28.2.1896	1.7	8.2.1891	70	51
3	मार्च	32.0	14.5	40.6	29.3.1941	5.4.	5.3.1973	58	39
4	अप्रैल	35.4	19.7	43.3	15.4.1891	10.4	4.4.1965	62	43
5	मई	34.7	22.4	43.9	27.5.1916	15.3	11.5.1971	73	59
6	जून	33.7	24.4	43.0	6.6.1979	17.85	6.6.1906	82	73
7	जुलाई	32.0	24.8	39.9	14.7.1972	20.7	28.7.1971	88	82
8	अगस्त	32.2	24.9	37.7	12.8.1926	19.6	30.8.1970	86	81
9	सितंबर	32.1	24.1	39.6	11.9.1999	18.0	29.9.1972	86	82
10	अक्टूबर	31.4	20.6	36.0	11.9.1991	10.0	31.10.1891	80	76
11	नवंबर	29.1	14.1	34.8	5.11.1996	4.6	29.11.1970	76	72
12	दिसंबर	25.4	9.0	30.6	3.12.1953	2.1	5.1.1965	79	70

स्त्रोत : बिहार की जलवायु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे से प्रकाशित।

2.4.3 हवागति :– आमतौर पर पूरे वर्ष भर हल्की से मध्यम हवा गति बना रहता है। सर्दी या गर्मी के आरंभिक दिनों में हवायें या तो शांत रहती है अथवा पश्चिमी दिशा से आती है। प्री मानसून या मानसून के दिनों में प्रायः पूर्वा हवा चलती है।

सारणी – 2.4 मध्य गति हवा तथा दिशा (पूर्णिया)

क्र.सं.	महीना	हवागति कि.मी / घंटा	दिशा प्रवाह प्रातःकाल	दिशा प्रवाह संध्या काल
	वार्षिक	**4.0**	–	–
1	जनवरी	2.4	शां / प.	शां / प.
2	फरवरी	3.6	प.	शां / प.
3	मार्च	4.7	प. / पू.	प. / शां
4	अप्रैल	6.1	पू.	पू. / प.
5	मई	6.6	पू.	पू.
6	ज्न	5.7	पू.	पू.
7	जुलाई	4.8	पू.	पू.
8	अगस्त	4.7	पू.	पू.
9	सितंबर	3.9	पू.	पू. / शां
10	अक्टूबर	2.4	शां / पू.	शां.
11	नवंबर	1.6	शां / पू. / प.	शां
12	दिसंबर	1.8	शां / प.	शां

स्त्रोत : "बिहार की जलवायु" भारतीय मौसम विभाग, पुणे से प्रकाशित

शां=शांत, पू=पूर्वा, प=पछिया

2.4.4 विशेष मौसमी घटनायें :– मानसून अवधि में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सतह के उपर उत्पन्न होने वाले कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्पन्न तूफान का प्रवेश पूर्णिया शहर में होता है। इस दौरान व्यापक बारिश और तेज हवाये चलती है साथ ही आसमानी बिजली गिरती है तथा काफी तबाही होती है। गर्मियों में कभी–कभी पश्चिमी विक्षोभ के दौरान धूल भरी आंधी चला करती है।

सारणी –2.5 विशेष मौसमी घटनाएं

क्र.सं.	म्हीना	घटनाओं से भरे दिवसों का मध्यमान			
		आंधी तूफान	ओला	धूल की आंधी	घना कोहरा
	वार्षिक	**10.6**	**0.9**	**0.8**	**1.3**
1	ज्नवरी	0.1	0.0	0.0	0.6
2	फरवरी	0.1	0.0	0.0	0.0
3	मार्च	0.5	0.0	0.0	0.0
4	अप्रैल	0.9	0.0	0.1	0.0
5	मई	2.1	0.1	0.2	0.0
6	ज्न	2.1	0.0	0.1	0.0
7	जुलाई	1.3	0.2	0.1	0.1
8	अगस्त	1.5	0.2	0.1	0.0
9	थ्सतंबर	1.5	0.2	0.1	0.1
10	अक्टूबर	0.4	0.1	0.1	0.1
11	न्वंबर	0.0	0.0	0.0	0.0
12	थ्दसंबर	0.1	0.1	0.0	0.4

स्त्रोत : "बिहार की जलवायु" भारतीय मौसम विभाग, पुणे से प्रकाशित

2.5 जन सांख्यिकी :–वर्ष 2011 में की गई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध है। यहाँ रहने वाले लोगों का विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी –2.6 नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**
1	1971	56484	39.12 (1 से 43 वार्ड)
2	1981	91144	61.36 (1 से 43 वार्ड)
3	1991	114912	26.08 (1 से 43 वार्ड)
4	2001	171687	49.41 (1 से 43 वार्ड)
5	2011	265678	54.75 (1 से 43 वार्ड)
		* 282248	पूर्णिया नगर निगम (1 से 46 वार्ड)

स्त्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका–2011, पूर्णिया

उत्क्रमित पूर्णिया नगर निगम में वार्ड संख्या 44, 45, 46 को 2011 में शामिल किया गया। इसके पूर्व 1864 से 2011 तक पूर्णिया नगर पालिका में कुल 43 वार्ड थे।

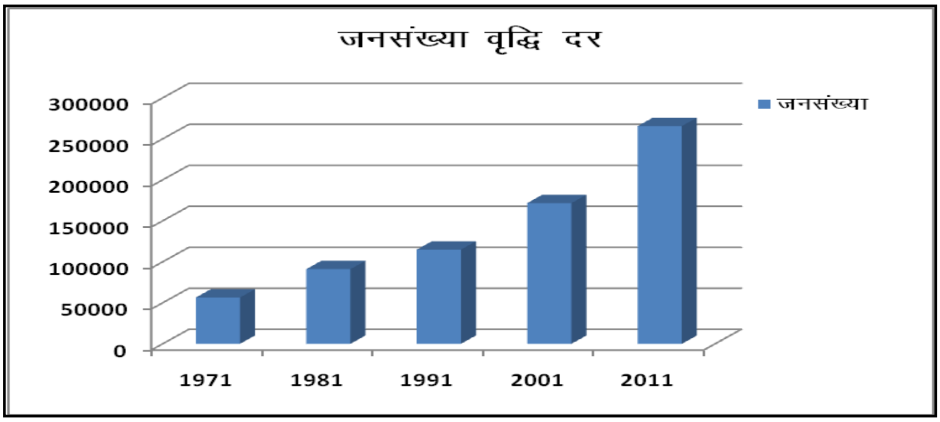

सारणी –2.7 जनसांख्यिकी विवरणी :

विवरण	कुल	पुरूष	महिला
आबादी 2011	282248	148077	134171
घनत्व (प्रतिवर्ग कि॰मी॰)	3018		
थ्लंगानुपात	906		
बच्चों का आबादी (0–6 वर्ष)	43050	22038	21012
साक्षरता	174658	98145	76513
औसत साक्षरता	72.59 प्रतिशत	77.57 प्रतिशत	67.05 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	27738 (9.8%)	14390	13348
अनुसूचित जन जाति	15233 (5.38%)	7788	7445

स्त्रोत : पूर्णिया जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 2011

2.5.1 भूमि उपयोग योजना : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा पूर्णिया सहित सभी नगर निकायों का नगर विकास योजना बनाई गई है। इस योजना में शहर के भू उपयोग विवरणी को चित्र में देखा जा सकता है।

इस मानचित्र में भूमि का उपयोग प्रायः वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, मिल्ट्री कैन्टोमेंट, सुरक्षित वन क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, जल जमाव वाले क्षेत्र तथा अन्य उपयोग यथा सड़क, राजमार्ग,सरकारी भवन, निजी आवासीय क्षेत्र इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है।

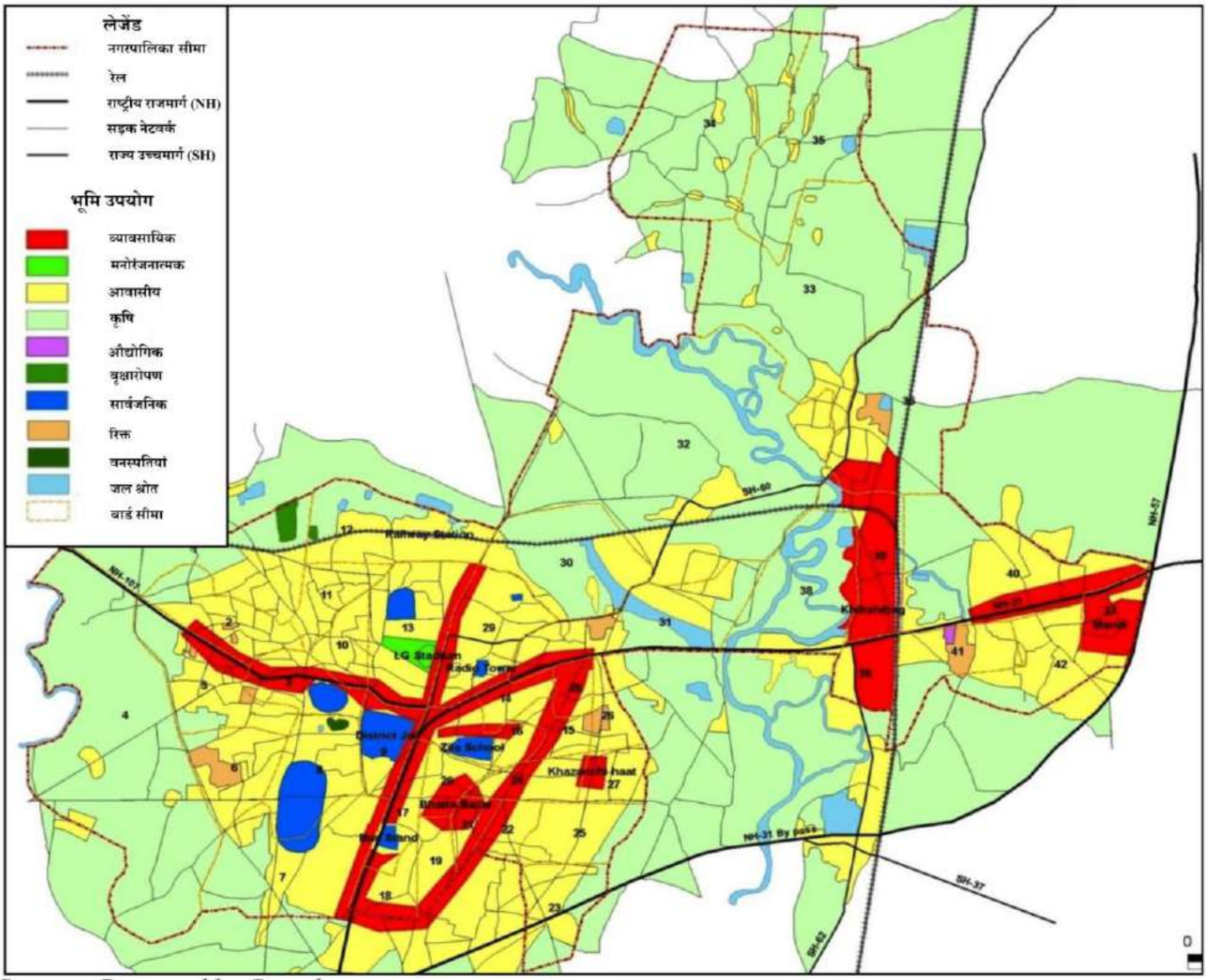

स्त्रोत : नगर विकास योजना, पूर्णिया नगर निगम

2.5.2 शहर का बदलता स्वरूप : इस शहर का स्वरूप 1901 के बाद से धीरे–धीर समरूप गति से बदलता हुआ आज की स्थिति में पहुँचा है। शहर के बीचो बीच आवासीय बस्तियां घनी हुई हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की संख्या बढ़ी है तो उत्तर पूर्व में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम तथा डायग्नोस्टिक सेंटर्स विकसित हुई है। दक्षिण में मरंगा में औद्यागिक परिसर विकसित हुई है तो पूर्व छोर पर परिवहन हब विकसित हुआ है, इन सभी बदलाव को निम्न मानचित्र में देखा जा सकता है। शहर में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 50प्रतिशत के करीब रही है।

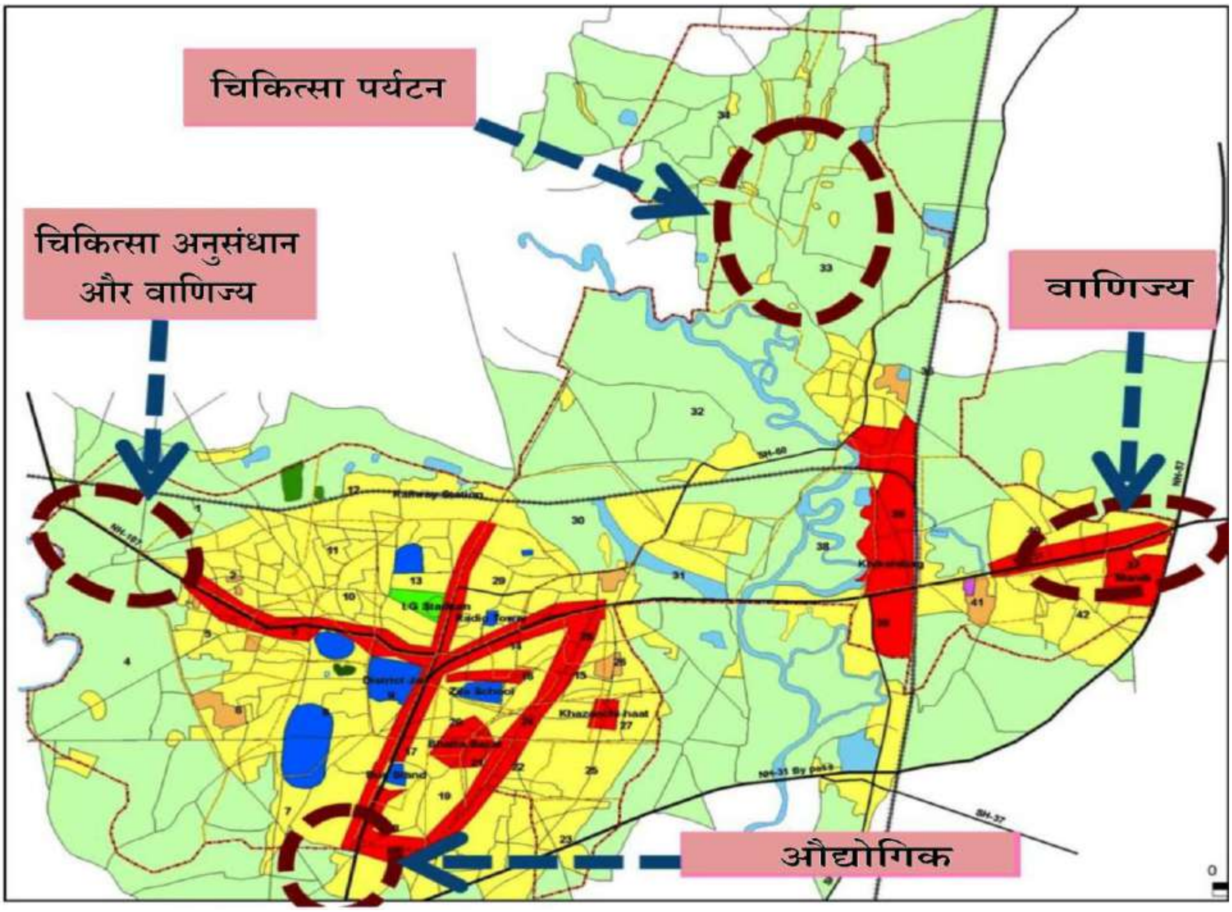

स्त्रोत : नगर विकास योजना, पूर्णिया नगर निगम

2.6 आर्थिक रूपरेखा :–

2.6.1 बाजार व्यवस्था :– पड़ोसी देश नेपाल तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से यथा बंगाल, आसाम इत्यादि से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ यह शहर कई तरह के वाणिज्य एवं व्यवसाय की संभावना से परिपूर्ण है। पूर्वी बिहार के इस प्रमुख शहर में उच्च दर्जे की स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षण–प्रशिक्षण व्यवस्था तथा गुलाब बाग में भारत प्रसिद्ध अनाज मंडी, इस शहर के आर्थिक ढांचे को मजबूतो प्रदान करते है। आस–पास के गाँव–शहर के लोगों के अलावा पड़ोसी जिलो, राज्यों तथा नेपाल से भी इस शहर का वाणिज्यिक रिश्ता बना हुआ है। उच्च कोटि के सड़क रेल एवं संचार संपर्क आर्थिक गतिविधियों को संबल तथा गति प्रदान करती है।

2.6.2 जनसामान्य द्वारा धारित सम्पति का ब्योरा :–

सारणी –2.8 शहर में बिजली की सुविधा :

क्र.सं.	प्रकाश व्यवस्था	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	बिजली	33840	65.3
2	किरासन तेल	17663	34.08
3	सौर उर्जा	91	0.18
4	अन्य तेल	111	0.21
5	अन्य कोई	78	0.15
6	बिना प्रकाश के	42	0.08

स्त्रोत : पूर्णिया जिला अस्थाई सम्पति जनगणना (PCA)–2011

सारणी –2.9 शहर में नाली प्रवाह :

क्र.सं.	नाली प्रवाह	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	बंद नाली	7606	14.68
2	खुली नाली	15863	30.61
3	कोई नाली नहीं	28356	54.71

स्त्रोत : पूर्णिया जिला अस्थाई सम्पति जनगणना (PCA)–2011

सारणी –2.10 रसोई की सुविधा :

क्र.सं.	घर के भीतर रसोई	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	रसोई युक्त	26236	50.62
2	रसोई रहित	12852	24.86
	घर के बाहर रसोई		
4	रसोई युक्त	5886	11.36
5	रसोई रहित	6675	12.88

स्त्रोत : पूर्णिया जिला अस्थाई सम्पति जनगणना (PCA)–2011

सारणी – 2.11 शहर में इंधन उपयोग के प्रकार :

क्र.सं.	इंधन का उपयोग	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	लकड़ी	18340	35.39
2	फसल अवशेष	7682	14.82
3	गोबर के उपले	860	1.66
4	कोयला	208	0.40
5	किरासन तेल	171	0.33
6	एल.पी.जी.	23865	46.05
7	थ्बजली	33	0.06
8	बायोगैस	185	0.36
9	अन्य साधन	305	0.59
10	कोई साधन नहीं	176	0.34

स्त्रोत : पूर्णिया जिला अस्थाई सम्पति जनगणना (PCA)–2011

सारणी – 2.12 शहर में धारित संपत्तियाँ :

क्र.सं.	धारित संपत्तियाँ		प्रतिशत
1	2	3	4
1	बैकिंग सेवा युक्त	27212	52.51
2	रेडियो/ट्राजिस्टर	12424	23.97
3	टेलिवीजन	24391	47.06
4	इंटरनेट सहित कम्प्यूटर लैपटॉप	2015	3.09
5	इंटरनेट रहित कम्प्यूटर लैपटॉप	4159	8.03
6	लैंड लाईन फोन	1613	3.11
7	मोबाईल टेलीफोन	29251	56.44
8	लैंड लाईन एवं मोबाईल दोनों	2297	4.43
9	साईकिल	28460	54.92
10	स्कूटर मोटर साईकिल	12337	23.81
11	कार/जीप/वैन	2785	5.3
12	कोई संपति नहीं	9338	18.02

2.7 व्यवसायिक रूप रेखा :–

2.7.1 विभिन्न पेशा में नियोजित जनसंख्या :– जिला जनसंख्या हस्तपुस्तिका 2011 में अंकित आंकड़ों के अनुसार पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बसे लोगों का पेशागत जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार से है।

सारणी –2.13 शहर में पेशागत कर्मी :

क्र.सं.	प्रकार	पेशा का विवरण	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6
1	औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार मुख्य कर्मी	कुलकर्मी	82366	67102	15265
		मुख्य कर्मी	64539	55396	9143
		कृषक	3872	3488	384
		कृषि मजदूर	10707	8066	2641
		घरेलू उद्योग कर्मी	2054	1673	381
		अन्य कर्मी	47906	42169	5737
2	औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सीमांत कर्मी	सीमांत कर्मी	17827	11706	6121
		कृषक	589	382	207
		कृषि मजदूर	6167	3735	2432
		घरेलू उद्योग कर्मी	1283	560	723
		अन्य कर्मी	9788	7029	2759
		गैर कार्यकर्त्ता	199882	80975	118907

2.8 योजना एवं जोनिंग :– पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का सुनियोजित विकास करने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा City Development Plan-2016 तैयार कराया गया है। इसमें पूर्णिया शहर में चिकित्सा, पर्यटन विकसित करने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके लिए एक अलग जोन निर्धारित किया जा सकता है। यातायात एवं परिवहन घनत्व को ध्यान में रखकर एक टॉसपोर्ट जोन भी विकसित किया जा सकता है। शहर के मध्य से गुजरने वाली सौरा नदी के दोनो तट पर रीभर फ्रट विकसित किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्णिया शहर के लिए स्टाम ड्रेनेज की योजना तथा 'सिटो सैनीटेसन प्लान' भी तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा 'अमृत योजना' 2016–20 भी क्रियान्वित किया गया है।

पूर्णिया नगर में परंपरागत भूमि उपयोग, आबादी घनत्व, यहाँ की स्थलाकृति बाजार एवं वाणिज्यिक संस्थानों की सघनता तथा विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर पूरे नगर निगम क्षेत्र (वार्ड संख्या 1 से 46 तक) बिहार भवन उपविधि–2014 की कंडिका 27 के आलोक में क्षेत्रिय विकास प्राधिकार द्वारा विभिन्न अपेक्षित जोन में विभक्त किया जाना है। तत्काल आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूर्णिया शहर के सभी 46 वार्डो को निम्नाकित 6 वार्डो के समूह में विभक्त किया गया है।

सारणी –2.14 समूहवार वार्डो की जनसंख्या :

क्र. सं.	वार्डो के समूह का नाम	वार्ड संख्या	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की सं.	अनु.जनजाति की सं.	परिवार की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	पूर्णिया उत्तर पूर्वी	31,32,33,34,35, 39,40	48638	4181	5599	8929
2	पूर्णिया द. पू.	36,37,38,43,44, 45,46	43479	7004	3341	8164
3	पूर्णिया उ. प.	1,2,14,15,16,17,18	39370	3675	654	7518
4	पूर्णिया द. प.	3,4,5,6,7,8,9,10	44672	6119	1650	8655
5	पूर्णिया उ. म.	11,12,13,21,22,23, 24,25,27,28	55937	1589	877	10897
6	पूर्णिया द. म.	19,20,26,29,30, 41,42	50152	5196	2542	9895
		कुल योग	**282248**	**27764**	**14663**	**54058**

स्त्रोत : पूर्णिया जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 2011

2.8.1 शहर की विभिन्न जरूरतों के अनुरूप निम्न नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी –

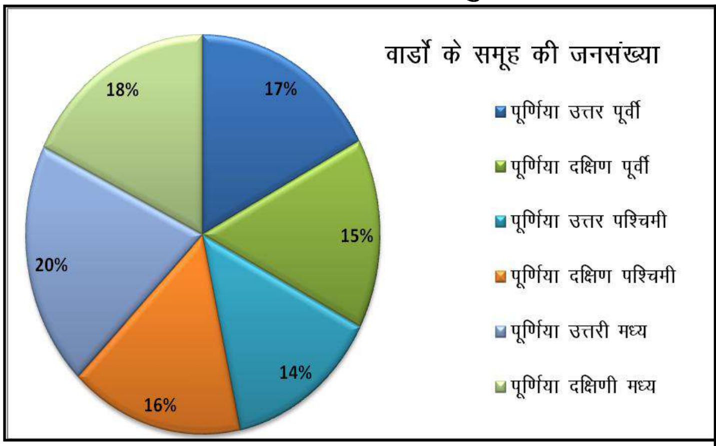

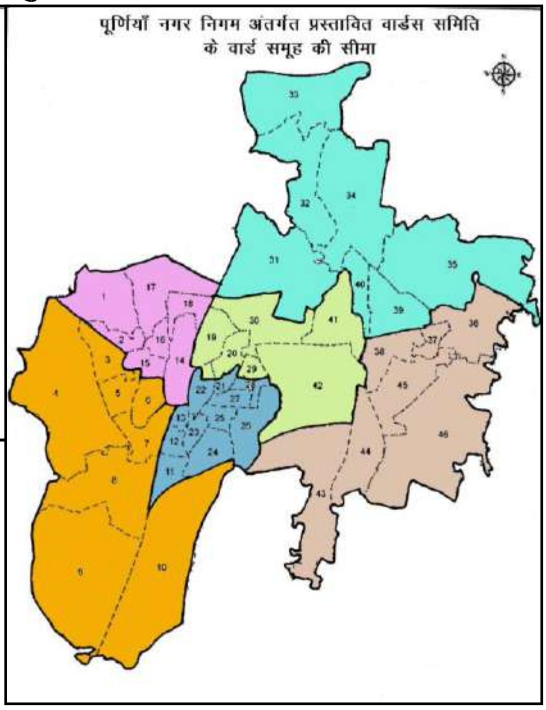

- सीवेज एवं ड्रेनज प्लानिंग।
- स्ट्रॉम ड्रेनज प्लांनिंग।
- विभिन्न प्रकार के दो पहिया वाहन, कार जीप के लिए उपयुक्त स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था।
- बस एवं टेम्पों स्टैंड, ट्रक टर्मिनल इत्यादि का निर्माण।
- यात्री शेड, जन सुविधा केन्द्र (शौचालय तथा मूत्रालय) का विकास।
- सभी रोड क्रासिंग, चौक–चौराहो का सान्दर्यीकरण।
- उपलब्ध खाली जगहों तथा जलाशयों के इर्द–गिर्द मनोरंजन पार्क, चिल्ड्रेन्स पार्क।
- भीड़–भाड़ वाले बाजार तथा अन्य जगहों पर कूड़ेदान की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था।
- शहरी उष्ण टापू (Urban Heat Island) वाले संभावित जगहों पर सघन बागवानो, जलाशय तथा जल–फौवारे की व्यवस्था।
- पैदल पथ एवं साइकिल पथ का निर्माण इत्यादि।
- खेल के मैदान तथा आडिटोरियम का निर्माण।
- पार्को में ओपेन जिम के उपकरण लगाने के साथ सौन्दर्यीकरण के कार्य।

वर्तमान में मेडिकल कचरा निपटान हेतु भागलपुर स्थित इन्सीनेरेटर में भेजी जा रही है। ठोस कचरा का निपटान कर इसके पुनर्चक्र (Recycling) की व्यवस्था है।

2.8.2 जोनिंग : नगर निगम में शहर के मुख्य व्यवसायिक, सामान्य व्यवसायिक एवं आवासीय कॉलोनी के अनुरूप शहर की जोनिग की गई है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जल जमाव की निकासी के लिए सभी वार्डो को अस्थाई तौर पर जोनिंग की गई है।

2.9 सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :– पूर्णिया का एक समृद्ध हिन्दू इतिहास के साथ ही एक गौरवशाली अतीत रहा है। मुगल शासन के दौरान पूर्णतः यह एक सैन्य प्रांत था। यहाँ से उगाही गई राजस्व राशि को उत्तर पूर्व में बसे जन जातियों से अपनी सीमाओं की सुरक्षा में व्यय किये जाते रह। 1757 में यहाँ के गवर्नर ने सिराजुदौला के विरूद्ध विद्रोह कर दिया था 1765 में शष बंगाल के साथ यह क्षेत्र ब्रिटिश हुकुमत के अधीन चला गया।

प्रतिवर्ष अप्रैल माह में यहाँ रामकृष्ण मिशन के तत्वाधान म आयोजित होने वाला विशिष्ट दुर्गापूजा प्रसिद्ध है। यह शहर माता पूरन देवी के अतिप्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पूर्णिया शहर का नामाकरण माता पूरन देवी के नाम पर किया गया है। कुछ लोग यह भी मानते है कि अतीत में यह क्षेत्र घने वनो (अरण्य) से आच्छादित होने के कारण इस शहर को प्राचीन काल में पूर्ण अरण्य कहा जाता था जिसका कालान्तर में अपभ्रंश के रूप में इसे पूर्णिया के नाम से पुकारा जाने लगा। रामबाग में

रामचन्द्र जी का प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त पूर्णिया में त्रिपुर सुन्दरी का पुराना मंदिर है। यहाँ का गिरजा घर भी अत्यंत पुराना है।

इस जिला में सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का व्यापक प्रयोग होता है। लाक भाषा के रूप में मैथिली, किशनगंजा अथवा सिरिपुरीया तथा भोजपुरी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं में बंगाली, संथाली, उरांव भाषा–भाषी लोग भी है। मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा बोलने वाले काफी सीमित संख्या में हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कला भवन, प्रज्ञा कला केन्द्र, इंदिरा गाँधी स्टेडियम का उपयोग किया जाता है।

बहुसंख्यक हिन्दु आबादी जो कुल आबादी का लगभग 75.19 प्रतिशत है, इनके सभी त्योहार यथा विश्वकर्मा पूजा, विषहरी पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, दशहरा, दीपावली, दवात पूजा, छठ, होली, रामनवमी इत्यादि धूमधाम से मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी भी लगभग 23.26 प्रतिशत है अतः ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि त्योहार भी पूरी सिद्धत के साथ मनाया जाता है। अन्य धर्मावलम्बियों में ईसाई 0.60 प्रतिशत, सिख 0.12 प्रतिशत, जैन 0.35 प्रतिशत तथा बौद्ध मात्र 0.02 प्रतिशत हैं। इन धर्मो के पर्व त्योहार के अवसरो पर भी शहर में धुमधाम तथा सजावट देखने को मिलती है।

सारणी – 2.15 मुख्य बसावट वाले मुहल्ले :

क्र.सं.	शहर की पहचान	विवरण
1	2	3
1	**मुख्य रिहायशो मुहल्ला**	नया टोला, राम बाग, बारी हाट, मधुबनी खंजाची हाट, गुलाब बाग, नवरत्न हाता, सिफाही टोला, बंगाली टोला, महबूब खां टोला, सज्जाद कॉलोनी एवं चिमनी बाजार
2	**मुख्य बाजार**	भट्ठा बाजार, गुदड़ी हाट, मधुबनी गुदड़ी हाट, खुशकी बाग गुदड़ी हाट, गुलाब बाग अनाज मंड़ी
3	**प्रमुख पार्क एवं चौराहा**	रेणु पार्क, राजेन्द्र बाल उद्यान, आर.एन.साह चौक, लाईन बाजार चौक, गिरिजा चौक, कटिहार मोड़, पंचमुखी मंदिर एवं पक्की तालाब

2.10 जीवन संरक्षक संरचना :– पूर्णिया नगर निगम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भवनों में वैसे सभी सार्वजनिक भवना को आपदारोधी तथा जोखिम रहित बनाये रखने पर बल दिया गया है जिसमें आमतौर पर अथवा किसी अवसर विशेष पर अनेका लोग एकत्रित रहते हों। इस श्रेणी में प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल एवं अस्पताल भवन, धर्मशाला, सार्वजनिक उत्सव हॉल, बड़े–बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर आते है।

2.10.1 शहर के अंतर्गत उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण अंतःसंरचना –

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 के अनुच्छेद 45 में नगर निगम के मुख्य (कोर) कार्य क्षेत्र की चर्चा है। इन कार्यो की वर्तमान स्थिति निम्नवत है :–

(क) जलापूर्ति व्यवस्था : इस शहर में मुख्य रूप से जलापूर्ति का श्रोत भूगर्भजल है। प्राथमिक सम्पति सर्वेक्षण (PCA) 2011 के अनुसार 34000 (65.61 प्रतिशत) घरों में हैन्ड पम्प है। 11,113 (21.44 प्रतिशत) घरों में गहरे ट्यूब वेल तथा बोर होल से जलापूर्ति होता है। नगर निगम द्वारा हर घर नल का जल योजना के तहत् पाईप से पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल द्वारा राजेन्द्र नगर नाका रोड, नई कचहरी चौक, फोड कं. चौक, सिविल एसडीओ के आवास के पीछे, माधोपरा तथा रेलवे गुमटी के समीप पानी की गुणवत्ता की जाँच कराई गई जिसमें लौह की मात्रा मानक दर से डेढ़ से दो गुणा ज्यादा पाई गई है।

यहाँ भूमिगत जल स्तर, भू–सतह से 18–24 फीट नीचे है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल द्वारा पूर्व निर्मित सात ओभरहेड टैंक के माध्यम से कुल 34 लाख लीटर प्रति दिन जलापूर्ति की जाती है जो औसतन 8 घंटे प्रतिदिन तथा 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। आपूर्ति पूर्व शोधन की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में नगर विकास प्रमंडल द्वारा 7 ओभर टैंक का निर्माण किया गया है। प्रत्येक ओभर टैंक की क्षमता 681 किलो लोटर है। अब तक 18000 घरों को जलापूर्ति की जा रही है। कार्य प्रगति में है। पूर्णिया नगर निगम के पास 13000 ली॰ क्षमता का दो चलन्त वाटर टैंकर भी है।

सारणी –2.16 उपलब्ध पेयजल के स्त्रोत :

क्र.सं.	पेयजल के श्रोत	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	शोधित नल का जल	3153	6.08
2	अशोधित नल का जल	2075	4.00
3	ढक्कन वाला कुआँ	177	0.34
4	बिना ढक्कन वाला कुआँ	70	0.14
5	चपाकल	34000	65.61
6	ट्यूब वेल	11113	21.44
7	झरना	15	0.03
8	नदी/नहर	75	0.14
9	तालाब/पोखर/झील	65	0.13
10	अन्य श्रोत	1083	2.09

स्त्रोत : पूर्णिया जिला अस्थाई सम्पति जनगणना (PCA)–2011

(ख) जलमल निकासो तथा स्वच्छता : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 2011 के अनुसार पूर्णिया शहरी क्षेत्र में 5.52 प्रतिशत घरों को सीवर की सुविधा है। 41.1 प्रतिशत घरों में सेप्टीक टैंक युक्त सिवर व्यवस्था है अन्य फ्लशिंग मात्र 7.11 प्रतिशत घरों को उपलब्ध है। 9.27 प्रतिशत घरों में गडढे वाले शौचालय है। 2010 में पूर्णिया शहर के जलमल की मात्रा 2.672 करोड़ लि॰ प्रतिदिन आंकी गई है।

सारणी – 2.17 शहर में सिवरेज की उपलब्धता :

क्र.सं.	फ्लस पावर शौचालय	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	पाईप युक्त सीवर	2863	5.52
2	सेप्टिक टैंक युक्त	21302	41.10
3	अन्य युक्ति	3683	7.11
4	स्लैब सहित हवादार	3127	6.03
5	बिना स्लैब के	1639	3.16
6	खुला नाली में मल बहाव	110	0.21
7	मानव द्वारा मल उठाव	29	0.06
8	पशु द्वारा मल उठाव	147	0.28
9	सार्वजनिक शौचालय एवं अन्य	618	36.51

स्त्रोत : पूर्णिया जिला अस्थाई सम्पति जनगणना (PCA)–2011

ठोस कचरा तथा चिकित्सीय कचरा का कोई निर्धारित Dumping yards नहीं है। शहर की सभी सात ओभर हेड टैक तथा हजारों घरेलू चापाकल या निजी नलकूपों में कहीं भी आपूर्ति पूव शोधन की कोई व्यवस्था नहीं है। जल–मल का शोधन कर शोधित जल का पुनर्उपयोग या प्रवाहित कराने की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है।

वर्तमान में शहर के जल–मल निकास के लिए सीवर का निर्माण नहीं हुआ है।

सारणी –2.18 वैसे मकानों की संख्या तथा प्रतिशत जिसमें उपयोगित जल को घर के बाहर प्रवाहित किया जाता है। :

बन्द नाली में	7606 (14.68 प्रतिशत)
खुली नाली में	15863 (30.61 प्रतिशत)
बिना नाली के खुले में	28,356 (54.71 प्रतिशत)

स्त्रोत : पीसीए–2011

(ग) वर्षा जल निकासी व्यवस्था :– नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पूर्णिया शहर का किसी आंधी तूफान, या तेज वर्षा के दौरान तथा इसके उपरांत वर्षाजल का त्वरित निकासी के लिए विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराई गई है। इस योजना में ही शहर के प्राकृतिक ढलान के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार शहर के पूरब पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण चारो तरफ नदियां सहायक नदियाँ/बसावट देखने को मिलती है। नगर निगम क्षेत्र में कई नीची सतह वाले तश्तरीनुमा इलाके भी है जहाँ जमा पानी स्वतः किसी नाला नदी अथवा प्राकृतिक जल बहाव मार्गो में नहीं जाता है। इसे उच्च शक्ति पंप द्वारा नजदीकी जल बहाव मार्गो में डाला जाता है। वर्तमान में एक आउट फाल हरदा नदी में है और दूसरा सौरा नदी में । इसके अतिरिक्त इनके सहायक लालगंज नाला में तीन स्थानों पर मौलवी टोला नाला में दो स्थानों पर आउटफाल है। इन जगहो पर कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं है।

सारणी – 2.19 नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध नालों की विवरणी : शहर में 16.75 कि॰मी॰ की लम्बाई में 10 कच्चा नाला है जिसका विवरण नीचे दिया गया है

क्र.सं	कच्चा नाला का नाम	लंबाई (मी॰)	चौड़ाई (मी॰)
1	**2**	**3**	**4**
1	लालगंज से जिलाधिकारी आवास होते हुये बाईपास रोड तक	3400	5–8
2	बाईपास से हरदा नदी तक	3800	6–9
3	कोटाबाड़ी चौक से श्री माजिद बाबू के घर तक एवं मौलवी टोला होते हुये लालगंज नाला में मिलता है।	1100	1.5–3.5
4	मधुबनी चौक से दुर्गा स्थान होते हुये मौलवी टोला नाला में।	600	1.0–1.5
5	मंझोली चौक से मधुबनी चौक होते हुये मौलवी टोला नाला में।	1300	1.00–1.50
6	एस.बी.आई. कॉलोनी से लालगंज नाला	750	2.0–3.0
7	खीरू चौक से जिला स्कूल होते हुये लालगंज नाला तक	600	1.0–2.0
8	रजनी चौक से सर दिनेश्वर दत्त का मकान होते हुये बाईपास रोड तक	900	1.0–2.0
9	सिटी मिडिल स्कूल से खैरा नदी तक	600	1.0–2.0
10	सिटी मिडिल स्कूल से पूरनदेवी स्थान होते हुये खैरा नदी तक	1200	1.0–2.0
	कच्चे नाल की कुल लम्बाई	**16750**	

स्त्रोत : स्टॉर्म डेनेज प्लान

(ग) पक्की गली एवं नाली : पूर्णिया नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या 1 से 46 के अतंर्गत आवासीय अथवा गैर–आवासीय परिसरो से निश्रृत जल–मल के लिए निकासी नाली एवं पक्की सड़क (गली एवं नाली) का निर्माण कई टुकड़ो में किया गया है। अब तक 43 वार्डो में कुल 14.57 प्रतिशत घरों को जोड़ते हुये 65,532 कि॰मी॰ गली तथा 37.72 कि॰मी॰ नाली का निर्माण किया गया है।

(घ) ठोस कचरा प्रबंधन : इस शहर में प्रतिदिन 42 टन ठोस कचरा निकलता है, इसमें से लगभग 60 प्रतिशत ही इकट्ठा किया जाता है। ये कुल 10 जगहों पर इकट्ठे किये जाते है जिसमें से 4 गुलाब बाग में हैं। सड़कों की झाड़ू–सफाई का कार्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है। कचरा को वार्ड नम्बर 37 के गढ्ढो में भरा जाता है।

यहाँ पर चिकित्सा कचरा (Bio-Medical Waste) भी काफी मात्रा में निकलता है। वर्तमान में भागलपुर स्थित Incinirator तक भेजने का प्रयास किया जाता है। शहर में कुल 52 गैर सरकारी अस्पताल, कई निजी नर्सिंग होम तथा 159 पैथोलॉजी सेन्टर कार्यरत है। इनमें उत्सर्जित बॉयो–मेडिकल वेस्ट भागलपुर स्थित SYNERGY द्वारा इकत्रित कर ले जाया जाता है, जहाँ स्थापित Incinirator में इसे विधिवत जलाया जाता है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतगर्त कटिहार शहर में एक निजी मेडिकल कॉलेज है। इसमें स्थापित Incinirator में भी इस बॉयो–मेडिकल वेस्ट को ल जाकर निस्तारण किया जा सकता है या पूर्णिया स्थित नव–निर्मित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में Incinirator का निर्माण किया जा सकता है।

(ड॰) टफिक तथा परिवहन : यहाँ की सड़के आवश्यकतानुसार चौड़ी तो हैं परंतु कुछ इलाकों में अतिक्रमण (लाईन बाजार में) के कारण ट्रैफिक के आवागमन में कठिनाई होती है। पूर्णिया शहर में निर्मित सड़कों का 60 प्रतिशत ठोस सतह वाला है। 20 प्रधान मुख्य सड़कों की लंबाई 45 कि॰मी॰, 26 मुख्य सड़कों की लंबाई 68 कि॰मी॰ तथा 167 कि॰मी॰ अन्य सड़के है। सार्वजनिक परिवहन के लिए ई–रिक्शा, ऑटो रिक्शा तथा साइकिल रिक्शा का प्रयोग किया जाता है। शहर में पार्किंग की सुनियोजित व्यवस्था नहीं है।

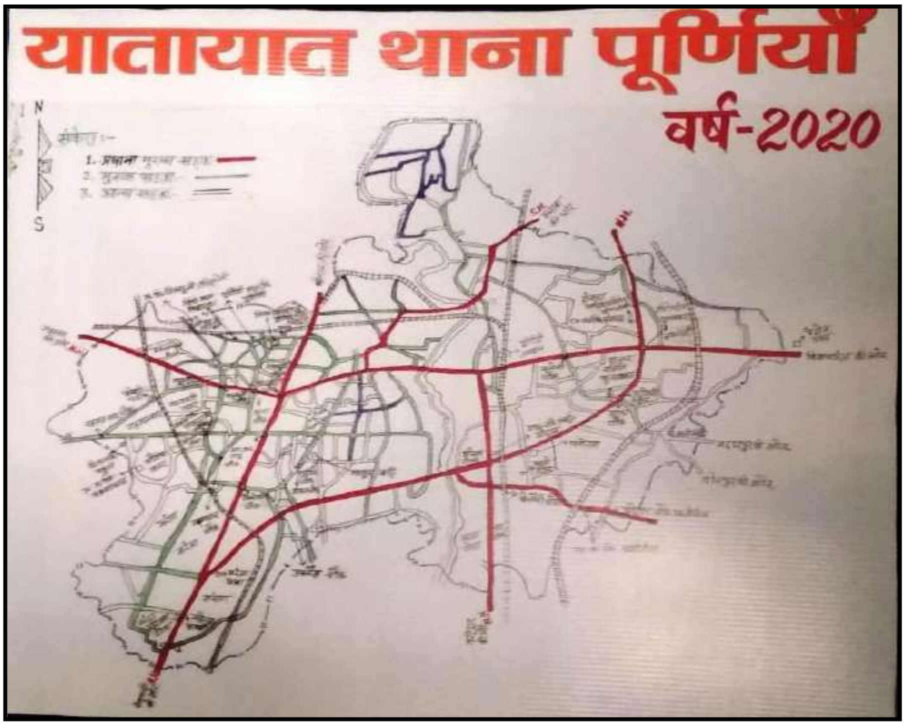

सारणी – 2.20 नगर निगम पूर्णिया के अंतर्गत सड़कों का वर्गीकरण :

क्र.सं.	प्रधान मुख्य सड़क	क्र.सं.	प्रधान मुख्य सड़क
1	वनभाग से लखन झड़ी सीमा मधुबनी, गिरजा चौक, लाईन बाजार, कटिहार मोड़ गुलाबबाग	12	माता चौक से मधुबनी चौक
2	हरदा नगर निगम सीमा से बीबीगंज पुल एवं मरंगा थाना से जीरो माईल भाया बाईपास	13	आस्था मंदिर से उर्दू स्कूल
3	नगर निगम सीमा से कटिहार मोड़ भाया बेलौरी	14	गुंडा चाक से हाँसदा कुआँ भाया सनौली चौक
4	पंचमुखी मंदिर से जोड़ा गुमटी पूर्णिया सिटी	15	झंडा चौक से महबुब खाँ टोला भाया डी.एन. चौधरी निवास
5	जिला स्कूल से रामकृष्ण मिशन भाया हर्षा होटल	16	राम मोहिनी चौक से गुलाबबाग मध्य विद्यालय
6	आर.एन.साव चौक स खजाँची नाका भाया कालीबाड़ी, लखन चौक	17	काली स्थान से पॉलटेकनिक चौक भाया गोकुल कृष्ण आश्रम
7	आर.एन.साव चौक से चुनापुर रोड नहर तक	18	डॉ. भी. एन. सिन्हा नर्सिंग होम से कब्रिस्तान
8	लखन चौक से नेवालाल चौक भाया रजनी चौक	19	डॉ. के.के. सिंह से डॉ. शशि शर्मा के घर तक
9	कचहरी नगर निगम बाजार से खीरू चौक एवं लखन चौक भाया राजस्थान विवाह भाया राजेन्द्र पार्क से उर्दू स्कूल एवं सहायक थाना	20	माता चौक से उर्स लाईन कॉन्वेंट भाया पुराना ट्रेजरी
10	अग्रवाल मार्केट एन.एच. 31 से रामकृष्ण मिशन भाया गुरूद्वारा	21	गोकुल कृष्ण आश्रम से फॉरस्टार सिनेमा हॉल
11	रेलवे ओवरब्रीज से सिटी कालीबाड़ी	22	मुरारी चौधरी के घर से भूतनाथ मंदिर एवं पुलिस अधीक्षक आवास से रेणु पार्क

क्र.सं.	मुख्य सड़क	क्र.सं.	मुख्य सड़क
1	रजनी चौक से काठ पुल	14	खजाँची झंडा चौक से खीरू चोक भाया लक्ष्मी मंदिर एवं खीरू चौक बड़ी मस्जिद
2	मिल्लिया कॉन्वेंट चौक से मेदनी सिंह के घर भाया छेदी चौधरी के घर	15	स्टेट बैंक मुख्य शाखा से सिपाही टोला रोड
3	मधुबनी चौक से जनता चौक	16	नाका से माधोपाड़ा मस्जिद
4	विश्वकर्मा चौक रामबाग से कप्तान पुल	17	फ्रेण्डस ओटो मोबाइल से खीरू चौक
5	आशीष पौद्दार के घर से रेलवे गुमटी	18	रा॰ कन्या उ॰विद्यालय – सिपाही टोला रोड
6	नाका चौक से पूरण देवी मंदिर	19	हनुमान मंदिर से बच्च जेल होते हुए एस.पी. आवास
7	राजेन्द्र पार्क से मधुबनी भाया डी.डी.सी.निवास	20	गंगादार्जलिंग पथ से वाईपास भाया उफरैल म॰ वि॰
8	गायत्री मंदिर से सिपाही टोला रोड	21	खीरू चौक से पंचमुखी मंदिर भाया रवि विनय होटल
9	खजाँची हाट थाना चौक से मंझेली चौक भाया मौलवी टोला	22	कब्रिस्तान चौक से अरबिया कॉलेज
10	डी.एन.चौधरी आवास से गंगा दार्जनिंग पथ भाया बी.बी.एम. स्कूल	23	ए.डी.बी. बैंक से अशोक साह के घर भाया डॉ॰ के. के. दास
11	सुदीन चौक से छठ पोखर	24	रोहरी मोटर से मंहत कुमार दास घर भाया सी.एम. सिंह घर
12	पॉलटेकनिक चौक से माता चौक	25	काली फ्लॉर मील से ब्राइट केरियर स्कूल
13	रंगभूमि मैदान से कॉलेज चौक	26	कटिहार मोड़ से सिटी रेलवे गुमटी

नोट : वार्डो की शेष सड़कों को अन्य सड़कों की श्रेणी में रखा गया है। स्त्रोतः नगर निगम कार्यालय, पूर्णिया

(च) सड़क पर बिजली–बत्ती : इस शहर में वार्ड सं॰ 1 से 46 कि अंतर्गत कुल 15,682 पोल लगाकर प्रकाश की व्यवस्था का अधिष्ठापन किया गया है। सर्वे के आलोक में 1577 स्थानों पर पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था का अधिष्ठापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर तथा मुख्य स्थलों पर 30 हाईमास्ट लाईट, 350 सोडियम भेपर लाईट, 167 एम॰वी॰ लैम्प लगाये गये है।

(छ) अस्पताल : यहाँ एक 250 बेड का सरकारी सदर अस्पताल, 6 प्राईमरी डिस्पेन्सरी, एक हेल्थ सेन्टर, एक परिवार कल्याण केन्द्र, एक टी॰बी॰ क्लीनिक तथा 5 नसिग होम है। इसके अतिरिक्त 450 से 500 डाक्टर निजी प्रैक्टिस करते है। चिकित्सा क्षेत्र में विकास को देखते हुये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में इस शहर को विकसित किये जाने की पूर्ण संभावना है। शहर में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण के अंतिम चरण में है तथा नामांकन जारी है।

(ज) स्कूल कॉलेज : यहाँ की शिक्षण/प्रशिक्षण व्यवस्थाये अत्यंत उच्च कोटि की है। यहाँ का जिला स्कूल 221 वर्ष पूर्व सन् 1800 में स्थापित हुआ था। इसके अतिरिक्त निजी स्कूल श्रृंखला में जी॰ डी॰ गोयनका पब्लिक स्कूल, डी॰ए॰वी॰ पब्लिक स्कूल, विद्या विहार आवासीय विद्यालय, उर्सलीन कान्वेन्ट इंगलिस स्कूल, डॉन बास्को पब्लिक स्कूल तथा सरस्वती विद्या मंदिर सहित कई प्रमुख विद्यालय है। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए अनेक महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यायल, चिकित्सा महाविद्यालय तथा कला, कानून एवं कृषि पढ़ाई के महाविद्यालय, सैकड़ो वर्ष पुराना पूर्णिया कॉलेज, सहित सरकारी पॉली टेक्नीक तथा 3 डी एनीमेसन एंड मल्टी मिडिया संस्थान है। पूर्णिया विश्वविद्यालय का मुख्यालय इसी शहर में है। पूर्णिया नगर क्षेत्र में लगभग 15 प्राइमरी स्कूल, 24 मिडिल स्कूल, 6 सेकेन्ड्री स्कूल, 3 हायर सेकेन्ड्री स्कूल, पूर्णिया कॉलेज, महिला कॉलेज, रामबाग कॉलेज, मधुबनी कॉलेज, दो इंजिरियरिंग कॉलेज, दो मेडिकल कॉलेज तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय है।

(झ) रिहायशो मकान : पूर्णिया शहर में निर्मित मकानों की तीन श्रेणियों में रखा गया है। प्रधान मुख्य सड़क के दोनों ओर के मकान मुख्य व्यवसायिक श्रेणी में, मुख्य सड़क के दोनों ओर व्यवसायिक श्रेणी

में तथा अन्य सड़कों के दोनों ओर स्थित मकानों को आवासीय श्रेणी में रखा गया है। जनगणना 2011 के आलोक में पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में कुल होल्डिग–61932, आवासीय–56108, गैर आवासीय–5824 है।

(ञ) स्लम तथा शहरी गरीब :– 2008 में किये गये बी॰पी॰एल॰ सर्वे के अनुसार शहर में 21741 परिवार है। 2010 में SPUR सर्वे के अनुसार 129 स्लम समूह में कुल 11181 परिवारो की आबादी 63735 है। अधिकत्तर स्लम समूह नीची जगहों या नदी के किनारे है तथा यहाँ पर अंतः संरचनाये नगण्य है।

2.10.2 AMRUT योजना के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति – AMRUT योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजना, सीवर कनेक्सन, ड्रेनेज कनेक्सन आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानक आच्छादन स्तर तक पहुँचाने पर ध्यान केन्द्रित करना था। बिहार सरकार द्वारा स्थानीय नगर निकायों को विभिन्न मदों में AMRUT योजना के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP) के तहत निर्गत निधि से 2016 से 2020 के बीच निर्धारित मानक आच्छादन के लक्ष्यों को पूरा करना था। अब तक इसकी प्रगति निम्नांकित है :–

सारणी –2.21 अमृत योजना में किये जाने वाले कार्य :

क्र. सं.	जन सेवाके लिए बेचमार्क निर्धारित किया गया	2015–16 में	2020 का लक्ष्य	अब तक की उपलब्धि
1	2	3	4	5
1	हर घर नल का जल	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत	
2	प्रति व्यक्ति जलापूर्ति का मात्रा	65 LPCD	135 LPCD	
3	जलापूर्ति की गुणवत्ता	70 प्रतिशत	100 प्रतिशत	
4	शहरी परिवहन सेवा	1.82	1.82	1.82
5	प्रति 1000 व्यक्ति शहरी परिवहन सुविधा	0.04	0.04	0.04
6	प्रति व्यक्ति खुली जगह (URDFI के अनुसार)	310.72	310.72	310.72

स्त्रोत : BSAAP FOR AMRUT YUJNA

2.11 उद्योग एवं कल कारखाने :– पूर्णिया शहर में अनेकों छोटे और मध्यम उत्पादन इकाई है जिनमें प्रमुख प्लाई उद्योग, जूट बैग, अगरबत्ती उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, पापड़ उद्योग, मसाला उद्योग, केला चिप्स, हस्त शिल्प इत्यादि है। यहाँ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का गैस स्टेशन अवस्थित है।

पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) के नियंत्रणाधीन दो औद्योगिक प्रांगण है जहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं कल कारखाने स्थापित है।

- वार्ड नं॰ 9 में अवस्थित "इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट सेन्टर", मंरगा, पूर्णिया।
- वार्ड नं॰ 24 में अवस्थित "इंडस्ट्रीयल इस्टेट" पूर्णिया सिटी, पूर्णिया।

(क) इंडस्ट्रीयल डेवपलमेंट सेन्टर, मंरगा :– यह औद्योगिक प्रांगण 125 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ एक डिग्री एवं डिप्लोमा इन्जिनीयरिग कॉलेज एक नर्सिग ट्रेनिग इन्स्टीट्यूट, 3 आई.टी.आई, एक बीएड् तथा एम. एड कॉलेज संचालित किये जा रहे है। यहाँ 26 इकाईयां रूग्ण तथा बंद पड़ी है। इसमें डिटर्जेट निर्माण इकाई, कॉटन बैन्डेज निर्माण इकाई तथा एक मल्टीप्लेक्स/मॉल प्रमुख है।

(ख) इंडस्ट्रीयल इस्टेट पूर्णिया सिटी :– पूर्णिया सदर थाना के पूरब में 25 एकड़ क्षेत्र में यह औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 1969 से अस्तित्व में है। यहाँ पर कुल 25 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई जिसमें से 4 का लाईसेंस विभिन्न कारणों से निलंबित किया जा चुका है। खाद्य प्रसंस्करण से जुडे उद्यम कार्यरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में मुख्यतः मसाला, पापड़, बड़ी, दाल मिल, कुरकुरे चिप्स का निर्माण किया जाता है। (स्त्रोत : बियाडा, पूर्णिया)

2.12 प्राकृतिक संसाधन :– यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली है। इसमें उपलब्ध नमी, जलीय पौधो यथा जूट पाट की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर हर प्रकार की फसल यथा धान, गेहूँ, जौ, मकई, दलहन, तिलहन तथा अनेको प्रकार के फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की मिट्टी हिमालय के पहाड़ो से आने वाली नदियों द्वारा जमा की गई है। जिसमें विभिन्न आकार कणों के केवाल, दोमट एवं बलुआही मिट्टी पाई जाती है। कुछ स्थानों पर कंकड पत्थर मिश्रीत मिट्टी भी पाई जाती है।

पूर्णिया के पश्चिम सीमा के निकट कुछ दूरी से कारी कोशी नदी तथा शहर के काली मंदिर कप्तान पुल बेलौरी बाईपास होते हुये सौरा नदी दक्षिण की ओर चली जाती है। शहर में दर्जनों छोटे बड़े तालाब भी है जिसमें हरदा जलकर प्रमुख हैं। इसका रकबा 4.65 एकड़ है जो कि वार्ड सं. 35 में अवस्थित है।

केन्द्रीय भूजल पर्षद (CGWB) के अनुसार बरसात के बाद यहाँ भू–सतह से 1.7–3.42 मी॰ नीचे भूगर्भ जल जमा रहता है। बरसात के पूर्व एवं पश्चात् इसमें 0.97 से 2.51 मी॰ तक का अंतर पाया जाता है। कम गहराई वाले ट्यूब वेल से (मात्र 2 मी॰ के जल सतह विचलन के साथ) 50–70 घन मी॰/प्रतिघंटे की दर से भूजल निकासी संभव है। वहीं गहरे ट्यूबवेल से 2.5 मी॰ से भी कम जल सतह विचलन के साथ 150–210 घन मी॰/प्रतिघंटे की दर से पानी निकाला जा सकता है।

2.13 वनस्पति एवं जीव :– पूर्णिया शहर पूर्व में पेड़–पौधो झाड़ियो एवं घास पूस से भरा पूरा क्षेत्र रहा है। इनमें से सेमल, बबूल, अमलतास, गुल मोहर तथा यदा–कदा चंदन के पेड़ प्रमुख रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की खुशबुदार फूलो वाली झाड़ियाँ भी पाई जाती है। मंदिरों तथा तालाबों में जलकुम्भी की अधिकता से मछलियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। (स्त्रोतः पूर्णिया गजेटियर)

2.14 पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का जैव विविधता पंजी संधारित किया जा रहा है। इसमें संधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 11 प्रकार की प्रमुख वनस्पतियां तथा 14 प्रकार के जीव जन्तुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। वनस्पतियों में प्रमुख है नीम, केला, अमरूद, जुट, लीची, बरगद, मंरगा, चाईनारोज इत्यादि। यहा रोहू और मॉगुर मछली की बहुलता है। कोट–फतिगा के रूप में Beefels, Hairy Catterpillar, Aphd नामक कीट, पक्षियों में गौरेया, मैना, कबूतर, कौआ, चील इत्यादि पाये जाते है। जानवरों में गाय, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, नेवला चूहा इत्यादि देखे जाते है।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 3

आपदा सुरक्षित शहर
DISASTER RESILIENT CITY

3.1 **आपदा से सुरक्षित शहर** :– पूर्णिया नगर को एक आपदा सुरक्षित नगर के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ के वार्ड सं॰ 1 से 46 तक में आवासित सभी परिवार, व्यक्ति एवं विभिन्न समुदायिक समूह एक स्वतः स्फूर्त तथा गतिशील सामाजिक इकाई के रूप में मिलजुल कर कार्य करते हुये ऐसी क्षमता हासिल कर लें जिससे कि बहुआपदा एवं जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिमों का पूर्वानुमान कर सके। इस पूर्वानुमान आधारित चेतावनी या सलाह को आपदा के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी तत्र क्रियाशील किये जा सके। आपदा जोखिम की सटीक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में ही शमनीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर की तैयारी की जा सके तथा नये विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन किया जा सके। इसी के साथ पर्यावरण प्रभाव का आकलन करते हुये पारिस्थितिकी संरक्षण पर पयाप्त बल दिया जा सके। आपदाओं से उबरने के उपरांत पूर्व से बेहतर सन्निर्माण कार्य किये जायें।

समुदाय द्वारा एक सुरिक्षत जीवन शैली अपनाई जायेगी तदनुसार समुचित आचार–विचार–व्यवहार अपनाये जायेगें जैसे कि :–

- सुरक्षित मकान का निर्माण ।
- आपदा काल में सुरक्षित जगहों पर पनाह लेना ।
- आपदा के बारे में कल्पित पूर्व धारणाओं से दूरी बनाना।
- महामारी से बचाव हेतु सुरक्षित एवं स्वच्छ व्यवहार अपनाना ।
- स्वच्छपेय जल का उपयोग एवं सुरक्षित भंडारण करना।
- आजीविका (जीवन जीने के कौशल) से युक्त होना ।

नगरीय भावना को आत्मसात करने, सामुदायिक सहयोग, टिकाउ जीविका विकल्प तथा जीवन व्यवहार को अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

(i) नगर निगम द्वारा न्यून तीव्रता की आपदाओ को अपने स्तर पर ही निपटान करने की क्षमता हासिल की जायेगी।

(ii) शहरी समुदाय तक पूर्व चेतावनी सूचना ससमय पहुँचाना तथा निकासी, खाज एवं बचाव और सुरक्षित जगह पर स्थानान्तरण के साथ आपात्कालीन स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में किये गये प्रावधान के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(iii) जीवंत सामुदायिक संस्थाओं द्वारा जोखिम विश्लेषण, जोखिम सूचना प्रवाह, पूर्व तैयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अभियान को गति प्रदान की जायेगी। इसके लिए –

- वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीरकरण हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 30 के आलोक मे 'वार्डो की समिति' गठित की जायेगी जो जोखिम विश्लेषण आधारित जोखिम न्यूनीकरण की योजना का क्रियान्वयन करेगी।
- वार्ड स्तर पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 31 के आलोक में गठित 'वार्ड समिति और क्षेत्र सभा' आपात्कालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) का काम करेगो। इसमें वार्ड सदस्य, नागरिक सुरक्षा से जुड़े सदस्य, सेवा प्रदाता संस्थाय तथा समुदाय से चुने गये गणमान्य लोग होगे जो पूर्व तैयारियों एवं प्रत्युत्तर का पूरा–पूरा ख्याल रखेगे।

(iv) जोखिम विश्लेषण, योजना का निरूपण, सूचना प्रसारण, पूर्व तैयारी तथा न्यूनीकरण क उपाय समावेशी एवं सहभागी तरीके से की जायेगी जो बच्चों, किशोरों, बुढ़ों, महिलाओं, विकलांगो, तथा पारंपरिक रूप से

अभावग्रस्त, अल्पसंख्यक समूह के आवश्यकताओं तथा इन सभी की क्षमताओं के मद्देनजर समुचित तकनीकी यथा (GIS Mapping) या अन्य विधाओ का उपयोग करेगी तथा सभी संभव उपाय किया जायगा। यह कार्य बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 32 के आलोक में गठित 'विषय समितियों' के सहयोग से किया जायेगा।

(viii) पहले से जमा किये गये जरूरी सामानों तथा जीवन बचाने वाले उपकरणों तक समुदाय की आसन पहुँच सुलभ और आसान बनाई जायेगी।

(ix) हर हाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सेवा आवास, उर्जा आपूर्ति, पुल–पुलिया, सड़क संपर्क तथा दूर संचार सेवाओं को शहर में सतत् बहाल रखने का प्रयास किया जायेगा या इसमें व्यवधान आने पर इसे यथाशीघ्र बहाल करने की कार्रवाई की जायेगी।

3.1.1 ठोस कचरा प्रबंधन :

- 2016 के प्रभावी अनुपालन हेतु प्रसंस्करण एवं Landfill हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक 610 दि० 26.02.2019 द्वारा स्थानीय निकाय के कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एवं रणनीति के तहत् केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनो का विकल्प दिया गया है। कचरा के उत्पन्नकर्त्ता को अपशिष्ट को पृथक्कृत (Segregation) कर अलग–अलग रंग के डिब्बो में भंडारित करने का दायित्व है तथा नगर निकायों को पृथक्कृत कचरा को एकत्रित कर प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन कर प्रसंस्करण करने का दायित्व है।

- NGT द्वारा Sanitary landfill विकसित करने का निदेश निर्गत किया गया है। नगर विकास विभाग के पत्रांक 936 दि० 02.04.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत् Sanitary landfill विकसित करने के लिए रैयतो भूमि के अधिग्रहण किये जाने का निदेश निर्गत है। इस मापदंड के अनुसार शहर से आबादी विहीन इलाके में 10 कि०मी० की दूरी के अंतर्गत 10 एकड़ (नगर निगम के लिए) भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर तालाब से 200 मीटर, राजमार्गो, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुआ से 200 मीटर पर होनी चाहिये। नम भूमि, संवदेनशील भुरभुरे क्षेत्रो और 100 वर्षो से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानो के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नही दी जा सकती है।

> ***<u>ठोस कचरा का प्रसंस्करण एवं निपटान</u>***
>
> *नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा सभी नगर निगमों को उपलब्ध करायी गयी नगर निकायों हेतु मार्गदर्शिका –ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान– में इस बात का उल्लेख है कि अन्य नगर निगमों में किये जा रहे विशिष्ट कार्यों को अपने निकाय में अपनाया जा सकता है । इस क्रम में –*
>
> - *पिट कम्पोस्टिंग – मुजफ्फरपुर मॉडल का जिक्र है जिसमें कचरे से खाद बनाने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख हैं साथ ही "मुजफ्फपुर जैविक खाद" के नाम से पैकेजिंग बेचने एवं राजस्व रिकार्ड संधारण के तरीके बताये गये है।*
> - *इसी प्रकार से ठोस कचरा प्रबंधन के मुंगेर एवं सुपौल मॉडल का भी जिक्र है जिसे सुविधानुसार अपनाया जा सकता है।*
> - *मार्गदर्शिका में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कचरों में से कुछ चुनिन्दे वस्तुओं के एकत्र कर कबाड़ी वालों के हाथ बेचने तथा इस कार्य में लगे महिलाओं को 200/– रूपये तक भुगतान का जिक्र है।*

- कम्पोस्टिग के साथ सूखे कचरे का भी पुनर्उपयोग करने की व्यवस्था कबाडो के माध्यम से की जानी है। विकेन्द्रीत कचरा प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया गया है। बिहार सरकार नगर एवं आवास विभाग ने पत्रांक 1353 दि० 28.05.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत Door to Door Collection, Transportation के क्रियान्वयन क लिए मार्गदर्शिका निर्गत किया है।

3.1.3 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन :

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अनुसार "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलीन टेरेफ्थेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाईल, कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोलीप्रोपेलिन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रोलोनी ट्रीइलीन, बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री, पोलोफिनाइलीन आक्साईड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफियासेट जैसी उच्च पोलीमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट है।

उपरोक्त रासायनिक मिश्रण से बने ठोस तत्व अपने मूल स्वरूप में तब तक बने रहते हैं जब तक इन्हें जलाया न जाय या दूसरे रसायनो से गलाया न जाय। मिट्टी या पानी के बीच जमा होकर ये माइक्रोआर्गेनिज्म के या जलीय जीव जंतुओं के जीवन चक्र में अनेक प्रकार से व्यवधान उत्पन करते है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का स्वरूप बदलने की क्षमता रखते है। अतः, सतर्कता पूर्वक इसका प्रबंधन आवश्यक है। प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रीकरण, भंडारण, परिवहन, पुनःचक्रण, पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, कम्पोस्टिंग इत्यादि किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिनियम की कंडिका 6 में "स्थानीय निकाय का दायित्व" का विस्तार से उल्लेख किया गया है एवं कंडिका 5 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में किये जाने वाले प्रक्रिया तथा मानदंडो का उल्लेख है। अन्य कंडिकाओं में विभिन्न हितधारको के विहित दायित्वों एवं कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायो के पूर्व स्त्रोत पर ही कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर देता है साथ ही स्थानीय निकायों, अपशिष्ट उत्पादकों खुदरा विक्रेताओं, खासकर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए भी जिम्मेदारियां तय करता है।

<u>नगर निगम पूर्णियां प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि–2018</u>

नगर निगम पूर्णियां द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 423 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018 अपनाया है। इसे नगर निगम के बोर्ड की बैठक में दिनांक 29.11.2018 को विधिवत पारित एक अनुमोदित किया गया।

इसके अलावा उपविधि के अध्याय–6 में अनुश्रवण क्रियाविधि का विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति की स्थापना का प्रावधान है। एक सिटी स्क्वाड/टास्क फोर्स का गठन जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों तथा स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर उपविधि के क्रियान्वयन लागू करने हेतु गठन किया जाना है। इस टास्क फोर्स में शहरी स्थानीय निकाय के पदधारी (नगर आयुक्त, नगर कार्यपाल पदाधिकारी, नगर प्रबंधक/सहायक अभियंता) तथा जिला प्रशासन के पदाधिकारी के अलावा एन.जी.ओ. तथा एस.एच.जी. को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। यह टास्क फोर्स पोलिथिन बैगों को जब्त करने तथा नियम का उल्लंघन करने वालो पर जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सक्षम होगा।

स्त्रोत : अधिसूचना सं. 03/ एसडब्लुएम–01–46/ 2018/3076 दिनांक 12/12/2018

2016 के बाद 2019, 2021 एवं 2022 में इस अधिनियम में पयावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनेको संशोधन किये ह। इसमे प्लास्टिक का चार श्रेणियो में वर्गीकरण, पैकेजिग विधि का निर्धारण, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, प्रमाण पत्र के प्रावधान "प्रदूषण भुगतान सिद्धांत", पर्यावरण मुआवजा, मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण क लिए CPCB द्वारा केन्द्रीकृत ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना का आह्वान किया गया है।

उपरोक्त अधिनियमों के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पोर्टल bspcb.bihar.gov.in के Notice board पर क्रमांक 12 पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एव उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने की सूचना सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पषद द्वारा जारी की गई है। इसमें पॉलिस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पॉलिस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल से बने इयर बड की प्लास्टिक की डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, कैंडी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, थर्मोकोल को सजावट में उपयोग, इसका प्लेट, कप, गिलास जैसे कांटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, मिठाई के डब्बो को लपेटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट की पैकेट की पैकेजिग 100 माईक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर इत्यादि जो कंपोस्टिंग योग्य नहीं है तथा सभी प्रकार के कैरी बैग के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण एवं बिक्री पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इस नियम का उल्लघन किये जाने पर नियम संगत कार्रवाई की चेतावनी के साथ 30.06.2022 तक स्टाक शून्य करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में इस अधिनियम लागू करने की समय सीमा हितधारकों के अनुरोध पर कई बार बढ़ाया जा चुका है।

3.1.2 चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन :

नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जाँच घर, दवा दुकान तथा नर्सिंग होम से कई प्रकार का जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निकलता है। दवा दुकानों से एक्सपायर की हुई दवा, जाँच घर से संक्रमित खून, पेशाब, पैखाना इत्यादि का नमूना अथवा हाईपो (रसायन),नर्सिंग होम से संक्रमित मरहम–पट्टी इत्यादि उत्सर्जित होते है। अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज से उपरोक्त सभो प्रकार के चिकित्सीय अपशिष्ट बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इन सबों को अन्य ठोस अथवा कार्बनिक अपशिष्ट के लिए निर्धारित वेस्ट डिस्पोजल स्थानों पर "डम्प" करने से पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। साथ हीं ये अपशिष्ट संक्रामक प्रकृति के हाते है। इस प्रदूषण से शहर को बचाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पषर्द द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 (2018 तथा 2019 में संशोधित) तथा विभिन्न मार्गदर्शिकाओं के अनुसार ही उत्सर्जित अपशिष्ट का शत प्रतिशत निस्तार किया जाना अपेक्षित है। यह अपशिष्ट चिकित्सा, जाँच अथवा कोविड–19 के क्वारटाइन मरीजों के कारण उत्पन्न होते है। इनके हैंडलिंग, उपचार तथा निस्तार के दौरान इन मार्गनिर्देशिकाओं तथा नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रमुख दिशा निर्देश निम्नांकित है –

राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई "एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ बॉयोमेडिकल वेस्ट" के अनुसार पूर्णिया में सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान की संख्या 389 है। जिसमें 47 संस्थानों में 664 शय्या की सुविधा उपलब्ध है। इन सभी चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों से 434.50 किलोग्राम जैव चिकित्सा अपशिष्ट निकलता है जो भागलपुर में अवस्थित सिनर्जी वेस्ट मैनजमेंट प्रा० लि० में निस्तारित किया जाता है। उसी प्रकार निजी क्षेत्र में 296 चिकित्सीय सुविधा संस्थान हैं जिनमें 87 संस्थानों के पास 1133 शय्या उपलब्ध हैं इन निजी संस्थानों द्वारा 857.90 किलोग्राम जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारित होता है। समग्र रूप से विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों की कुल संख्या 721 है, शय्या की संख्या 1797 है। सभी प्रकार के चिकित्सीय संस्थानों द्वारा 1297.64 किलोग्राम जैव चिकित्सा अपशिष्ट कॉमन जैव चिकित्सा उपचार सुविधा केन्द्र में निष्पादित किया जाता है। समय–समय पर वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने वाले पर सुसंगत कारवाई की जाती है।

1. कचरे को उचित कूड़ेदान (कलर कोडेड) में ही डाले ।
2. बायोमेडिकल कचरे को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमाली 2016 के अनुसार साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र पर ही भेजी जाये।
3. कचरे को उचित रंग के थैले में ही डालें।
4. कचरे की उत्पत्ति स्थान पर ही उसे अलग करें।
5. कचरे को सही रूप से उपचार करने हतु उसे उचित लाइनर में रखे।
6. कचरे को इकट्ठा करने व लाने –लेजाने के समय इसे मिश्रित न करें।
7. बिखरे हुये तरल पदार्थ का तुरंत प्रबंधन किया जाय।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलो के वैसे स्वास्थ्य उपचार सुविधा संस्थानो को सूचीबद्ध किया है जिन्हाने जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन से संबंधित पर्षद से सहमति अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है। यह सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें कटिहार जिले के 98 स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (HCF) वाली संस्थानों की जानकारी उपलब्ध कराई गई ह। समय–समय पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाता है। 22 फरवरी 2022 को राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार सभी सिविल सर्जन एवं जिला पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओ (HCF) जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से बिना प्राधिकार प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित है, उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाय।

3.1.4 ई–कचरा प्रबंधन :

नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित रिहाय" ी मकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानो, सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानो तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों मे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इनमें से प्रतिवर्ष अनेको उपकरण या तो अपनी "कार्य जीवन" पूरा कर लेने के कारण, किसी कम्पोनेट के जल जाने के कारण अथवा द्रुतगति से तकनीकी उन्नयन के कारण प्रचलन से बाहर कर दिये जा रहे है। किसी इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान का नया प्रतिरूप आते ही पुराना बेकार होकर अपशिष्ट में बदल जाता है जो ई–कचरा के नाम से जाना जाता है। इनमे से मुख्य है – पुराने मोबाईल हैण्ड सेट तथा इसके 'एक्सेसरिज', बैट्री, इयर/हेड फोन इत्यादि। पुराने कम्प्यूटर, प्रिंटर, की–बोर्ड, माउस, सी.डी., सी.पी.यू., मॉनिटर, स्पीकर, एवं इससे संबंधित 'एक्सेसरिज' तथा टी.वी., एयर कंडीशनर, रेफ्रीजेरेटर, एल.ई.डी./सी.एफ.एल.–बल्ब/ट्यूब लाईट, मिक्सी, माईक्रोवेभ ओवन, घड़ी तथा अन्य उपकरण भी ई–कचरा पैदा कर रहे है। इन संयंत्रो के निर्माण में पारा, रांगा, आरसेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम इत्यादि हजारो जहरीले पदार्थो का उपयोग होता है, जिसे खुले वातावरण में अन्य ठोस कचरों की तरह निपटारा नहीं किया जा सकता। अन्यथा, कालान्तर में यह पर्यावरण को प्रदूषित कर मानवता के लिए घोर संकट पैदा कर सकते हैं। इसका खुले में निस्तारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरा पैदा कर सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलो के लिए ई–वेस्ट कलेक्शन के लिए कुछ विशिष्ट निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानो को चिह्नित किया है, जो इसका सुरक्षित निपटारा करने की तकनीकी प्रक्रिया से वाकिफ है। इसकी सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है । पूर्णिया के लिए नामित संस्थानो की सूची निम्नवत है –

कंपनी का नाम/पता	दूरभाष
एलटेक एप्लाएन्सेज प्रा॰ लि॰, विवाह भवन के नजदीक, पूर्णिया	9931466641
एलटेक एप्लाएन्सेज प्रा॰ लि॰, उर्दू स्कूल रोड, पूर्णिया	
फास्ट रॉक कम्युनिकेशन, प्रतिभा इन्टरप्राईसेज, बी.पी. कॉम्पलेक्स, शारदा नगर, पूर्णिया	9934834000
फास्ट रॉक कम्युनिकेशन, एस.के. मोबाईलस, रेलवे स्टेशन चौक, बनमंखी	9570934280
सैमसंग इन्ना इलेक्ट्रानिक्स प्रा॰ लि॰, शगुन इन्टरप्राईसेज, टैक्सी स्टेन्ड रोड, भट्टा बाजार	9308118718

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के ई–अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इससे जुड़े निर्माता, उत्पादक, मुख्य डीलर, पुनः चक्रणकर्ता एवं खुदरा व्यापारियो के लिए निर्देशों का पालन करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रो/मिडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है जो उनके लिए बाध्यकारी है, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

3.1.5 औद्योगिक परिसर एवं अस्पताल से बहिसाव प्रवाह का प्रबंधन :

पयावरण को प्रदूषित करने वाले श्रोतो में औद्योगिक परिसर तथा अस्पताल से बहिस्त्राव प्रवाह (तरल एवं गैस तथा रेडियोधर्मीता) का प्रमुख स्थान है।

औद्योगिक प्रदूषण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चार श्रेणियों में विभक्त किया है। इसके श्रेणीकरण का आधार प्रदूषण सूचकांक है। इस प्रदूषण सूचकांक द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान

का उत्सर्जन जो वायु प्रदूषण फैलाता है, प्रवाह जो सतही एवं भूगर्भ जल श्रोत को प्रदूषित करता है आपदाजनक अपशिष्ट जिसमें खतरनाक रसायन हो तथा प्राकृतिक संसाधनो की अत्यधिक खपत की माप–तौल पर तय किया जाता है। प्रदूषण स्तर के आधार पर ही प्रदूषण सूचकांक निर्धारित किया जाता है। जो निम्वत है –

क्र.सं.	प्रदूषण सूचकांक	औद्योगिक श्रेणी
1	0–20	सफेद (White)
2	21–40	हरा (Green)
3	41–59	नारंगी (Orange)
4	60 या अधिक	लाल (Red)

पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील इलाको में लाल श्रेणी में सूचिबद्ध उद्योगो को नहीं स्थापित किया जा सकता है। इन चारों श्रेणियों में सूचिबद्ध उद्योगो की सूची वेबसाईट www.mapofindia.com के विषय Colour Codes of Industry For Environment Clearance पर देखा जा सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियत्रण पषर्द ने इन सबों के सुरक्षित संग्रहण, परिवहन तथा निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रखे है। नगर निगम द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अतंर्गत समुचित कार्रवाई की जायेगी। पूर्णिया अवस्थित श्रम विभाग के कारखाना निरीक्षक ने बताया है कि विभाग के पास पूरी सूची उपलब्ध है तथा किसी कारखाने का 'खतरनाक' श्रेणी में होने पर यथोचित कारवाई की जाती है। असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अस्पतालो से होने वाले बहिसाव पर निगरानी रखते हुए समुचित कारवाई करने की बात कही।

नोट – उपरोक्त आपदा के शमनीकरण हेतु सभी अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के संगत नियमों के तहत् अनिवार्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट देने हेतु विभिन्न प्रपत्रों का विवरण अध्याय 11 के कंडिका 11.1.2 में संधारित है।

3.2 जलवायु प्रेरित जोखिम :– जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिम सहित अन्य आपदा से उत्पन्न जोखिम की जानकारी के अनुसार पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, आपदा मोचन, आपदाओं से उबरने के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण के लिए नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल एवं समन्वय के साथ सभी कार्य किये जायेगे। भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पूर्णिया इकाई से समय–समय प्राप्त चेतावनी तथा सलाह के अनुरूप सभी हितधारको के साथ सभी नगरवासी मिलकर एक सकुशल और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु आपदा का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण के लिए खतरो एवं जोखिम की पहचान कर सकेंगे। इसके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

3.3 पर्यावरण पर पड़ रहे असर के आलोक में पारिस्थितिकी संरक्षण कार्य :– शहर की पारिस्थितिकी तंत्र (Eco. system), प्राकृतिक जल बहाव मार्गो तथा बसावटो की आकृति के आधार पर बिहार भवन उपविधि 2014 के अध्याय 3 में उल्लेखित कंडिका 27 के आलोक में भूमि का क्षेत्रीकरण (Zoning) करने के बाद ही शहरीकरण योजना का स्वरूप निर्धारित किया जायेगा। नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में City Development Plan तैयार कराई गई है। इसमें पारिस्थितिकी संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। सम्प्रति पूर्णिया वन प्रमंडल द्वारा शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी परिसरों में वृहत् पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर मे पार्को, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी आवासीय/कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण का दायित्व वन प्रमंडल पूर्णिया को दिया गया है।

सारणी –3.1 शहरी वानिकी में किये गये वृक्षारोपण :

क्र. सं.	योजना का नाम	वृक्षारोपण वर्ष/समय	कार्य स्थल	भौतिक लक्ष्य	
				लम्बाई (कि॰मी॰) में	पौधो की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पथ तट फार्म (शहरी वानिकी)	2017 (वर्षा)	हवाई अड्डा परिसर पूर्णिया	0	1000
2	पथ तट फार्म (शहरी वानिकी)	2018–19 (वसंत)	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	0	100
			जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिया आवासीय परिसर	0	1000
3	पथ तट फार्म (शहरी वानिकी)	2019–20 (वर्षा)	पूर्णिया शहर मझेली चौक से चुनापुर घाट तक	2.5	1000
			हर परिसर हरा परिसर (8 परिसर)	0	5050
4	–	2020–21(वर्षा)	–	–	–
5	पथ तट फार्म (बाँस गैवियन)	2021–22 (वर्षा)	जिला एवं सत्र न्यायाधोश पूर्णिया आवासीय परिसर	0	1000
			योग		**9150**

स्त्रोतः वन प्रमंडल कार्यालय, पूर्णिया

पूर्णिया शहर में अनेकों वृक्ष कई दशको तथा कुछ तो शताब्दियों पुराने वृक्ष है। शहरी विकास एवं नये निर्माण कार्यो के लिए कभी–कभी कोई वृक्ष बाधा प्रतीत होते हैं। जबकि ऐसे वृक्ष शहरी Heat Island effect को कम करने, छाया मुहैया कराने, प्रदूषण नियंत्रित करने, भू–क्षरण रोकने, कार्बन संचयन इत्यादि के दृष्टिकोण से अमूल्य है। साथ ही ये असंख्य पशु–पक्षियों एवं कीटों की आश्रय स्थली भी है। ये वृक्ष समूह स्वयं में एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वृक्षो की अंधाधुध कटाई से वर्तमान समय मे बढ़ते प्रदूषण तथा वैश्विक तापमान वृद्धि (Global warming) तथा इस कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन का मनुष्य एवं पशुओं पर कुप्रभाव पड़ता है।

3.3.1 वायु गुणवत्ता :– सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण में शहर की वायु गुणवत्ता एक अहम पहलू है। यह विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है। पूर्णिया शहर में हवाएं आमतौर पर पूरे साल हल्की से मध्य होती है। मानसून के बाद सर्दियों और शुरूआती गर्मीयों के मौसम के दौरान हवाएं आमतौर पर शांत होती है या पश्चिमो दिशा से बहती है। मानसून अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले तूफान और डिप्रेशन जो जिले और उसके पड़ोस की ओर उत्तर–पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं व्यापक रूप से बारिश और तेज हवाओं का कारण बनते है। नीचे की तालिका से पूर्णिया शहर की वायु गुणवत्ता स्पष्ट है।

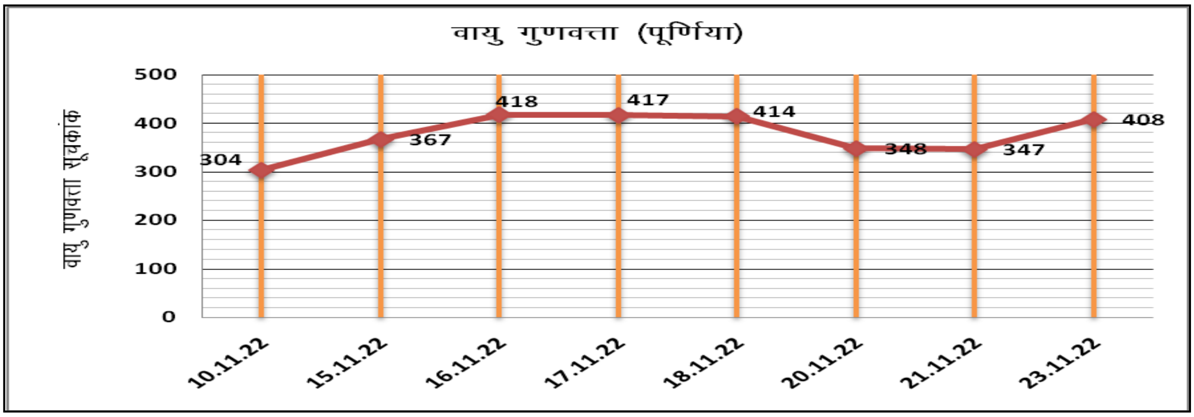

स्त्रोत : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB), पटना

सारणी – 3.2 खतरा एवं संवेदनशीलता :

गुणवत्ता सूचकांक	गुणवत्ता का प्रकार	संभावित प्रभाव
0–50	अच्छा	न्यूनतम प्रभाव
51–100	संतोषजनक	संवेदनशील लोगों को श्वास में मामूली असुविधा
101–200	मध्यम	फेफड़ें अस्थमा, ह्रदय रोग वाले लोगों को श्वास में असुविधा
201–300	खराब	लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले ज्यादातर लोगों को श्वास लेने में परेशानी
301–400	बहुत खराब	लोगों पर बहुत खराब श्वसन की बोमारी की संभावना
401–500	गंभीर	स्वस्थ लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, मौजूद में बोमारो से ग्रसित लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

स्त्रोत : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB), पटना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB) ने पूर्णिया शहर के लिए वायु प्रदूषण मानिटरिंग स्टेशन की स्थापना की है जिसका इस वर्ष से वायु गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट आना शुरू हो गया है। नवम्बर माह के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शहर के वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर स्तर तक पहुँच चुकी है। सूचकांक के अध्ययन से पता चलता है कि नवम्बर में चार दिन ऐसे रहे जहाँ प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक 400 अंकों के पार रही। उपरोक्त तालिका उस दिन का औसत सूचकांक है, अर्थात दिन भर में किसी समय स्थिति और भी खराब रहने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। शहर में पी.एम.(पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 तथा पी.एम.10 की स्थिति ज्यादा रही है। पी.एम.2.5 और पी.एम. 10 की बीच का अंतर उसका आकार है, पी.एम. हवा में कण पदार्थो को संदर्भित करता है। वे कण कार्बनिक धूल, वायुजनित बैक्टोरिया, निर्माण कार्य से धूल, कचरे का धूल और बिजली संयत्रों से कायले के कण जैसी चीजें है। एक्यूआई का स्तर जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण की स्तर भी उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी हीं अधिक होगी। पूर्णिया का प्रमुख प्रदुषक पी.एम. 2.5 (महीन धूलकण) पाया गया है।

वायु प्रदूषण के मुख्य कारण :–

- कचरे का खुले में निष्पादन होना।
- खुले में कचरा/कृषि अवशेष का जलाना।
- सड़कों की खराब स्थिति तथा 'पेवमेंट' का निर्मित नहीं होना।
- शहर पर जनसंख्या का दबाव।
- पेट्रोल, डीजल वाली पुरानी वाहनों तथा ऑटो रिक्शा द्वारा वायु प्रदूषण ।
- बिना ढ़के बालू, मिट्टी या कचड़ा का ढोना।
- निर्माण कार्य से अनियंत्रित धूलकण उड़ते रहना।
- मौसम साफ नहीं रहने से वायुमंडल में धूलकण बना रहना।
- ईट भट्टे या उद्योगों से अनियंत्रित वायु प्रदूषण।
- जिले में जलोढ़ मिट्टी का लगातार वायु में उड़ते रहना।

न्यूनीकरण :–

- जिला प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से 'एक्शन प्लान' तैयार करने की आवश्यकता है ताकि उसे संबंधित विभागों के साथ मिलकर अनुपालन कराने की जिम्मेवारी का निर्वहन किया जा

सके। वर्तमान में शहर में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत हरियाली (पेड़–पौधे) लगाने का वृहत काम किया जा रहा है।

- प्रदूषण बढने पर जहरीली हवा से दूर रहना तथा मास्क का प्रयोग।
- जलावन के उपयोग को सीमित करना।
- लोगों द्वारा गरम खाना, ताजे फल, गर्म पानी एवं प्रोटीनयुक्त आहार का सेवन।
- ई–रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस एवं सीएनजी वाले ऑटो रिक्शा का प्रोत्साहन।
- मीडिया द्वारा वायु प्रदूषण के संबंध म व्यापक प्रचार–प्रसार ।
- वृक्षारोपण।

3.4 आपदा के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण :– बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 33 के आलोक में गठित 'तदर्थ समिति' द्वारा अपने स्तर पर पूर्व से बेहतर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थाई समिति द्वारा दो जायेगी।

इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु नगर निगम एवं नगर में स्थित विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा भौतिक एवं मानव संसाधन के संदर्भ में पर्याप्त क्षमतावर्द्धन करना है। नगर में जो भी निवेश होने जा रहे है, वे सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकाण से भी जांच परख कर किये जाएगे।

भविष्य में आनेवाली सभी प्रकार के उच्च, मध्यम एवं न्यून तीव्रता की आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रत्युतर के लिए हर प्रकार की पूर्व तैयारी समय से पूर्व कर ली जायगी तथा आपदा के बाद पुनर्वासन, पुनर्स्थापन तथा पूर्व से बेहतर पुननिर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

बहु संस्था सामंजस्य तथा आपातकालीन आदेश श्रृंखला को स्पष्ट किया जायेगा। सभी हितधारको के दायित्व एवं कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा ताकि किसी प्रकार का असमंजस अथवा अवरोध की स्थिति न बन पाये। इस योजना के ठोस क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा सतत् सुधार की दिशा पहले से तय रहेगी ताकि मानव को इसका अधिकतम लाभ मिले।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 4

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण

HAZARD, RISK, VULNERABILITY & CAPACITY ANALYSIS

4.1 खतरा विश्लेषण (पूर्व में घटित तथा संभावित घटनाओं के आलोक में) : – पूर्णिया शहर में विगत काल में घटित आपदा से संबंधित आंकड़ा विभिन्न श्रोतो से संकलित किया गया है।

खतरों के प्रकार (प्राकृतिक एवं मानव जनित) :– पूर्णिया नगर में घटित आपदाओं का खतरा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव जनित खतरों की तीव्रता तथा संभावित कालखंड को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

नगरीय आपदा तीव्रता कैलेन्डर :

क्र॰ स॰	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूकम्प	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
2	जलजमाव						मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम		
3	अगलगी	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
4	स्वास्थ्य समस्या	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम
5	ठनका					उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	मध्यम		
6	चक्रवाती तूफान /तीव्रगति हवा			उच्च	उच्च	उच्च					मध्यम		
7	ओलावृष्टि			उच्च	मध्यम								
8	गर्मी/लू			मध्यम	उच्च	उच्च	उच्च						
9	शीतलहर	उच्च											उच्च
10	सड़क दुर्घटना	उच्च	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	उच्च
11	औद्योगिक दुर्घटना	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
12	पर्यावरण	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम
13	मेला, भीड़ सुरक्षा	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	मध्यम	उच्च	उच्च	मध्यम

तीव्रता मापक – उच्च मध्यम

4.1.1 भूकम्प :– भूकम्प प्रवण क्षेत्रो के मानचित्र में पूर्णिया नगर जोन IV में अवस्थित है। पूर्णिया शहर के पूरब में मालदा किशनगंज फॉल्ट लाईन, तथा पश्चिम में मुंगेर सहरसा रिजमार्जिनल फॉल्ट लाईन गुजरती है। यहाँ भूकम्प का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे बड़े पैमाने पर कच्चे तथा कमजोर मकान क्षतिग्रस्त होते है। जानमाल की हानि होती है।

क्र.सं.	तारीख	तीव्रता	भूकम्प का केन्द्र
1	2	3	4
1	15.01.1934	8.0	पूर्वी नेपाल में ल्हान से 19 कि॰मी॰ पर जमीनी सतह से 15 कि॰मी॰ नीचे ।
2	15.02.1993	5.0	पूर्णिया से 7–8 कि॰मी॰ उत्तर सतह से 29.7 कि॰मी॰ नीचे ।
3	27.03.2012	5.0	पूर्णिया से 46 कि॰मी॰ उत्तर पूर्व में सतह से 29.0 कि॰मी॰ नीचे।
4	25–26.04. 2015	7.8	भरतपुर मध्य नेपाल से 67 कि॰मी॰ पर सतह से 10 कि॰मी॰ नीचे ।
5	08.03.2020	4.5	पूर्णिया से 46 कि॰मी॰ पश्चिम सतह से 10 कि॰मी॰ नीचे।

स्त्रोत : यूएसजीएस वेबसाईट

सारणी – 4.1 2015 भूकम्प के दौरान सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों का क्षति आकलन :

क्र.सं.	भवन	सवेक्षित भवन की सं.	G_0	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5
1	सरकारी भवन	107	55	21	22	4	–	1
2	गैर सरकारी भवन	83	17	38	24	3	1	–

स्त्रोत : भवन निर्माण प्रमंडल,पूर्णिया से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर

क्षति की श्रेणी : G_0 – अप्रभावित, G_1 – मामूली प्रभाव, G_2 – सरंचनात्मक क्षति, G_3 – वृहत क्षति, G_4 – ध्वस्त, G_5 – रहने योग्य नहीं। 107 सरकारी भवनों में 9 स्कूल भवन, 9 सदर अस्पताल तथा विभिन्न सरकारी विभागों के 89 कार्यालय भवन है।

- जिन भवनों का निरीक्षण किया गया उसमें केन्द्रीय कारागार, विभिन्न विभागों के कार्यालय, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल, सदर अस्पताल, पुलिस स्टेशन, विद्युत कार्यालय तथा आम नागरिकों से प्राप्त शिकायते शामिल है।
- क्षति के निम्न प्रकार चिन्हित किये गये। **(i)** दीवार और प्लास्टर में दरार, **(ii)** चहार दिवारी में दरार **(iii)** चारदोवारी गिरना **(iv)** छत का क्षतिग्रस्त होना में। बीम में दरार होना **(vi)** प्रथम तल में दरार **(vii)** सिढ़ी में दरार **(viii)** लिन्टर लेवल में दरार **(ix)** जमीन (फ्लोर) का धंसना **(x)** दीवार में अलगाव **(xi)** पोटिकों बीम में दरार **(xii)** पानी टंकी के संरचना में दरार ।
- स्वगीय प्रो. (डॉ.) ए. एस. आर्या, पूर्व सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना ने 2013 में एक अध्ययन कराया था जिसमें अगर 1934 के स्तर का भूकंप वर्तमान में आये तो उससे होने वाली संभावित क्षति में भी यह दर्शाया गया था कि पूर्णिया शहर में अधिकांशतः क्षति G_3 स्तर के होने की संभावना बनी रहेगी ।
- क्षति के विभिन्न स्तर :– G_5 – पूर्ण क्षति (मकान का गिरना), G_4 – तबाही, G_3 – भारी क्षति, G_2 – मध्यम क्षति, G_1 – साधारण क्षति।

4.1.2 जल जमाव एवं शहरी बाढ़ :– अगस्त 1987 में पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ में डूब गया था। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल पूर्णिया के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि शहर के बीच से बहने वाली सौरा नदी का जल स्तर वर्ष 1987 में 35.88 मी० तक पहुँच गया था। पुनः अगस्त 2017 में सौरा नदी का जलस्तर 35.58 मी० तक पहुँचा था। पूर्णिया शहर के अतंर्गत विभिन्न वार्डो में सात जगहें तस्तरी नुमा गढ्ढ़े में बसी आबादी से आच्छादित है। 'यास' तूफान 28.05.21 के बाद जल जमाव की स्थिति :–

(i) रजनी चौक पर गंगा दार्जिलिंग सड़क पर 200 मीटर तक घुटनो तक पानी भरा हुआ था।

(ii) रजनी चौक से माधोपुरा होते हुये रूईगोला पुल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर कमर तक पानी था।

(iii) सुदीन चौक नवरतन हाता प्रभात कॉलोनी बाड़ी हाट, मधुबनी मोहल्ला, कला भवन, गायत्री मंदिर रोड, जय प्रकाश कॉलोनी, जनता चौक से कोर्ट स्टेशन रोड, शीतला मंदिर मोड़ सहित अन्य जगहों पर अक्सर वर्षा जल जमा हो जाता है।

स्टार्म ड्रेनेज की सुनियोजित व्यवस्था नहीं होने के कारण नगर वासियो को अनेको कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। लोगों की दिनचर्या बाधित हो जाती है। पयजल उपलब्धता में बाधा आती है। आवागमन में कठिनाई होती है।

ग्रामीण बाढ़ से शहरी बाढ़ विशेष रूप से अलग है क्योंकि शहरीकरण की प्रक्रिया में ''विकसित कैचमेंट'' बनते हैं, जिनमें वर्षा की बूंदे जमीन के पक्की सहत पर पड़ने के बाद न कहीं रूकती है न टिकती है और न ही धरती उसे सोखती है। इसका अधिकांश भाग सतही जल प्रवाह म तब्दील हो जाता है जो ढलान मिलने पर तेज गति पकड़ लेता है अथवा ढलान न मिलने पर जल–जमाव की स्थिति पैदा करता है। दोनों ही परिस्थितियों में जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। तेज बहाव के कारण मिट्टो का क्षरण/कटाव, वनस्पति का विनाश, संरचनाओं तथा धन सम्पति को क्षति होती है। रिहाईसी इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों की जीवन चर्या में व्यवधान तथा अस्वास्थ्यकर स्थितियां पैदा होती है।

4.1.3 अगलगी :– 27 जनवरी 2021 को मंरगा थाना क्षेत्र के बियाडा औद्योगिक परिसर अवस्थित जूट गोदाम में भीषण अग्निकांड हो गई। जिस अग्निशमन विभाग ने दमकल की दस गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाया। विगत 10 वर्षो में पूर्णिया नगर में घटित अग्निकांड की घटना का ब्योरा –

सारणी – 4.2 शहर में हुई अगलगी की संख्या :

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020	जुलाई 2021
घटना	43	47	47	35	37	34

स्त्रोत : अग्निशमनालय, पूर्णिया

जिला अग्निशमन पदाधिकारी पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2021 में पुनरासर जुट पार्क में बिजली के शाट सकिट से भीषण आग लग गइ थी, अगस्त 2019 में सरकारी बस स्टैंड पूर्णिया में अगलगी की घटना घटी थी। इसके अतिरिक्त पूर्णिया शहर तथा गुलाबबाग मंडी में 15–20 पटुआ गोदाम है, जिनमें आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नंवबर 2020 में यहाँ भीषण आग लगी थी। आग एक ऐसा खतरा है जो ज्वलनशील पदार्थ तथा आक्सीजन की उपस्थिति पाकर इसकी चपेट में आने वाले किसी भी सजीव या निर्जीव पदार्थ को अन्ततः जलाकर राख कर देती है। जान–माल की हानि का वास्तविक आकलन आग की समाप्ति के बाद ही मालूम होती है।

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 की कंडिका 16(क) – अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय–समय पर यथा संशोधित एवं बिहार भवन उपविधि 2014 समय–समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत अधिभोग के विभिन्न वर्गो के भवनों एवं परिसरों के लिए अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रावधानित बनावट के अनुसार निर्माण एवं उपयोग नहीं होने अधिभोग में विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील, विस्फोटक, जहरीला उत्तेजक (Irritatiry), संक्षारक (Corrosive), विषैला (Toxic) सामग्रियों का निर्माण संसोधन (Processing) भंडारण करने, पंडाल के निर्माण में IS8758:1993 का पालन नहीं होने की तथा तत्समय निर्धारित अन्य मानक का अनुपालन नहीं होने को अग्नि के खतरे का कारक माना जायेगा।

जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे शहरीकरण, घनी आबादी, एक दूसरे के नजदीक बने बसावट, बड़ी इमारत, बड़े–बड़े मॉल, औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में अग्नि सुरक्षा के उपायों की अनदेखी की वजह से शहरी अगलगी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हरनौत में मई 2017 में चलती बस में आग लगने से (8 मृत, 12 घायल), मुजफ्फरपुर में दिसम्बर 2018 में चिप्स कारखाना में (5 मृत, 20 झुलसे) तथा दिसम्बर 2021 में नूड्लस कारखाना में अगलगी (7 मृत), पटना के जी.वी. मॉल (मई 2017) में भीषण आग, पटना के ही (नवम्बर 2018) मोबाईल के तीन गोदामों में अगलगी से करोड़ो रूपये की संपति का नुकसान तथा कुछ राज्यों में अस्पताल के बेड तक पहुँचने वाली ऑक्सीजन पाईप लाइन की गड़बड़ी से हुई अगलगी की घटनाएँ हमें हर बार कुछ ना कुछ सीख छोड़ जाती है, साथ ही यह इसके खतरों के विभिन्न आयामों से सजग कराता है। पड़ोसी कटिहार जिले में भी जनवरी 2019 में भीषण आग लगी थी परंतु तेल डिपो में आग लगने से बचा लिया गया था। इस तरह के हादसे बिहार के किसी शहर में हो सकता है।

पूर्णिया शहर में भी कई पटुआ गोदाम, प्लाई का कारखाना, पेट्रोल पंप, बड़े मॉल तथा शो–रूम तथा गुलाब बाग का विख्यात मंडी आदि ऐसी जगहें है जहाँ अगलगी का खतरा ओर उससे होने वाली जोखिम की आशंका बनी रहती है। जिला अग्निशामालय, पूर्णिया के अनुसार शहर में सरकारी बस स्टैंड (अगस्त 2019), पटुआ गोदाम, गुलाब बाग (नवम्बर 2020) तथा पुनरासर जूट पार्क, बियाडा (जनवरी 2021) में बस के टकराने, पटाखे की चिनगारी तथा बिजली के शॉट सर्किट से प्रतिवेदित हुई। पूर्णिया में पशुपालन की व्यापकता है जिसके कारण अगलगी में भागने में असफल होने के कारण पशुधन की क्षति ज्यादा होती है।

सारणी – 4.3 शहरी क्षेत्र में अगलगी की प्राप्त सूचना

क्र. सं.	वर्ष	अगलगी की सूचना
1	2016	43
2	2017	47
3	2018	47
4	2019	35
5	2020	37
6	2021	34

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी निकायों हेतु तैयार की गयी प्रशिक्षण पुस्तिका के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण 35 प्रतिशत, चूल्हे की आग 19 प्रतिशत, धुम्रपान 12 प्रतिशत, मशीन से निकली चिनगारी 5 प्रतिशत तथा अन्य कारण 13 प्रतिशत का विशेष रूप से अगलगी के खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है जो इस शहर के लिए भी लागू होता है।

इसके अतिरिक्त बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉ. उदयकांत मिश्र ने वर्ष 2021 में पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत आग लगने की कुछ संभावित स्थलों का निरीक्षण के क्रम में बिजली की तारों का अव्यवस्थिति होना, उचित अर्थीग का अभाव, बिजली के पैनलों का सार्वजनिक जगहों पर लगा होना, एम.सी.बी. का नहीं होना जैसी कमी पाया गया।

4.1.4 स्वास्थ्य एवं अस्पताल सुरक्षा :– यह एक प्रमंडलीय मुख्यालय वाला जिला है तथा पूर्णिया समेत तीन अन्य जिलों का इसमें शामिल होना इस बात का द्योतक है कि इन सभी जिलों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु बड़ी संख्या में लोग इस शहर में इलाज कराने आते हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से पूर्णिया शहर में सरकारी सदर अस्पताल के अलावा बहुत सारी निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा डायगोनिस्टिक सेन्टर उपलब्ध हैं। हाल में पूर्णिया में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना हुई है जिससे चिकित्सा व्यवस्था में बढ़ोत्तरी हुई है। शहर में विगत दो वर्षों में कोविड–19 जैसी आपदा को वृहत् रूप से झेला है।

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा तैयार की गई बीमारी का वार्षिक कैलेंडर के अनुसार टी.बी., फाइलेरिया तथा कालाजार मुख्य बीमारी के रूप में चिह्नित किया गया है। कालाजार उन्मुलून के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसमें काफी प्रगति हुई है। एक दशक पूर्व तक (2011–12) जिले में कालाजार के रोगियों की संख्या 2230 थी जिसमें सदर क्षेत्र में 793 मरीज भर्ती थे। विगत वर्ष 2021 मे इनकी संख्या घट कर 45 हो गयी है।

कालाजार को राष्ट्रीय रोग घोषित किया गया है जिस हेतु मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से लगभग एक दर्जन प्रखंडों में सघन अभियान चलाया गया है ताकि 'वेक्टर' जनित बिमारियों पर काबू पाया जा सके। इसी तरह 2018 में टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के अंतगर्त 20885 संभावित रोगियों की जाँच की गयी। जिसमें 1807 लोगों के बलगम धनात्मक (पोजिटिव) पाये गये।

सारणी – 4.4 शहर में मौसमी बीमारी का वार्षिक पुनरावृत्ति :

वर्ष	तीव्र विसूचिका	खूनी पेचिश	वायरल हेपेटाइटिस	आंत्र ज्वर	मलेरिया	अज्ञात मूल का ज्वर	तीव्र श्वसन संक्रमण / इनफ्लुएंजा	न्यूमोनिया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2016–17	13202	5536	–	3452	13	14626	28011	210
2018–19	32178	14936	83	2435	409	52087	56431	567
2019–20	27542	7963	105	2410	353	78810	76742	857

स्त्रोतः बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 से 2021–22

जनवरी 2020 के उपरांत कोविड–19 वायरस जनित रोग विकराल स्वरूप में अवतरित हुआ और सभी वर्ग और आयु के लोगों के समक्ष बड़ा खतरा एवं जोखिम के रूप में उभरा हुआ है। पहले, दूसरे तथा तीसरे लहर ने स्वास्थ्य के प्रति प्राथमिकताएं बदल दी है। इस वायरस ने व्यक्तिगत तार पर तथा सरकारी स्तर पर इससे लड़ने के उपाय ढूढ़ने हेतु मजबुर कर दिया है। इसकी भयावहता को भारत समेत संपूर्ण विश्व ने झेला है।

सारणी – 4.5 पूर्णिया में कोविड से ग्रसित मरीजो की संख्या (जनवरी 2020 से 18.02.22 तक)

वर्ष	कोविड		
	भर्ती	मृत	उपचारित
1	2	3	4
2020–2021 (अगस्त तक)	6266	71	6195
2021–2022 (18 फरवरी तक)	3288	4	3248
कुल	**9554**	**75**	**9443**

स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्णिया

इस सारणी से स्पष्ट है कोविड –19 से यह शहर भी अछूता नहीं रहा। चूंकि इस शहर में कोविड अस्पताल (डी.सी.एच.) स्थापित नहीं था इसलिए सभी मरीजों को जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, भागलपुर को नोडल कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया।

उपरोक्त सारणी में से 3000+ मरीज शहरी क्षेत्र के निवासी है। प्रथम दो कोविड वेब में 71 जाने गई जबकि तीसरे चरण में सिर्फ 4 लोगों ने जान गंवाई।

- **सर्पदंश** :– जिला स्वास्थ्य समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विगत चार वर्षों में कुत्ते, साँप आदि द्वारा काटने की संख्या निम्नांकित है :

सारणी – 4.6 विगत चार वर्षो में कुत्ते एवं साँप द्वारा काटने की संख्या :

क्र.सं.	वर्ष	साँप काटने की संख्या	कुत्ता काटन की संख्या
1	2	3	4
1	2018	370	4035
2	2019	264	4195
3	2020	349	3042
4	2021 से जुलाई 21	180	819

स्त्रोतः सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्णिया

4.1.5 ठनका :– 28 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय न्यूज एंजेसी, पी.टी.आई. के हवाले से यह खबर छपी थी कि पूर्णिया में दो महिलायें समेत तीन व्यक्ति की मृत्यु ठनका से हुई थी। दो अन्य घायल भी हुये थे। पुनः 19 जुलाई 2020 को पूर्णिया, मधेपुरा तथा सहरसा में वज्रपात से पाँच लोगों की मौत की खबर आई थी। मृतको में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल थे। 'काल–वैशाखी' तथा वर्षा ऋतु में ठनका गिरने की घटनायें अधिक होती है। इसके चपेट में आने पर जान–माल की हानि हो जाती है।

4.1.6 तेज हवायें तथा आँधी तूफान :– 22 अप्रैल 2015 के रात्रि 9.15 से 11 बजे के बीच 150 से 200 कि॰मी॰ प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का प्रकोप से पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा तथा सहरसा जिले में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ था। बाँस–बल्ली पर टिकी टिन की छतो वाली झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में काफी घरो को नुकसान हुआ था। पूर्णिया में 21 लोगों की मौत होने की बात तात्कालिक समाचार पत्रों में कही जाती है। बडो संख्या में पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गये, बिजली के खंभों एवं टेलीफोन के खंभों को नुकसान पहुँचा।

सारणी – 4.7 आँधी तूफान की घटनाएं :

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020
मृत्यु	8	10	5	8	23

स्त्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण–2020–21

हितभागियो से चर्चा के दारान यह जानकारी मिली की अक्सर अप्रैल–मई के महीनों में गंगा के इस मैदानी भाग में वायुमंडलीय स्थितियाँ इस प्रकार की बनती है जिसमें अत्यंत तेज गति की हवायें चलती है इसे स्थानीय लोग 'काल–बैशाखी' कहते है। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न निम्न दबाव वाला चक्रवाती तूफान जब कभी उत्तर पश्चिम की दिशा में अग्रसर होता है तो यह पूर्णिया या उसके आस–पास के क्षेत्र से गुजरता है। इस दौरान इसके प्रभाव क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के साथ तेज हवायें चलती हैं। दिनांक 20 अप्रैल 2022 को वायुमंडल में व्याप्त कम दवाब से देर रात 40–50 कि॰मी॰ की रफ्तार से तेज

हवा के कारण शहर के कई घरों के टिन वाले छत, सड़कों पर पेड़ तथा बिजली के खम्भे उखड़ गये, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ।

4.1.7 ओलावृष्टि :– विगत 8 अप्रैल 2012 को पूर्णिया तथा कटिहार जिले में मूसलाधार बारिश के साथ आलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि का दुष्प्रभाव खेत में खड़ी फसलों पर, बगीचे में लगे फलों/फूलों पर कमजोर छत वाले झुग्गी–झोपड़ीयों में रहने वालो पर पड़ता है।

4.1.8 गर्मी/लू :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित ''बिहार हीट एक्सन प्लान'' में पूणिया जिला का 11 वर्षो का दैनिक अधिकतम तापमान तथा माध्य ताप (MeanTemperature) का तुलनात्मक आकड़ा संकलित किया गया है। इस चार्ट से स्पष्ट होता है कि 25.05.1916 को दैनिक अधिकतम तापमान 43.9^0 सेल्सियस तथा माध्य तापमान 34.9^0 सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 2007 से 2016 के मई महीने में रिकार्ड किये गये दैनिक अधिकतम तापमान निम्न सारणी में दिये गये है। इस वर्ष अप्रैल माह के मध्य में ही गर्म पछुआ हवा की वजह से अधिकतम 39.8^0 तथा न्यूनतम 24.4^0 सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। तापमान का उतार–चढ़ाव बताता है कि गर्मी से होने वाले जोखिम के प्रति सजग रहना होगा।

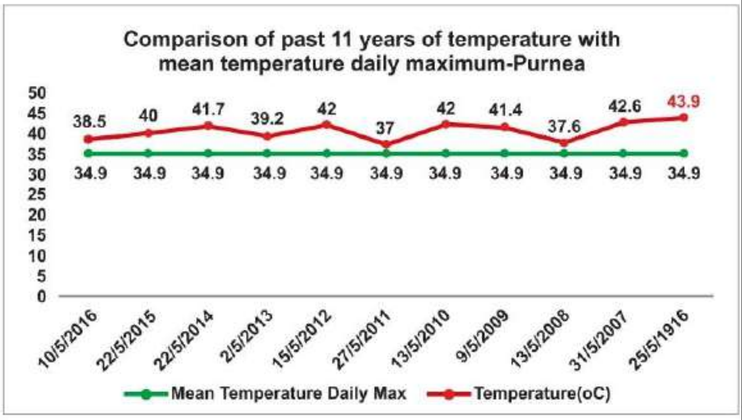

Source: India Meteorological Department, Patna, Bihar

सारणी – 4.8 औसत तथा अधिकतम तापमान :

दिनांक	सामान्य औसत तापमान C^0	अधिकतम तापमान C^0
25.05.1916	34.9	43.9
10.05.2016	34.9	38.5
22.05.2015	34.9	40.0
22.05.2014	34.9	41.7
02.05.2013	34.9	39.2
15.05.2012	34.9	42.0
27.05.2011	34.9	37.0
13.05.2010	34.9	42.0
09.05.2009	34.9	41.4
13.05.2008	34.9	37.6
31.05.2007	34.9	42.6

स्त्रोत : हीटवेभ एक्सन प्लान 2019, बि॰ आ॰ प्र॰ प्रा॰

हीटवेभ एक्सन प्लान 2019 में पूर्णिया का Heat Vulnerability Index -2 अर्थात उच्च तीव्रता का बताया गया है। वर्ष 2019 के जून महीने में पूर्णिया जिला अस्पताल में 30–40 गर्मी/लू से पीड़ित रोगियों को भर्ती कर उनका इलाज किया गया था।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत किया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में गर्मी/लू की तीव्रता, बारम्बारता तथा ठहराव (प्रतिशत) में वृद्धि होने की संभावना है। इससे प्रभावित लोगों को चक्कर आने, उल्टी–दस्त, डायरिया होने, बेहोश हो जाने, मांस पेशियों में दर्द होने अत्यधिक पसीना निकलने के कारण डिहाईड्रेसन होने का खतरा रहता है। कुछ परिस्थितियों में मृत्यु भी हो सकती है। जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। आम लोगों की दिनचर्या बाधित हो जाती है।

4.1.9 शीतलहर :– 31 जनवरी 1971 को पूर्णिया में न्यूनतम तापमान 1.3^0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह सूचना IMD द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिहार की जलवायु में दर्ज है। पुनः 8 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय न्यूज एजंसी, पी.टी.आई. के हवाले से यह खबर समाचार पत्रों में छपी थी कि पूरे बिहार में सबसे कम तापमान 1.2^0 डिग्री सेल्सियस पूर्णिया में दर्ज किया गया। यह सामान्य न्यूनतम तापक्रम से 8^0 डिग्री सेल्सियस नीचे था।

ऐसे शीतलहर के दिनों में लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शीतलहर के दौरान मनुष्य, जानवर तथा पशु पक्षी सभी प्रभावित होते है। यह सार्वजनिक सेवाओं, व्यवसायिक गतिविधियां, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक क्रिया कलापों को भी प्रभावित करता है। गृहविहीन तथा साधन विहीन जनता, वृद्ध जनो तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4.1.10 सड़क दुर्घटना :– 25 जुलाई 2021 को पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र में शीशाबाड़ी चौक के निगम NH-51 पर खड़ी ट्रक में गुलाबबाग की तरफ से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी इसमे 4 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई तथा 3 घायल हुये एवं कार के परखच्चे उड़ गये।

एक अन्य सड़क दुर्घटना जानकी नगर थाना क्षेत्र में मिरचाई बाड़ी चौक के निकट दुर्गा मंदिर के पास घटी जिसमें दो मोटर साइकिल की आमने–सामने से टक्कर हो गई इसमें 1 की मृत्यु हो गई तथा अन्य घायल हो गया। सड़क सुरक्षा समिति ने गत 3 वर्षो का जो आंकड़ा दिया है उसका व्योरा निम्नवत है–

सारणी – 4.9 शहरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी :

वर्ष	शहरी क्षेत्र (Urban Area)		
	दुर्घटना	मृत्यु	घायल
2018	7	5	–
2019	4	3	10
2020	12	3	–

स्त्रोत : उपधीक्षक, यातायात पूर्णिया

4.1.11 औद्योगिक दुर्घटना :– पूर्णिया शहर के वार्ड नं॰ 9 में अवस्थित "इंडस्ट्रिअल डेवलपमेंट सेन्टर", मरंगा, औद्योगिक प्रांगण में यांत्रिक उद्योग यथा आयरन और स्ट्रील फेब्रीकेसन, ट्रेलर निर्माण, ऑटोमोबाईल रिपेयर, प्री फेब्रीकेटेड कंक्रीट के पाईप, पोल तथा पेभमेंट ब्लाक इत्यादि निर्माण के कुल 41 उद्यम कार्यरत हैं। खाद्य प्रसंस्करण के 27 उद्यम जिसमें राइस मिल, दाल मिल, चूड़ा, मुरही, जूस फैक्ट्री प्रमुख है। प्लास्टिक निर्माण के 11 उद्यम कार्यरत हैं। यहाँ जूट, प्लाई बोर्ड, पेपर, प्रिटिंग प्रेस इत्यादि के 7 इकाईयों तथा कोल्ड स्टोरेज एवं बर्फ बनाने की कुल 3 इकाईयां कार्यरत हैं यहाँ एक पावर सब–स्टेशन है तथा वार्ड नं॰ 24 में अवस्थित ''इंडस्ट्रिअल इस्टेट'' पूर्णिया सिटी में एक पावर ग्रीड सब–स्टेशन कार्यरत है। यहा 16 इकाईयां फिलहाल कार्यरत हैं। सबसे पुराने लघु उद्यम में हयूम पाईप तथा कंक्रीट पोल विगत 50 वर्षो से सतत् जारी है। अन्य उद्यमों में 4 केमिकल इन्डस्ट्री तथा 6 खाद्य प्रसंस्करण से जुडे उद्यम कार्यरत है। इनमें औद्योगिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। (स्त्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन(एच.पी.सी.एल.) का एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट पूर्णिया के मरंगा में बियाडा क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ विजाग, हल्दिया से सड़क मार्ग द्वारा टैंकरों के माध्यम से थोक एल.पी.जी. प्राप्त की जाती है। एल.पी.जी. को 3X200 एमटी और 3X500 एमटी वाले टीलेनुमा संरचना में भंडारण किया जाता है। रोजाना लगभग 48,000–50,000 सिलिंडर प्रतिदिन भरा जाता है तथा उसे 206 डीलरशीप के माध्यम से लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं में वितरित किया जाता है । प्लांट की स्टोरेज क्षमता 2100 एमटी है। संयंत्र ने आपातकालीन स्थितियों को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया है। तीसरे स्तर (L3) के लिए जिला प्रशासन के साथ 'ऑफ साईट' सहायता की आवश्यकता है। पहले दो स्तर की आपात स्थिति में सामना करने में प्लांट खुद सक्षम है।

4.1.12 भगदड़ :– पर्व त्योहारों के समय आयोजित मेलों में काफी लोग एकत्र होकर उत्सव मनाते है। यहाँ के ठाकुरबाड़ी में दुर्गा पूजा के समय, गुलाब बाग में गणेश पूजा के समय, राम कृष्ण आश्रम में चैती

दुर्गा पूजा के समय प्रति वर्ष मेला आयोजित किये जाते है जिनमें हजारो लोगों की भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक अवसरों पर अलग–अलग समुदायों द्वारा जुलूस निकाला जाता है।

भीड़ को भगदड़ में बदलने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। जरा सी असावधानी, शरारत पूर्ण अफवाह, आकस्मिक दुर्घटना के वक्त बेसब्री तथा आयोजको का कुप्रबंधन से कभी भी भीड़ भगदड़ में बदल सकती है। इन सभी हालातों के मद्देनजर किसी भी आयोजन को भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से देखा जाता है।

4.1.13 पर्यावरणः— आम लोगों में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव तथा उनका लापरवाही युक्त संव्यवहार के कारण आज वैश्विक पर्यावरण पर खतरे के बादल मंडरा रहे है। पर्यावरण असंतुलन के कारण जलवायु परिवर्तन भी एक प्राकृतिक आपदा का रूप ग्रहण कर रही है। स्थानीय स्तर पर सतही जल भंडार, भूगर्भ जल भंडार तथा वायु प्रदुषण को प्रत्यक्ष महसूस किया जा सकता है। असमय बारिश, वर्षा दिवस में कमी, अतिवृष्टि दिवस, न्यूनतम, अधिकतम तापक्रम के पूर्व रिकार्ड का टूटना आम बात हो गई है।

पूर्णिया शहर में जल जमाव के कारण यहाँ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कई प्रकार से लोगों के जीवन को कष्टकर बनाने लगा है। जल जमाव वाले इलाको में निर्मित सेप्टिक टैंक का मैला पानी (Sullage) उस इलाके में अनेको दिन तक जमा रहने वाले पानी में मिलकर उसे विषाक्त तथा दुर्गधयुक्त बना देते है। इससे कई प्रकार की बीमारी तथा आवागमन में कठिनाई होती है। पूर्णिया शहर में प्रतिदिन निकलने वाले ठोस कचरे एवं जीव चिकित्सा अपशिष्ट के कारण भी पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। दिन प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की संख्या से वायु में हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

4.2. संवेदनशीलता :— किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के लिए किसी आपदा के दौरान उसके जीवन या जीवन चर्या उसकी मानसिक शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की तीव्रता को संवेदनशीलता कहेंगे।

4.2.1 बहु–आपदा संवेदनशीलता :— बच्चे, बुढ़े, दिव्यांग, गर्भवती महिलायें, बीमार लोग अपने शारीरिक दुर्बलता के कारण सभी आपदाओं के प्रति संवेदनशील माने जाते है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खासकर बी.पी.एल. परिवार, असंठित क्षेत्र के कामगार व्यक्ति या समुदाय सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण किसी भी आपदा के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाते हैं। पुराने व अस्थाई मकान या संरचनाये भी कुछ आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते है। शहरी स्लम अथवा मलिन बस्तियों के निवासी भी झुग्गी–झोपड़ियों में तथा अस्वास्थ्यक वातावरण में रहने को अभिशप्त है। उपयुक्त सुरक्षा कवच के अभाव में मौसम आधारित खतरे जैसे ठनका, तेज गति हवा काल बैशाखी, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं गर्मी/लू इत्यादि के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील है।

परिवहन के माध्यम पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, संचार के संसाधनो, सस्ता राशन आपूर्ति में व्यवधान के कारण इनकी दिनचर्या रूक सी जाती है। इनकी जीविका के साधन अस्त–व्यस्त हो जाते हैं। रसोई में नियमित चूल्हा जलाना संभव नहीं हो पाता है। खाने पीने सोने रहने में कठिनाई होने लगती है और जोवन अस्त–व्यस्त हो जाता है।

4.2.2 नगर निगम पूर्णिया के अंतर्गत मलिन बस्तियाँ तथा शहरी गरीब :— बी.पी.एल. सर्वेक्षण 2008 के अनुसार शहर में कुल 21,741 परिवार गरीबी रेखा के नीचे पाये गये । पुनः SPUR कार्यक्रम के लिए बिहार सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में 2010 के दौरान 125 मलिन बस्तियों में 11,181 परिवारों की कुल जनसंख्या 63,735 थी। (स्त्रोतः सिटी डेवलपमेंट प्लान)

यह 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जन संख्या 2,82,248 का 24 प्रतिशत है।

सारणी –4.10 पूर्णिया में शहर में स्लम बस्तियों का विवरण :–

क्र.सं.	वार्ड सं.	मलिन बस्ती	जन सं॰	क्र.सं.	वार्ड सं.	मलिन बस्ती	जन सं॰
1	1	रिफ्यूजी कॉलोनी	700	**44**	31	महरानी हाता	250
2	1	धोबिनियाँ टोला	600	**45**	32	राम बाग	600
3	1	पासवान टोला	600	**46**	32	कहरूगंज	800
4	1	सिन्दोली टोला	220	**47**	32	बीवी गंज	300
5	3	मुमेरिया टोला	1000	**48**	32	मंहराज गंज	800
6	3	कुंजरा पट्टी	1500	**49**	33	मिरजापुर	550
7	3	तारा नगर	750	**50**	33	मिरजापुर कमाल	540
8	3	अमला टोला	350	**51**	33	मिंया बाजार	525
9	4	शिवधान नगर	2000	**52**	33	माड़ी पुर	650
10	4	मनी कॉलोनी	400	**53**	34	सकीम तिलवारी	450
11	4	सुबेदार टोला	750	**54**	34	पाखर टोला	1100
12	4	शान्ति नगर	200	**55**	34	बालू टोला	450
13	5	बक्सा घाट	1500	**56**	34	दरगाह टोला मकरबा	550
14		मोमाध नगर	1500	**57**	34	यादव टोला	250
15		रमथ नगर	2000	**58**	34	जोका जलभारी	1200
16		रामनाथ नगर मुशरी	700	**59**	34	दरगाह शरीफ बेलटोली	750
17		प्रधान टोला	1000	**60**	34	खोवन बाजार	450
18		कसवा नगर	35	**61**	34	लाट टोला	550
19		वली टोला	1500	**62**	34	जोका आलमगंज	800
20		वली टोला वरमसिया	1500	**63**	34	मिरजापुर कामत	650
21	6	सरस्वती नगर	150	**64**	34	नवाब टोला	700
22		सिपाही टोला	500	**65**	34	चिमनी बाजार	200
23		चूनापुर रोड नहर	200	**66**	35	कायाबारी	600
24	7	बक्सा घाट मुसहरी	400	**67**	35	दुनधरिया टोला	550
25		न्यू सिपाही टोला	800	**68**	35	मोहद्दोपुर मुशहरी टोला	500
26		बजेश्वर नगर(विकास बाजार के पीछे)	600	**69**	35	धोन टोला	250
27		मरंगा	400	**70**	35	पोठियाबाद आदिवासी टोला	300
28	8	कोर्ट कम्पाउंड	100	**71**	35	ननगोला	400
29		मरियम नगर	200	**72**	35	खलीफा चौक	1300
30		मेहतर गली	150	**73**	35	बगान टोला	200
31		सिपाही टोला(वानर रोड मेहतर टोली)	250	**74**	35	असम टोला	400
32	9	जेल चौक	150	**75**	35	मियां बाजार	900
33		मुर्गा फार्म लंका टोला	100	**76**	35	लार टोला	500
34	11	खटिक टोला	150	**77**	35	दरगाह	650
35		यादव टोला	150	**78**	36	नया टोला	50
36		पासवान टोला	150	**79**	36	नाका(मस्जिद के पीछे)	100
37	12	कुष्ट कॉलोनी	350	**80**	36	बेगम डोहरी हुसैनाबाग	100
38		पासवान टोला (आदिवासी जनताचौक)	500	**81**	36	नया टोला बसंत बाग	350
39	13	मेहतर बस्ती (गिरिजा चौक)	250	**82**	36	धोबी टोला	150
40	14	प्रभात कॉलोनी	600	**83**	36	चांदनी चौक	150
41	15	नया टोला(डोम पट्टो)	300	**84**	36	पासी टोला	200
42	16	इमली टोला	30	**85**	36	मछुआ टोली	200
43	17	डोम पट्टो (रतनबारी हाट के निकट)	400	**86**	38	मुशहर टोला	150

87	20	सुभाष नगर	200	**107**	38	धागड़ टोला (मिलन पारा)	300
88		श्रद्धा नगर	200	**108**	38	बजरंगी टोला	500
89		मिथिला	100	**109**	38	पासवान टोला (मिशन स्कूल के पीछे)	160
90	21	आनंद पुरी	200	**110**	38	धंगडो बस्ती कैटेन पारा	400
91	23	मौलवी बारी	300	**111**	40	सिंघिया बस्ती	2000
92		गोकुल सिंह ठाकूर बारी	250	**112**	40	श्रीराम कॉलोनी	500
93	26	खेजांची हाट	400	**113**	40	पोलोग्राम	300
94		तांगा नगर	300	**114**	41	आदिवासी टोला	300
95	27	नूरी नगर	150	**115**	41	लक्ष्मी पथ गुलाब बाग	300
96		कामरेड मुजफ्फर नगर अहमद नगर	300	**116**	41	चौहान टोला	750
97		माधोपुरा दास टोला	350	**117**	41	सरदार टोला	625
98		इसलाम नगर माधोपुरा	400	**118**	42	इमली टोला	300
99		वी.आईपी.कॉलोनी (शन्ति टोला)	150	**119**	42	सनी मंदिर	500
100	28	कामरेड मुजफ्फर (नगर अहमद नगर)	2000	**120**	42	अनामहल	500
101		निशी गंज	100	**121**	42	डोम टोली	150
102		कसाई मोहल्ला	150	**122**	43	डोम पट्टी (पुराना सिनेमा हाल के पास)	150
103	29	दफ्तरी मोहल्ला	1000	**123**	43	शान्ति नगर	350
104	29	पाछु मोहल्ला लाईन बाजार	150	**124**	43	गाधी नगर	400
105	29	छोटी मस्जिद के निकट	150	**125**	43	राजा हरिश्चंद्र नगर	250
106	31	उरांव, ड्राईवर और जनता चौक रेलवे गुमटी	200				

4.2.3 भूकम्पीय संवेदनशीलता :– भूकम्प के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक भवन संरचनात्मक त्रुटियों के कारण क्षतिग्रस्त होता हो अथवा इससे असबंद्ध साज–सज्जा के बिखरने की स्थिति में इसकी चपेट में आकर लोग गंभीर रूप से घायल हो और इनमें से कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। जहाँ कहीं रिहाईसी मकान अथवा उनकी सजावट पूर्णतः भूकम्प रोधी नहीं हैं, वैसे रिहायसी मकान में रहने वालो की भूकम्पीय संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- **स्थाई मकान** : जिसकी दिवार तथा छत पक्की सामग्री से निर्मित है अर्थात पक्की इंटे, जी.आई. सीट, पत्थर, सिमेंट कंक्रीट का उपयोग दीवर ओर फर्श के लिए तथा कारूगेटेड, जिंक या अन्य धातु क शीट से एस्बेस्टस सीट इंट, चूना और पत्थर या कंक्रोट एवं RBC/RCC, कंक्रीट का उपयोग छत निर्माण के लिए किया गया है।
- **अर्द्ध स्थाई मकान** : जो अन्य भवन निर्माण सामग्रियो से बनी हो।
- **अस्थाई मकान** : जिसके दोवार तथा छत कच्ची सामग्रियो से बने हो अर्थात् जहाँ घास, फूस, सूखे पत्ते, टहनियाँ, बाँस बल्ले, मिट्टी एवं कच्ची इंटो से तथा लकड़ी का उपयोग दीवाल या छत के लिए किया जाता है।

सारणी – 4.11 शहर में विभिन्न प्रकार के भवन :

स्थाई मकान	27,462 (52.99 प्रतिशत)
अर्द्ध स्थाई मकान	12,765 (24.63 प्रतिशत)
अस्थाई मकान	11,299 (21.8 प्रतिशत)

स्त्रोत : पीसीए–2011

4.2.4 जल–जमाव/नगरीय बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता :– शहर के प्रायः सभी प्राकृतिक जल बहाव मार्ग का ढलान हरदा नदी, सौरा नदी अथवा इनकी सहायक शाखाओं की ओर है जिससे होकर उपयोगित जल अथवा वर्षा का पानी स्वतः Gravity Flow से निस्सरित होता है। कुछ तस्तरी नुमा निचले इलाके भी है जहाँ जमा होने वाला वर्षा का पानी स्वतः Gravity Flow से निस्सरित नहीं हो पाता है। जल जमाव के प्रति ये संवदेनशील इलाके है :–

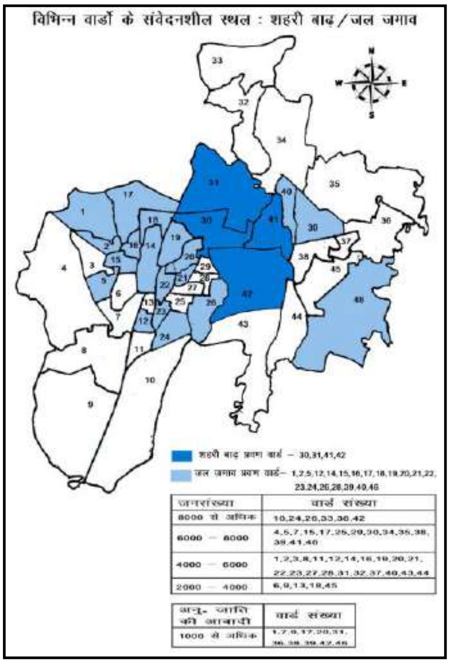

- वार्ड नं. 9 का सत्संग बिहार, मरंगा
- वार्ड नं. 11 में सिपाही टोला (मस्जिद के निकट)
- वार्ड नं. 31 में बाघमारा
- वार्ड नं. 34 में कसबा की ओर रेलवे लाईन के बगल में
- वार्ड नं. 35 में होसदा
- वार्ड नं. 41 में खुश्कीबाद
- वार्ड नं. 42 में माधोपुरा
- कारी कोशी नदी के निकट लालगंज

जल जमाव के प्रति संवदनशील इन निचले इलाको के अतिरिक्त अपेक्षतया ऊँची समतल जमीन की बसावटों के बीच भी प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क तथा अन्य सड़कों के दोनों ओर अब तक लगभग 37.72 कि॰मी॰ पक्की नाली तथा 22 कि॰मी॰ कच्ची नालियों का निर्माण कराया गया है। (स्त्रोत–सिटी डेवलपमेंट प्लान) इसमें अनेकों प्रकार के अवरोध हैं। खासकर कल्भर्ट के निकट तथा बाजार क्षेत्र में दुकानों की सीढ़िया के नीचे अवस्थित नाला अक्सर अवरूद्ध हो जाता है।

कच्ची नालियों का अतिक्रमण तथा ठोस कचरा/घरेलू मलवा इन कच्ची नालियों में फेंकने के कारण प्राकृतिक जल बहाव मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। नतीजतन इन नालो से होकर बहने वाला पानी नीचे न जाकर आस–पास के घर–आंगन, खेत–बारी आर गली–सड़क पर फैल कर जल जमाव का रूपधारण कर लेता है। वर्षा काल में वार्ड नं. 1,2,5,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,39,40,41,42 और 46 के कुछ सड़कों के अनुदिश यह स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप इन इलाकों में बसे नागरिको का जोवन कठिनाईयो से भर जाता है। पेय जल की समस्या, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, आवागमन में परेशानी घरों में रखे समान की सुरक्षा जरूरी दस्तावेज की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4.2.5 अग्नि संवेदनशीलता :– पूर्णिया शहर के वार्ड संख्या 9 में अवस्थित 'इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट सेंटर मरंगा में जूट, प्लाई बार्ड निर्माण, पेपर निर्माण, प्रिटिंग प्रेस इत्यादि इकाईयों सहित खाद्य प्रसंस्करण के 27 उद्योग एवं अन्य इलाकों में अवस्थित कई जूट एवं पटुआ के गोदाम आरा मशीन अग्नि के प्रति अति संवदेनशील इकाईयाँ ह। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप तथा गैस गोदाम विशेष रूप से संवेदनशील है।

उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त वैसे भवन तथा आधारभूत संरचनाएँ जहाँ बिजली के तार अव्यवस्थित हो, उचित विद्युत अर्थिंग का अभाव, बिजली का उपयोग लोडिंग क्षमता से ज्यादा हो तथा बिजली बोर्ड का पैनल सार्वजनिक रूप से खुला हो वैसे भवन अति संवेदनशील श्रेणी में है।

एच.पी.सी.एल. ने संयंत्र रिसाव सहित छः प्रकार की संभावित आपदा स्थितियों की पहचान की गयी है। इसके अलावा सुरक्षा उपायों के विरूद्ध कानूनी अनुपालन के लिए 15 मदों की पहचान की गयी है। संभावित आपदा की स्थिति में प्लांट में गैस रिसाव, अगलगी तथा विस्फोट की संभावना हमेशा रहेगी। दुर्घटना की संभावना की स्थिति में नजदीकी संस्थान यथा आई.टी.आई., पोल्ट्री फीट कारखाना, आवासन तथा लगभग 26,000 जनसंख्या का ध्यान रखना होगा। वर्तमान में प्लांट–प्रबंधक तथा जिला प्रशासन के बोच 'ऑफ साईट' समझौता की जरूरत है। ऐसा करने से पुलिस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस सेवा, चिकित्सा सेवा, एस.डी.आर.एफ. के साथ संयुक्त अभ्यास किया जा सकेगा। ऐसी आवश्यकता L3 के आपदा की स्थिति में होगो।

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अध्याय IV के निमय 15 के आलोक में निम्नश्रेणी के भवनों को संवदेनशील मानते हुये उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करने तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र/अनापति प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। इसे निम्नश्रेणियों मं विभक्त किया गया है।

श्रेणी (1) – सभी श्रेणी के बहुमजिले भवन (15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले) अथवा भूतल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर (किसी भी तल)

श्रेणी (2) – विशिष्ट भवन जैसे होटल, शैक्षिक, सांख्यिक वाणिज्यिक, मर्केन्टाईल, औद्योगिक, भंडारण जोखिम वाला भवन तथा मिश्रित अधिभोग वाले भवन जहाँ इस प्रकार के भवनों में से किसी भी भवन के किसी एक या अधिकतल के फर्शो का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो।

श्रेणी (3) – शैक्षणिक, सांख्यिक भवन जिसकी उँचाई 9 मीटर या इससे अधिक हो।

श्रेणी (4) – सभी सभा भवन।

श्रेणी (5) – भवन जिसके किसी तल पर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र सभा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या चिह्नित हो।

श्रेणी (6) – दो या दो से अधिक तहखाना (बेसमेंट) वाले भवन अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का एक तहखाना भवन।

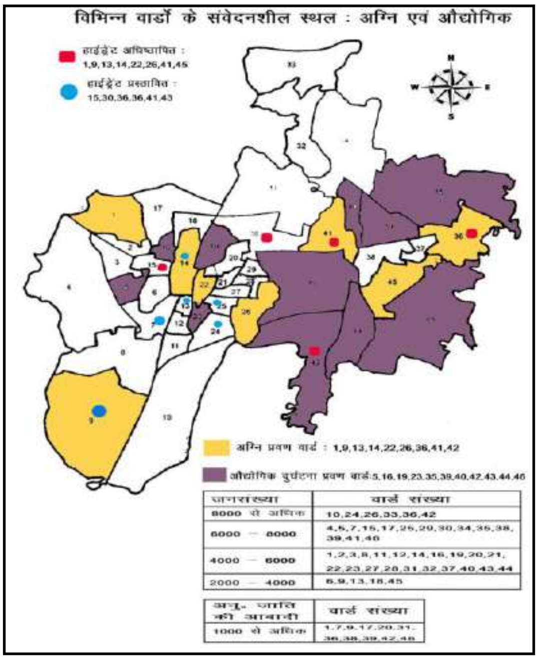

विभिन्न स्तरों पर हुई चर्चा तथा जिला अग्निशमन पदाधिकारी से हुई वार्ता के आधार पर शहरी क्षेत्र में अगलगी के दृष्टिकोण से औद्योगिक क्षेत्र (बियाडा), मरंगा, गुलाब बाग, भट्टा बाजार, मधुबनी बाजार, शहर के बड़े शो रूम तथा पेट्रोल पंप तथा 34 वार्डो में अवस्थित छोटी–बड़ी मलिन बस्तियाँ काफी संवेदनशील है। विगत वर्षों में हुई अगलगी में संपत्ति तथा पशुधन की सर्वाधिक क्षति हुई। संपूर्ण शहर के अगलगी की घटना से संबंधित आंकड़े बताते है कि जहाँ विगत 10 वर्षो में मनुष्यों की मृतकों की संख्या सिर्फ 5 रही है, वहीं 3748 पशुधन की सर्वाधिक क्षति हुई। पशुधन मे गाय, बाछी, बकरी, मुर्गी तथा चूजे शामिल है। जिले में इन वर्षो में 51 करोड़ 49 लाख 69 हजार 900 सौ रूपये की संपत्ति की क्षति हुई। मलिन बस्तियों में 12 मासी सड़क संपर्क नहीं रहने के कारण आग लग जाने पर इसे बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र ले जाना लगभग असंभव हो जाता है। इसके कारण

अग्नि की भयावहता विकराल रूप धारण करती है और जान–माल की क्षति का जोखिम कई गुणा बढ़ जाता है।

शहरी क्षेत्रों में संभावित आग लगने के कारण एवं संवेदनशीलता के निम्नलिखित स्थल हो सकते है :–

- शादी, सभा या धार्मिक उत्सव वाले पंडाल
- घर/शॉपिग मॉल/बहुमंजिली इमारत
- कार्यालयों के रिकॉड रूम
- पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. सिलेंडर का गोदाम
- एल.पी.जी./पेट्रोल/डीजल/ज्वलनशील गैस ले जाने वाली गाड़ियाँ
- एल.पी.जी. सिलेंडर के बॉटलिंग प्लांट और पेट्रोलियम उत्पाद रखने वाले गोदाम
- ज्वलनशील गैस रखने वाले प्लांट/ कारखाने/ कोल्ड स्टोरज
- अधिक जनसंख्या घनत्व वाली जगहे
- झुग्गी–झोपड़ी (स्लम क्षेत्र)
- कारखाने

जिला अग्निशामालय ने कुछ संवेदनशील जगहों को चिह्नित किया है जहाँ वर्तमान में उपलब्ध हाईड्रेंट के अतिरिक्त जलश्रोत तैयार करने की आवश्यकता होगी ताकि अगलगी के समय आसानी से कम दूरी पर तथा त्वरित ढंग से आग बुझाने की प्रक्रिया चालू की जा सकेगी। बिहार अग्निशमन सेवा मुख्यालय, बिहार, पटना के आदेशानुसार समय–समय पर पेट्रोल पंप, बड़ी दुकान एवं मॉल में 'फायर सेफ्टी आडिट' करायी गयी है, परंतु यह पाया गया है कि अधिकांशतः मालिक अथवा उससे जुड़े प्रबंधक द्वारा पुर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिन जगहों पर नये हाईड्रेंट की आवश्यकता है वह निम्नवत है :–

सारणी – 4.12 नये हाईड्रेंट की आवश्यकता :

स्थल	वार्ड सं.	कारण
मधुबनी बाजार	15	घनी आबादी के कारण
बाजार समिति गुलाब बाग	36	मार्केटिंग हब
खुश्की बाग	41	फलमंडी एवं अन्य का भंडारण
बेलौरी	43	घनी आबादी एवं मार्केटिंग
रामबाग चौक	30	घनी आबादी एवं मार्केटिंग

4.2.6 स्कूल संवेदनशीलता:–विद्यालयों में पठन पाठन काल में आकस्मिक आपदा घटित होने पर स्कूल भवन, स्कूली बच्चे तथा स्कूल में उपस्थित शिक्षक एवं अन्य कर्मी उस आपदा के प्रति काफी संवेदनशील रहते है।

सारणी – 4.13 स्कूलों में नामांकित बच्चों की सूची :

क्र.सं.	विद्यालय के प्रकार	नामांकित
1	2	3
1	प्राथमिक	27544
2	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक	40884
3	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	10617
4	केवल उच्च प्राथमिक (समाज कल्याण विभाग)	115
5	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	273
6	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक	7399
7	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक	415
8	केवल माध्यमिक	171
9	मदरसा	2975
	कुल जोड़	**90393**

स्त्रोतः बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णिया संभाग

4.2.7 स्वास्थ्य एवं अस्पताल संवेदनशीलता :– नव निर्मित राज्य की चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास आपात स्थिति से निपटने के लिये (यथा आग, भूकम्प आदि) स्वयं का आपदा प्रबंधन हो। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट है कि मौसमी बोमारी के अतिरिक्त कोविड–19 वायरस की वजह से पूरा शहर संवेदनशील है। इससे निपटने हेतु सरकार तथा

समुदाय को सचेत रहने की आवश्यकता होगी। सरकार की ओर से अनवरत प्रयास किया जा रहा है कि चिकित्सा हेतु विभिन्न स्तरों पर मानव बल की संख्या बढ़ाई जाये परंतु फिलहाल हर स्तर पर कमी की वजह से स्वास्थ्य प्रशासन पर असर पड़ा है। निम्न सारणी से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

सारणी – 4.14 सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध मानव संसाधन (18.02.2022 तक)

	मेडिकल ऑफिसर		नर्सिंग स्टाफ		एएनएम		सहायक कर्मचारी	
स्वास्थ सुविधा उपलब्धता	**स्वीकृत**	**वास्तविक (नियमित तथा संविदा)**	**स्वीकृत**	**वास्तविक (नियमित तथा संविदा)**	**स्वीकृत**	**वास्तविक (नियमित तथा संविदा)**	**स्वीकृत**	**वास्तविक (नियमित तथा संविदा)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
सदर अस्पताल	73	39	100	76	15	15	168	80
अन्य – प्रा.स्वा.केंद्र., एस.डी.एच.,सी.एच.सी., आर.एच.(अमौर,रूपौली)	411	238	248	108	100	84	726	286
कुल	**484**	**277**	**348**	**184**	**115**	**99**	**894**	**366**

स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य समिति के आंकड़े पर आधारित, पूर्णिया

4.2.8 सड़क दुर्घटना : पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्नांकित स्थलों को हॉट स्पॉट चिह्नित किया गया है –

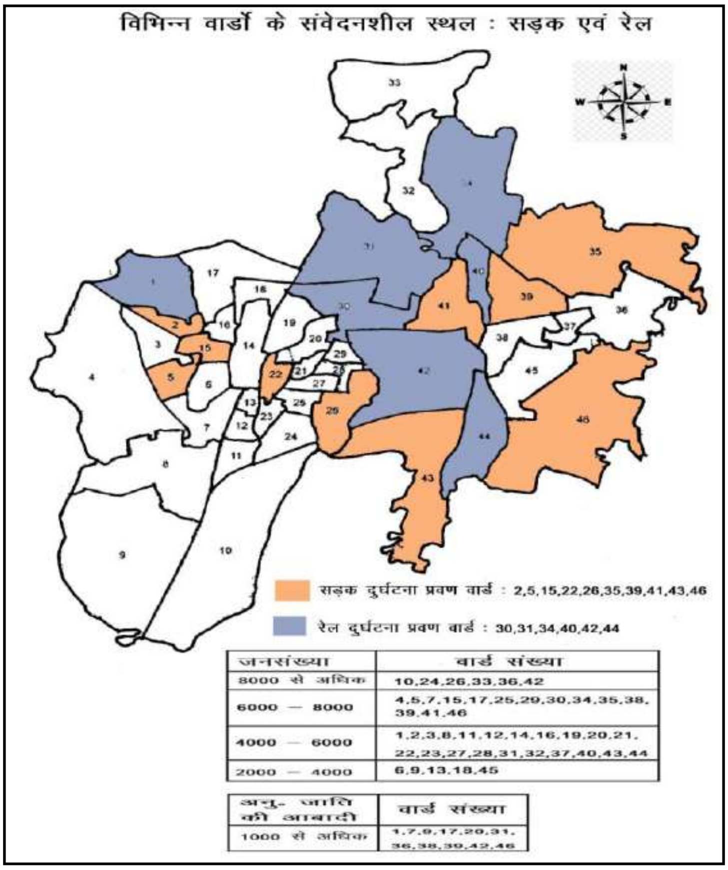

- सदर मुख्यालय में बलौरी बाईपास (0–1 कि॰मी॰, एन.एच.–31)
- मरंगा में हरहा के समीप (0–1 कि॰मी॰, एन.एच.–31)
- सदर प्रखंड में दमका चौक (400 मी॰, एन.एच.–31)
- के. हाट मरंगा में फरियानी चौक (500 मी॰, एन.एच.–31)
- सदर प्रखंड गुण्डा चौक (400 मी॰, एन.एच.–31)
- सदर मुख्यालय दीवान गंज चौक (600 मी॰, एन.एच.–31)
- सदर प्रखंड गुलाब बाग 0 माईल (0–1 कि॰मी॰, एन.एच.–31)
- सदर प्रखंड कप्तान पुल के पास (600 मी॰, एन.एच.–31)
- सदर प्रखंड़ ऋद्धि सिद्धी पेट्रोल पंप (600 मी॰, एन.एच.–31)
- के. हाट पंचमुखी मंदिर (600 मी॰, एन.एच.–31)
- के हाट मरंगा मेवा लाल चौक (600 मी॰, एन.एच.–31)

4.3 क्षमता विश्लेषण :– जोखिम न्यूनीकरण तथा L_1 स्तर की आपदा का सफलता पूर्वक सामना करने के लिए पूर्णिया नगर निगम तथा पूर्णिया नगर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो में संलग्न आम जन को शिक्षा, चिकित्सा, वाणिज्य, औद्योगिकरण, पर्यावरण संरक्षण, परिवहन, सड़क यातायात, प्रकाश व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निस्सरण, स्वचछता एवं सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि सार्वजनिक सेवाओं के लिए सरकारो विभागों के पास उपलब्ध प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधनों का ब्योरा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org के विषय पंक्ति, our activities ds drop down menu में training कॉलम पर देखा जा सकता है।

- यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी स्तर से किये गये प्रयासो की वजह से सभी जिलों में स्कूलों के शिक्षक तथा छात्र–छात्राएँ, मॉकड्रिल के माध्यम से भूकम्प तथा आग से बचने के विभिन्न तरीकों से परिचित हो चूके है।

  बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के सयुंक्त प्रयास से पूर्णिया के शहरी स्कूलों में 257 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही 10 शिक्षक मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त है। कोरोना संक्रमण काल में दूरदर्शन, वेविनार तथा यू–ट्यूब पर सैद्धानितक तथा व्यावहारिक कार्यक्रम के माध्यम से अनवरत कार्यक्रम चलाये गये हैं। स्कूल हमारे समाज निर्माण का अभिन्न हिस्सा है अतः शिक्षा विभाग को भी इन तैयारियों में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

  एच.पी.सी.एल. ने संभावित खतरे की दृष्टि से सभी यंत्र चालु हालत में रखा है। चार घंटे तक लगातार भंडारित जल से 'वाटर फॉग' बनाये रखने की क्षमता है ताकि गैसलीक को रोका जा सके। 300 किलो सूखा पावडर तथा वाटर टैंकर उपलब्ध है। दिनांक 28.01.2021 को पुनरासर जुट पार्क लि० में लगी भीषण आग में एच.पी.सी.एल. ने लगभग 250 टैंकर की मात्रा में पानी उपलब्ध कराया था।

- शहरी क्षेत्र में हो रही बढ़ोत्तरी (जनसंख्या, घनत्व, भवन, वाणिज्यिक) तथा अग्निशामानालय पर बढ़ने वाली भार को देखते हुए वर्तमान क्षमता में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है। यह आवश्कता मानव तथा यांत्रिक, दोनों संसाधनों में है। यह नीचे की सारणी से स्पष्ट है।

सारणी – 4.15 फायर सर्विस में स्वीकृत पद एवं वर्तमान में कार्यरत बल :

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पदा./कर्मचारी	रिक्त
1	स्टेशन ऑफिसर	5	1	4
2	स्टेशन सब–ऑफिसर	5	4	1
3	प्रधान अग्निक	11	3	8
4	प्रधान अग्निक चालक	11	0	11
5	अग्निक	88	30	58
6	अग्निक चालक	19	22	–
	कुल	**139**	**60**	**82**

स्त्रोतः जिला अग्निशामालय

जहाँ तक आग लगने की घटना से निपटने हेतु फायर टेंडर एवं उसकी जल क्षमता की उपलब्धता की बात है तो शहर में 2 बड़ी वाटर टेंडर वाहन तथा 5 मिसटेक्नौलॉजी छोटी वाहन (पूरे जिले में 19 गाड़ियाँ) उपलब्ध है। बड़े स्तर की अगलगी में जरूरत पड़ने पर शहर में उपलब्ध फायर टेंडर के अतिरिक्त सबसे नजदीक स्थल वायसी से 5 गाड़ियों की सुविधा ली जा सकती है। दोनों बड़ी गाड़ियाँ काफी पुरानी है जो नीचे की सारणी से स्पष्ट है।

सारणी – 4.16 शहर में उपलब्ध अग्निशमन गाड़ी तथा जल क्षमता :

क्र.सं.	गाड़ी का प्रकार	संख्या	जल क्षमता	मॉडल
1	वाटर टेंडर (बड़ी वाहन)	2	4500 ली॰	10–15 वर्ष
2	मिसटेक्नोलॉजी (छोटी वाहन)	5	300 ली॰ पानी 50 ली॰ फोम	सही अवस्था

स्त्रोतः जिला अग्निशामालय

इसके अतिरिक्त इस योजना में पूर्णिया शहर में अग्निशमन हेतु स्थापित हाईड्रेंट की अग्निशमन कार्यालय से दूरी को दर्शाया गया है ताकि आपात की स्थिति में सबसे नजदीक के हाईड्रेंट से त्वरित सेवा ली जो सके।

सारणी – 4.17 स्थापित हाईड्रेंट की अग्निशमानालय से दूरी :

क्र.सं.	स्थापित हाईड्रेंट	वार्ड सं.	दूरी (कि.मी.)
1	बियाडा एच.पी. प्लांट (निजी)	9	4
2	पारस होटल भट्टा बाजार (निजी)	24	3
3	अग्निशामालय, पूर्णिया (सरकारी)	7	0
4	फोर्ड कंपनी चौक पी.एच.ई.डी. (सरकारी	13	3
5	नगर निगम (सरकारी)	14	2.5
6	हिन्दुस्तान मीडिया बियाडा (निजी)	9	4
7	डॉ. अरविंद कुमार (निजी)	28	5

स्त्रोतः जिला अग्निशामालय

सारणी –4.18 शहर में उपलब्ध मानव संसाधन :

क्र.सं.	मानव संसाधन का ब्योरा	संख्या
1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त कर्मी	9
2	जिला आपूर्ति शाखा में पदास्थापित पदाधिकारी	1
3	वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्णिया के पदाधिकारी	1
4	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल पूर्णिया के पदाधिकारी	5
5	वार्ड पार्षद	46
6	नगर निगम कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मी	70
7	शिक्षा विभाग के पदाधिकारी	2
8	प्रशिक्षित शिक्षक(स्कूल) मास्टर ट्रेनर	10
9	शहर में उपलब्ध मुख्य चिकित्सक	21
10	पथ निर्माण के पदाधिकारी	12
11	जिला अग्निशमन कार्यालय पदाधिकारी	03
12	भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी	8
13	शिक्षा विभाग के पदाधिकारी	2

स्त्रोतः विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित

सारणी – 4.19 शहर में उपलब्ध भौतिक संसाधन सूची :

क्र.सं.	संसाधन का ब्योरा	संख्या	विवरण
1	2	3	4
1	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध भौतिक संसाधन	3	बेसिक फोन (06454–242319), कम्प्युटर, सीसीटीवी कैमरा
2	ऊँचे शरण स्थलों पर हैलीपैड का विवरण	3	राजकीय पोलिटेकनिक मैदान, रंगभूमी मैदान, पुरानी हवाई अड्डा (कोट स्टेशन)
3	नगर निगम में उपलब्ध यांत्रिक संसाधन	13	अनुलग्नक–4
4	अग्निशमन यांत्रिक संसाधन	7	सारणी : 4.16

5	नगर में हाईड्रेंट की संख्या	7	सारणी : 4.17
6	रेडियो / ट्राजिस्टर धारक नागरिक	12424	जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 2011
7	इंटरनेट सहित कम्प्यूटर लैपटॉप की संख्या	2015	
8	लैंड लाईन फोन	1013	
9	मोबाइल फोन	29251	
11	साईकिल, मोटर साईकित एवं स्कूटर	40797	
12	नगर निगम क्षेत्र में प्रधान मुख्य सड़क एवं मुख्य सड़का की सं०	48	अध्याय–2 सारणी–2.18
13	कार,जीप, भैन	2785	BSDRN पोर्टल

स्त्रोतः विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित

सारणी – 4.20 वार्डो में उपलब्ध भौतिक एवं यांत्रिक संसाधन :

कुल वार्डो की सं०	विद्यालय	महाविद्यालय	अस्पताल	अन्य सरकारी भवन	ऊँचा चबुतरा	जनवितरण दुकान	मिड डे मील केन्द्र	जे.सी.बी.	ट्रैक्टर ट्रेलर	टेन्ट हाउस
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
46	115	10	12	38	11	101	30	26	165	65

स्त्रोतः फिल्ड नोट्स पर आधारित

सारणी – 4.21 वार्ड में उपलब्ध मानव संसाधन :

कुल वार्डो की सं०	डॉक्टर	भूतपूर्व सैनिक	शिक्षक	नल मिस्त्री	बिजली मिस्त्री	नर्स	राज मिस्त्री	एन.सी.सी.	मैकेनिक	आशा कार्यकर्त्ता	आंगनवाड़ी सेविका	विकास मित्र
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
46	178	136	631	105	149	68	279	69	241	74	144	25

(स्त्रोतः फिल्ड नोट्स पर आधारित)

4.3.1 चिकित्सा अंतः संरचना : पूर्णिया प्रमंडल के लिए एक अच्छी खबर है कि इस वर्ष 2022 से पूर्णिया शहर में सदर अस्पताल की जगह पूर्ण विकसित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण हुआ है जिसके कारण विशेष तथा सामान्य चिकित्सा के साथ–साथ पैथोलोजिकल जाँच संभव हा सकेगा जो बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने का द्योतक है।

सारणी – 4.22 पूर्णियाँ में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधायें :

क्र.सं.	सुविधाओ का नाम	संख्या
1	**2**	**3**
1	सदर अस्पताल	1
2	गैर सरकारी नर्सिंग होम	52
3	मुख्य चिकित्सक	21
4	चिकित्सक एवं कर्मी	162
5	एक्स–रे संस्था	6
6	अल्ट्रासाउंड संस्था	85
7	पथौलॉजी संस्था	159
8	ब्लड बैंक	4
9	कोविड सेन्टर	2
10	उपलब्ध अतिरिक्त बेड की संख्या	10
11	उपलब्ध आई०सी०यू० की संख्या	5
12	उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या	15

स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य समिति के आंकड़े पर आधारित, पूर्णिया

सारणी 4.23 सदर अस्पताल पूर्णियाँ में संसाधन की उपलब्धता :

क्र.सं.	संसाधन उपलब्धता	संख्या
1	2	3
1	बेड की संख्या	300
2	वार्षिक भरती मरीजों की संख्या (औसत)	68750
3	उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या	37
4	उपलब्ध पारा मेडिकल स्टॉफ की संख्या	90
5	कार्यरत एम्बुलेंस की संख्या	6
6	कार्यरत शव वाहन की संख्या	1
7	मोर्चुरी में शल रखने की क्षमता	5

स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य समिति के आंकड़े पर आधारित, पूर्णिया

कोविड–19 के दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए बिहार सरकार तथा प्रधानमंत्री केयर फंड के सहयोग से पर्याप्त संख्या में पी.एस.ए. ऑक्सीजन प्लांट (कुल 4 स्थापित) लगे होने से ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी।

सारणी – 4.24 सरकारी अस्पतालों में कोविड–19 संबंधित उपकरण सुविधा (18.02.2022 तक)

स्वास्थ सुविधा उपलब्धता	गहन देखभाल इकाई (आई.सी.यु.)			सामान्य बेड			ऑक्सीजन संबंधित						एंबुलेंस		
	वेंटिलेटर की सं॰	आई.सी.यु. बेड		बिना ऑक्सीजन बेडों की सं॰	ऑक्सीजन सिलिंडर युक्त बेडों की सं॰	ऑक्सीजन पाईप लाईन युक्त बेडों की सं॰	बी–टाईप ऑक्सीजन सिलिंडर की सं॰	डी–टाईप ऑक्सीजन सिलिंडर की सं॰	ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर की सं॰	पीएसए प्लांट की सं॰			बुनियादी सुविधा युक्त	आधुनिक सुविधा युक्त	शव वाहन की सं॰
		वयस्क	शिशु							स्वीकृत	निर्माणाधीन	क्रियाशील			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
सदर अस्पताल	5	5	0	0	0	300	197	93	62	2	0	2	4	2	1
प्रखंडों में	0	0	0	233	249	116	277	45	39	2	0	2	14	0	0
कुल योग	**5**	**5**	**0**	**233**	**249**	**416**	**474**	**138**	**101**	**4**	**0**	**4**	**18**	**2**	**1**

स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य समिति के आंकड़े पर आधारित, पूर्णिया

इसके अतिरिक्त पूर्णिया शहर एक 'मेडिकल हब' के रूप में विकसित है जहाँ निजी अस्पताल, क्लिनिक, जाँच तथा एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है।

विदित हो कि पूर्णिया शहर में 'आउटडोर' इलाज हेतु पूर्णिया सिटी, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन, गुलाबबाग, माधवपाढ़ा, मधुबनी एवं मरंगा के समीप अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित है।

4.3.2 जन वितरण प्रणाली : प्रत्येक वार्ड में जनवितरण प्रणाली की दुकाने उपलब्ध है।

4.3.3 यातायात सुविधाये यथा ट्रक, बसे, ट्रैक्टर आदि उपलब्ध्ता : BSDRN पोर्टल पर उपलब्ध ।

4.3.4 खोज एवं बचाव हेतु जे.सी.बी. बुलडोजर, क्रेन इत्यादि : BSDRN पोर्टल पर उपलब्ध ।

4.3.5 नजदीकी NDRF और SDRF यूनिटो का विवरण –

- समादष्टा SDRF बिहटा, पटना के नियंत्रणाधीन जिला स्कूल पूर्णिया में SDRF की एक टीम स्थाई रूप से टीम कमांडर के नेतृत्व में प्रतिनियुक्त है। इसमें 2 SI, 33 कर्मी के साथ तथा एक ट्रक Tata 709 (BR-01 GD 3775 एक जिप्सी (BR-01PF 2688) एवं राहत एवं बचाव कार्य के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।
- बिहार सैन्य पुलिस बल की 8वीं बटालियन का मुख्यालय कटिहार में है।
- प्रशिक्षित पदाधिकारी, प्रोफेसनल्स तथा सामुदायिक संगठनों के स्वयंसेवको की विस्तृत सूची BSDRN पोर्टल पर उपलब्ध है।
- अग्निशमनालय पूर्णिया में 2 वाटर टेडर, 5 मिक्स टेक्नोलोजी की छोटी वाहन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 1 स्टेशन ऑफिसर, 1 सब–ऑफिसर, 10 अग्निक, 9 अग्निचालक, 2 गृह रक्षक चालक, 4 गृहरक्षक तथा 2 प्रतिनियुक्त गृहरक्षक प्रतिनियोजित है।
- **बचाव उपकरण** – पूर्णिया पूर्व अंचल में सरकारी नाव –2 (मरम्मति योग्य) एकरारित निजी नाव 2, उपलब्ध पालीथीन शीट्स 18108, खोज बचाव एवं राहत दल 11, चिन्हित शरण स्थल 3 है।

सिनेमा हॉल – जे.भी.आर., फोड कम्पनी चौक, पूर्णिया – 9431869520

रूपवानी मूवी सेंटर, आर.एन.साह चौक, पूर्णिया – 8409933848

पूर्णिया शहर में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से 32 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यह विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। ताकि आपदा समेत किसी भी अवसरों पर त्वरित कारवाइ करने में सहुलियत हो। विभिन्न स्थानों पर लगे सर्विलांस कैमरे का विवरण अनुलग्न–8 पर देखा जा सकता है।

भगदड़ के चार मूल कारक (FIST)

(Force) भीड़ का बल – संख्या आधारित।

(Infromation) सूचना – सही या गलत।

(Space) जगह – बैठने की, कॉरिडोर, निकास आदि।

(Time) समय – घटना का कार्यकाल।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कई तरह की आपदा की स्थितियों की पहचान की है। इसमें भीड़ प्रबंधन भी शामिल है। भगदड़ या किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए चार तंत्र विकसित किये जाने चाहिए–

पहला– पंजीकरण की व्यवस्था।

दूसरा– पुलिस एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत ।

तीसरा– मौक ड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूर्व अभ्यास।

चौथा– कार्य योजना का लिखित रूप में होना।

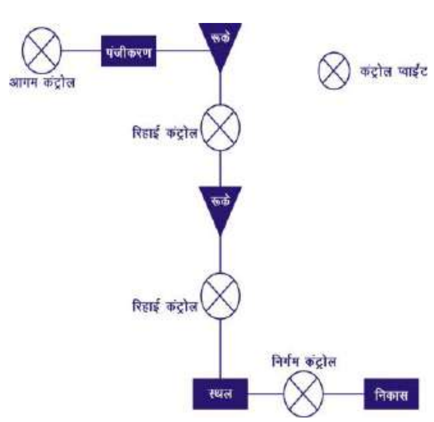

सारणी – 4.25 संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण :– (खतरा, संवेदनशील एवं जोखिम)

क्र. सं.	खतरा	प्रभावित वार्ड	संवेदनशील स्थल	संवेदनशील आबादी	जोखिम
1	2	3	4	5	6
1	भूकम्प	सभी वार्ड	सभी आवासीय मुहल्ला, व्यवसायिक, प्रशासनिक भवन स्कूल तथा अस्पताल	अर्द्ध स्थाई मकानों में रह रहे 13765 परिवार जो कुल होल्डिंग का 24.63 प्रतिशत है।	मकान के गिरने या ध्वस्त होने पर जान माल की हानि ।
2	अग्नि	1,14,22,35, 36,41,45	गिरिजा चौक, पार्वतो हाता मुहल्ला, ए.बी.सी. सिलेन्डर, पत्ता फैक्ट्री, आरामिल, प्लाई फैक्ट्री, जूट गोदाम तथा 29 वार्डो में स्थित 125 मलीन बस्तियाँ।	औद्योगिक क्षेत्र (बियाडा), मरंगा, गुलाब बाग, भट्टा बाजार, मधुबनी बाजार, शहर के बड़े शो रूम तथा पेट्रोल पंप तथा 34 वार्डो में अवस्थित छोटी –बड़ी मलिन बस्तियाँ काफी संवेदनशील है।	जीवन–मनुष्य एवं पशुधन तथा संपत्ति
3	शहरी बाढ़	30,31,41,42	सौरा नदी का दाया तट पर बाढ सुरक्षात्मक तटबंध है। प्रतिवर्ष इसमें पाइपिंग तथा सीपेज देखा गया है। बांये तट पर कोई तटबंध नहीं है। नया टोला से लेकर श्री राम टोला तक बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील इलाका है।	मुख्यतः सौरा नदी के तटपर बसी आबादी आम तौर पर इन वार्डो में रह रह 5834 परिवार जिनकी कुल आबादी 29078 है इसमें 4636 बच्चे भी हैं।	आवागमन एवं जीविका दैनिक दिन चर्चा में व्यवधान 'कोमॉरबिडीटी' होने पर चिकित्सा में व्यवधान, शैक्षणिक गतिविधि में रूकावट गर्भवती महिलाओं के लिए कठिन समय/जल जनित बोमारी।
4	जल जमाव	1,2,5,12,14, 15,16,17, 1819,20, 21,22,23, 24,26,28, 30,31,39, 40,41,42,46	सरस्वती नगर, शास्त्री नगर, हाउसिंग कॉलोनी, जयप्रकाश कॉलोनी, रेणु नगर, जे.पी. नगर, गुडू पोखर, पी.डब्ल्यू डी कॉलोनी, श्री राम टोला, कप्तान पाडा, शिव शक्ति नगर, शांति नगर, टीचर्स कॉलोनी, कोऑपरेटिव कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, मंगल कॉलोनी, आनंद नगर, पंचवटी कॉलोनी, शिव नगर, शशि नगर, बीबीगंज टोला, रामजी नगर, राम बाग, बंगाली टोला इत्यादि।	46 में 20 वार्डो में जल जमाव की समस्या अधिक रहती है। वर्षा का पानी निकास नाली अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त होने के कारण सीधे जमीन में सोखने तथा धूप से सूखने पर हटता है। इन वार्डो के 23695 परिवारों में रहने वाली 122169 (43. 28 प्रतिशत) आबादी को घोर कष्ट होता है।	आवागमन एवं जीविका दैनिक दिन चर्चा में व्यवधान 'कोमॉरबिडीटी' होने पर चिकित्सा में व्यवधान, शैक्षणिक गतिविधि में रूकावट गर्भवती महिलाओं के लिए कठिन समय/ जल जनित बोमारी।
5	•ठनका चक्रवाती तूफान/ तेज गति हवा, ओलावृष्टि ••गर्मी/लू •••शीतलहर	सभी वार्ड	• खुला मैदान, मलीन बस्ती, बिजली संयंत्र, पेड आदि । •• खुली सड़क, बस स्टैंड, घनी आबादी, स्कूल वाहन, मलीन बस्ती आदि। ••• मलीन बस्ती, खुला मैदान आदि।	• कच्ची सामग्रियो के मकानों में रहने वाले 11299 परिवार (21.8 प्रतिशत) के सदस्य। •• वृद्ध, स्कूली बच्चे, दैनिक मजदूर, गरीब आदि। ••• वृद्ध, खुले में सोने वाले मजदूर आदि।	मानव जीवन, अस्थाई छत, पेड़ पौधे, स्कूलों तथा अन्य काम के समय में परिवर्तन, अस्पताल में अतिरिक्त भार।

क्र. सं.	खतरा	प्रभावित वार्ड	संवेदनशील स्थल	संवेदनशील आबादी	जोखिम
1	2	3	4	5	6
6	भगदड	1,5,21,22, 24,26,30, 31,33,35	कमा धमा, सरहुल मेला, पनाही घाट, दुर्गा मंदिर, बाड़ी हाट, लक्ष्मी मंदिर	किसी एक स्थान पर एकत्रित होने वालों की संख्या अत्यधिक होने पर भगदड़ की संभावना बनती है। अनियंत्रित भीड़, आमतौर पर बाहरी तथा अन्जान व्यक्तियों के समूह का नतीजा होता है।	भगदड़ में कुचलकर घायल होने तथा मरने की संभावना रहती है।
7	औद्योगिक दुर्घटना	5,13,16,19, 23,35,39, 40,41,42, 43,44,45,46	पत्ता फैक्ट्री, प्लाई फैक्ट्री, बिस्कुल फैक्ट्री, आरा मिल, गैस गोदाम, फ्लावर मिल	औद्योगिक इकाईयों के काम करने वाले कामगार में मुख्य कर्मी 64539 तथा घरेलू उद्योग कर्मीयों की संख्या 2054 है। विभिन्न उद्योगो में सुरक्षा मानको की अनदेखी के कारण होने वाली दुर्घटना की चपेट में यहाँ कार्यरत कर्मी आ जाते है।	मृत्यु, घायल एवं संपति की क्षति।
8	सड़क दुर्घटना	1,2,5,15, 22,26,30, 31,35,39, 40,41,43, 44,46	गुडू पोखर चौक, मंडोली चौक से काली स्थान तक सिपाही टोला, शास्त्री नगर, नवरत्न हाता	शहर में 113 कि॰मी॰ प्रधान मुख्य सड़क तथा मुख्य सड़क निर्मित है। इन पर काफी तेज गति से ट्रक, बस, जीप, कार, स्कूटर, मोटर साइकिल तथा टैक्टर चलता है। इसी सड़क पर पैदल, रिक्सा तथा साइकिल सवार भी चलते हैं। कई बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी या उल्लंघन के कारण दुर्घटनाये होती रहती है। नागरिक सड़क दुर्घटना के लिए संवेदनशील है।	सड़क दुर्घटना में जान–माल का नुकसान होता है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनो के अनुपयोगी होने तथा चालक सवार एवं सड़क पर चल रहे पदयात्री, साइकिल यात्री या वाहन चालक की मृत्यु तथा घायल होने का जोखिम रहता है।
9	रेल दुर्घटना	1,30,31,34, 39,40,42,44	रेलवे गुमटी	पूर्णिया शहर से गुजरने वाली रेल मार्गो पर 8 जगहों पर लेभल रोड क्रांसिग के फाटक है। जहाँ यदा–कदा दुर्घटना की चपेट में आ जाते है।	मनुष्य एवं पालतु पशुओ की मृत्यु तथा घायल होने की संभावना ।
10	कोरोना महामारी	सभी वार्ड	भीड़–भाड़, बाजार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि।	अधिकांश घनी बासावट वाले मलिन बस्ती	मानव जीवन टी.बी., एच.आई.वी.एड्स, एन्ट्रोकोलाईटिस

स्त्रोत : फील्ड नोट्स एवं अन्य स्त्रोत

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 5

संस्थागत व्यवस्था

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

5.1 नगर निगम की संरचना :— भारतीय संविधान के 74वीं संशोधन के अनुरूप 'स्थानीय स्वशासन' के लिये शहरी स्थानीय निकाय के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम—2022 को मुर्त्त रूप दिया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015—30 में सुरक्षित शहर को कल्पना की है। अतः नगरीय स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पाँडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नगर निगम की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम होगें। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक चेतावनी, सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में प्रमुख भूमिका वहन करेगें।

5.1.1 उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार निम्न समितियाँ क्रियाशील होगी । इसके सदस्य वार्डो के चुने हुऐ पार्षद हागे। इन्हीं के निदेशन में नगर निगम अपने कृत्यों का संपादन करेगी।

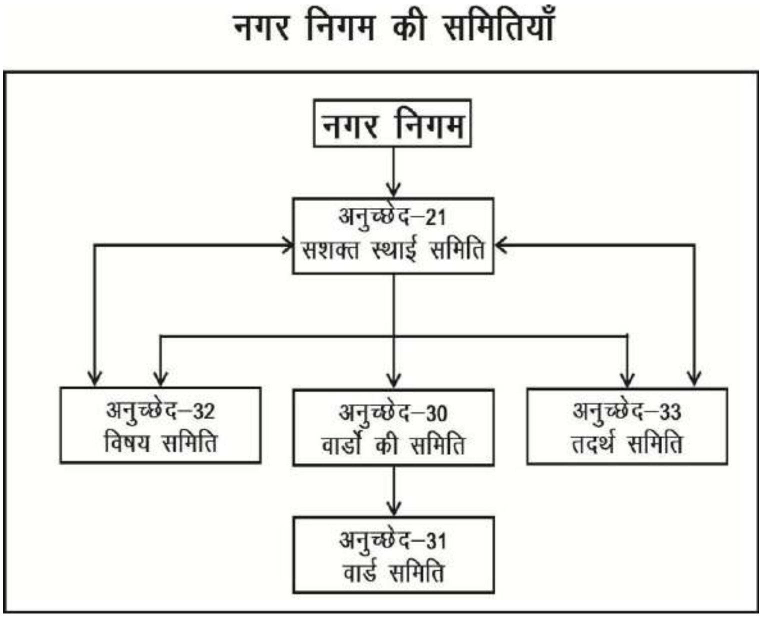

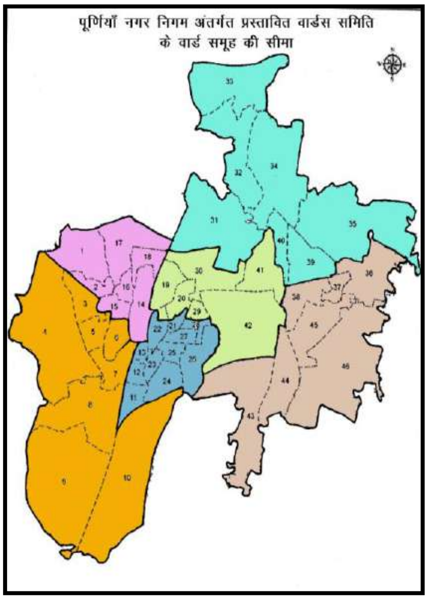

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 30 के आलोक में प्रस्तावित पूर्णियाँ नगर निगम की वार्डो की समिति :

क्र. सं.	वार्डो की समिति	वार्ड समूह	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की सं०	अनु०जनजाति की सं०	परिवार की संख्या	मलिन बस्तियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्णियां उत्तर पूर्वी	31,32,33,34, 35,39,40	48638	4181	5599	8929	38
2	पूर्णियां दक्षिण पूर्वी	36,37,38,43, 44,45,46	43479	7004	3341	8164	17
3	पूर्णियां उत्तर पश्चिमी	1,2,14,15,16, 17,18	39370	3675	654	7518	8
4	पूर्णियां दक्षिण पश्चिमी	3,4,5,6,7,8,9, 10	44672	6119	1650	8655	29
5	पूर्णियां उत्तरी मध्य	11,12,13,21,22, 23,24,25,27,28	55937	1589	877	10897	17
6	पूर्णियां दक्षिणी मध्य	19,20,26,29, 30,41,42	50152	5196	2542	9895	16
		कुल योग	**282248**	**27764**	**14663**	**54058**	**125**

उपरोक्त सभी समितियों के अंतर्गत समूहबद्ध वार्डो के पार्षद अपने बीच से एक–एक सभापति निर्वाचित करेगें जो सशक्त स्थाई समिति के सदस्य नहीं हों ।

वार्ड समूह की सभी समितियां, सशक्त स्थाई समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन, वार्डो के समूह की स्थानीय सीमाओ के अंतर्गत परिसरो के संभरण, पाईपों एवं जल निकासी एवं मल निकासी संयोजनों, वर्षा के कारण या अन्यथा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जमा जल का निकासी, ठोस अपशिष्टों के संग्रह और हटाय जाने, विसंक्रमण के उपबंध, स्वास्थ्य परीक्षण सेवाओं तथा गंदी बस्ती सेवाओं के उपबंध, रोशनी की व्यवस्था, कोटि 4 एवं कोटि 5 की सड़कों की मरम्मति, पार्कों, नालियों और गलियों का रख रखाव का कार्य सशक्त समिति द्वारा समय–समय पर अवधरित विनियमावली के अनुरूप करेगी।

5.1.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 32 एवं 41 के आलोक में नगर निगम पूर्णिया, आपदा प्रबंधन से जुड़े अपने विभिन्न दायित्वों एवं कृत्यों का बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 का अनुच्छेद 47 (5) क तथा 361 द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के साथ निम्न संस्थागत स्वरूप में निर्वहन करेगी।

नगर निगम के पदाधिकारियों की भूमिका

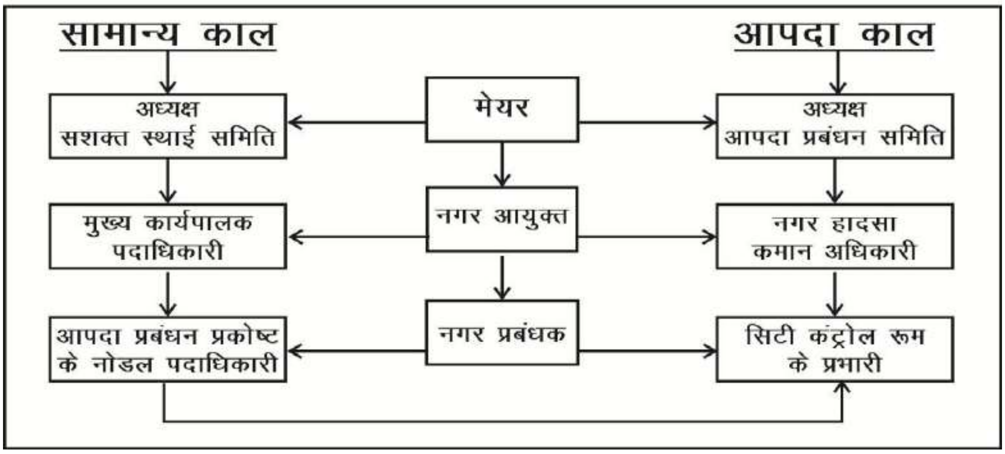

नगर निगम का कार्य

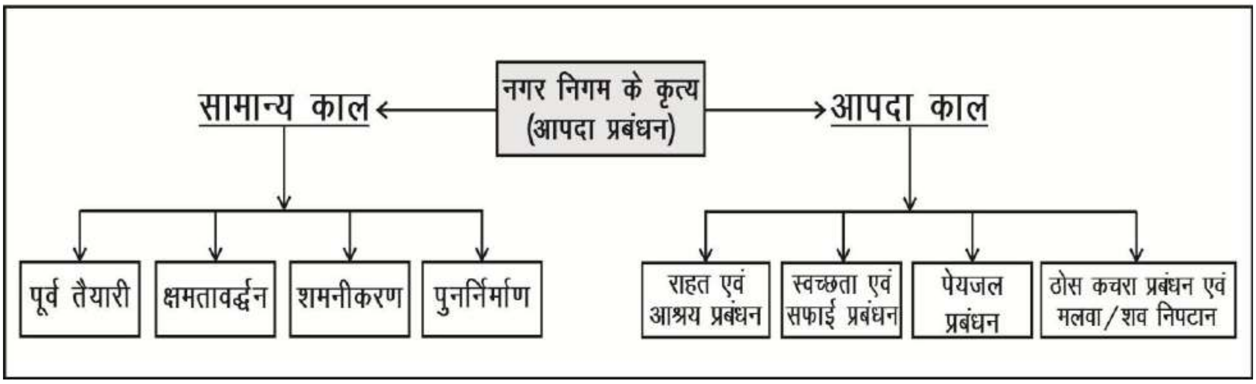

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 32 के अनुसार भी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार (नगर निगम) की अपने क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1388 दि॰ 24.07.2004 / 1004 दि॰ 08.07.2005, 2016 दि॰ 14.08.2006 एवं 3883 दि॰ 11.12. 2007 के आलोक म गठित जिला, नगर निगम तथा वार्ड स्तर पर गठित बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का दायित्व निर्धारित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद–20 में नगरपालिका के अधिकार प्रदत्त पदाधिकारियो को चिन्हित किया गया है तथा इस हेतु नगर निगम में निम्नवत संस्थागत व्यवस्था की गयी है :–

5.1.3 संप्रति नगर निगम पूर्णिया के पदाधिकारियों/कर्मियो के स्वीकृत पद के अनुसार संस्थागत स्वरूप निम्नवत हैः–

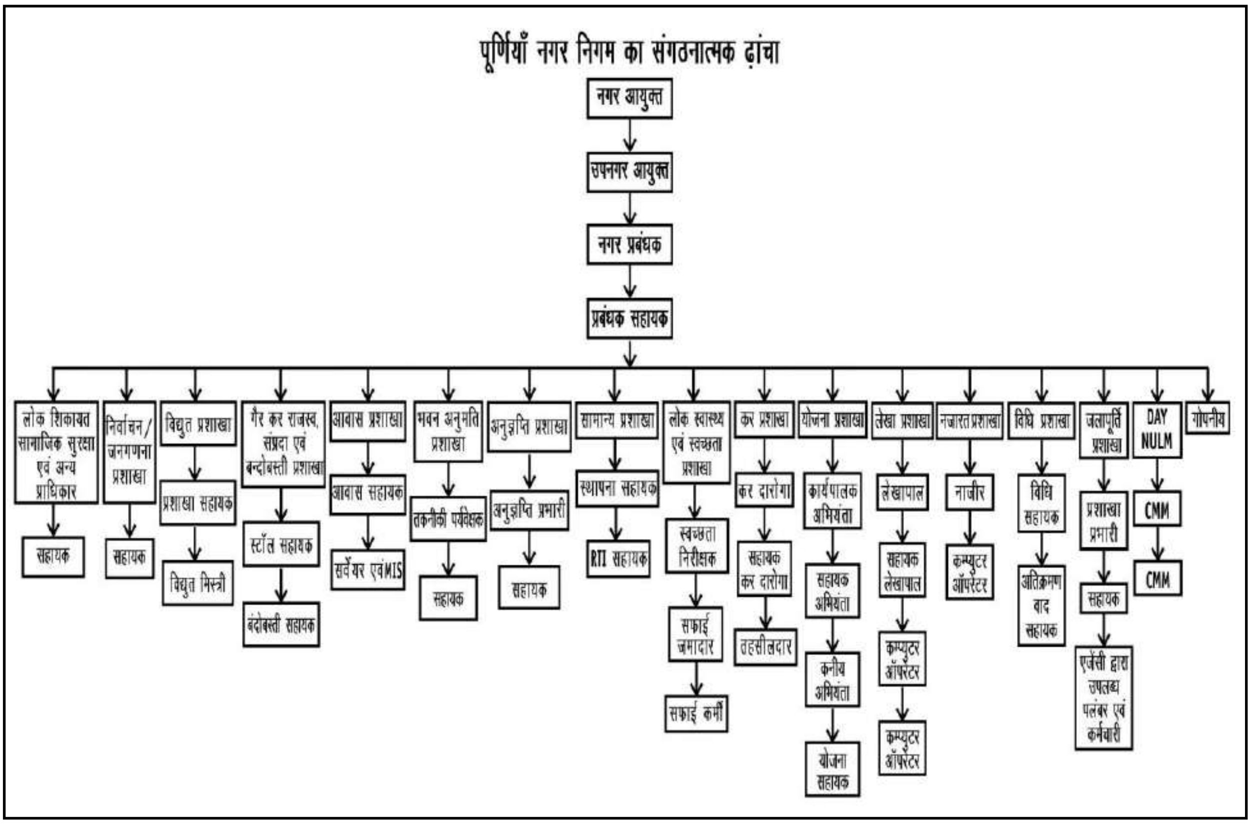

नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता मेयर करेगें। अनुच्छेद–21 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति में मेयर, उप–मेयर तथा सात अन्य वार्ड सदस्य होगें। अनुच्छेद–22 के अनुसार नगर निगम के सभी कार्यकारी शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित होगें जो नगर निगम के लिए उत्तरदायी होगा।

5.2 मुख्य संस्थागत ढांचा :– पूर्णिया जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। यहाँ जिला सड़क सुरक्षा समिति भी गठित है। जिले में आपदा प्रबंधन कोषांग समाहरणालय भवन में अवस्थित है।

5.2.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :– आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभो 38 जिलों में (पूर्णिया सहित) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

- जिलाधिकारी – पदेन अध्यक्ष
- जिला परिषद् के अध्यक्ष – सह अध्यक्ष
- पुलिस अधीक्षक – सदस्य
- उपविकास आयुक्त – सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य
- वरीय अपर समाहर्ता – सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- जिला में वरीयतम अभियंता – सदस्य

प्रमुख दूरभाष

- जिलाधिकारी नियंत्रण कक्ष – 06454–242319
- पुलिस 100
- अग्नि 101
- जिला अग्निशमन पदाधिकारी – 9473191921 /7004745386
- नगर निगम कंट्रोल रूम – 06454–242902
- एम्बुलेंस 102

5.2.2 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र राज्य/जिला/नगर का आपदा प्रबंधन योजना तैयार कराने के अतिरिक्त प्रशिक्षण, कार्यशाला, तात्कालिक गंभीर विषयों पर सेमिनार/वेबीनार, सुरक्षा सप्ताह तथा जागरूकता अभियान चलाना है। प्राधिकरण नगरीय आपदा प्रबंधन में नगर निकाय के विभिन्न स्तर के पदाधिकारीयों तथा कर्मियों को प्रशिक्षित करने में सहयोग कर सकेगा। नगर के लिए तैयार को कई योजनाओं की सफलता के लिए क्षमता निर्माण की अध्याय–7 में चर्चा है जिसको सफल बनाने में प्राधिकरण विशेषज्ञ सहायता दे सकता है। प्राधिकरण ने विशेष कर प्रशिक्षण के लिए कई माड्यूल तैयार किया है जिसका नगर निकाय उपयोग कर सकता है। प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों मे किये गये कार्यो का मूल्यांकन अध्ययन भी कराता है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 16.11.2007 को गठित की गई है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री है। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष तथा दो सदस्य सम्प्रति कार्यरत है।

5.2.3 आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार का यह विभाग राज्य में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए बिहार सरकार का नोडल विभाग है। यह रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया, राहत, पूनर्वास एव पूनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार है। विभाग आपदा प्रबंधन के संबंध में अधिनियम, निति निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए भी जिम्मेवार है। विभाग संबंधित विभागों की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.2.4 राज्य कार्यकारिणी समिति : इसकी राष्ट्रीय योजना एवं राज्य योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई ह। यह राज्य में आपदा के प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप मे कार्य करती है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव बिहार सरकार होते है।

5.2.5 जिला सड़क सुरक्षा समिति 2019 :

अध्यक्ष – जिलाधिकारी

सचिव – जिला परिवहन पदाधिकारी

सदस्य – नगर आयुक्त,

पुलिस अधीक्षक,

असैनिक शल्य चिकित्सक

कार्यपालक अभियंता सड़क निर्माण

संप्रति सड़क सुरक्षा समिति संबंधित कार्यो की समीक्षा निदेश, अध्ययन तथा समय–समय पर सड़क दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागों को आदेश जारी करती है।

5.2.6 जिला परिषद् : भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जिला परिषद् के साथ नगर निगम है। विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। नगर निगम को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने नगरीयें योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

5.2.7 मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (यथा संशोधित 2021) : सड़क दुर्घटना में मृतकों या गंभीर रूप से घायलों को त्वरित क्षतिपूर्ति/सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधित करते हुये राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण गठित है। जहाँ जिला में घटित सड़क दुर्घटना के लिए मुआवजा के दावा का निपटारा किया जाएगा।

5.2.8 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स):–नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है उसमें 2009 में बदलाव करते हुए नागरिक सुरक्षा को रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से अलग करते हुए

आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत लाया गया तथा इसे **आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया।** नागरिक सुरक्षा निदेशालय राज्य मुख्यालय में स्थापित है जिसक प्रधान भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी हैं जिसे पुलिस महानिरीक्षक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है। जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा का कार्यालय नजदीकी पड़ोसी जिले कटिहार में अवस्थित है जो सभी संसाधन से युक्त है।

अधिनियम के अनुरूप आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार (ज्ञापांक–एम॰/सी॰डी॰–66/10–2954 आ॰प्र॰ दि॰ 5/8/2016) ने पूर्णिया जिले में नागरिक सुरक्षा इकाई का गठन करने का निर्देश दिया है। इसके स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है। आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत प्रदान करने तथा आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए नागरिक सुरक्षा इकाईयों का उपयोग किया जाता है। (विस्तृत : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर देखें)

5.2.9 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। बिहार में आपदा प्रवण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं॰ 9) पटना जिले क बिहटा में अवस्थित किया गया है जिसकी पूर्णिया से दूरी 340 कि॰मी॰ है। पूर्णिया से सबसे नजदीक अवस्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सिलीगुड़ी में है जिसकी दूरी 169.5 कि॰मी॰ है।

5.2.10 राज्य आपदा मोचन बल : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। पूर्णिया नगर में जिला स्कूल पूर्णिया परिसर म एक टीम लोडर के नेतृत्व में एक आपदा मोचन दल प्रतिनियोजित है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यकारिणी परिषद् है जो नीतिगत निर्णय लेती है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) स्थापित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय–समय पर 'गाईडलाइन्स' जारी करता है।

5.2.11 शिक्षा से संबंधित सहयोगी संस्था : मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के सफलता हेतु निम्नलिखित विभागों, संस्थानों एवं संभागों के सहयोग से स्कूली सुरक्षा कार्यक्रम की जा रही है। वे है –

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा परियोजना परिषद्, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति।

5.3 जिला आपदा संचालन केन्द्र :– आपदा संचालन केन्द्र, जिला मुख्यालय में अवस्थित है। यह सभी सहयोगी एजेन्सियों के साथ आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करता है। आपात्कालीन संचालन केन्द्र में कारगर संचार सुविधा की जरूरत है। वर्तमान में जिला आपदा संचालन केन्द्र में एक Landline फोन तथा इन्टरनेट युक्त कम्प्युटर स्थापित है। साथ ही नगर निगम कार्यालय में इस कार्य हेतु एक टेलीफोन उपलब्ध है। पूर्णिया बहु आपदा प्रवण नगर है अतः यहाँ भी एक स्वतंत्र नगर आपदा संचालन केन्द्र स्थापित किया जायेगा। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 36(I) एवं 36(II) के आलोक में 24X7 कार्य करने वाला एक आंतरिक आपात्कालीन संचालन केन्द्र स्थापित की जायेगी। यह केन्द्र पूर्व–चेतावनी, सुझाव–सलाह का संभावित प्रभाविता के बीच प्रसारण, आपदा के दौरान मकान, पुल–पुलिया, पेड़ पौधो के ध्वस्त हो जाने पर इनके मलवों की सफाई इत्यादि कार्यो को सुचारू रूप से करने का दायित्व पूरा करेगी।

5.4 बहु–संस्था समन्वय प्रक्रिया तथा दायित्व :– खतरा शमनीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से प्रस्तावित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यो में नगर निगम प्रशासन विभिन्न विभागों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेगा। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में सुरक्षित शहर, सुरक्षित जोविका, सुरक्षित सार्वजनिक अंतःसंरचना तथा सेवाओं का समावेश करते हुये समन्वय के साथ कार्य करेगी।

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 के अनुच्छेद–45 में नगर निगम क मुख्य (कोर) कार्य क्षेत्र की चर्चा की गयी है। जिसमें कहा गया है कि निगम अपने दायित्वो को निभाने के क्रम में अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए सशक्त स्थाई समिति द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी ।

i. घरेलू, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था।
ii. ड्रेनेज तथा सीवरेज।
iii. ठोस कचरा प्रबंधन ।
iv. विकास एवं सामाजिक न्याय (शहरी गरीबों हेतु स्लम सुधार तथा आधारभूत सुविधा) ।
v. संचार व्यवस्था, निर्माण, संधारण, सड़क, फुटपाथ, पैदल रास्ते, परिवहन टर्मिनल, पुल आदि ।
vi. परिवहन प्रणाली (ट्रेफिक इन्जिनियरिंग योजना, पार्क हेतु जगह, सड़क पर बिजली की व्यवस्था तथा बस पड़ाव) ।
vii. सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुरक्षा (सड़क किनारे एवं अन्य जगहों पर वृक्षारोपण समेत)।
viii. मार्केट क्षेत्र एवं बुचड़खाना (स्लॉटर हाउस) ।
ix. शैक्षणिक, खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
x. सौंदर्य वातावरण।

- उपरोक्त कार्यो के अंतर्गत नगर निगम अपने प्रबंधन, तकनीको, एवं वित्तोय क्षमता के अनुरूप (अनुच्छेद–47) निम्न कार्य भी स्वयं अथवा इसे बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी :–

सारणी – 5.1 नगर निगम के कार्यो का वर्गीकरण :

क्र.सं.	कार्यो के नाम	किये जाने वाले कार्य
1	आपातकालीन कार्य	मलवा उठाव, बाढ़/जलजमाव के रोकथाम हेतु कार्य।
2	पर्यावरण सुरक्षा	हरियाली योजना, पार्क, संस्थाओं में वृक्षारोपण, कचड़ा प्रबंधन।
3	जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	पानी की व्यवस्था, बारिश एवं अन्य समयों पर दवा छिड़काव।
4	सार्वजनिक सुविधा	सड़क की सफाई, कचरा उठाने की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय।
5	विकास सम्बंधित	सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश एवं वाहन ठहराव।
6	प्रशासनिक कार्य	जन्म, मृत्यु पंजीयन आदि।
7	शिक्षा सम्बधित	लोक महत्त्व के विषयों का प्रचार–प्रसार (विज्ञापन, होडिग आदि)।
8	विविध कार्य	जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा, जनगणना की व्यवस्था।

- इस अधिनियम के अध्याय–39 के अनुच्छेद–361 आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई है । इसमें कहा गया है कि में नगर निगम द्वारा प्राकृतिक अथा तकनिकी आधारित आपदाओं में राज्य अथवा अन्य प्राधिकारियों के साथ सहभागी बनकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करेगी। इस परिस्थिति में निगम मौसम विज्ञान केन्द्र से भी मदद लेगी। साथ ही नगर निगम आपदा से संबंधित विभिन्न आयामों का डाटा, संभावित प्रभावी क्षेत्रों का 'मैपिंग' तैयार करेगी। आपदा प्रबंधन के मद्देनजर नगर निगम का यह कर्त्तव्य होगा वह आपातकालीन कार्य का संचालन तथा लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। संभावित भूकंप को ध्यान में रखकर उन सभी शहरी विकास के कामों में उपयुक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करायेगी।

5.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना से इस योजना का संयोजन :– आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधनों के अंतर्गत तीन स्तर यथा राज्य, जिला तथा नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रावधान है। राज्य योजना जहाँ नोतिगत वक्तव्य है वहीं जिला और नगर स्तर आपदा प्रबंधन योजना साध्य और कार्रवाई योग्य है। अतः इस योजना को तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि नगर एवं जिला योजना में तालमेल बना रहे। इस हेतु इस योजना में भी बहुआपदा, खतरा एवं संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। इस बात की विस्तृत चर्चा की गई है कि किस प्रकार नगर निगम, जिला प्रशासन एवं अन्य हितधारी तालमेल के साथ ऐसी परिस्थियों से निपटेगें। दोनों ही, नगर एवं जिला योजना, में मानव संसाधन एवं मशीनरी संसाधन का जिक्र किया गया है ताकि आपदा के समय एक दूसरे से सहयोग लिया जा सके।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 6

पूर्व तैयारी की कार्यवाही

PREPAREDNESS MEASURES

6.1 विभिन्न एजेंसी तथा हितधारको की मुख्य भूमिका एवं कर्तव्य :– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक एजेंसी को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये यह रखना है कि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य में आपदा जोखिम का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण शामिल हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एजेंसी/हितधारक द्वारा अपने स्तर पर एक ठोस आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाना है जिसमें उनके कार्य क्षेत्र म खतरा, जोखिम एवं संवेदनशीलता की स्पष्ट पहचान की जा सके। तदनुसार उनकी अपनी क्षमता में यथा संभव वृद्धि करते हुये अन्य सहयोगी संस्थाओं से आपातकालीन सहायता हासिल करने व समन्वय के साथ मिल–जुल कर प्रत्युत्तर, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कार्य किये जा सके। सभी एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकाण से पूर्व तैयारी के कार्य अवश्य किया जाना चाहिये।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अनुच्छेद 2(ड) – "तैयारी" से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति से अभिप्रेत ह;

अनुच्छेद 32 क(ii) – जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये स्थानीय प्राधिकारी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगें जिसमें जिला योजना के अधिकथित क्षमता निर्माण तथा तैयारी से संबंधित उपायों को करने का उपबंध उपवर्णित होगा।

अनुच्छेद 41(2) –स्थानोय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

सारणी – 6.1 नगर निगम की भूमिका एवं कर्त्तव्य :

पूर्णिया जिला आपदा प्रबंधन योजना–2022 में तैयारी से संबंधित नगर निगम द्वारा किये जाने वाले अधिकथित कार्य	**तद्नुसार पूर्णिया नगर आपदा प्रबंधन योजना में तैयारी से संबंधित उपायों का उपबंध**
1	**2**
(क) प्रत्येक विभाग/स्थानीय प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा समय से साझा करना।	नगर निगम, पूर्णिया द्वारा नगर आपदा प्रबंधन योजना बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से तैयार किया गया है। राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होने पर यह योजना जिला प्राधिकरण के साथ साझा किया जायेगा।
(ख) प्रत्येक विभाग में आपदा प्रबंधन कार्य के समन्वय हेतु एक नोडल पदाधिकारी/कर्मचारी तैनात करना।	नगर निगम के वरिष्ट पदाधिकारी 'नगर प्रबंधक' को आपदा प्रबंधन कार्य के सभी हितधारको के साथ समन्वय हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
(ग) आपदा प्रबंधन कार्य हेतु कर्मियों का प्रशिक्षण	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अनुच्छेद 30 (xii) के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु अपने सभी कर्मियों को निर्देशित किया जायेगा। नगर पालिका अधिनियम 2022 के आलोक में नगर निगम की अधिकारिता एवं कृत्यों के संबंध में निगम कर्मियों को संवेदीकृत तथा प्रशिक्षित किया जायेगा।
(घ) विगत आपदाओं के प्रत्युत्तर काल में प्राप्त अनुभवों को संकलित कर भविष्य के लिए योजना का अद्यतनीकरण।	आगामी वर्षो में प्रत्युत्तरकाल में प्राप्त अनुभवो के आधार पर भविष्य की योजना को अद्यतनीकरण करते हुये इसकी प्रभावकता में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रयास जारी रखे जायेंगे।

6.1.1 जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में जो सुझाव दिया गया है तद्नुसार उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त विभिन्न एजेसियों तथा हितधारकों द्वारा मुख्य रूप से निम्न पूर्व तैयारियाँ की जायेंगी :–

(i) नगर निगम स्तर पर आपदा प्रबंधन मुद्दों से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थागत ढांचा यथा सिटी कन्ट्रोल रूम एवं आपात्कालीन संचालन केन्द्र की स्थापना की जायेगी।(अनुच्छेद 3.29)

(ii) सभी वार्डो में समुदाय तथा अन्य हितधारकों के बीच खतरों की पहचान करने तथा आपदा जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।

(iii) आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों (यंत्र,संयत्र, सुरक्षा किट तथा भारी मशीन) का इस प्रकार अनुरक्षण किया जायेगा जिससे कि आपदा के समय आकस्मिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहें।

(iv) समय–समय पर प्रशिक्षित कर्मियों समुदाय तथा भौतिक संसाधनो के साथ नकली अभ्यास (मॉकड्रिल) आयोजित कर प्रत्युत्तर की तैयारियों का जायजा लिया जायेगा तथा त्रुटियां (यदि हो) को यथाशीघ्र दूर किया जायेगा।

(v) सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ त्वरित संपर्क एवं पूर्ण समन्वय की सभी प्रक्रियायें(प्रोटोकाल के अनुसार) पूरी करके रखी जायेंगी।

(vi) समुदाय स्तर पर क्रियाशील स्वयं सेवी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समुदाय के साथ मिलजुल कर वार्ड/मुहल्ला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने/इस पर चर्चा आयोजित करने/जागरूक करने/संवेदीकरण तथा स्वतः स्फूत प्रत्युत्तर प्रारंभ करने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2 आपदावार भिन्न–भिन्न विभागों/संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्तव्य :–

6.2.1 भूकम्प :– राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्ग निर्देशिका 2007 के अध्याय 6 के पारा 6.3.1 से 6.4.3 में संभावित भूकम्प के दौरान प्रत्युत्तर की पूर्व तैयारियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है। इसका अनुपालन विभिन्न एजेंसियों द्वारा विधि सम्मत तरीके से किया जायेगा।

सारणी – 6.2 भूकम्प की स्थिति में कर्त्तव्य :

क्र. सं.	पूर्व तैयारी की कार्रवाई	विधि सम्मत दायित्व प्राप्त एजेंसी एवं इनके कर्त्तव्यों का संदर्भ
1	2	3
1	विभिन्न हितधारको का संवेदीकरण (Sensitisation)	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
2	आपात्कालीन प्रत्युत्तर योजना का मॉक ड्रिल **(कार्य माह–जनवरी)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
3	गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी समूहों का प्रशिक्षण उन्मुखीकरण **(कार्य माह–नवम्बर)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
4	आपात्कालीन संचालन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण **(कार्य माह–सितम्बर)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 361 (2) के अनुसार नगर निगम।
5	राज्य की भूकम्प प्रबंधन योजना **(कार्य माह–जनवरी)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 के आलोक में राज्य कार्यकारिणी समिति।
6	जिला स्तर से समुदाय स्तर तक पूर्व तैयारी की विस्तृत योजना बनाना। **(कार्य माह–अक्टूबर)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVIII) के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं निर्देशो के आलोक में नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर निगम।
7	संवेदनशील जगहों का चिह्किरण **(कार्य माह–मार्च–अप्रैल)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31 (3)(क) के आलोक में नगर निगम से परामर्श करने के पश्चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

औद्योगिक इकाईयों, कार्यालयों, विद्यालया, अस्पतालों, सिनेमा हॉल, माल, प्रेक्षागृह, सामुदायिक समारोह भवनों इत्यादि में एकत्रित आम जनो को किसी अचानक आये संभावित भूकम्प के दौरान सुरक्षा मॉक ड्रिल का समय–समय पर अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। इन प्रमुख सार्वजनिक भवनों में एक आकस्मिकता प्रबंधक को नामित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2.2 जल जमाव/नगरीय बाढ़ :–

भिन्न–भिन्न विभागों/संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्तव्यः– जिला आपदा प्रबंधन योजना पूर्णिया 2021 के अध्याय–5 की कंडिका 5.3 में आपदाओं के आधार पर विभागो/एजेंसी के प्रमुख कार्य की सारणी कालम 4 में पूर्व तैयारियों से संबंधित उपायों को करने का उपबंध किया गया है जो निम्नवत है :–

(i) बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल –

- संभावित बाढ़ संघर्ष कार्यो के लिए संवेदको को नामांकन के आधार पर नियोजित करने हेतु सूचीबद्ध/निबंधित करना।
- सौरा नदी पर निर्मित नगर सुरक्षा तटबंध के संभावित आक्राम्य स्थलों पर बाढ़ संघर्ष कार्यो के लिए आवयक सामग्रियों का भंडारण करना।
- मॉनसून के शुरू होने से पहले तैयार दवाओं, टार्च, पहचान–पत्र, राशन कार्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज और जल्दी खराब न होने वाले खाद्य वस्तुओं सहित सूखे फल, भूंजा हुआ चना आदि जैसी सामग्रियों पर आधारित सुरक्षात्मक किट रखने की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता पैदा की जायेगी ताकि यदि उन्हें जल जमाव क्षेत्र से निकाला जाना है तो वे इन चीजों को अपने साथ ले जा सकें।

(ii) विद्युत विभाग – वितरण प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होने पर उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि॰ इसे शीघ्रताशीघ्र दुरूस्त करना/वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी रखना ताकि जीवन रेखीय सेवाओं को अबाध विद्युत की आपूर्ति जारी रखा जा सके।

(iii) पशुपालन विभाग – पशु चारा/भूसा दवा आदि की आश्यकता का आकलन कर स्थानीय हितभागियों के सलाह/साझा प्रयास द्वारा सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। (आदेश सं॰ 01/प्रा॰ आ॰–27/2013/4166/आ॰ प्र॰ दिनांक 18.09.2013) रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन करना।

(iv) शिक्षा विभाग – जल जमाव/नगरीय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों की सूची तैयार करना। वहाँ के शिक्षको की सूची तथा उनका मोबाईल नंबर एकत्रित करना।

(v) स्वास्थ्य विभाग –

- प्रभावितों को सतत् चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलन्त अस्पताल हमेशा तैयार रखना तथा मोबाईल यूनिट का गठन करना। **(कार्य माह–जून)**
- सभी मुख्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरेटर/इमरजेन्सी लाईट की सुविधा सुनिश्चित करना। **(कार्य माह–जून)**
- नगर में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वय करना। **(कार्य माह–जून)**
- आपदा के समय सभी सरकारी तथा निजी एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता तथा संचालन की तैयारी रखना।

(vi) नगर निगम के लिए उपबधित कार्य :

पूर्णिया **जिला आपदा प्रबंधन योजना 2022** में नगर निगम एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन शहरी विकास एवं आवास प्रमंडल द्वारा किये जाने वाले निर्धारित कार्य	नगर निगम पूर्णिया के द्वारा किये जाने वाले कार्य
जमा पानी निकासी के लिए पम्पसेटों का रख रखाव ठीक रखना।	जल जमाव प्रभावित क्षेत्रो के निकट वैसे प्राकृतिक जल बहाव मार्ग अथवा जल निकासी नाला चिन्हित की गई है। जिसमें पानी के पम्प आउट करने पर वह नीचे बह कर सौरा अथवा हरदा नदी में चला जायेगा। शहर में विभिन्न सार्वजनिक/निजी संस्थानो के पास उच्च शक्ति के पंप/जेनेरटर तथा चलंत वाहन (ट्रेलर) को सूचीबद्ध किया गया है। प्रत्येक वर्ष मानसून के पूर्व सौरा अथवा हरदा नदी तक "तूफान जल निस्सरित" करने वाले नाला के मार्ग में आने वाले कृत्रिम अवरोध/ अतिक्रमण को दूर किया जायेगा।

वार्डवार जल जमाव से ग्रसित स्थल एवं जल निकासी के उपाय की सूची :

वार्ड सं॰	जल–जमाव से ग्रसित स्थल का नाम	जल–जमाव के कारण	जल–जमाव को दूर करने हेतु प्रयास	समस्या का स्थायी उपाय

स्टैटिक/मोबाईल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची :

क्र. सं.	अंचल का नाम	कार्यपालक पदा0/कार्यपालक अभि0 तथा सहायक स्वास्थ्य पदा0 का नाम/दूरभाष सं0	अंचल में पड़ने वाले मुख्य कॉलोनी का नाम	अंचल में अवस्थित के मोबाईल दल सदस्यों का नाम	मोबाईल दल से संबद्ध मुख्य नाला	अंचल में अवस्थित पम्पिंग स्टेशन का नाम/दूरभाष सं0	पम्पिंग स्टेशनों पर स्टैटिक रूप से प्रतिनियुक्त पदा0/कर्म0

सुपर मोबाईल दलों को प्रतिनियुक्ति सूची :

क्र.	पदाधिकारी का नाम	कार्यक्षेत्र	निर्देश

नियंत्रण कक्ष में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न पंजियों का संधारण किया जाएगा कर्त्तव्य पंजी (Attendance Register) यह पंजी निम्नांकित प्रपत्र में संधारित की जाएगी :

क्रमांक	तिथि	पाली संख्या	कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम	पदा0/कर्म0 का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

कर्म पुस्तिका (Log Book) यह पंजी निम्नांकित प्रपत्र में संधारित की जाएगी :

क्रमांक	तिथि	समय	प्राप्त संवाद	श्रोत	सम्प्रषित	संवाद किये दिया गया	सम्प्रषण का समय	अभ्युक्ति

वर्षापात एवं वर्षा पूर्वानुमान पंजी– इस पंजी का संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जायगा

वास्तविक वर्षापात			वर्षापात का पूर्वानुमान (पाँच दिनों के लिए)										
तिथि	वर्षापात मि.मी. में	स्थान	तिथि (प्रथम)	पूर्वानुमान	तिथि (द्वितीय)	पूर्वानुमान	तिथि (तृतीय)	पूर्वानुमान	तिथि (चतुर्थ)	पूर्वानुमान	तिथि (पंचम)	पूर्वानुमान	अभ्युक्ति

पत्र प्राप्ति एवं पत्र निर्गत पंजी – इसका संधारण मानक प्रपत्र में किया जायगा।

पंपिंग स्टेशन एवं पंपों की संख्या :

क्र.	एजेन्सी	पंपिंग स्टेशन	ट्रांसफार्मर		वर्तमान में पंपों की संख्या			कुल क्षमता	
			वर्तमान (के.भी.ए.)	कुल (के.भी.ए.)	विद्युत	डिजल	कुल (एच.पी.)	एच.पी.	एम.एल.डी.

(vii) जिला आपदा प्रबंधन प्रभाग –

- आयरन रिमूवेबल हैंड पंप, शौचालय, स्नानघर, मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधा युक्त उँचाई पर स्थित शरण स्थल को चिह्नित कर रखना। **(कार्य माह– अप्रैल)**
- जीवन रक्षक जैकेट, फ्लोटिंग रिंग, रस्सी एवं कुण्डा की खरीदारी एवं भंडारण। **(कार्य माह– अप्रैल)**

- EOC की स्थापना तथा संचालन प्रक्रिया का निर्धारण। **(कार्य माह– मई)**

(viii) जिला आपूर्ति विभाग – जल जमाव/नगरीय बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनो का आकलन कर राहत एवं अनाज अनुदान के लिए जरूरी मात्रा में अन्न का भंडारण/खरीदगी (आदेश सं॰ 01/प्रा॰ आ॰–16/2012/4095/आ॰ प्र॰ दिनांक 14.11.2014)

6.2.3 अगलगी :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 (2) (घ) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका 2018 प्रकाशित की गई है। (BSDMA के वेबसाईट www.bsdma.org के Publication & Report विषय में डाउनलोड हेतु उपलब्ध) किसी भी सरकारी या निजी, जिसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संरचनाएं यह सुनिश्चित करेगा कि क्या ऐसी संरचनाएँ, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये, 16 Point Fire Safety Vulnerabilty Matrix, पर खड़ी उतरती है या नहीं। यह सुचकांक अस्पतालों पर भी लागू होगा। **(अनुलग्नक–5 पर देखा जा सकता है।)**

इस मार्गदशिका में प्रत्युत्तर हेतु की जाने वाली कार्रवाईयों के लिए आवश्यक पूर्व तैयारियों के निम्न बिन्दुओं पर हितधारको की भूमिकाएं तय की गई है।

सारणी – 6.3 अगलगी की स्थिति में कर्त्तव्य :

क्र. सं.	पूर्व तैयारी की कार्रवाई	विधि सम्मत दायित्व प्राप्त एजेंसी एवं इनके कर्त्तव्यों का संदर्भ
1	2	3
1	रिस्पांस के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता एवं समय–समय पर एडवाइजरी जारी करना।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा में जारी एडवाइजरी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2	अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना। **(प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में)**	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 675 दि॰ 30.05.2019 के आलोक में नगर निगम स्तरीय शहरों में अवस्थित बहुमंजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रतिष्ठापन एवं रख रखाव की व्यवस्था की जाँच जिला प्रशासन, नगर निगम एवं अग्निशमन कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।
3	सरकार के विभिन्न विभागों के बीच रिस्पांस कार्यो का समन्वय।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन अधिनिमय 2005 की धारा 30)
4	अगलगी के संबंध में जन जागरूकता तथा मॉक ड्रिल । **(कार्य माह–मार्च)**	नगर निगम के साथ मिलकर बिहार अग्निशमन सेवा, बिहार सरकार (गृह विभाग) के नियंत्रणधीन जिला स्तरीय समादेष्टा, अग्निशमन कार्यालय में पदास्थापित पदाधिकारी एवं कर्मी ।
5	हॉट स्पाट को पहचान कर गर्मी के मौसम में फायर टेंडर का पूर्व नियोजन (Pre positioning) **(कार्य माह–मार्च)**	इस योजना के अध्याय–4 में कंडिका 4.25 में संवेदनशील स्थलों को दिखाया गया है। जिला अग्निशमन कार्यालय इस दिशा में यथोचित कार्रवाई करेगी। मलिन बस्तियों तक अग्निशमन वाहन पहुँचाने के लिए 12 मासी सड़क का निर्माण नगर निगम/पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। सभी वार्डो के समूह में एक–एक हाईड्रैन्ट सुनिश्चित किया जायेगा।
6	अग्निशमन कर्मियो के बचाव हेतु अग्निशमन किट की व्यवस्था।	
7	अगलगी घटना स्थल तक शीघ्र पहुँचने के लिए Route Chart तैयार करना। **(कार्य माह–फरवरी)**	
8	Fire Zone Area के समीप Water Tanks/ Hydrant/पम्पसेट एवं अन्य जल श्रोतो की मैपिग। **(कार्य माह–मार्च)**	
9	अग्निशमन दलों का क्षमतावर्द्धन तथा प्रशिक्षण। **(कार्य माह–जनवरी)**	
10	अगलगी की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रिस्पोंस/फायर ऑफिसरों की प्रतिनियुक्ति तथा बोफिंग की व्यवस्था करना। **(कार्य माह–मार्च)**	
11	शादी, पूजा या अन्य अवसरों पर लगाये जाने वाले पंडालों में अग्निरोधी कपड़ों का उपयोग करना तथा विद्युत कनेक्सन में सावधानी बरतना।	नगर प्रशासन, नगर निकाय, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि॰, जिला अग्निशामालय।

12	मुख्यमंत्री विद्यायल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को अगलगी को रोकथाम एवं बचाव हेतु जागरूक करना। **(सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम)**	शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा परियोजना पदाधिकारी यथोचित कार्रवाई करेगें।
13	अस्पतालों में बर्न वार्ड की व्यवस्था एवं अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषिधियों, उपकरणों एव अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। **(कार्य माह– फरवरी–मार्च)**	असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल यथोचित कार्रवाई करेगे।
14	सभी पशु अस्पतालों में अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषिधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। **(कार्य माह– फरवरी–मार्च)**	जिला पशुपालन एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी ।
15	अगलगी पर समुदाय के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। **(कार्य माह– जनवरी–फरवरी)**	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला अग्निशमन कार्यालय ।
16	निजी जलश्रोतों/पंपिग सेट/बोरिंग को तैयार रखना तथा प्रत्युत्तर काल में जन सहयोग एवं समन्वय बनायें रखना। **(कार्य माह– फरवरी–मार्च)**	सिविल सोसायटी, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं जन प्रतिनिधि।

6.2.4 स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन : जैसा कि विदित है, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अध्यापकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए क्षमता को बढ़ाना, इसलिए सभी स्कूलों से यह अपेक्षा होगी कि वो स्कूल स्तर पर प्रत्युत्तर दल का गठन करेगें ताकि मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका क्षमतावर्धन हो। दल निम्नवत होगा–

क्र॰सं॰	टीम	टीम की बनावट	मुख्य काम
1	2	3	4
1	**इन्सोडेन्ट कमांडर**	**प्रधानाचार्य**	1. आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से कराना। 2. किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर–सरकारी एजेसिंयां स्कूल परिसर में पहुँचती है तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना।
2	**स्कूल आपदा प्रबंधन समिति**	**प्रधानाचार्य/ उपप्रधानाचार्य, शिक्षक–2 (1पुरूष,1महिला) स्कूल स्टाफ–2**	1. 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना। 2. समयान्तराल पर 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे अपडेट करना। 3. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा स्कूल में आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव संबंधित तकनिकी प्रशिक्षण का आयोजन करना। 4. समय–समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों के मदद से स्कूल परिसर में आपदा के विभिन्न पहलूओं पर मॉकड्रिल कराना। 5. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का संपर्क नंबर रिकार्ड में रखना व समयान्तराल पर उसे अपडेट करना। 6. आपदा से संबंधित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल में स्कूल के सभी अध्यापकों एवं छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
3	**जागरूकता अभियान दल**	**5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)**	1. आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। 2. स्कूल परिसर में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, पम्पलेट, आसान तरीका 'क्या करें–क्या न करें' प्रदर्शित करना। 3. स्कूल में आपदा प्रबंधन से संबंधित लेख/निबंध

			प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
4	आपातकालीन अलार्म दल	शिक्षक –2, स्कूल स्टॉफ–1	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से सावधान करना। 2. अलग–अलग घटनाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के अलार्म बजाए जा सकते है जो कि छात्रों व अध्यापकों सभी को मालूम हों।
5	निकासी दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शांतिपूर्वक ढंग से क्लास रूम से बाहर निकालना व एसम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा करना। 2. ऐसेम्बली प्वाइंट में बच्चों की गिनती करना तथा इसकी सूचना 'स्कूल आपदा प्रबंधन समिति' व खोज एवं बचाव दल को देना।
6	खोज व बचाव दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) इस दल में स्कूल के सीनियर छात्रों के सक्शन को भी शामिल किया जाये।	एसेम्बली प्वाइंट में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरंत खोज एवं बचाव के कार्य करना।
7	प्राथमिक उपचार दल	स्कूल डॉक्टर/नर्स 3–4 शिक्षक स्कूल के सीनियर सेक्शन के छात्रों को भी शामिल किया जाये।	1. घायल छात्रों, अध्यापका या अन्य स्कूल स्टॉफ का प्राथमिक उपचार। 2. स्कूल परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना।
8	फायर फाईटिंग दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. स्कूल में उपलब्ध आग बुझाने के बारे में जानकारी रखना। 2. मुख्य बिजली आपूर्ति 'कट' के बारे में जानकारी होना ताकि शॉट सर्किट की स्थिति में मेन लाईन काटा जा सके। 3. आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।
9	परिवहन प्रबंधन दल	स्कूल के वाहन समन्वयक शिक्षक–2, सीनियर सेक्शन के छात्र–2	1. स्कूल में उपलब्ध सभी गाड़ियों, उनके रूट व आने जाने वाले छात्रों को सूची तैयार रखना। 2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान स्कूल आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।
10	मीडिया प्रबंधन दल	उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ स्कूल स्टॉफ	1. पत्रकार सम्मेलन से पहले स्कूल आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना। 2. आपदा प्रबधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के संपर्क में रहना।

6.2.5 ठनका, ओला वृष्टि, तेज गति हवा, काल वैशाखी :– NDMA द्वारा ठनका, ओला वृष्टि, धूल भरी आँधी, तेज गति हवा का प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 4.2 के आलोक में निम्नांकित पूर्व तैयारी की जायेंगी –

आकस्मिक संचार व्यवस्था – वार्ड स्तर तक सेटेलाइट फोन/हैम रेडियो/F.M. रेडियो से प्रसारण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। **(कार्य माह– मार्च)**

- Now Cast 30 मिनट से 3 घंटे पूर्व मोबाईल एप्प से प्राप्त सूचना में निहित पूर्वानुमान एव चेतावनो को, करने योग्य सलाह (क्या करें, क्या न करें) के साथ जोड़कर सभी संवेदनशील वार्डो/समूहों/ नागरिकों तक त्वरित आकस्मिक संचार व्यवस्था के माध्यम से पहुँचाया जायेगा।

- विभिन्न लाईन विभागों के पास प्रत्युत्तर तथा पुनर्वापसी के कार्य हेतु उपलब्ध मानव संसाधन/भौतिक संसाधन की जानकारी वार्ड–स्तरीय आपदा प्रबंधन दल को उपलब्ध कराई जायेगी।
- व्यापक जन जागरूकता सृजन, उपयुक्त प्रशिक्षण तथा समय–समय पर की जाने वाली मॉक ड्रिल के साथ सभी हितधारको संवेदनशील नगर निवासियों को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाँच किये गये निम्न मोबाईल एप्प के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
  - (i) DAMINI
  - (ii) RAIN ALARM
  - (iii) MAUSAM
  - (iv) UMANG
  - (v) MEGH DOOT
  - (vi) INDRAVAJRA

नोट :– आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा तैयार कराये गये मोबाइल एप्प **इन्द्रवज्र** को किसी भी एड्रायड मोबाइल पर डाउन लोड किया जा सकता है। मोबाइल धारक को इसके 20 कि॰मी॰ के दायरे में होने वाले वज्रपात की चेतावनी **30 मिनट** पूर्व एलर्ट के साथ प्राप्त कराई जाती है। एप्प गुगुल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दी गई है।)

6.2.6 सड़क दुर्घटना : चिह्नित दुर्घटना प्रवण स्थल के निकट पुलिस पोस्ट तथा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा युक्त एम्बुलेन्स की उपलब्धता बनाये रखना। त्वरित चिकित्सा दल (MQRT) का गठन, ''रेस्क्यू वाहन'' द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनो को तुरंत हटाकर यातायात दुरूस्त करने को तत्पर एवं तैयार रहना। इन स्थलों से नजदीकी अस्पताल या ट्रामा सेन्टर के बीच बाधा रहित यातायात व्यवस्था, टैफिक पुलिस की सहायता से तैयार रखना।

6.3 आपदा जोखिम प्रबंधन के आरंभिक पहल की सूची :–

1. आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यवहारिक एवं तार्किक सामुदायिक इकाई को चिह्नित करना तथा उसके संबंध में सभी प्राथमिक सूचनाओं का संकलन। उदाहरणार्थ मुहल्ला, वार्ड, नगर।
2. समुदाय के प्रतिष्ठित, जानकार व्यक्तियों तथा लोकप्रिय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं चर्चा करना।
3. सामुदायिक संरचना के सभी अवयवों के बारे में विशिष्ट सूचना का संकलन। उनकी बनावट, बसावट, इतिहास, भूगोल, जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक संरचना इत्यादि के आधार पर विभिन्न आपदा के प्रति संवेदनशील तथा नाजुक समूहों, बसावट, सार्वजनिक सेवाओं प्रशासनिक महत्व की संरचना तथा अन्य अंत संरचना के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करना।
4. समुदाय द्वारा अतीत में किसी आपदा के सबसे विनाशकारी स्वरूप का अनुभव के आधार पर भविष्य के खतरों तथा जोखिम के साथ ही अपनी सुरक्षा कवच या सुरक्षा करने की आंतरिक क्षमता का लेखा जोखा तैयार करना।
5. खतरा, जोखिम, संवदेनशीलता तथा आंतरिक क्षमता का सटीक लेखा–जोखा के आधार पर ही समुदाय द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार की जा सकती है। संवेदनशील व्यक्तियो/समूह तथा इलाकों की पहचान करते समय वृद्धजनो, दिव्यांगजन, गर्भवती महिलायें, विधवाय, छोटे बच्चे, झुग्गी झोपड़ी तथा मलिन बस्तियों में रह रहे अभावग्रस्त परिवार उनके पालतू जानवर, जीविका के साधन इत्यादि को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।
6. समुदाय द्वारा केमिकल तथा विस्फोटक के कारखानों, ज्वलनशील पदार्थ भंडारण करने वाले बड़े गोदाम, आवर्ती सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पाट, नगरीय बाढ़ एवं जल जमाव वाले क्षेत्र, ठोस कचरा तथा चिकित्सीय कचरो के निपटान की प्रक्रिया तथा जमा करने वाले स्थानो को एक मानचित्र पर चिह्नित कर रखना।

7. जोखिम प्रबंधन में सहायक प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा उपयोगी यंत्र, संयंत्र, उपस्कर, उसको चलाने वाले आपरेटर, खोज, निकासी, बचाव, आकस्मिक त्वरित निष्कासन के साधन, राहत शिविर के उपयुक्त स्थलों का चुनाव, राहत शिविर के व्यवस्था के संसाधन इत्यादि का मानचित्रण तथा सूचीकरण किया जाना।

8. आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ने पर स्थानीय तौर पर तथा आस पड़ोस में उपलब्ध अस्पतालो, वहाँ उपलब्ध शैय्या एवं अन्य कर्मचारियों की विस्तृत सूचना का संकलन किया जाना।

9. आपदा की पूर्व सूचना जरूरी चेतावनी तथा विशेषज्ञों की सलाह को प्रभावित एवं संवेदनशील इलाकों तक तीव्र गति से पहुँचाने के लिए उपलब्ध संचार के साधन यथा रेडियो, टेलीविजन, मोबाईल तथा लैंड लाईन फोन की जन पहुँच के मद्देनजर इनकी क्षमता तथा विस्तार का विस्तृत आकलन कर लेनी चाहिये ताकि समय पर इनका उपयोग तत्परता से किया जा सके।

10. आपदा की स्थिति में आकस्मिक परिवहन हेतु एम्बुलेंस, बस, टेम्पो, कार, जीप, ट्रक, टैक्सी तथा पक्के रोड का मानचित्र की जानकारी उपलब्ध रहना चाहिये। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई, सरकारी तथा गैर सरकारी टैकर की सूची भी उपलब्ध होनी चाहिये। अस्थाई शिविर के लिए चिह्नित स्थल तथा शिविर व्यवस्था की पूरी तैयारी होनी चाहिये। आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति बनाये रखने की भी व्यवस्था पूर्व नियोजित होनी चाहिये।

11. स्थानीय स्तर पर आकस्मिक कार्यकारी बल या त्वरित प्रत्युत्तर दल का गठन उनका प्रशिक्षण तथा आकस्मिक डायरेक्ट्री की उपलब्धता सुनिचित किया जाना चाहिये।

12. खोज एवं बचाव दल, राहत वितरण समन्वय एवं निगरानी दल, पूर्व सूचना तथा चेतावनी प्रसारण दल जलापूर्ति एवं स्वच्छता दल, प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सा दल, मानसिक आघात (ट्रॉमा) सलाह, इत्यादि दल का गठन तथा प्रशिक्षण किया जाना चाहिये। प्रत्येक दल द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत नियमित अंतराल पर इसका मॉकड्रिल होना चाहिये।

बिहार सरकार ने इंद्रव्रज (Indravajra) नाम से मोबाइल एप लॉन्च किया है

आपदा पूर्व तैयारी की समय सीमा (Time line) :

क्र॰ स॰	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	भूकम्प	मॉक ड्रिल				प्रत्युत्तर दल की प्रतिनियुक्ति				EOC का सुदृढ़ीकरण	योजना निर्माण समीक्षा	प्रशिक्षण	
2	जलजमाव				EOC का सुदृढ़ीकरण		सामग्री भंडारण						
3	अगलगी	प्रशिक्षण	Fire Audit	मॉक ड्रिल जनजागरण									
4	स्वास्थ्य		समीक्षा बैठक	जनजागरण	QRT का गठन								
5	चक्रवाती तूफान /तीव्रगति हवा		सतर्कता सलाह										
6	ठनका				सतर्कता सलाह								
7	ओलावृष्टि		सतर्कता सलाह										
8	गर्मी/लू			सतर्कता सलाह/समीक्षा									
9	शीतलहर											सतर्कता सलाह	
10	सड़क दुर्घटना				प्रशिक्षण						सतर्कता सलाह		
11	औद्योगिक सुरक्षा	सतर्कता सलाह	प्रशिक्षण										
12	पर्यावरण सुरक्षा						जल जीवन हरियाली अभियान						
13	मेला, भीड़ सुरक्षा									सतर्कता सलाह			

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 7

क्षमता निर्माण

CAPACITY BUILDING

7.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 6 में स्थानीय प्राधिकारी (Local Authorities) शीर्षक के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य का स्पष्ट उल्लेख है। इस अधिनियम की भिन्न धाराओं के अनुसार :–

41(1) स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशो के अधीन रहते हुये–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिसूचित मानको और विनिर्देशो के अनुरूप हैं।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रिया कलाप किया जाना।

2. स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे ।

7.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन :– नगर आपदा प्रबंधन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा जोखिम न्यूनोकरण रोड मैप के घोषित लक्ष्यो उद्देश्यो की पूर्ति की दृष्टिकोण से नगर निगम के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अभियंताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मी एवं स्वयंसेवक/जनप्रतिनिधियों का क्षमता वर्द्धन के उद्देश्य से प्रशिक्षण तथा जागरूकतावर्द्धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयाजित करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी हितभागियो तथा नियोजित कर्मियो के कौशल विकास प्रदान करना तथा उनकी निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों तथा जटिलताआ क प्रति अवधारणा (Concept) प्रमाणिक जानकारी (Authentic Information) कौशल (Skill) दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित करना है।

प्रशिक्षण के अंतर्गत पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए नगर क्षेत्र के लिए चिह्नित बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा विभिन्न आपदाओ के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30, जो 2016 में स्वीकृत हुई है, के मुख्य प्रावधानो से अवगत कराया जायेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले संवेदनशील लोगो को भी खतरे एवं जोखिम की पहचान तथा उससे बचाव के तरीके की जानकारी।

सारणी –7.1 नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों,कर्मियों का प्रशिक्षण :

क्र० सं.	हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
1	2	3
01	(क) मेयर/उपमयर (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन (घ) गैर सरकारी संगठन	वार्ड स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, तूफान, ठनका आदि पर विशेष बल। वार्ड की विकास योजना में वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए वार्ड स्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। खोज,बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।

02	(क)कार्यपालक पदा० (ख) सिटी मैनेजर (ग) वार्ड पार्षद	1. बिल्डिंग वायलॉज। 2. नगर योजना। 3. आपदा प्रबंधन। 4. अग्नि सुरक्षा। 5. भीड़ प्रबंधन। 6. अवशिष्ट प्रबंधन। 7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।
03	चिकित्सक एवं कर्मी	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 2. महामारी अधिनियम – 1897, महामारी (संसोधन) अधिनियम–2020 3. कोराना प्रबंधन 4. ऑक्सीजन प्लांट का परिचालन, रख रखाव तथा नई तकनोक की जानकारी।
04	(क) स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य (ख) कॉलेज एम्बेसडर (छात्र–छात्रा)	1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। 2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन । (कोविड, डायरिया, निमोनिया, पेयजल एवं स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिष्कज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
05	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
06	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण।
07	मिडिया (जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक)	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 2. बिहार नगर पालिका अधिनियम–2022 3. आपदा विषयों पर लेखन कार्य से समाज को जागृत करना 4. बेहतर पर्यावरण हेतु प्रचार–प्रसार 5. आपदा प्रबंधन में मिडिया की भूमिका

7.2 समुदाय तथा सामुदायिक संस्था :– स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों, शहरी विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकरियों को जोखिम विश्लेषण, जोखिम की पूर्ण जानकारी के साथ योजनाओ के निरूपण, स्वोकृति तथा जोखिम सुरक्षित पहल के लिए क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रदशनी, ज्ञानवर्द्धक परिभ्रमण, निर्णय–सहायक–उपकरण से निम्न विधाओ से उन्हें परिचित कराया जायेगा।

सारणी – 7.2 सामुदायिक हितधारकों हेतु प्रशिक्षण :

क्र.सं.	हितधारक	प्रशिक्षण माड्यूल
1	**2**	**3**
1	नगर निगम एवं शहरी विकास तथा आवास विभाग के कर्मी, प्रथम पंक्ति के कर्मी (सफाई कर्मी) सामुदायिक सेवा संस्थायें तथा स्वयं सेवक	▪ जोखिम विश्लेषण, जोखिम की जानकारी की साथ विकास योजना का निरूपण। ▪ जोखिम अनुकूलन से संबंधित चेक लिस्ट के आलोक में क्रियान्चयन की पहल।
2	सामुदायिक आपदा प्रत्युत्तर दल	▪ सभी तरह की मानक संचालन प्रक्रिया पूर्व तैयारी तथा प्रत्युत्तर क्रियायें
3	वास्तविद, भवन निर्माण, अभियंता, पर्यवेक्षक (Supervisor),राज मिस्त्री, बार बाईन्डर, शटरिंग मिस्त्री तथा स्थानीय संवेदक	▪ भूकंप जोन (IV) के अनुसार बिहार भवन निर्माण उप संहिता 2014 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में भवन निर्माण के मानक तथा रेट्रोफिटिंग के तरीके।
4	सामाजिक संस्था, युवा क्लब के सदस्य कॉलेज के छात्र–छात्राय, शिक्षक, दुकानदार, पुलिस	▪ फर्स्ट एड ▪ टैफिक नियम ▪ सुरक्षित वाहन चालन (धुंध, कुहासा सहित

		सभी परिस्थियों में) ▪ वाहन की फिटनेस के संबंध में ▪ दुर्घटना हो जाने पर नजदीकी पुलिस तथा ट्रामा सेन्टर से संपर्क करने के संबंध मे। ▪ गुड समेरिटन बनने हेतु प्रोत्साहन।

प्रशिक्षण सामग्री : प्रशिक्षण हेतु निम्न मॉड्यूल का का उपयोग किया जा सकता है।

i. शहरी स्थानीय निकायों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्रशिक्षक हस्त पुस्तिका 2020

ii. राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017

iii. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु सदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018

iv. मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी–ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018

7.3 जन–जागरण :– आपदा के संबंध में यह कहा जाता है कि जब तक हम या हमारा हित, किसी खतरे के दायरे से बाहर है, तब तक वह खतरा हमारे लिए किसी प्रकार का जोखिम आपदा का कारण नहीं बनता है। अतः खतरे के दायरे और उस दायरे में अवस्थित हमारी स्वयं की अथवा हमारे हितों की जानकारी रहने पर, हम उससे अपना और अपने हितो की रक्षा तथा जोखिम में कमी करने में सफल हो सकते है। पूव में घटित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी खतरे की तीव्रता, जोखिम, संवदेनशीलता तथा जोखिम एवं खतरे के दुष्प्रभावों को कम करने या सीमा बद्ध रखने की हमारी व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षमता, करनीय व अकरनीय व्यवहार की जानकरी रहने पर ही हम आपदा सुरक्षित व्यवहार अपना सकते है।

आम आदमी को उसके इर्द–गिर्द उपस्थित खतरों की जानकारी, जोखिम का अनुमान तथा इससे बचाव या न्यूनीकरण की जानकारी उपलब्ध कराना ही जन जागरण है। इस जानकारी की उपलब्धता उनके सकारात्मक व्यवहार में प्रेरक तथा सहायक की भूमिका अदा करती है।

जन जागरण के उपायो में व्यस्को के साथ समूह चर्चा, पोस्टर, पम्पलेट, हैण्डबिल का वितरण, समाचार पत्रो के माध्यम से आवश्यक जानकारी का प्रचार प्रसार, टी.भी., रेडिया, सोशल मिडिया से इनका प्रसारण इत्यादि प्रमुख है।

बिहार सरकार ने स्कूलों के माध्यम से जन जागरण का एक अनूठा तथा अप्रतिम प्रयोग सफलता पूर्वक किया है। प्रत्येक विद्यालय में, साप्ताहांत में एक दिन शनिवार को, 'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इस दिन बच्चो को किसी न किसी प्राकृतिक अथवा मानवनिर्मित आपदा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाती है। मामला चाहे भूकम्प का हो अथवा आग लगने की, साँप काटने की हो या कुत्ता काटने की, ठनका/वज्रपात या गहरे पानी में डूबने से कैसे बचा सकता है, इन सभी सदंर्भो में चर्चा, लेखन, मॉकड्रिल, एकल नाटक, संगीत तथा खेल कूद के माध्यम से बच्चो में जागृति निर्माण की जाती है। यह कालान्तर में बच्चों क माध्यम से उनके अभिभावक एवं अन्ततः हमारे समुदाय तक पहुँचता है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय, बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह प्रसारित (Circulate) किये गये हैं। आपदावार तैयार इन सुझावों को योजना के परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है –

- कोविड वायरस से बचने हेतु सावधानियां –
- साधारण सावधानियाँ अपनाकर गर्मी/लू से अपने को सुरक्षित रखें
- सड़क दुर्घटना
- आगजनी से बचाव हेतु उपाय
- बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ पर सुरक्षा उपाय

- जापानी इन्सेफेलाइटिस/डेगू/चिकुनगुनिया की रोकथाम
- वज्रपात एवं ठनका क्या करें –क्या न करें
- शीतलहर या ठंड लगने से बचाव
- भीड़/भगदड़ में क्या करें, क्या न करें
- दशहरा/दुर्गापूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य बातें
- छठ पूजा के अवसर पर ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव

पूर्व में किये गये प्रयासों की सफलता को देखते हुए इसे विस्तार कर, भूकंप एवं अग्नि के अलावे, अन्य आपदायें जैसे लू, शीतलहर, सड़क सुरक्षा आदि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह के कार्यक्रम को चलाये जाने से निम्नलिखित सीख प्राप्त होगें।

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति का विकास।
2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहेगें।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार किये जायेगे।
4. सूचना, शैक्षणिक एवं संचार (आई॰ई॰सी॰) सामग्रियों से बच्चों का में जागरूकता लाई जायेगी।

इस जागरूकता कार्यक्रम को जीवन में व्यापकता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से जिला स्तरीय एव नगर स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय गतिविधियों एवं भूमिकाओं की रूप रेखा तैयार की जायेंगी।

नोट : उपरोक्त संदर्भ में प्रशिक्षण प्राप्त विभिन्न पदाधिकारियों एवं अन्यों की सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में नगरीय आपदा प्रबंधन के सिलसिले में आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षित मॉड्यूल का सहारा लिया जायेगा, साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची नगर निगम के वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 8

आपदा मोचन योजना
RESPONSE PLAN

8.1 मोचन योजना :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार L_1 स्तर की आपदाओं का प्रत्युत्तर कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में आपदा की तीव्रता का निर्धारण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिलाधिकारी) द्वारा किया जाता है। आपदा मोचन योजना के कमाण्ड अधिकारी भी जिलाधिकारी होते ह। उनके निर्देशन तथा नेतृत्व में सभी हितधारको को कार्य करना होता है जिला आपदा प्रबंधन योजना (प्रारूप) में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। (DDMP Purnea अध्याय–6 द्रष्टव्य)

आपदा के समय सामान्यतः जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा निर्देशन में नगर निगम वो सभी कार्य सम्पन्न करेगा जो इसको सौंपा जायेगा या स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना में नगर निगम के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। इस दायरे में नगर आपदा प्रबंधन समिति जिसका ढांचा अध्याय–5 में विनिर्दिष्ट है द्वारा आपदा मोचन के सभी कार्य किये जायेंगे।

8.2 आपदा मोचन हेतु शहरी नियामक संस्था का प्रशासन तंत्र :– आपदा मोचन हेतु नगर निगम में जिला आपदा प्रबंधन समिति के नियंत्रणाधीन नगर स्तर पर एक त्वरित प्रत्युत्तर दल कार्य करेगी जिसका स्वरूप निम्नवत होगा।

1. नगर आयुक्त – अध्यक्ष
2. उप नगर आयुक्त – उपाध्यक्ष
3. नगर प्रबंधक – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
4. कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास प्रमंडल – सदस्य
5. मुख्य सफाई निरीक्षक – सदस्य
6. सफाई (स्वच्छता) निरीक्षक – सदस्य
7. विद्युत पर्यवेक्षक – सदस्य
8. तकनीकी पर्यवेक्षक – सदस्य

8.3 नगर कन्ट्रोल रूम :– नगर निगम पूर्णिया के कार्यालय में नगर प्रबंधक के नेतृत्व में एक नगर कंट्रोल रूम आपदा के प्रारंभ से लेकर समाप्ति की घोषणा तक 24X7 क्रियाशील रहेगा। इस कंट्रोल रूम में एक लैंड लाईन फोन, एक मोबाईल फोन तथा एक इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेबकैमरा तथा स्पीकर स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने, इसका संकलन करने, प्राधिकृत अधिकारी तक इस सूचना को पहुचाने तथा उनके निर्देशो को पुनः संबंधित अधिकारी तक पहुँचाने के लिए तीनों पाली में 2–2 की संख्या में प्रशिक्षित कर्मी नियोजित किये जायेंगे। नगर कन्ट्रोल रूम में निम्न पंजियो का संधारण किया जायेगा :–

(i) उपस्थिति पंजी

(ii) शिकायत पंजी

(iii) सूचना एवं संदेश पंजी

(iv) शिकायत निवारण पंजी

8.4 पूर्व सूचना तंत्र :– अधिकृत एवं प्रमाणिक श्रोत से प्राप्त सभी सूचनाओं को सूचना एवं संदेश पंजी में दर्ज कर संबंधित अधिकारियो तक नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से पहुँचाया जायेगा। आमजन तक किसी चेतावनी, सुझाव, सलाह तथा अन्य आपदा संबंधित सूचना को पहुँचाने के लिए नगर में लगभग 24 प्रतिशत लोग जो रेडियो या टांजिस्टर का उपयोग करने वाले है उन तक रेडियो समाचार के द्वारा तथा 47 प्रतिशत लोग जो टेलोवीजन रखते ह उन तक टी॰वो॰ के माध्यम से तथा अन्य 56 प्रतिशत लोग जो मोबाइल का उपयोग करते है उन तक सोशल मिडिया के माध्यम से सूचना पहुँचाई जा सकती है। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रत्येक आपदा प्रवण वार्ड में पूर्व निर्धारित स्थल से लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना संप्रेषित की जायेगी। वार्ड स्तर पर गठित आपातकालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) तथा राहत निगरानी समिति के माध्यम से भी हितधारको तक पूर्व सूचना पहुँचाने की कार्रवाई की जायेगी।

8.5 सहायक यंत्र–संयंत्र :– आपदा मोचन के दौरान मुख्यतः निकासी, राहत एवं बचाव, राहत शिविर संचालन, घायलों को अस्पताल तक पहुँचाना, अस्पताल में उनका समुचित इलाज, खून की कमी वालो के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन, मृतको का अंतिम संस्कार, ध्वस्त जीवन सहयोगी संरचनाओ का मलवा निपटान तथा सार्वजनिक सेवाओ का त्वरित पुनर्स्थापन इत्यादि के लिए बहुत तरह के हल्के व भारी यत्रं–संयंत्र, उपस्कर उसको चलाने वाले प्रशिक्षित आपरेटर की आवश्यकता होती है। आपदा मोचन हेतु उपलब्ध संसाधन की सूची BSDRN पोर्टल पर संधारित है।

इन यंत्र–संयंत्र उपस्करों का नगर निगम क्षेत्र के सामान्य क्रिया कलापो में उपयोग सीमित मात्रा में और कुछ विशिष्ट यंत्र–संयंत्र का उपयोग नहीं के बराबर होता है। एम्बुलेंस तथा परिवहन वाहन तो मिल जाते ह परंतु अन्य कई उपस्कर, भारी निर्माण कार्य स्थलों पर औद्योगिक परिसर मरगा अथवा इडस्ट्रिअल सिटी पूर्णिया में स्थापित कारखाने के पास उपलब्ध है। नजदीकी NDRF केन्द्र तथा नजदीकी SDRF केन्द्र में भी मोचन में सहायक यंत्र संयंत्र उपलब्ध है। पूर्णिया शहर से 7–8 कि॰मी॰ दूर चूनागढ़ में मिलिट्री बेस है जहाँ मोचन में उपयोगी यंत्र–संयंत्र प्राप्त हा सकते है। यहाँ हवाई पट्टी भी निर्मित है।

8.6 बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (BSDRN) – बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए वृहत 'डाटाबेस' तैयार किया है। इस नेटवर्क पर, जो कि वेब आधारित है, सरकार के पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधको के लिए उपलब्ध है। इस क्षेत्र में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज एवं बचाव उपकरण, कुशल मानव संसाधन, परिवहन, खाद्य एवं जलश्रोत, सुरक्षा एवं आश्रय तथा आपातकालीन आपूर्ति एवं सेवाए जैसे छः वर्गो में सूचनाएँ उपलब्ध करायी है। इस पोर्टल पर लगभग 8000 उपलब्ध संसाधन की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर मोबाईल एप्प के जरिये से सचेत रहने हेतु जन संदेश (Mass Massaging) पहुँचाने के लिए व्यवस्था की है। इसमें जिलाधिकारी (38), उप–समाईता (38), बी.डी.ओ. (534), अंचलाधिकारी (534), फोकल शिक्षक (1542), नाव–नाविक मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित 207429, गैर चयनित 435699), जीविका दीदी (148890), आशा कार्यकर्ता (77542), आंगनबाड़ी सेविका (45946) अन्य प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्री आदि जुड़े है। अब तक इस जन संदेश का उपयोग पूर्व चेतावनी, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण, जागरूकता, बचाव, क्या करें, क्या न करें के विषयों पर किया गया है।

8.7 जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं से संयोजन :– नगर निगम प्रशासन का जिला आपदा प्रबंधन योजना (प्रारूप) में विनिर्दिष्ट निम्न समितियों में प्रतिनिधित्व प्रस्तावित है।

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष – जिला पदाधिकारी
- जिला राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति – जिला परिशद अध्यक्ष
- नगर राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति – नगर निगम के मेयर तथा नगर आयुक्त

- वार्ड राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति – वार्ड–आयुक्त, उनके प्रतिद्वदी एवं वार्ड तहसीलदार

नगर निगम क्षेत्र में भी ही सभी आपदाआ के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य प्रति की कार्रवाईयों एवं राहत तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति के लिए संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अधिकृत हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिला के सभी विभागों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रतिनियोजित की गई है।

नगर निगम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन स संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अध्याय 4 की धारा 30 की निम्न उपधाराओं में स्पष्ट किया गया है।

30.*2.(III)* – जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रो की पहचान की गई है। आपदाओं के निवारण और इसके प्रभावा के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागो द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये है।

30.2.*(IV)* – जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावों के न्यूनीकरण तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जाता है।

30.2.*(X)* – जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागा या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो आवश्यक हो।

30.2.*(XI)* – तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंद्ध विभागो या संबंद्ध प्राधिकारियों को जहाँ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानो के आलोक में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक तथा मानवीय घटना घटित होने पर प्रत्युत्तर प्रक्रिया की पहल नेतृत्व तथा समन्वय का सम्पूर्ण दायित्व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को है। उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं।

(अधिनियम की धारा 30.2.XVI से 30.2.XXIV तथा धारा 34(a) से 34(m) तक द्रष्टव्य है)। इसके आलोक में नगर निगम क्षेत्र में प्रत्युत्तर हेतु जिला आपदा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

(उपरोक्त सभी धाराओं का अनुपालन पूर्णिया शहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा नगर निगम के आपसी समन्वय से किया जा सकेगा।)

8.8 **नगर आपदा प्रबंधन समिति** :– नगर निगम के अंतर्गत नगर आपदा प्रबंधन समिति का गठन मेयर/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से किया जायेगा।

- मेयर – अध्यक्ष
- नगर आयुक्त – उपाध्यक्ष
- उप नगर आयुक्त – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- सिटी प्रबंधक – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास प्रमंडल – सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल – सदस्य

- कार्यपालक अभियंता जल निस्करण – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल – सदस्य
- वन प्रमंडल पदाधिकारी – सदस्य
- जिला कृषि/उद्यान पदाधिकारी – सदस्य
- जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
- आपूर्ति पदाधिकारी – सदस्य

8.9 आपात्कालीन सहायता प्रणाली :– नगर निगम, किसी भी आपदा के दौरान, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के नेतृत्व तथा निर्देशन में वैसे सभी आपातकालीन समर्थन कार्य करेगी, जिसका अधिकारिता बिहार नगरपालिका अधिनियम–2022 द्वारा नगर निगम को प्राप्त है, एवं समय–समय पर शहरी विकास विभाग या अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, द्वारा निर्देशित किया जाता है। नगर निगम, आपदा काल में प्रत्युत्तर के लिए एक त्वरित प्रत्युत्तर दल (Quick Response Team) का गठन करेगी जो न्यूनतम समय अंतराल में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिये सदा सर्वदा 24x7 टीम लीडर एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी तथा आवश्यक यंत्र संयत्रो के साथ तैयार रहेगी।

इस QRT के सभी सदस्यों का नाम संपर्क, मोबाइल नम्बर उनकी विशेषज्ञता तथा कौशल की जानकारी संबंधी सारी सूचनायें टीम लीडर के पास उपलब्ध होगी। नगर निगम के पास प्रत्युत्तर हतु पूर्व से तैयार रखी गई यंत्र–संयंत्र जो चालू हालत में रखी गई हो तथा जमा की गई सामग्रियों की जानकारी भी हमेशा उपलब्ध रहेगी ताकि समय पर काम आये। आपात्कालीन प्रत्युत्तर के लिए अतिरिक्त सामग्री की जरूरत पड़ने पर आपूर्तिकर्त्ताओ को पहले से चिह्नित कर उन्हें संभावित क्रय आदेश निर्गत की जायेगी। नगर निगम के पास इन कार्यो को पूरा करने क लिए निधि का उपबंध बजट में किया जायेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना में निम्नांकित 15 प्रकार के आपातकालीन समर्थन कार्यो की सूची दी गई है जो निम्नांकित है :–

1. सूचना आदान–प्रदान
2. कानून व्यवस्था
3. खोज एवं बचाव
4. राहत एवं आश्रय
5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
6. पालतू पशु आश्रय एवं चारा
7. पेयजल आपूर्ति
8. उर्जा आपूर्ति
9. परिवहन व्यवस्था
10. लाक निर्माण कार्य
11. मलवा निपटान एवं सफाई

12. क्षति आकलन

13. सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्र

14. दान प्रबंधन

15. मीडिया प्रबंधन

8.9 घटना प्रक्रिया तंत्र और उसके मानक संचालन प्रक्रिया :

पूर्णिया नगर के किसी भी वार्ड या वार्ड समूहों में अथवा पूरे शहर में आने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में उपरोक्त आपात्कालीन समर्थन कार्य हेतु नगर निगम द्वारा निम्न कार्रवाई की जायेगी। इस दौरान बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 के अनुच्छेद 30 एवं 31 के अनुसार गठित वार्डो की समिति तथा वार्ड समिति को सक्रिय किया जायेगा।

1. **सूचना आदान–प्रदान** :– जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से किसी आपदा के घटित होने की पूर्व सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगा।

2. **कानून व्यवस्था** :– जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा।

3. **खोज एवं बचाव** :– L_1 स्तर की अत्यंत साधारण आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। किसी गंभीर आपदा के समय जिलाधिकारी स्तर पर SDRF, NDRF या सेना को खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

4. **राहत एवं आश्रय** :– जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति को व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लीचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें जिलाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।

5. **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता** :– पूर्णिया शहर में चक्रवाती तुफान, भूकम्प, अग्नि, जल जमाव, मौसमी बीमारी, वैश्विक महामारी तथा अन्य व्यापक प्रभाव वाली आपदाओं के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था स्वच्छता व्यवस्था को निर्बाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

6. **पालतू पशु आश्रय एवं चारा** :– जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जाते हैं वहाँ पशुओं का मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिन्हित कार्य बल जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लीचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर को व्यवस्था की जायेगी।

7. **पेयजल आपूर्ति** :– जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर तत्काल टैंकर द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।

8. **उर्जा आपूर्ति** :– उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।

9. **परिवहन व्यवस्था** :– आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था, जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा की जायेगी।

10. **लोक निर्माण कार्य** :– सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेगे।

11. **मलवा निपटान एवं सफाई** :– विभिन्न आपदाओं में भिन्न–भिन्न प्रकार का मलवा इकट्ठा होता है। जिसे यथाशीघ्र उस जगह से हटाकर सामान्य जीवन व्यवहार बहाल करना आवश्यक होता है।

    आपदावार मलवा निपटान एवं सफाई के लिए निम्न प्रकार का आपात्कालीन समर्थन कार्य की तैयारो नगर निगम के द्वारा की जायेगी।

    (क) भूकम्प – भूकम्प के दौरान जमींदोज हो गये भवन या पानी की टंकी का मलवा निपटान के लिए डोजर, डम्फर, जेसीबी इत्यादि मशीनों का तैयार रखा जायेगा। कंक्रीट के छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर तथा कंक्रीट के भीतर के सरिये को लेजर बीम से काटने का प्रबंध किया जायेगा। इन छोटे टुकड़ो को जेसीबी तथा डोजर से समेट कर डम्फर में लोड कर दिया जायेगा। जिसे शहर के इर्द–गिर्द नीचे गड्ढ को भरने के लिए अथवा ठोस कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा।

    (ख) जलजमाव – शहर में जलजमाव वार्ड सं॰ 9,11,31,34,35,41 एवं 42 को प्रभावित करती है। जलजमाव के बाद शहरों की गलियों, सड़का तथा घरो से गाद एवं गीला कूडा बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाता है। इसको समेटने के लिए वाइपर तथा डोजर का प्रयोग किया जायेगा तथा इसे भी शहर के निकट किसी गड्ढ या पूर्व निर्धारित कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। अतिवृष्टि के कारण नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने तथा सभी नागरिक सुविधाओं में आई रूकावट को दूर करने के लिए बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 5133 दि॰ 27.9.19 द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक मे समुचित कार्य किया जायेगा। इसमें जल निकासी हेतु पंपो का उपयोग कर जल निकासी के उपरांत संक्रमण रोगा से बचने के उपाय, जल भरे गड्ढो को चिह्नित करने मेन हॉल को बंद रखने का आदेश अंकित है।

    (ग) अग्नि : अगलगी की अवस्था में तुंरत प्रत्युत्तर की कारवाई की जा सके इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, पटना ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसे विस्तृत से अनुलग्नक में देखा जा सकता है।

    (घ) चक्रवाती तूफान – इस आपदा के दौरान आम तौर पर बड़े–बड़े पेड़ सड़को पर गिर कर आवागमन बांधित कर देते है। इनको जल्द से जल्द हटाना आवश्यक होता है। छोटे–मोटे पेड़ पौधो को हटाने के लिए कुल्हाड़ी, कुदाल अथवा मोबाइल आरी मशीन से काटकर इनके छोटे टुकड़ो को एकत्रित कर इनका भंडारण किसी खुले स्थान में कर दिया जायेगा। जहाँ से यह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

    इस आपदा के दौरान टीन के छतो के उड़ने तथा अन्य हल्के पदार्थ बेतरतीब तरीके से सड़को पर फैलकर आवागमन को बाधित करते है। इनको इकट्ठाकर निपटान किया जायेगा। इसके

अतिरिक्त आपदा के दौरान मृत लावारिस पशु तथा मनुष्य के शवो का विधिवत निपटान यथा दफनाने/जलाने का कार्य भी नगर निगम की आपदा कालीन प्रत्युत्तर दल की विशेष टीम द्वारा किया जायेगा।

12. **क्षति आकलन** – अध्याय 10 उपखंड 10.1 पर देखा जा सकता है।

13. **सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्र** :– सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।

14. **दान प्रबंधन** :– आपदा की स्थिति में गैर समुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगें।

15. **मीडिया प्रबंधन** :– संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नाडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।

8.10 समन्वय : सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें तथा दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेगें।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 9

आपदावार प्रत्युत्तर कार्य एवं उत्तरदायित्व

Disaster wise Response Activity & Responsibilities

पूर्व के अध्याय –8 में प्रत्युत्तर योजना की विशेष रूप से चर्चा की गई है, जबकि इस अध्याय–9 में संभावित विषम परिस्थिति तथा आपदा काल म की जाने वाली कारवाई (आपदावार), विभिन्न हितधारकों का दायित्व तथा वार्डवार उपलब्ध संसाधनों (सरकारी तथा निजी) की सूचो भी संलग्न की गई है। संसाधन तीन श्रेणीयों – मानव, भौतिक तथा यांत्रिक– में संकलित किये गये है। इसके अलावा शहर में अवस्थित संकरी गलियों की भी पहचान की गई है। सभी सूचनाएं एक जगह उपलब्ध होने से त्वरित कारवाई में सुविधा होगी। आपदा में किये जाने वाले कार्यों का समय–समय पर आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

9.1 आपदावार प्रत्युत्तर कार्य :

भूकंप

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	भविष्य में संभावित आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
• **संपूर्ण शहर 'सिसमिक जोन–IV' में आता है जिसके कारण 'रिचटर स्केल' – 5.5 या उससे उपर के कंपन होने से G_3 (भारी क्षति) लेवल की नुकसान होने की संभावना बना रहता है।** • **भूकंप या अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए शहर को छः जोन में विभक्त किया जा सकता है।** • **सर्वाधिक जनसंख्या वाले वार्ड 11,12,13,21 से 25 तक तथा 27,28 (जनसंख्या – 55,937) तथा वार्ड सं. 19, 20, 26, 29, 30,41,42 (जनसंख्या 50,152) में योजना बद्ध तरीके से बचाव एवं निकासी कार्य को सम्पादित**	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पूर्व/पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही जिला नियंत्रण कक्ष तथा नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640
	नगरीय टॉस्क फोर्स को सक्रिय करना। अगले 72 घंट के लिए एक कार्य योजना तैयार करना। प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का प्रतिवेदन तैयार करना। राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) से सहायता हेतु संपर्क स्थापित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 जिलाधिकारी –9473191358 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 नगर आयुक्त – 8521450586 सिटी मैनेंजर – 9473385640
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा समिति इकाई द्वारा निदेशित कार्य किया जायेगा। सभी हताहत लोगों को अस्पताल पहुँचाना। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा निजो अस्पतालों एवं ब्लड बैंक को तैयार रहने हेतु निर्देश जारी करना साथ ही एम्बुलेंस को तैयार रखना। **(निजी एम्बुलेंस की सुची संलग्न)**	**पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431822998 एसडीपीओ(सदर) –9431800049 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 जोएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631

<table>
<tr>
<td rowspan="4">करने की आवश्यकता होगी।
• नगर निगम ने शहर के इलाकों को प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क तथा अन्य सड़क (आवासीय) के रूप में वर्गीकृत कर रखा है।
• RCC संरचनाओं से इतर ईट पत्थर से चिनाई कर बनाई गई दीवारों एवं छत वाले मकान जो भूकंप रोधी तकनीक अपनाकर नहीं बने हैं उनका ध्वस्त हो जाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों का घायल होना मलवे में दब जाने की संभावना।
• विद्युत आपूर्ति तथा पेयजल आपूर्ति का बाधित होने की संभावना।
• संकरी गलियों में आवागमन अवरूद्ध हो जाने की संभावना।
• पुल–पुलिया ध्वस्त होने के कारण आवागमन अवरूद्ध हो जाने की संभावना।</td>
<td></td>
<td>ब्लड बैंक– रेड क्रॉस सोसाईटी 9431656458
निजी ब्लड बैंक– मैक्स 9431230052, किरण 9572851001</td>
</tr>
<tr>
<td>L_1 स्तर की आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। जिलाधिकारी स्तर पर SDRF, को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।</td>
<td>जिला आपदा प्रबंधन संभाग :
नियंत्रण कक्ष–06454 243000
प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556
सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900
SDRF- जिला स्कूल प्रांगण (वार्ड–22) 9353212536</td>
</tr>
<tr>
<td>प्राथमिकता के आधार पर खोज एवं बचाव के कार्य निम्नलिखित वार्डों में जो काफी सघन है, में क्लस्टर बना कर किया जायेगा ताकि अधिकतम जानमाल की रक्षा हो सके।(वार्ड सं.–2,3,5,6, 12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,25,27,28, एवं 29) कुल आबादी – 90,000+ इनमें से अधिकांश वार्ड शहर के उत्तरी पश्चिम तथा उत्तरी मध्य में अवस्थित हैं। अतः दो से तीन क्लस्टर बना कर बचाव कार्य श्रेयस्कर होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वार्ड–5(6616), वार्ड–15(6227), वार्ड–25 (6752), वार्ड–29 (6916) में अवस्थित है।</td>
<td>जिला आपदा प्रबंधन संभाग :
नियंत्रण कक्ष–06454 243000
जिलाधिकारी –9473191358
पुलिसः आरक्षी अधिक्षक –9431822998
नगर निगम : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902
नगर आयुक्त – 8521450586
नगर विकास प्रमंडल– 7677001523
जिला अग्निशमन पदाधिकारी : 7004745386
SDRF- जिला स्कूल प्रांगण (वार्ड–22) 9353212536</td>
</tr>
<tr>
<td>भूकम्प के दौरान जमींदोज हो गये भवन या अन्य संरचना के मलवा निपटान के लिए डोजर, डम्फर, जेसीबी इत्यादि मशीनों को तैयार रखा जायेगा। कंक्रीट के छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर तथा कंक्रीट के भीतर के सरिये को लेजर बीम से काटने का प्रबंध किया जायेगा। इन छोटे टुकड़ो को जेसीबी तथा डोजर से समेट कर डम्फर में लोड कर दिया जायेगा। जिसे शहर के इर्द–गिर्द नीचे गड्ढे को भरने के लिए अथवा ठोस कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। संकरी गलियों में फसे लोगों के खोज बचाव को प्राथमिकता दी जायेगी।(गलियों की सूची –संलग्न)</td>
<td>नगर निगम : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902
सिटी मैनेंजर – 9473385640
पथ निर्माण विभाग(यांत्रिक) :
कार्यपालक अभियंता–9470001297
सहायक अभियंता– 7321963771
SDRF: जिला स्कूल प्रांगण (वार्ड–22) 9353212536
जेसीबी– (वार्ड–12)कंपनी सप्लायर 7281001048,
(वार्ड–26) राजीव मिश्रा 8757581299,
(वार्ड–33) अख्तर हुसैन 7779826492,
(वार्ड–37) संजय पाण्डे 7541016490,
(वार्ड–41) अभिनाश 6204755144
ट्रेक्टर–(वार्ड–1) भुनेश्वर यादव 9798384276,
सुनिल यादव 7320030154,
(वार्ड–10) मो. इस्माईल 9661880900
(वार्ड–18) मंटु यादव 8539842102
(वार्ड–25) संतोष साह 9934741451
ट्रक–(वार्ड–10) राजा दास 9555230110</td>
</tr>
</table>

		क्रेन–(वार्ड–2) पंकज श्रीवास्तव 9973322145, (वार्ड–36) अशोक कुमार 9431869143 **आरा मशीन**–(वार्ड–43) किशोर शर्मा 9771870755
	निर्देशित सभी आश्रय स्थलो / खुले मैदान के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एव निपटान की व्यवस्था, ठास कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008 सफाई निरीक्षक–9204596165 **खुले मैदान** : राजकीय पॉलेटेनिक (वार्ड–7), रंगभूमि मैदान (वार्ड–13), पुरानी हवाई अड्डा (कोट स्टेशन, वार्ड–18) **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल** : कार्यपालक अभियंता –7979076133 **निजी टेन्ट हाउस** (वार्ड–1) काजल 9973632212, (वार्ड–5) मेहता 9006824605 (वार्ड–9) प्रमोद दास 7488624068 विजय उरांव 7644041393, विक्की– 7650226045
	शहर की सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008
	जहाँ भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयंत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	**पशुपालन विभाग** : जिला पशुपालन पदा. – 7004410834 **नगर निगम** : मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008
	जहाँ पाईप एवं नल द्वारा पेय जल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर लो.स्वा.अभि. प्रमंडल द्वारा तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियंता –7979076133
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था की जायेगी।	**विद्युत विभाग** : कार्यपालक अभियंता – 7763815331 सहायक अभियंता– 7763815254 कनीय अभियंता–7763814896

	आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।	**परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदा.–9934915786
	सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण, रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेगे।	**नगर विकास एवं भवन निर्माण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियता–9661696981
	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन **(ख)** आवश्यकता का आकलन ▪ पूणतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदर के रूप किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी :** प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **अंचल कार्यालय (सदर):** अंचलाधिकारी – 8544412807
	सभी विभागों / संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900
	आपदा की स्थिति में सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556
	संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मिडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को सही जानकारी दी जा सकेगी तथा अफवाहों से बचा जा सकेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **जिला जनसंपर्क पदाधिकारी** : 8873330246 सभी मिडिया के प्रतिनिधि : संलग्न।

	शवों क अंतिम संस्कार के संदर्भ में मृतकों की पहचान/फोटो/ पोस्टमार्टम रिपोट के रख रखाव की व्यवस्था करना।	**पुलिसः** एसडीपीओ(सदर) –9431800049 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 2 आधुनिक एवं 4 बुनियादी सुविधा युक्त तथा एक शव वाहन उपलब्ध है। **निजी एम्बुलेंस** : (वार्ड–4) तफेजुल–9560631781 (वार्ड–17) अजय शर्मा–7644231089 (वार्ड–7) सुशील कुमार – 8051579112
	मृत्यु, घायल या संपत्ति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पॉस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक 01/प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF) 06/2021/6304/आ॰प्र॰ दिनांक 31.12.2022)**	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556

नोट : शहर में उपलब्ध अन्य निजि एम्बुलेंस निम्नवत हैः

शहर में निजी एम्बुलेंस की उपलब्धता					
	वाहन मालिक नाम	**मोबाईल**	**वाहन मालिक नाम**		**मोबाईल**
1	सुनील कुमार	8051579112	**6**	प्रवीण कुमार राय	7549272704
2	शेख तफेजुल	9973624688	**7**	मो. मुस्ताक	9934759188
3	लालु यादव (शौकत)	9334922284	**8**	मो. साफिक	9709495136
4	मो. एनुल	7903434931	**9**	रूस्तम	8340203802
5	सुमन कुमारी साह	9110174375			

जलजमाव

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
• **अतिवृष्टि के कारण निम्न स्थलों पर स्थिति अत्यंत विकट हो सकती है।** • **सत्संग विहार, मरंगा,** • **सिपाही टोला (मस्जिद के निकट)** • **बाघमारा वार्ड सं. 34 में रेलवे लाईन के बगल में। होसदा खुश्की बाग एवं माधोपुरा।** • **यहाँ जल जमाव के कारण लोगों की दिनचर्या ठप्प हो जाती है।** • **आवागमन बाधित हो जाता है। विद्युत स्पर्शाघात से बचाने के लिए विद्युत आपूर्ति काटनी भी पड़ती है।** • **खाना–पानी की समस्या बढ़ जातो है। गंदा जल जनित बोमारो फैलने लगती है।**	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पूर्व/पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 नगर आयुक्त – 8521450586 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक –9470261008
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **पुलिस** : आरक्षी अधिक्षक –9431822998 एसडीपीओ(सदर) –9431800049
	L_1 स्तर की आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। किसी गंभीर आपदा के समय जिलाधिकारी स्तर पर SDRF को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण (वार्ड–22)** 9353212536
	निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी.डी.टी., ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक –9470261008 **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल** : कार्यपालक अभियंता –7979076133 **निजी वाटर टैंकर** : रूपप्रकाश सिंह (वार्ड–10) 8084002355 सोहन कुमार (वार्ड–13) 9570755238 **संभावित आश्रय स्थल** : सिन्हा पब्लिक स्कूल 21कमरें, (वार्ड–15) मनोज सिन्हा–9431205721 प्रा. विद्यालय, (वार्ड–21) अनिता देवी –8271656869
	शहर की सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक –9470261008

		सफाई निरीक्षक – 9204596165
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे। वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	**पशुपालन विभाग :** जिला पशुपालन पदा. – 7004410834
	जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेय जल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर लो.स्वा.अभि. प्रमंडल द्वारा तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **परिवहन विभाग :** जिला परिवहन पदाधिकारी –9934915786 **जिला खाद्य आपुर्ति विभाग :** जिला आपुर्ति पदाधिकारी–8340509974
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।	**विद्युत विभाग :** कार्यपालक अभियंता – 7763815331 सहायक अभियंता– 7763815254 कनीय अभियंता–7763814896
	आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.) – 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.) – 740820900 **परिवहन विभाग :** जिला परिवहन पदाधिकारी –9934915786 **जिला खाद्य आपुर्ति विभाग :** जिला आपुर्ति पदाधिकारी –8340509974
	सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य करायें जायेगे और पानी के बहाव में अथवा अतिक्रमण के कारण हो रहे अवरूद्धता को शीघ्र हटाया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06454 243000 जिलाधिकारी –9473191358 **नगर निगम :** नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 नगर आयुक्त – 8521450586 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **नगर विकास एवं भवन निर्माण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियंता–9661696981

	शहर में यह आपदा वार्ड सं॰ 9,11, 21, 22, 23, 30, 31, 34, 35, 41, 42 एवं कारीकोशी के निकट लालगंज को विशेष रूप से प्रभावित करती है। उच्च शक्ति पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला जायेगा। जलजमाव के बाद शहरों की गलियों, सड़को तथा घरो से गाद एवं गीला कूढ़ा बहुत बड़ी मात्रा में फैले मिलते है। इनको समेटने के लिए वाइपर तथा डोजर का प्रयोग किया जायेगा तथा इसे भी शहर के निकट किसी गड्ढे या पूर्व निर्धारित कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। जल निकासी हेतु पंपो का उपयोग कर जल निकासी के उपरांत संक्रमण रोगो से बचने के उपाय, जल भरे गड्ढो को चिह्नित करने तथा मेन हॉल को बंद रखने का कार्य किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक – 9470261008 सफाई निरीक्षक – 9204596165 **नगर निगम संसाधन :** जे.सी.बी. 2, टैक्टर टेलर 7, बाबकैट 1 **निजी संसाधनः जे.सी.बी** (वार्ड–44) सोनु साह–9661821688 (वार्ड–45) मुन्ना मिंज–9304137629 (वार्ड–46) नीरज सिंह–7541957133, (वार्ड–46)प्रदीप जयसवाल–9661523491 **टैक्टरः** (वार्ड–33) मो. नईयर आलम –9931738426 (वार्ड–40) सैयद अदिल–9430039254 (वार्ड–43) विकास यादव –8252278064 **पंप सेटः** (वार्ड–45) वेदनाथ सिंह –8651371909
	जलनिकासी के प्रत्युत्तर कार्य :– ▪ वार्ड सं. 3 शक्तिनगर शिवधाम से 300 फीट पाईप लगाकर परती खेत में पानी की निकासी। ▪ वार्ड सं. 5 एवं 6 डॉलर हाउस चौक से रहमत नगर रोड– 250 फीट पाईप से पानी की निकासी। ▪ वार्ड सं. 7 जगदंबा स्कूल से पूरब की ओर 100 फीट पाईप लगाकर खेत में पानी निकासी। ▪ वार्ड सं. 21,26,27 एवं 28 बाड़ी हाट से मस्जिद होते हुए बड़ा नाला में 100 फीट पाईप से निकासी।(ढ़लैया नाला की आवश्यकता) ▪ वार्ड सं. 36 पोलो ग्रांउड के हासदा रोड टपा कर 70 फीट पाईप लगाकर पानी की निकासी। ▪ वार्ड सं 37 गुलाबबाग के समीप 50 फीट पाईप लगाकर NH-31 में लिफ्ट कर भानुसमारा में निकासी। ▪ वार्ड सं. 38 सरदार टोला (बचपन स्कूल समीप) 50 फीट पाईप लगाकर NH-31 के मेन नाला में निकासी।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 नगर आयुक्त –8521450586 उपनगर आयुक्त – 9546825454 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक – 9470261008 सफाई निरीक्षक – 9204596165 कनीय अभियंता 1– 7992280648 कनीय अभियंता 2 – 7903982354 **नगर निगम का पंप**– 40एचपी का दो एवं 20एचपी का 4 पंप **निजी पंप सेटः** (वार्ड–45) वेदनाथ सिंह –8651371909

	▪ वार्ड सं. 39 पूरी बस्ती (सिंधिया) में 100 फीट पाईप लगाकर भानुसमारा धार में पानी की निकासी। ▪ वार्ड सं. 42 श्रीनगर से पानी को 300 फीट पाईप लगाकर सौरा नदी के नाले में निकासी।	
	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन, मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतः संरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन, **(ख)** आवश्यकता का आकलन ▪ पूणतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पॉस निधि के नये मानदर के रूप किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी :** जिलाधिकारी –9473191358 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **अंचल कार्यालय (सदर):** अंचलाधिकारी – 8544412807 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 नगर आयुक्त – 8521450586
	सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900
	आपदा की स्थिति में गैर सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमा से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900
	संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को सही जानकारी दी जा सकेगी तथा अफवाहों से बचा जा सकेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **जिला जनसंपर्क पदा.** : 8873330246 सभी मिडिया के प्रतिनिधि : संलग्न।

नोटः जलजमाव की स्थिति में नगर निगम आवश्यकतानुसार वार्ड स्तर पर दलों का गठन करेगा। प्रत्येक दल में एक प्रशासकीय पदाधिकारी, एक अभियंता, एक सफाई निरीक्षक तथा जरूरत के हिसाब से सफाई कर्मचारी रहेंगे। सभी के पास आवश्यक मशीन होगे।

शहरी बाढ़

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
▪ **पूर्णिया शहर के पूर्वी भाग में सौरा नदी प्रवाहित होती है। इसके दांया तट पर पूर्णिया शहर को नदी की बाढ़ से सुरक्षित करनेके लिए एक सुरक्षा तटबंध निर्मित है। इस नदी का जलस्तर खतरे के निशान के उपर जाते ही जब उच्चतम बाढ़ स्तर की ओर बढ़ने लगता है तो तटबंध में रिसाव तथा इसके टूटने पर शहर में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है।** ▪ **नदी के तट के समीप असुरक्षित क्षेत्र वार्ड सं. 30,31,41 एवं 42 में नया टोला से राम टोला तक बसी आबादी को बाढ़ से बचाने के उपाय करने होते हैं। यहाँ आवागमन, अजीविका तथा दैनिक दिनचर्या में व्यवधान आ जाता है। चिकित्सीय कार्य में व्यवधान एवं जल जनित बोमारो से सुरक्षा करनी होती है। लगभग छः हजार परिवारों को सुरक्षित अस्थाई शिविरों में रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है।**	बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूर्णिया या FMIS पटना से बाढ़ सुरक्षा तटबंध में रिसाव ओभर टॉपिंग या टूटान/कटान की सूचना प्राप्त होते ही नगर कट्रोल रूम कार्यशील हो जायेगा। जिससे कि सूचना का सही समय और सही संस्था/व्यक्ति तक पहुँच सके।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल** : कार्यपालक अभियंता –7463889220 सहायक अभियंता – 7463889221/22
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा कानून व्यवस्था का देखाभाल किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **पुलिस** : आरक्षी अधिक्षक –9431822998 एसडीपीओ(सदर) –9431800049
	L_1 स्तर की आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। किसी गंभीर आपदा के समय जिलाधिकारी स्तर पर SDRF, NDRF या सेना को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण (वार्ड–22)** 9353212536
	निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लीचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक –9470261008 **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल** : कार्यपालक अभियंता –7979076133 **निजी वाटर टैंकर** : रूपप्रकाश सिंह (वार्ड–10) 8084002355 सोहन कुमार (वार्ड–13) 9570755238 **संभावित आश्रय स्थल** : मध्य विद्यायल रिफयुजी कॉलनी, रामकिशन (वार्ड–1)–9430935357 सरकारी स्कूल, मध्य विद्यालय, दुर्गा मंदिर रोड(वार्ड–2) 9431607664 संत जेवियर्स स्कूल(10 रूम),

▪ **(संदर्भ – 2017 एवं 1987 का बाढ़ उच्चतम जलस्तर 35.88 मीटर)**		प्रशांत,शिवधाम (वार्ड–3) 9431206320 जगदम्ब म.वि., मृदभाषणी, सिपाही टोला(वार्ड–6) 8869757758 स्टार पब्लिक स्कूल, (12 रूम), कृत ना. यादव, पोखकर रोड (वार्ड–26) 9472049565, सोलविनिग मिशन स्कूल, खुशकी बाग (वाड–41) 9431230137
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे। वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक –9470261008 **पशुपालन विभाग** : जिला पशुपालन पदा. – 7004410834
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।	**विद्युत विभाग** : कार्यपालक अभियंता – 7763815331 सहायक अभियंता– 7763815254 कनीय अभियंता–7763814896
	आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए नाव या अन्य परिवहन व्यवस्था, की जायेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **परिवहन विभाग**: जिला परिवहन पदाधिकारी –9934915786 **जिला खाद्य आपुर्ति विभाग** : जिला आपुर्ति पदाधिकारी – 8340509974
	संवेदनशील स्थलों पर निगरानी तथा सुरक्षा तटबंध के क्षतिग्रस्त भाग की त्वरित मरम्मति तथा कमजोर भाग के सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **पुलिस** आरक्षी अधिक्षक –9431822998 एसडीपीओ(सदर) –9431800049 **बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल** : कार्यपालक अभियंता –7463889220 सहायक अभियंता – 7463889221/22

	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन, **(ख)** आवश्यकता का आकलन ▪ पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदर के रूप किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी :** जिलाधिकारी –9473191358 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **अंचल कार्यालय (सदर):** अंचलाधिकारी – 8544412807 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 नगर आयुक्त – 8521450586
	सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900
	आपदा की स्थिति में गैर समुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900
	संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को सही जानकारी दी जा सकेगी तथा अफवाहों से बचा जा सकेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **जिला जनसंपर्क पदा.** : 8873330246
	मृत्यु, घायल या संपति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पास कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पास कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभाावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक01/प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF)06/2021/6304/आ॰प्र॰ दिनांक 31. 12.2022)**	**जिला पदाधिकारी :** जिलाधिकारी –9473191358 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **अंचल कार्यालय (सदर):** अंचलाधिकारी – 8544412807

अगलगी

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	भविष्य में संभावित आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	**2**	**3**
निम्नलिखित स्थलों पर आग लगने पर शीघ्र ही विकराल रूप ले सकती है। • **मधुबनी बाजार** • **गुलाब बाग** • **खुश्की बाग** • **बेलौरी** • **राम बाग** • **वार्ड सं. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 20, 21 23, 26, 27, 28, 29, एवं 31 इन 23 वार्डो में अवस्थित मलिन बस्तियों में से किसी में भी आग लगने पर भयानक रूप धारण कर सकती है।** • **इसके अतिरिक्त शादी, सभा या धार्मिक उत्सव स्थल पर बांस बल्ली तथा ज्वलनशील कपड़ो से बने पंडाल भी कारण हो सकते है।** • **घने आबादी क्षेत्र में स्थित जूट एवं पटुआ के गोदाम कागज तथा प्लाईबोर्ड गोदाम, कपड़ा दुकान इत्यादि।** • **यहां आग लगने पर बड़े पैमाने पर जान–माल की हानि हो सकती है।**	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी। जिला फायर ऑफिस तुरंत घटना स्थल रवाना होगी। भयंकर अगलगी की स्थिति में जिलाधिकारी स्वयं घटना स्थल पर पहुँचेगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 जिलाधिकारी –9473191358 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **फायर ऑफिस** : 101 **समादेष्टा** : 9473191921 **जिला अग्निशमन पदा** : 7004745386
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा। अस्पताल को तैयार रहने हेतु तुरंत सूचित किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी** : जिलाधिकारी –9473191358 **पुलिस**: आरक्षी अधिक्षक –9431822998 एसडीपीओ (सदर) –9431800049 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631
	L_1 स्तर की आपदा काल में अग्निशमनालय को सूचित कर बुलाया जायेगा। वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल को सक्रिय किया जायेगा। गंभीर आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी स्तर पर SDRF को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा। संकरी गलियों में आग लगने की स्थिति में छोटे फायर टेंडर का उपयोग तथा उपलब्ध जलस्त्रोतों की पहचान की जायेगी। (गलियों की सूचो –संलग्न)	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **जिला अग्निशमन कार्यालय**–7004745386 **अग्निशमनालय** : 2 बड़े वाटर टेन्डर(4500 लिटर) तथा 5 छोटे मिस्ट टेकनोलॉजी (300 लिटर, 50लिटर फोम) **हाईड्रेन्ट** : वार्ड–7,9(दो),13,14,24 एवं 28 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण (वार्ड–22)** 9353212536
	आश्रय स्थलों के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठास कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008 सफाई निरीक्षक–9204596165 **खुले मैदान** : राजकीय पॉलेटेनिक (वार्ड–7),

		रंगभूमि मैदान (वार्ड–13), पुरानी हवाई अड्डा (कोट स्टेशन, वार्ड–18) **टेन्ट हाउस** : (वार्ड–1) पन्ना लाल–9570882575 (वार्ड–3) राधेश्याम गुप्ता– 9199063605, (वार्ड–4) मुकेश–7488752100 (वार्ड–8) सोनु चौहान –9534663197 (वार्ड–15)पन्नालाल पासवान– 9570882575
	सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे। वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयंत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, बिल्चिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	**पशुपालन विभाग** :जिला पशुपालन पदा. – 7004410834 **नगर निगम** : मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008
	आपदा के कारण व्यवधान आने पर लो.स्वा.अभि. प्रमंडल द्वारा तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। जरूरी होने पर अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रतिशीघ्र दूर करते हुये जलपूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	नगर निगम में उपलब्ध टैंकर की संख्या–2 **निजी वाटर टैंकर** : रूपप्रकाश सिंह (वार्ड–10) 8084002355 सोहन कुमार (वार्ड–13) 9570755238
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।	**विद्युत विभाग** : कार्यपालक अभियंता – 7763815331 सहायक अभियंता– 7763815254 कनीय अभियंता–7763814896
	गोन कोरीडोर (बाधा रहित मार्ग) बनाना। यह कार्य अप या डाउन किसी एक लेन को सुरक्षित कर या किसी मार्ग को पूर्णतः बंद कर किया जा सकता है।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : जिलाधिकारी – 9473191358 **पुलिस** : आरक्षी अधिक्षक – 9431822998 एसडीपीओ (सदर) –9431800049 **अस्पताल** : अस्पताल अधिक्षक –9431872316 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 2 आधुनिक एवं 4 बुनियादी सुविधा युक्त तथा एक शव वाहन उपलब्ध है। **निजी एम्बुलेंस** : सूची संलग्न

	आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था की जायेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदाधिकारी –9934915786 **जिला खाद्य आपुर्ति विभाग** : जिला आपुर्ति पदाधिकारी – 8340509974
	अगलगी की अवस्था में तुंरत प्रत्युत्तर की कारवाई की जा सके इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, पटना ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसे विस्तृत से अनुलग्नक – 3 पर देखा जा सकता है।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार** : अग्निकांड से निपटान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया– (पृष्ठ–170)
	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्यत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं।**(क)** स्थिति का आकलन, **(ख)** आवश्यकता का आकलन। ▪ पूणतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पॉस निधि से किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **अंचल कार्यालय (सदर)**: अंचलाधिकारी – 8544412807
	सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900
	घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **जिला जनसंपर्क पदा.** : 8873330246
	जिला अग्निशमन कार्यालय शहर में उपलब्ध हाईड्रेंट का समुचित उपयोग करेगी।	**जिला अग्निशमन कार्यालय**– 7004745386 **अग्निशमनालय** : 2 बड़े वाटर टेन्डर(4500 लिटर) तथा 5 छोटे मिस्ट टेकनोलॉजी (300 लिटर, 50लिटर फोम) **शहर में अवस्थित हाईड्रेन्ट** : वार्ड–7,9 (दो),13,14,24 एवं 28 में एक–एक उपलब्ध ।

	मृत्यु, घायल या संपति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पॉस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभाावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक01/प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF)06/2021/6304/आ॰प्र॰दिनांक 31.12.2022)**	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **अंचल कार्यालय (सदर):** अंचलाधिकारी – 8544412807
• **औद्योगिक सुरक्षा**	▪ **एच.पी.सी.एल.** द्वारा L1 तथा L2 (ऑन साईट) आपात की स्थिति में प्लांट में 'वाटर फॉग' तैयार करना। अगलगी की स्थिति में संयत्र द्वारा तैयार की गई ''आपदा प्रत्युत्तर योजना'' का पालन करना। ▪ L3 की आपदा जो संयंत्र के अलावा उसके बाहर की जनसंख्या, बसावट को प्रभावित करने वाला हो वैसे स्थिति में समझौते अनुरूप सभी आवश्यक सेवाओं का जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना। ▪ अगलगी की अन्य अवस्था में जिला प्रशासन द्वारा एच.पी.सी.एल. से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि पुनरासर जुट पार्क में लगे आग के दौरान भारी मात्रा में टैंकर से पानी उपलब्ध कराया गया था।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431822998 **एच.पी.सी.एल.** प्लांट मैनेंजर –7463882753 **जिला अग्निशमन कार्यालय**–7004745386 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 2 आधुनिक एवं 4 बुनियादी सुविधा युक्त तथा एक शव वाहन उपलब्ध है। **निजी एम्बलेंस** : (वार्ड–4) तफेजुल–9560631781 (वार्ड–17) अजय शर्मा–7644231089 (वार्ड–7) सुशील कुमार – 8051579112 (वार्ड–28) मो. अब्बास–739829360 (वार्ड–29) मो. शोकत–9162057993

नोट :– उपरोक्त कारवाई आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 936, दिनांक 08.03.2022 में दिय गये निर्देश के आधार पर तैयार की गई है।

निजी एम्बुलेंस की सूची

वाहन मालिक का नाम	मोबाईल
सुनील कुमार	8051579112
शेख तफेजल	9973624688
लालु यादव (शौकत)	9334922284
मो. एनुल	7903434931
सुमन कुमारी साह	9110174375
प्रवीण कुमार राय	7549272704
मो. मुस्ताक	9934759188
मो. साफिक	9709495136
रूस्तम	8340203802

स्थापित हाईड्रेंट की अग्निशमानालय से दूरी

क्र.सं.	स्थापित हाईड्रेंट	वार्ड सं.	दूरी (कि.मी.)
1	बियाडा एच.पी. प्लांट (निजी)	9	4
2	पारस होटल भट्टा बाजार (निजी)	24	3
3	अग्निशामालय, पूर्णिया (सरकारी)	7	0
4	फोर्ड कंपनी चौक पी.एच.ई.डी. (सरकारी	13	3
5	नगर निगम (सरकारी)	14	2
6	हिन्दुस्तान मीडिया बियाडा (निजी)	9	4
7	डॉ. अरविंद कुमार (निजी)	28	5

स्वास्थ्य / महामारी

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग / संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
▪ **जिले में वर्ष 2019 तथा 2020 में करोना बीमारी की भयावहता दिखा।** ▪ **शहर के स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में शहर के लोगों के अतिरिक्त बाहर से आये प्रवासी लोगों का भी इलाज करना पड़ा।** ▪ **ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री का कुछ समय तक बड़ा अभाव रहा।** ▪ **ऐसे में शहर के सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों पर चिकित्सा व्यवस्था, जाँच एवं वैक्सीन के कार्यों का व्यापक अतिरिक्त बोझ पड़ा है।** ▪ **इसके अतिरिक्त मौसमी बीमारियों का भी प्रादुर्भाव बना रहता है।**	▪ कोरोना महामारी के आगाज होने पर केन्द्र के अनुरूप राज्य/जिला स्तर पर जारी गाईडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराना। ▪ मास्क पहनने, भीड़ में लोगों से दूरी रखने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। ▪ नियमित प्रभावित इलाकों में साफ–सफाई तथा सेनेटाईजेंसन की व्यवस्था करना। ▪ रोगियों के कोरोना संक्रमण के अनुरूप – (क) कोविड अस्पताल (ख) होम आईसोलेशन (ग) कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर में स्थान्तरित कर ईलाज करना। ▪ सहायता हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करना तथा नोडल ऑफिसर का नामित करना। ▪ ट्रेन, बस या अन्य सवारी से आने वाले लोगों का स्क्रीनिंग करना। ▪ टीकाकरण तथा वायरस जाँच के लिए अलग–अलग केन्द्र स्थापित करना।(वैक्सीन का सही तापक्रम में स्टोर करना) ▪ ऑक्सीजन की उपलब्धता (सप्लायर), ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर सर्पोट का सुचारू रूप बनायें रखना। ▪ प्रशिक्षित मेडिकलकर्मी का ड्यूटी/ उपलब्धता। ▪ आई सी यू बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन की सुविधा वाले आइसोलेशन बेड तथा वेंटिलेटर सर्पोट वाले बेड। ▪ करोना जाँच के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। ▪ एम्बुलेंस की सुविधा। ▪ संक्रमण की जाँच के लिए उपकरण।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **पुलिस:** आरक्षी अधिक्षक –9431822998 एसडीपीओ(सदर) –9431800049 **अस्पताल (नोडल विभाग) :** सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631 रेड क्रॉस सोसाईटी –9431656458 **ऑक्सीजन** : जोएमसीएच में ऑक्सीजन का दो प्लांट लगा है। **निजी ऑक्सीजन सप्लायर** – (वार्ड–43) संजय कु. यादव 7549911151 **निजी ब्लड बैंक (2)** – 9431230052, 9572851001 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 2 आधुनिक एवं 4 बुनियादी सुविधा युक्त तथा एक शव वाहन उपलब्ध है। **निजी एम्बुलेंस** : (वार्ड–4) तफेजुल–9560631781 (वार्ड–17) अजय शर्मा–7644231089 (वार्ड–7) सुशील कुमार – 8051579112 (वार्ड–28) मो. अब्बास–739829360 (वार्ड–29) मो. शोकत–9162057993 **पारामेडिकल स्टाफ**–90 **ग्रेड ए नर्स** – 67 (सिविल सर्जन के पास लिस्ट उपलब्ध) **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640

चक्रवाती तूफान

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	भविष्य में संभावित आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
• **बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का अपनी जड़ से उखड़ कर गिरना तथा इसके कारण निम्न क्षति एवं व्यवधान।** • **विगत पांच वर्षों में कई बार तेज हवायें तथा आंधी तूफान की घटना हुई है। 25 अप्रैल 2015 के रात्रि काल में तेज रफ्तार की हवा से की बड़ी संख्या में पेड़ तथा बिजली के खम्भों उखड़ने की घटना प्रतिवेदित है। काल वैशाखी की वजह से ऐसो घटनाएं लगभग प्रति वर्ष होती रहती है।** • **लोगो/पालतु जानवर की मृत्यु एवं जख्मी होना।** • **बिजली के तार पर गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा।** • **विद्युत आपूर्ति होने से पेयजल आपूर्ति ठप्प हो जाना। बहुमंजिली इमारतों के लिफ्ट का रूक जाना।** • **होर्डिंग/टिनशेड का उखड़ना।** • **अस्पतालों निजी नर्सिंग होम के कार्यो में बाध्य।** • **परिवहन व्यवस्था ठप्प होना।**	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पूर्व/पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा समिति इकाई द्वारा किया जायेगा। सभी हताहत लोगों को अस्पताल पहुँचाना।	**पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431822998 एसडीपीओ(सदर) –9431800049 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631
	L_1 स्तर की आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। जिलाधिकारी स्तर पर SDRF को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)–7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **SDRF-जिला स्कूल प्रांगण**– (वार्ड–22) 9353212536
	निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें । कुछ वार्डो को मिलाकर एक संयुक्त नगर निगम की टीम गठित की जायेगी । जिसमें सफाई निरीक्षक एवं अभियंता शामिल होगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008 सफाई निरीक्षक–9204596165 बुडको सहायक अभियंता – 7415403465 बुडको कनीय अभियंता – 7903982354
	शहर की सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे। वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयंत्र तथा कचरा परिवहन गाडिया तैनात करना। डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	**पशुपालन विभाग** : जिला पशुपालन पदा. – 7004410834 **नगर निगम** : मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008

	जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेय जल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रतिशीघ्र दूर करते हुये जलपूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियंता –7979076133
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।	**विद्युत विभाग** : कार्यपालक अभियंता – 7763815331 सहायक अभियंता– 7763815254 कनीय अभियंता–7763814896
	सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेगे।	**नगर विकास एवं भवन निर्माण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियंता–9661696981
	आम तौर पर बड़े–बड़े धराशाई पेड़ आवागमन बांधित कर देते है। इन्हें हटाने के लिए कुल्हाड़ी, मोबाइल आरा मशीन आदि से काटकर इनका तुरंत निष्पादन कर दिया जायेगा। जहाँ से यह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इस दौरान टीन के छतो के उड़ने तथा अन्य हल्के पदार्थ बेतरतीब तरीके से सड़को पर फैलकर आवागमन को बाधित करते है। जिसका निपटान किया जायेगा।	**वन प्रमंडल** : वन प्रमंडल पदाधिकारी–6454 242744 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **निजी आरा मशीन** : (वार्ड–8) राकेश कु. चौधरी 9431866273 (वार्ड–11) अरूण कु. शर्मा 9430684423 (वार्ड–28) शमीम अख्तर 9470023007 (वार्ड–46) इंदुभुषण चौधरी 8789104803 **निजी जे.सी.बो.+ट्रैक्टर** : (वार्ड–31) अरूण कु. साह 7903770058, नागा जी 9430562478 (वार्ड–32) मो. हबीब 8789589604 (वार्ड–45) मुन्ना मिंज 9304137629 **क्रेन** : (वार्ड–36) श्याम यादव 9334913509 अशोक कुमार साह 9431839143
	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन, **(ख)** आवश्यकता का आकलन ▪ पूणतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पॉस निधि के नये मानदर के रूप किया जायेगा। (संदर्भः आ॰प्र॰ः पत्रांक– 1 प्रा॰आ॰15 / 2015–1544 / आ॰प्र॰दि॰29.04.2015)	**जिला पदाधिकारी** : प्रभारी पदा.(जि.आ.प्र.)–7999515556 **अंचल कार्यालय (सदर)ः** अंचलाधिकारी – 8544412807

	सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा। आपदा की स्थिति में राहत हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे ।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902
	संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **जिला जनसंपर्क पदा.** : 8873330246
ठनका/वज्रपात (**संदर्भ**:– प्रोटाकॉल फॉर अरलि वारनिंग डिसेमिनेशन ऑन थण्डर स्टॉम एंड लाईटनिंग, एनडीएमए, जुलाई 2021)	▪ मौसम विज्ञान केंद्र से आँधी/वज्रपात की संभावना की सूचना प्राप्त होने के साथ ही इसका प्रचार–प्रसार करना। ▪ SMS हेतु दूरसंचार का संभावित क्षेत्र में वृहत प्रयोग। ▪ उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि० (NBPHCL) बिजली की आपूर्ति में कटौती करना/बहाल करना। ▪ संबंधित विभाग/संभाग को सूचित करना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 **विद्युत विभाग** : कार्यपालक अभियंता – 7763815331 सहायक अभियंता– 7763815254 कनीय अभियंता–7763814896 स्वयं सेवी संस्थान के स्थानीय इकाई

गर्मी / लू

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग / संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	4
▪ **ग्रीष्म ऋतु के दौरान अप्रैल एवं मई महीनों में प्रचंड गर्मी और कभी–कभी गर्म हवाओं का प्रवाह लू के रूप में सामने आता है। शहरी उष्ण टापू निर्माण की भी स्थिति बनती है। इसके चपेट में आने वाले व्यक्तियों के बीमार होने या मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। शहर में कई वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।** ▪ **बिहार हीट वेव एक्सन प्लान के अनुसार विगत 10 वर्षों में जिले में अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस के आस पास तापमान दर्ज है।** ▪ **विगत वर्षों का अनुभव रहा है कि मार्च महीने से ही गर्मी महसूस किया जाने लगा है।**	▪ सार्वजनिक जगहों पर (मुख्य बाजार, पुलिस ट्रैफिक पोस्ट, बस स्टैंड आदि) प्याउ की व्यवस्था। ▪ सभी सार्वजनिक चापाकलों को चालू रखना। ▪ बसों (स्कूल बस समेत) के खिड़कियों में पर्दा लगाना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल** : कार्यपालक अभियंता –7979076133 नगर निगम में उपलब्ध टैंकर की संख्या–2 **निजी वाटर टैंकर** : रूपप्रकाश सिंह (वार्ड–10) 8084002355 सोहन कुमार (वार्ड–13) 9570755238 **निजी पानी सप्लायर** : (वार्ड–25) अनिल चौधरी 9430522702 **निजी प्लंबर** : (वार्ड–24) सनोज दास 9801062070 (वार्ड–32) जय प्र.दास 9162385028 (वार्ड–34) जमशेद आलम 8678042366 (वार्ड–39) श्रवण कु. 7762081313
	चेतावानी एवं बचाव के उपाय का व्यापक प्रचार–प्रसार।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **शिक्षा विभाग** : जिला शिक्षा पदाधिकारी –8544411774 **जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी** : 8873330246

	▪ रैन बसेरा में भोजन–पानी–दवा की व्यवस्था। ▪ लू/डायरिया/डिहाईड्रेशन आदि से पीड़ितों की अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेजर – 9473385640 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631
	लू अथा असहनीय गर्मी होने पर स्कूल/कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद करना अथवा उसके समय में परिवर्तन करने का आदेश निर्गत करना ।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 जिलाधिकारी – 9473191358 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **शिक्षा विभाग** : जिला शिक्षा पदाधिकारी –8544411774
	अत्यंत गर्मी अथवा लू की स्थिति में विशेषकर शहरों में विभिन्न तरह के कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य समय में परिवर्तन करने का विचार किया जा सकता है।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 जिलाधिकारी –9473191358 प्रभारी पदा (जि.आ.प्र.) –7999515556 **श्रम संसाधन विभाग** : श्रम अधिक्षक –9721622295

शीत लहर

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	**2**	**4**
▪ **शीतलहर के दिनों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे गिर जाता है तथा इससे लोगों को, विशेष कर बच्चे, वृद्ध एवं बीमार, स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।** ▪ **गृह विहीन, मलिन बस्ती, साधन विहीन आदि पर प्रतिकुल प्रभाव देखा गया है।** ▪ **मौसम विभाग द्वारा तय तापमान से नीचे की गिरावट होने पर शीत लहर हेतु विशेष सहायक कार्य की आवश्यकता पड़ती है।**	प्राईमरी, मध्य या माध्यमिक विद्यालयों दफ्तरो एवं मजदूरों के कार्य समय में परिवर्तन या बंदी की घोषणा ।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** जिलाधिकारी – 9473191358 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **शिक्षा विभाग** : जिला शिक्षा पदाधिकारी –8544411774
	चेतावनी तथा बचाव के उपाय का व्यापक प्रचार–प्रसार।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556
	▪ सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था। ▪ रैन बसेरा तथा अस्थाई आश्रय स्थलों में निराश्रितों के लिए बिस्तर एवं कंबल की व्यवस्था। ▪ बीमारों की चिकित्सा के लिए अतिरिक्त चिकित्सीय व्यवस्था।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदा. (जि.आ.प्र.)– 7999515556 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 740820900 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631
	चलंत शौचालय/जलापूर्ति/बिजली की व्यवस्था।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 सहायक सफाई शाखा – 7061092979 **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल :** कार्यपालक अभियंता –7979076133 **विद्युत विभाग** : कार्यपालक अभियंता – 7763815331 सहायक अभियंता– 7763815254 कनीय अभियंता–7763814896 **निजी बिजली मिस्त्री :** (वार्ड–2) राजेश कुमार 7549657410 (वार्ड–6) अशोक मंडल 7070550600 (वार्ड–21) सुजिल कु. रजक 8210782781 (वार्ड–24) अजय कु. दास 8092849546 **निजी वाटर टैंकर :** रूपप्रकाश सिंह (वार्ड–10) 8084002355 सोहन कुमार (वार्ड–13) 9570755238

सड़क हादसा एवं भीड़–भगदड

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	**2**	**3**
▪ **सड़क हादसा– शहरी क्षेत्र में पूर्व में घटित सड़क दुर्घटना बताता है कि पिछले 3 वर्षो लगभग 2 दर्जन घटनाएं हुई जिसमें एक दर्जन मौते हुई । शहर में लगभग 9 स्थलों को दुर्घटना प्रवण चिह्नित किया गया है।** (संदर्भ–अध्याय 4कंडिका 4.1.11 एवं 4.2.8) ▪ **भीड़–भगदड़ : कुछ खास अवसरों पर एकत्रित भीड़ में अचानक विस्फोट, दुर्घटना या अफवाह के कारण भयाक्रांत भीड़ भगदड़ में बदल जाती है। ऐसे किसी भी स्थान पर जब प्रवेश एवं निकास एक ही संकरे स्थान से हो तो स्थिति और अधिक भयावह हो जाती है। भगदड़ में अनेक लोग घायल हो जाते हैं या बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है।**	दुर्घटना स्थल पर भीड़ पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **पुलिस** : आरक्षी अधिक्षक – 9431822998 डीएसपी मुख्यालय – 8544428350 एसडीपीओ (सदर) –9431800049
	घायलों को दुर्घटना स्थल से सावधानी के साथ एकत्रीकरण स्थल से एम्बुलेंस या वाहन द्वारा नजदीकी अस्पताल तक पहुँचाना। पूर्णिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में आकस्मिकता के लिए 5 आईसीयु, 10 अतिरिक्त बेड एवं 15 चिकित्सक चिह्नित हैं। सदर अस्पताल में 300 शय्या उपलब्ध है।	**अस्पताल (नोडल विभाग)** : सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 2 आधुनिक एव 4 बुनियादी सुविधा युक्त तथा एक शव वाहन उपलब्ध है। **निजी एम्बुलेंस** : सूची संलग्न
	ग्रीन कोरीडोर (बाधा रहित मार्ग) बनाना। यह कार्य अप या डाउन किसी एक लेन को सुरक्षित कर या किसी मार्ग को पूर्णतः बंद कर किया जा सकता है।	**पुलिस** : डीएसपी मुख्यालय – 8544428350 एसडीपीओ (सदर) –9431800049 **अस्पताल** : अस्पताल अधिक्षक –9431872316 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 2 आधुनिक एवं 4 बुनियादी सुविधा युक्त तथा एक शव वाहन उपलब्ध है।
	कंट्रोल रूम के नंबर का सार्वजनिक प्रचार–प्रसार तथा दुर्घटना में घायलों/मृतकों के संबंध में सूचना एकत्र करना तथा निकट संबंधियों तक पहुँचाना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000
	हॉस्पीटल आकस्मिक प्रभाग को क्रियाशील (activate) करना। शय्या सुरक्षित करना। अतिरिक्त चिकित्सक/चिकित्सीय सुविधा का (यदि आवश्यक हो तो) प्रोटोकॉल अनुपालन करते हुये अधियाचना।	**अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316 एसीएमओ–9470003631
	दुर्घटना स्थल मृतकों को अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराना, पहचान कराना, परिजनों को सौंपना।	**अस्पताल** : जीएमसीएच के प्राचार्य–9905006465 अस्पताल अधिक्षक –9431872316
	वैसे मृतक जिनका पहचान न हो पाये और कोई निकट संबंधी संपर्क न करे उसका नियमानुसार के साथ अंतिम संस्कार करना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556

	मृतकों के निकट संबंधियों को मृतक की अंतिम क्रिया हेतु अनुदान	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556
	घायलों/मृतकों के निकट संबंधियों को क्षतिपुर्ति राशि दावा में सहायता – **सड़क दुर्घटना** ।	**जिला परिवहन पदा. सह सचिव**– सड़क सुरक्षा समिति 9934915786
	घायलों/मृतका के निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान/ क्षतिपुर्ति राशि –**भीड़ भगदड**।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556

शहर में निजी एम्बुलेंस की उपलब्धता					
	वाहन मालिक नाम	**मोबाईल**	**वाहन मालिक नाम**		**मोबाईल**
1	सुनील कुमार	8051579112	**6**	प्रवीण कुमार राय	7549272704
2	शेख तफेजुल	9973624688	**7**	मो. मुस्ताक	9934759188
3	लालु यादव (शौकत)	9334922284	**8**	मो. साफिक	9709495136
4	मो. एनुल	7903434931	**9**	रूस्तम	8340203802
5	सुमन कुमारी साह	9110174375			

वायु प्रदूषण

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	4
▪ **बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् ने मरीयम बाजार में वायु प्रदूषण मोनिटारिंग स्टेशन की स्थापना की है।** ▪ **इससे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शहरवासियों के लिए जारी होता है।** ▪ **वायु गुणवत्ता की नंवबर,2022 में प्राप्त रिर्पोट के अनुसार पूरे माह 'बहुत खराब' की स्थिति बनी रही है। कई बार सूचकांक 408 से 418 अंक तक रहा जो 'गंभीर' स्थिति को दर्शाता है।**	▪ सड़कों पर पानी छिड़काव। ▪ कचड़ो का गाड़ी में ढ़ककर निष्पादन। ▪ निमाण सामग्री का ढ़ककर परिवहन। ▪ ईट–भट्टों में 'क्लीन टेक्नॉलोजी' की जाँच। ▪ कचड़े का खुले में नहीं जलाना। ▪ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ▪ पेट्रोल, डीजल वाले वाहनों की प्रदूषण जाँच। ▪ उद्योग धंधे से होने वाले वायु प्रदूषण की जाँच। ▪ वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या यथा श्वसन बीमारी, अस्थामा जैसे लोगों का अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06454 243000 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 7999515556 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 06454 242902 सिटी मैनेंजर – 9473385640 मुख्य सफाई निरीक्षक–9470261008 सफाई निरीक्षक–9204596165 (नगर निगम में उपलब्ध टैंकर की संख्या–2) **परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदाधिकारी –9934915786 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003627 जीएमसी अस्पताल अधिक्षक –9431872316 **कारखाना निरीक्षक** : 8677953615

9.2 नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदगण (मानव संसाधन) की सूची :

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के अंतर्गत नगर निगम के विभिन्न वार्डो के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आपदा के न्यूनीकरण कार्य (खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता) तथा प्रत्युत्तर कार्य में धारा–21 (सशक्त स्थायी समिति), धारा–30 (वार्डों की समिति), धारा–33 (तदर्थ समिति), धारा–32 (विषय समिति) तथा धारा–361 (आपदा प्रबंधन) विशेष योगदान किया जा सकेगा।

महापौर			उप महापौर		
विभा कुमारी		9801491558 / 7004420195	पल्लवी गुप्ता		9431230303 / 9939269999
वार्ड सं.	वार्ड पार्षद		वार्ड सं.	वार्ड पार्षद	
1	कृष्ण कु. पासवान	7561960812	24	राखी कुशवाहा	8603635448
2	राजीव रंजन सहाय उर्फ बब्लु	9939878366	25	ऋषभ कुमार	8210433705 / 7870300917
3	दीपा भारती	9430263284 / 7979865617	26	रेणु मिश्रा	8757581299
4	कल्याणी रॉय	7488040601	27	राजी हाशमी उर्फ रजी हाशमी	7870254747
5	निर्जला देवी	9852541429	28	तौकिर रियाज	9661541327
6	अर्जुन सिंह	9931018973	29	मुसर्रत जहाँ	9308609570
7	बबली कुमारी	9205812336	30	पूजा कुमारी	9471278022
8	रितुराज यादव	9931591260	31	जितनी देवी	9534414166
9	स्वपन घोष	9934684095	32	सिताब	9934758631 / 9771559572
10	किरण देवी	8877847481	33	मुर्शीदा खातुन	9852732721
11	ममता सिंह	7250502808	34	मेरी सतीला टोप्पो	9110123199
12	रवि शंकर उर्फ भोला कुशवाहा	9934618547	35	लखेन्द्र साह	9128557335
13	आशा महतो	9973513189	36	विलास चौधरी	9939268240
14	सुरेश सिंह	9334398177	37	सुनीता मांझी	9955582565 / 9973385716
15	समसुन खातुन	9430064744	38	कमली देवी	9708013156
16	फातिमा	9122521555	39	राकेश राय	9939885575 / 8210322175
17	अमित कुमार	9570701646	40	गुलाब हुसैन	7563032154
18	संतोष कु. यादव	7992250001	41	पूनम देवी	7765903382
19	कुमारी खुशबू	7079069006	42	उर्मिला देवी	9661045797
20	अभिजीत कुमार	9931009554	43	चाँदनी देवी	8051464468
21	प्रीति पांडे	9431412725	44	पूनम देवी	9939894366
22	नवल कुमार	7488647804	45	प्रदीप जायसवाल	9431284710 / 9661523491
23	आतिश सनातनी	8409089489	46	अनिल उराँव	6203801370

9.3 सरकारी एवं निजी मानव, भौतिक एवं यांत्रिक संसाधनों की सूची :

9.3.1 निजी मानव संसाधन		वार्ड सं.– 01	
क्र0	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	बिजली मिस्त्री	विष्णु चक्रवर्ती, कॉलोनी मधुबनी	6204824562
2	बढ़ई मिस्त्री	राम लखन मेहता, मधुबनी कॉलोनी	7541961439
3	बिजली मिस्त्री	राजेश कुमार पासवान, महलदार टोला, मधुबनी	7549657410
4	होमियोपैथ	डॉ॰ नवीन कुमार/डॉ॰ स्नेह कुमारी, रिफयुजी कॉलोनी, मधुबनी	9801149875
		वार्ड संख्या–02	
1	प्लम्बर मिस्त्री	दिलनवाज अंसारी, यादव टोला	9939268578
2	बिजली मिस्त्री	राजेश यादव, यादव टोला	7549998784
3	लकड़ी मिस्त्री	अशोक शर्मा, मधुबनी काली स्थान	9062723398
		वार्ड संख्या–03	
1	बिजली मिस्त्री	मनोज सहनी, शिवधाम	9931092348
2	प्लम्बर मिस्त्री	बमबम साह, शिवधाम	7362858625
3	बढ़ई मिस्त्री	अमर कुमार, अरगड़ा चौक	6203347813
		वार्ड संख्या–04	
1	बिजली मिस्त्री	मो0 मुन्ना, रहमत नगर	9304285963
2	पलम्बर मिस्त्री	कासिम, मोहम्मद नगर	7541939692
3	बढ़ई मिस्त्री	विक्रम, कौशिक नगर	7091218887
		वार्ड संख्या–05	
1	फिजिसीयन डाक्टर	डॉ॰ ए॰के॰ पाठक, सिपाही टोला	9431625874
		वार्ड संख्या–06	
1	बिजली मिस्त्री	अशोक मंडल, न्यू सिपाही टोला, पानी टंकी	7070550600
2	बिजली मिस्त्री	गोपल मंडल, न्यू सिपाही टोला, पानी टंकी	9931802686
3	बिजली मिस्त्री	शंभू मंडल, न्यू सिपाहो टोला	6202792617
		वार्ड संख्या–07	
1	पलम्ब्र मिस्त्री	राजेश कुमार पासवान, न्यू सिपाही टोला	6299817598
2	पलम्ब्र मिस्त्री	टुनटुन पासवान, न्यू सिपाही टोला	9534700311
3	पलम्ब्र मिस्त्री	विनोद कुमार पासवान, माता चौक पूर्णिया	980105953
4	पलम्ब्र मिस्त्री	कारी पासवान, न्यू सिपाही टोला	6200098658
5	पलम्ब्र मिस्त्री	विजय शर्मा, सिपाही टोला	9661934673

6	चापाकल मिस्त्री	राधे पासवान, सिपाही टोला	7631326585
7	चापाकल मिस्त्री	राज कुमार पासवान, न्यू सिपाही टोला	8651802312
8	बिजली मिस्त्री	अनिल राम, मरंगा	9631887701
9	बिजली मिस्त्री	भोला पासवान, न्यू सिपाही टोला	8051451922
10	बिजली मिस्त्री	अजय पासवान, न्यू सिपाही टोला	9504719071
11	बिजली मिस्त्री	मुन्ना कुमार, माता चौक पूर्णिया	8092705496
वार्ड संख्या–08			
1	बढ़ई मिस्त्री	योगेन्द्र शर्मा, मरंगा पश्चिम	7260952675
2	बिजली मिस्त्री	बंटी कुमार यादव, मरंगा पश्चिम	9708671308
वार्ड संख्या–09			
1	बिजली मिस्त्री	राजेन्द्र ऋषि, मुर्गी फारम, मरंगा	6204856791
2	बढ़ई मिस्त्री	शंकर शर्मा, मुर्गी फारम, मरंगा	7258819563
3	बढ़ई मिस्त्री	सुशील शर्मा, माफा मरंगा, निकट बेरियर	9973377875
4	बढ़ई मिस्त्री	राजपाल शर्मा, सत्संग बिहार	7764832528
5	बोरिंग मिस्त्री (चापाकल)	राम बच्चन, सत्संग बिहार	8002870885
6	बिजली मिस्त्री	बिबिसन दास, सत्संग बिहार	9110983826
वार्ड संख्या–11			
1	बिजली मिस्त्री	मनोज कुमार, राम नगर	9631982665
वार्ड संख्या–12			
1	बिजली मिस्त्री	दिलीप कुमार राय, सुभाष नगर	8757699009
2	बढ़ई मिस्त्री	अन्नू कुमार, ब्रजेश नगर	9534220335
वार्ड संख्या–15			
1	बिजली मिस्त्री	राजु मिस्त्री, राहत कॉलोनी बड़ी मस्जिद मधुबनी	8409155255
2	पलम्बर मिस्त्री	मो0 इरसाद, सिपाही टोला मधुबनी	8540924466
3	डॉक्टर	डॉ0 राजेश कुमार, जय प्रकाश कॉलोनी मधुबनी	9431230174
4	डाक्टर	डॉ0 सी0के0 चांद, जय प्रकाश कॉलोनी मधुबनी	9431269275
5	बिजली मिस्त्री	मो0 छोटू, सिपाही टोला बड़ी मस्जिद	7549712008
6	पलम्बर मिस्त्री	मो0 सोयब, सिपाही टोला बड़ी मस्जिद	9122433219
वार्ड संख्या–16			
1	बढ़ई मिस्त्री	राम सेवक शर्मा, मोलवी टोला मधुबनी	7644005288
2	बिजली मिस्त्री	मो0 लडडू, मोलवी टोला मधुबनी	7654266094
3	बिजली मिस्त्री	मो0 इकबाल, मोलवी टोला मधुबनी	8409983842

वार्ड संख्या–17			
1	बढ़ई मिस्त्री	दिलीप राम, कोरठ बाड़ी मधुबनी	7479772401
2	बढ़ई मिस्त्री	विजय कुमार शर्मा, कोरठ बाड़ी मधुबनी	9507014531
3	बढ़ई मिस्त्री	मनोहर कूमार शमा, कोरठ बाड़ी मधुबर्नी	7250978720
4	बढ़ई मिस्त्री	महेन्द्र शर्मा, कोरठ बाड़ी मधुबनी	9709737450
5	बढ़ई मिस्त्री	राजु राय,कोरठ बाड़ी मधुबनी	8271077312
वार्ड संख्या–18			
1	बिजली मिस्त्री	गोविन्द राणा, कोशी कॉलोनी कोर्ट स्टेशन	9122332587
वार्ड संख्या–19			
1	बढ़ई मिस्त्री	अभिमन्यु दास, साहवान हाता प्रभात कॉलोनी	9939958108
2	बढ़ई मिस्त्री	रमेश प्रसाद शर्मा, आकाशवानी रोड	9939958108
3	बिजली मिस्त्री	सुमन मुनी, प्रभात कॉलोनी	9709001568
4	बिजली मिस्त्री	दिलीप राय, प्रभात कॉलोनी	9931826156
वार्ड संख्या–20			
1	बिजली मिस्त्री	दीपक कुमार,लाईन बाजार पूर्णिया	8340214449
वार्ड संख्या–21			
1	बिजली मिस्त्री	विक्रम कुमार मंडल, बाड़ी हाट	7004539272
2	बिजली मिस्त्री	सुजीत कुमार रजक, बाड़ी हाट	8210782781
वार्ड संख्या–22			
1	बिजली मिस्त्री	राजेश पटेल, शास्त्री नगर	9431087480
2	बिजली मिस्त्री	अनील कुमार राय, सर्वोदय नगर	7209141637
3	बिजली मिस्त्री	चन्दन कुमार, सर्वोदय नगर	8271603796
4	बिजली मिस्त्री	रंजीत शर्मा, सर्वोदय नगर	7739080776
5	बिजली मिस्त्री	राकेश कुमार, सर्वोदय नगर	9631342808
6	बिजली मिस्त्री	सुनील मंडल, सर्वोदय नगर	9546831836
7	बिजली मिस्त्री	संजय कुमार, सर्वोदय नगर	9934642727
8	बढ़ई मिस्त्री	बिलाश कुमार शर्मा, जेल चौक जिला स्कुल रोड	9631575934
9	बढ़ई मिस्त्री	निरंजन कुमार शर्मा, जेल चौक जिला स्कुल रोड	8210587420
10	बढ़ई मिस्त्री	भोला प्रसाद शर्मा, जेल चौक जिला स्कुल रोड	8521187829
11	बढ़ई मिस्त्री	मुकेश शर्मा, जेल चौक जिला स्कुल रोड	9939913074
12	बढ़ई मिस्त्री	सुभाष शर्मा, जिला स्कुल रोड	9507051520
13	बढ़ई मिस्त्री	त्रिवेणी शर्मा, जिला स्कुल रोड	9546041012

14	बढ़ई मिस्त्री	दीपक शर्मा, जिला स्कुल रोड	88772960014
15	बढ़ई मिस्त्री	इन्देश्वरी शर्मा, जिला स्कुल रोड	9955993109
16	बढ़ई मिस्त्री	अशोक शर्मा, जिला स्कुल रोड	7903144173
17	बढ़ई मिस्त्री	छोटू कुमार, जिला स्कुल रोड	6203771139
18	पलम्बर मिस्त्री	राम नाथ कुमार, सर्वोदय नगर	9931009662
19	फिजिसियन	डॉ0 के0के0 घोष, जिला स्कुल रोड	943107723
20	फिजिसियन	डॉ0 एस0पी0सिंह, जिला स्कुल रोड	9471250356
21	फिजिसियन	डॉ0 पी0के0 सिंह, लावन्या टार्वस राम किशन रोड	9523319318
22	फिजिसियन	डॉ0 राजीव रंजन, टेक्सी स्टेंड रोड	9931244177
23	फिजिसियन	डॉ0 मुकेश कुमार, हर्ष होटल रोड	9431284890
24	फिजिसियन	डॉ0 आलोक, जिला स्कुल रोड	9123138368
25	फिजिसियन	डॉ0 विनोद घरेबा, भट्टा काली बाड़ी चौक	9431230844
26	फिजिसियन	डॉ0 जनार्दन प्र0 यादव, टेक्सी स्टेंड	9431284396
वार्ड संख्या–23			
1	बिजली मिस्त्री	कुणाल दास, ततमा टोली	9304423072
2	पलम्बर मिस्त्री	बबलू दा, ततमा टोली	8271332958
3	बढ़ई मिस्त्री	बाकु शर्मा, फॅलावर मील के पीछे	7258960894
4	डॉक्टर	डॉ. एस. सरकार, शिवपूरी	9294975600
5	डॉक्टर	डॉ. ओ.पी.साह, गुरूद्धारा रोड	9431284484
वार्ड संख्या–24			
1	बढ़ई मिस्त्री	सिकन्दर शर्मा, सुदीन चौक	8757353869
2	बढ़ई मिस्त्री	महेश शर्मा, सुदीन चौक	8969911515
3	बिजली मिस्त्री	संतोष कुमार दास, सुदीन चौक	997350518
4	बिजली मिस्त्री	अजय कुमार दास, सम्राट चौक	8092849546
5	पलम्बर मिस्त्री	सनोज दास, सम्राट चौक	9801062070
वार्ड संख्या–25			
1	बढ़ई मिस्त्री	राजेश शर्मा, नेताजी चौक	9631342808
2	बढ़ई मिस्त्री	संजय शर्मा, नेताजी चौक	9534939585
वार्ड संख्या–26			
1	पलम्बर मिस्त्री	चून्नू शर्मा, माधी कॉलोनी, छठ पोखर, ततमा टोली	919903774
2	बिजली मिस्त्री	पवन कुमार, माधी कॉलोनी ततमा टोली	6207304594
3	बढ़ई मिस्त्री	राजेश शर्मा, ततमा टोली	7979868745

वार्ड संख्या–27			
1	बिजली मिस्त्री	रोशन कुमार, भठ्टा बाजार	9060442510
2	बढ़ई मिस्त्री	प्रदीप कुमार दास, जजाँयी हार	7050542044
3	पलम्बर मिस्त्री	सुरेश कुमार साह	9122642522
वार्ड संख्या–28			
1	बिजली मिस्त्री	मो० सलउद्दीन, अजाद नगर	8409990698
2	बिजलो मिस्त्री	मो० अलाउद्दीन, इकवाल नगर	9939482100
3	पलम्बर मिस्त्री	मो० हसन, मुज्जफर अहमद नगर	8825131048
4	बढ़ई मिस्त्री	प्रदीप शर्मा, मुज्जफर अहमद नगर, खजाँची भंडा चौक	8825131047
5	बढ़ई मिस्त्री	पंकज शर्मा, मुज्जफर अहमद नगर, खजाँची भंडा चौक	9473417309
वार्ड संख्या–29			
1	बिजली मिस्त्री	गुलटन पासवान,नीशिगंज लाईन बाजार	9470808475
2	बढ़ई मिस्त्री	छोटु शर्मा,झंडा चौक, लाईन बाजार	9631680875
वार्ड संख्या–30			
1	बढ़ई मिस्त्री	विनोद शर्मा, राम बाग	6204442928, 9771711949
2	बिजली मिस्त्री	गोपाल साह,राम बाग	8877770650
3	पलम्बर मिस्त्रो	आदेश उरॉव, राम बाग	9122448219
4	पलम्बर मिस्त्री	सुधीर कुमार, राम बाग	9102072092
5	फिजिसयन डाक्टर	डॉ0 ए0 के0 पाठक, लाईन बाजार	7250264223
वार्ड संख्या–31			
1	बढ़ई मिस्त्री	दिपक साह, रामबाग चौक	8327289696
2	बिजली मिस्त्री	मिट्ठु पासवान, बीवी गंज	8809735633
वाड संख्या–32			
1	बिजली मिस्त्री	मो० अकबर, मिर्जापुर	9504444835 / 7277566150
2	बिजली मिस्त्री	कादिर, कनवा बाजार	6200177915
3	पलम्बर मिस्त्री	जय प्रकाश दास, कनवा बाजार	9162385028
4	पलम्बर मिस्त्री	राज कुमार, ततमा कनवा बाजार	9631339189
5	बढ़ई मिस्त्री	मो० इस्राफिल, कनवा बाजार	9955474687
6	राज मिस्त्री	अबु ध्यात, मिर्जापुर कामत	7284828099
7	राज मिस्त्री	मो० देवरूल, मियॉं बाजार	7368882194
8	राज मिस्त्री	अब्दुल गफुर, निलबाड़ी	7480031982

वार्ड संख्या–33			
1	प्राइवेट बिजली मिस्त्री	मो० कानू उर्फ अबुलउस्मान, आसाम टोला चिमनी बाजार	9931732235
2	पलम्बर मिस्त्री	प्रकाश जी, कनवा बाजार, चिमनी बाजार	9162385028
3	पलम्बर मिस्त्री	उपेन्द्र दास, कनवा बाजार	9973389638
4	सरकारी स्कूल शिक्षिका	सरकारी स्कूल सं0–7, चिमनी बाजार स्कूल टोला	6203913292
5	प्रावेईट स्कूल शिक्षक	प्राईवेट स्कूल सं0–02, पिया बाजार	8709671602
6	बढ़ई मिस्त्री	नियाजुद्दीन अ0 समद, मियाँ बाजार	8709671602
वार्ड संख्या–34			
1	पलम्बर मिस्त्री	जमशेद आलम, जाफरी बाग पूर्णियाँ सीटी	8678042366
2	पलम्बर मिस्त्री	रब्बान आलम, जाफरी बाग पूर्णियाँ सीटी	9955086838
3	पलम्बर मिस्त्री	फिरोजी आलम, जाफरी बाग पूर्णियाँ सीटी	7979711153
4	बिजली मिस्त्री	अमित शर्मा, नाका चौक पूर्णियाँ सीटी	6287755008
5	बिजली मिस्त्री	सुशील साह, नाका चौक पूर्णियाँ सीटी	6206260824
6	बिजली मिस्त्री	मो० सोनु, कश्वणा बाड़ी नाका चौक	9661155410
वार्ड संख्या–35			
1	बिजली मिस्त्री	श्रवण कुमार,शिशबाड़ी, हॉसदा	7766063836
2	बढ़ई मिस्त्री	श्रवण कुमार,हॉसदा, गुलाबबाग	8603890759
3	पलम्बर मिस्त्री	प्रभू साह,गुलाबबाग	8404900982
वार्ड संख्या–36			
1	बिजली मिस्त्री	हरिशंकर चौधरी, पोली ग्राम गुलाबबाग	9065160365
2	बिजली मिस्त्री	ओम कुमार सहवी, जिरो माईल नहर	9934230218
वार्ड संख्या–37			
1	पलम्बर मिस्त्री	अरविन्द कुमार पासवान, शनि मंदिर टोला गुलाबबाग	9155181383
2	पलम्बर मिस्त्री	रवि कुमार पासवान, शनि मंदिर टोला गुलाबबाग	8678041295
3	बढ़ई मिस्त्री	विधानन्द शर्मा, बागेश्वरी स्थान गुलाबबाग	9504610565
4	बिजली मिस्त्री	लखन राम, संतसंग मंदिर शनि मंदिर	6287500660
वार्ड संख्या–38			
1	जे0सी0बी0 मालिक	संजय पाण्डे, चौहान टोला गुलाबबाग	7541016490
2	बिजली मिस्त्री	संजीव राय, चौहान टोला गुलाबबाग	8409379627
3	बढ़ई मिस्त्री	शभुं शर्मा, लकड़ी पट्टी गुलाबबाग मेन रोड	9709952337
4	बढ़ई मिस्त्री	चंदन शर्मा, लकड़ी पट्टो गुलागबबाग मेन रोड	9113357436
5	बढ़ई मिस्त्री	जनादर्न शर्मा, लकड़ी पट्टी गुलागबबाग मेन रोड	952783993

6	बढ़ई मिस्त्री	सारंजन शर्मा, लकड़ी पट्टी गुलागबबाग मेन रोड	9631302083
वार्ड संख्या–39			
1	बढ़ई मिस्त्री	सीताराम शर्मा, लकड़ी पट्टी मेन रोड गुलाबबाग	7808756991
3	बढ़ई मिस्त्री	राज किशोर शर्मा, लकड़ी पट्टी मेन रोड गुलाबबाग	8873069533
4	बढ़ई मिस्त्री	धिरो शर्मा, लकड़ी पट्टी मेन रोड गुलाबबाग	6207572744
5	बढ़ई मिस्त्री	सशदेव शर्मा, लकड़ी पट्टी मेन रोड गुलाबबाग	8235056761
6	बढ़ई मिस्त्री	सुनील शर्मा, लकड़ी पट्टी मेन रोड गलाबबाग	9931610135
7	बढ़ई मिस्त्री	उदगार शर्मा, लकड़ी पट्टी मेन रोड गुलाबबाग	9931796775
8	बढ़ई मिस्त्री	गुड्डू कु० शर्मा, लकड़ी पट्टी	6207927059
9	बढ़ई मिस्त्री	भूषण शर्मा, लकड़ी पट्टी	9661210570
10	बढ़ई मिस्त्री	प्रेम कु० शर्मा, लकड़ी पट्टी	7739532571
11	बढ़ई मिस्त्री	देवेन्द्र शर्मा, लकड़ी पट्टी	9431883095
12	बढ़ई मिस्त्री	विजय कु० शर्मा, लकड़ी पट्टी	9431883095
13	बढ़ई मिस्त्री	नीरज कु० शर्मा,	9431883095
14	बढ़ई मिस्त्री	संजीव कु० शर्मा,	9431883095
15	बिजली मिस्त्री	बन्टी कुमार, हरिश चन्द्रनगर	9097291025
16	पलम्बर मिस्त्री	श्रवण कुमार, पोलो ग्राम	7762081313
वार्ड संख्या–40			
1	बिजली मिस्त्री	जहाँगीर, पूर्णियाँ सिटी	8210104840
2	बिजली मिस्त्री	अनिल, सुभाष नगर	8651091707
3	बिजली मिस्त्री	सोनू, पूर्णियाँ सिटी	9661155410
4	पलम्बर	अफजल, पूर्णियाँ सिटी	77630517000
5	पलम्बर	फिरोज, पूर्णियाँ सिटी	7979711153
6	बढ़ई	बब्लू जी, पूर्णियाँ सिटी	9939893947
वार्ड संख्या–41			
1	बिजली मिस्त्री	अनिल चक्रवती, खुश्कीबाग	8651091707
2	पलम्बर	फवीनन्द्र,कप्तान पाड़ा खुश्कीबाग	9430908064
वार्ड संख्या–42			
1	बढ़ई मिस्त्री	जीवद शर्मा, आनंद नगर	62017226903
2	पलम्बर मिस्त्री	शोन् कुमार, आनंद नगर	7991979579
3	बिजली मिस्त्री	सुरेन्द्र पासवान, आनंद नगर	620485512

		वार्ड संख्या–43	
1	बिजली मिस्त्री	मुन्ना दास,माधोपाड़ा बाईपस बंगाली टोला	9065416136
2	बिजली मिस्त्री	राधेश्याम मिश्र,बेलारी पूर्णियाँ	9570752795
		वार्ड संख्या–44	
1	फिजीसियन	डा0 रविन्द्र कुमार,एम.बी.बी.एस,बेलौरी चौक	8969280312
2	बिजली मिस्त्री	शंकर महलदार,सतडोभ बेलौरी	9199512049
		वार्ड संख्या–45	
1	बिजली मिस्त्री, पलंबर मिस्त्री	शंकर शहनी, पचटकिया टोला	9199468997
2	बढ़ई मिस्त्री	दिपक कुमार दास, लालबाड़ी	9931121752
3	बढ़ई मिस्त्री	योगन्द्र दास, लालबाड़ी	9631320760
		वार्ड संख्या–46	
1	बिजली मिस्त्री	शंकर सहनी, पचमटिया टोला	91994689
2	पलम्बर	शंकर सहनी, पचमटिया टोला	91994689
3	बढ़ई	नरेश शर्मा, वेगमावाद	6202590821
4	बढ़ई	शंकर राय, बाईपास	9006637130

9.3.2 निजी भौतिक संसाधन		वार्ड सं.– 01	
क्र.	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	टेन्ट हाउस	काजल,रिफयुजी कॉलोनी, मधुबनी	9973632212
2	प्रेन्टीक द स्कुल	मनोहर लाल,रिफयुजी कॉलोनी, रेलवे गुमटी	9304141747
3	मंटू मेडिकल (14 रूम)	दिनबन्धु पाल,रिफयुजी कॉलोनी, मधुबनी	9199519872
4	टेन्ट हाउस	पन्ना लाल पासवान, पासवान टोला, मधुबनी	9570882575
5	मध्य विद्यालय रिफयुजी कॉलोनी	राम किशन, रिफयुजी कॉलोनी, मधुबनी	9430935357
6	राशन होलसेलर	सपन दा, रिफयुजी कॉलोनी, मधुबनी	9572901445
7	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	डॉ0 नवीन कुमार, राजेन्द्र नगर	7061615704
8	निरा मेडिकल	नरेश कुमार महलदार टोला, मधुबनी	9955550991
9	जन वितरण दुकान	अभय श्रीवास्तव, पासवाना टोला	9430811126
10	आदित्य मेडिकल	आदित्य, रिफयुजी कॉलोनी, मधुबनी	9199878181
11	अशोकराज पब्लिक स्कुल (08 रूम)	अशोक राज यादव, कृष्णापूरी यादव टोला	9570701628
12	जन वितरण दुकान	आनन्दी यादव किष्णपूरी यादव टोला	9801452434
		वार्ड संख्या–02	
1	सामुदायिक भवन	श्याम प्रसाद मुखर्जी, मधुबनी काली स्थान	7903286409
2	सरकारी स्कुल	कन्या मध्य विद्यालय मधुबनी, दुर्गा मंदिर रोड	8002822763
3	जन वितरण दुकान	कन्हैया प्रसाद केशरी, राजेन्द्र नगर	8986183360
4	सरकारी स्कुल	मध्य विद्यालय मधुबनी, राजेन्द्र नगर	9431607664
5	हॉलसेल दवा दुकान	माँ वेष्णो फार्मा, दुर्गा मंदिर रोड	8051525325
6	जन वितरण दुकान	भवानन्द मिश्र, प्रताप नगर	7992485998
7	कॉलेज (10 रूम)	राम किशुन कौशल्या महाविद्यालय, मधुबनी काली स्थान	9973508298
		वार्ड संख्या–03	
1	पानी सप्लाई	देवेन्द्र कुशवाहा, चूनापूर रोड उर्फ फेक्ट्री सागर जल	7549699947
2	घर आंगन विवाह भवन	सुधा देवी साधना, शांति नगर	9546876533
3	टेन्ट हाउस	राधे श्याम गुप्ता, कमला नगर	9199063605
4	किराना स्टोर	गोलु कुमार, शिवधाम	7739827143
5	संत जेवियरस स्कूल (10 रूम)	प्रशांत कुमार, शिवधाम	9955711572
6	सरस्वती सेवा सदन	डॉ0 कृष्णा कुमार, शिवधाम	9431206320/9708780353
7	किराना हॉलसेलर	विजय कशरी, अमला टोला	7319925585
8	जन वितरण दुकान	रंजीत कुमार सिंह	9973006901

क्र.	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
वार्ड संख्या–04			
1	टेन्ट हाउस	मुकेश टेन्ट हाउस, वली टोला बरमसिया	7488752100
2	प्राईवेट स्कुल	डी.ए.भी. स्कुल, मोहम्मद नगर (डी.ए.भी. चौक)	7739077668
3	विवाह भवन	जलसा विवाह भवन, ओली टोला चौक	828782569
4	दवा दुकान	अजहर, रहमत नगर	9939628294
5	किराना दुकान हॉलसेलर	सुनील, रहमत नगर	9341865214
6	हॉसपीटल मैक्स क्लीनिक	डॉ0 मयंक कुमार, प्रधान टोला	7781893366
7	जन वितरण दुकान	हरि नारायण राय, प्रधान टोला	9263761411
वार्ड संख्या–05			
1	प्राईवेट स्कुल	हेनरी मेमोरियल इंगलिश स्कुल, सिपाही टोला	9430028166
2	टेन्ट हाउस	मेहता टेन्ट हाउस, सिपाही टोला	9006824605
3	विवाह भवन सह सामुदायिक भवन	मुकेश कुमार, ज्योति विवाह भवन, सिपाही टोला, चूनापूर रोड	7488752100
4	जन वितरण दुकान	दीनानाथ केशरी, चुड़ीपट्टी मधुबनी	8051867376
5	जन वितरण दुकान	हरि नारायण राम, शीतला मंदिर मधुबनी	9304313158
6	प्राईवेट स्कुल	एप्पल प्ले स्कुल, छोटी मस्जिद, सिपाही टोला	9934468806
7	प्राईवेट स्कुल	पूर्णिया पब्लिक स्कुल, सिपाही टोला, मधुबनी	8084705155
8	जन वितरण दुकान	दिनेश सिंह, चुड़ीपट्टी मधुबनी	8664062609
वार्ड संख्या–06			
1	जन वितरण दुकान	अंजनी कुमार सहाय, न्यू सिपाही टोला	9955003724
2	कचहरी हाता जन वितरण राशन दुकान	राज कुमार चौहान, कचहरी हाता कॉपरेटिव	8877308266
3	विमल हृदय इंगलिश मेडियम स्कुल	विमल हृदय स्स्टिर जवीनी, न्यू सिपाही टोला	6202792617
4	सेंट पीटर इंगलिश स्कुल	अनिल लूगुन, सिपाही कॉलोनी	9430582091
5	सेंट पीटर हिन्दी मेडियम स्कुल	अनिल लूगुन, सिपाही कॉलोनी	9430582091
6	+2 जी॰जी॰ हाई स्कुल पूर्णिया	संतोष कुमारी, कचहरी रोड पूर्णिया	9708214133
7	डॉन बास्को स्कुल	सुमन किशोर, कचहरी रोड पूर्णिया	9431277769
8	जंगदम मध्य विद्यालय	श्रंखला मृदुभाषिणी, सिपाही टोला	8869757758
वार्ड संख्या–07			
1	सोभाग्य विवाह भवन	हरिश कुमार, ब्रजेश नगर	9431284800
2	रागी कल्याण सुमित शहरी, प्रा. स्वा. केन्द्र माता चौक	रगुनंदन यादव, न्यू सिपाही टोला पूर्णिया	9113066411
3	एम.बी.एम. इंग्लीश स्कुल	अरविन्द ठाकुर, बक्सा घाट रोड	9771175524
4	जन वितरण दुकान	विभाष चन्द्र भारती, न्यू सिपाही टोला	7870127074

क्र.	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
वार्ड संख्या–08			
1	निजी स्कुल (कमरा–28, हॉल– 1)	बिजेन्द्र पब्लिक स्कुल, कृष्णन सी॰सी॰, मरंगा पश्चिम, एन॰एच॰–31	9547091540
2	विवाह भवन (कमरा–6, हॉल– 2)	लीजा गार्डेन विवाह भवन, डॉ॰ दीपक कपूर, मरंगा पश्चिम, एन॰एच॰–31	9431206294
3	टेन्ट हाउस	सोनू चौहान, मरंगा पश्चिम	9534663197
4	जन वितरण दुकान	विनोद कुमार यादव, मरंगा पश्चिम	9973235080
5	जन वितरण दुकान	रंजन दास, मरंगा पश्चिम	7992241311
6	सरकारी स्कुल	राज किशोर यादव, आ॰म॰वि॰ मरंगा पश्चिम	9473287267
वार्ड संख्या–09			
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, (एच॰पी॰ गैस)	संजय कुमार, बियाडा, मरंगा	8008296123
2	मध्य विद्यालय, मिल्की शरनार्थी	नन्द किशोर, मरंगा	7547004216
3	मध्य विद्यालय अनुसूचित जाति, मरंगा	उमेश यादव, मुर्गी फारम, मरंगा	7250622511/9430883179
4	टेन्ट हाउस	प्रमोद दास, मरंगा सत्संग बिहार	7488624068
5	टेन्ट हाउस	बिजय उरॉव, मरंगा गुलाबबागबाड़ी	7644041393
6	राशन डीलर	बिक्की ऋषि, मुर्गी फारम मरंगा	77650226045
7	राशन डीलर	मनोज मुर्मू, मुर्गी फारम मरंगा सत्संग बिहार	7632866642
8	राशन डीलर	मनोज कुमार यादव, बिन टोला मरंगा	8051408308
वार्ड संख्या–10			
1	प्राथमिक विद्यालय उफरैल	बिनोद कुमार राम, शिव नगर उफरैल	8873391846
2	राशन दुकान जन वितरण	सुमित कुमार, उफरैल	8789377122
3	भास्कर पब्लिक स्कुल	अखिलेश कुमार, उफरैल	9709440310
4	स्कोट गलश स्कुल	संध्या सुनिता, उफरैल	6201277639
5	कोशी डेयरी प्रोजेक्ट	कुमार अमरदीप, उफरैल	9472199984
6	राशन दुकान जन वितरण	ओम प्रकाश रजक, मिल्की	8540017653
7	मध्य विद्यालय मिल्की	मनोज कुमार ठाकुर, मिल्की	7677794268
8	राशन कार्ड वितरण दुकान	गोपाल चन्द्र दास, गुड मिल्की	6207355940
9	विवाह भवन	मुनसजी, नियर माफा	9099392048
वार्ड संख्या–11			
1	विवाह भवन	राजीव सिंह, राम नगर	7717771511
2	भारती लोट्स पब्लिक स्कुल	मुकेश कुमार, उफरैल चौक	9955928687
3	मध्य विद्यालय उफरैल	श्रीमती अर्चना, म0वि0 उफरैल	7903876481
4	फार्टूना साईन स्कूल	कवीश कुमार यादव, राम नगर	9155563401

वार्ड संख्या–12			
क्र.	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	विवाह भवन	रायल मिथला विवाह भवन, सुभाष नगर	9308828574
2	प्राईवेट स्कुल (कमरा 06)	ज्ञानदीप पब्लिक स्कुल, सुभाष नगर	7549499301
3	प्राईवेट स्कुल (कमरा 08)	ज्ञानदीप पब्लिक स्कुल, सुभाष नगर	7549499301
4	टेन्ट हाउस	नरेश जी, सुभाष नगर	7004087134
5	सामुदायिक भवन	कांग्रेश ऑफिस सामुदायिक भवन, सुभाष नगर	6203216208
6	जन वितरण दुकान संचालक	अशोक जी, महबुब खां टोला	7541961431
7	जन वितरण दुकान संचालक	विजय जी, काली मंदिर रोड	9931826165
8	किराना दुकान	भोला प्रसाद केशरी, सुभाष नगर चौक	7295848435
9	पशुचाड़ा	मनोज दास, सुभाष नगर	9631091359
10	दवा दुकान सप्लायर	राहुल कुमार, सुभाष नगर	9693929097
वार्ड संख्या–13			
1	जन वितरण दुकान	मो0 सलाम, महबुब खॉ टोला	9155562065
2	प्राथमिक विद्यालय	आनन्द कुमार, गुरूद्धारा रोड	9308476740
वार्ड संख्या–14			
1	उर्सलाईन कन्भेन्ट विद्यालय	सी0लोना जोन (सचिव), उर्सलाईन कन्भेन्ट	9308498887
2	विद्या मेडिकल	राजेश कुमार, हाउसिंग कॉलोनी, गिरजा चौक	7763980152
3	प्राईवेट स्कुल	सरस्वती शिशु मंदिर, थाना चौक	9162105259/06454242740
4	कुत्ता अस्पताल	डॉ0 श्रवण कुमार, हाउसिंग कॉलोनी गिरजा चौक	9431267881
5	प्राईवेट स्कुल	होली एंजल्स इंगलिश स्कुल, कोशी कॉलोनी	9097764544
6	प्राईवेट स्कुल	सेन्ट्रल पब्लिक स्कुल, इंदिरा गांधी मैदान रोड	7700854929
7	अस्पताल	डॉ0 यू0एस0 शमा, इंदिरा गांधी मैदान रोड	9331230378
8	टेन्ट हाउस	श्याम लाईट टेन्ट हाउस, जिला स्कुल रोड आस्था मंदिर	9431060540
वार्ड संख्या–15			
1	जन वितरण दुकान	दीनानाथ केशरी, सिपाही टोला मधुबनी	7277785629
2	जन वितरण दुकान	सुशील कुमार सिन्हा, सिपाही टोला मधुबनी	8083697808
3	जन वितरण दुकान	रंजीत कुमार, सिपाही टोला मधुबनी	9973006901
4	टेन्ट हाउस	राकेश कुमार, सिपाही टोला मधुबनी	7250649474
5	निजी स्कुल (कमरा 21)	मनोज सिन्हा , सिन्हा पब्लिक स्कुल, सिपाही टोला मधुबनी	9431205721
6	दवा दुकान	निरंजन कुमार, सिपाही टोला मधुबनी	9473115406
7	राशन हॉलसेल	आशिष केशरी, दिलीप स्टोर, मधुबनी बाजार	9709506264

8	राशन हॉलसेल	कालजी केशरी, लालजी स्टोर, मधुबनी बाजार	9798583274
9	राशन हॉलसेल	छोटू कुमार, छोटू स्टोर, मधुबनी बाजार	8210461759
10	गणेश टेन्ट हाउस	पन्ना लाल पासवान, गणेश टेन्ट, मधुबनी बाजार	9570882575
11	जन वितरण दुकान	नदीम अनवर, लंका टोला मधुबनी	9931190160
12	सरकारी स्कुल	संजीव कुमार मिश्रा, म0वि0विम्सगंडा 2, मधुबनी बाजार	6201774040
13	सरकारी स्कुल	बरूण कुमार, म0वि0विम्सगंडा 1 मधुबनी बाजार	7903435474
14	सरकारी स्कुल	पंकज झा, बाल मध्य विद्यालय, सिपाही टोला,	8102850692
वार्ड संख्या–16			
क्र.	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	पलाई कारखाना	संदीप राज, मोलवी टोला मधुबनी	9431230309
2	जन वितरण दुकान	अमन आनंद, मोलवी टोला मधुबनी	9570810492
3	आटा मिल	संजय केशरी, मोलवी टोला मधुबनी	9939094500
4	राशन सप्लायर	सज्जाद आलम, मोलवी टोला मधुबनी	9955230210
5	जन वितरण दुकान	दिनेश कुमार सिंह, केशरी टोला मधुबनी	8864062609
6	जन वितरण दुकान	रवि कुमार, केशरी टोला मधुबनी	7903356011
7	रूफी मेडिकल हॉल	फरहान आलम, मोलवी टोला मधुबनी	7545076369
8	जन वितरण दुकान	संगीता सिंह, केशरी टोला मधुबनी	7654320124
9	सावित्री उत्सव भवन विवाह भवन	पदम् सौरभ पराग, प्रताप नगर मधुबनी	9931926783
10	जन वितरण दुकान	रंजना केशरी, प्रताप नगर मधुबनी	9031778366
11	जन वितरण दुकान	दीना नाथ केशरी, प्रताप नगर मधुबनी	8051867376
12	टेन्ट हाउस	पप्पू कुमार, जय प्रकाश नगर	9304527922
13	आर्य मेडिकल दवा होलसेल	सत्यम कुमार, कोरठबाड़ी शीतला मंदिररोड	7484806707
14	प्र0वि0 कोरठबाड़ी	सविता कुमारी, कोरठबाड़ी	8294000904
वार्ड संख्या–17			
1	जन वितरण दुकान	अनिल कुमार सिन्हा, कोरठ बाड़ी मधुबनी	9431087569
2	जन वितरण दुकान	मनोज कुमार, कोरठ बाड़ी मधुबनी	9973050267
3	जन वितरण दुकान	निरज कुमार, कोरठ बाड़ी मधुबनी	9431865460
4	जन वितरण दुकान	आशीतोष कुमार सिंह, कोरठ बाड़ी मधुबनी	7654257455
5	जन वितरण दुकान	रविन्द्र प्रसाद	9122610320
6	जन वितरण दुकान	गोपाल प्रसाद साह	8987242945

वार्ड संख्या–18			
क्र.	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	खुशी टेन्ट हाउस	सुबोध कुमार, कोर्ट स्टेशन	9431666968
2	उत्सव विवाह भवन	अभय कुमार सिंह, कोर्ट स्टेशन	9430562484
3	सामुदायिक भवन	विन्देश्वरी ऋषिदेव, कुरट कॉलोनी, बाल कृष्ण नागा कोर्ट स्टेशन	8809761082
4	सामुदायिक भवन	अमित कुमार, संत कबीर नगर	8651656000
5	राशन सप्लायर	अमित कुमार, संत कबीर नगर	8651656000
6	टेन्ट हाउस	मुन्ना सिंह, हवाई अडडा रोड	9709163468
7	प्रमिला इंडियन गैस गोदाम	विजय श्रीवास्तव, कॉलेज रोड	9431230373
8	हिन्दुस्तान टेन्ट	सुचित कुमार दास, जनता चौक	9431060517
9	जन वितरण दुकान	मनोज वर्मा, कोरठ बाड़ी	9709215688
10	जन वितरण दुकान	गोपाल साह, पासवान टोला	8987242945
11	जन वितरण दुकान	बिमल कुमार, कॉलेज रोड	9709421714
12	म0वि0 पूर्णिया कोर्ट	नवीन कुमार, जनता चौक	7631783835
13	जनता मेडिकल हॉल	गौरी शंकर मेहता, जनता चौक	6204082351
वार्ड संख्या–19			
1	मध्य विद्यालय प्रभात कॉलोनी स्कुल	रेवती नंद, प्रभात कॉलोनी	94316327882
2	सेन्ट पीटर इंगलिश स्कुल	मनोज खालको, प्रभात कॉलोनी	9162774178
3	जन वितरण दुकान	उपेन्द्र सिंह, साहवान हाता प्रभात कॉलोनी	7870940517
4	जन वितरण दुकान	भूपेन्द्र केशरी, प्रभात कॉलोनी	9430282371
5	टेन्ट हाउस	नारायण साह, प्रभात कॉलोनी	9931278369
6	विवाह भवन	अरूण जायसवाल, नायन कल्ब पूर्णिया	9431230259
वार्ड संख्या–20			
1	भुनीभरसल कार्न्वेन्ट स्कुल (20 रूम)	रवि कुमार दास, नवरतन हाता	8210426829
2	सनराईज पब्लिक स्कूल (25 रूम)	बि0 के0 शर्मा, नवरतन हाता	9162967269
3	जन वितरण राशन दुकान	राम बाबु साह, नया टोला लाईन बाजार	9570939993
4	ग्रीन टेन्ट हाउस	जय नारायण यादव, लाईन बाजार पूर्णिया	9852378885
5	उत्सव टेन्ट हाउस	तरूण कुशवाहा, लाईन बाजार पूर्णिया	9934468419
6	बम्बई टेन्ट हाउस	मनोज दास, लाईन बाजार पूर्णिया	9431472259
7	ए0बी0फाउण्डेशन (कमरा 11)	शेलेन्द्र कुमार, लाईन बाजार पूर्णिया	995558250
8	लकड़ी दुकान	कमला राय, लाईन बाजार पूर्णिया	7781035093
9	के0 के0 सिंह अस्पताल प्राईवेट	डॉ0 के0के0 सिन्हा, लाईन बाजार पूर्णिया	9608840667

10	के0 के0 सिंह अस्पताल प्राईवेट	डॉ0 मयंक सिंह, लाइन बाजार पूर्णिया	9608840667
वार्ड संख्या–21			
1	जनरल स्टोर सप्लायर	सपन दा, झण्डा चौक	9934853902
2	किराना हॉलसेल दुकान	राज कुमार साह, झण्डा चौक	9162715053
3	कन्या मध्य विद्यालय खजांची हाट	प्रतीम पराज, खजांची हाट	9470869804
4	जन वितरण दुकान	शंभु प्रसाद साह, बाड़ी हाट	7050442885
5	जन वितरण दुकान	जवाहर लाल साह, बाड़ी हाट	8271707134
6	जन वितरण दुकान	लाडला कुमार, बाड़ी हाट	9939196593
7	जन वितरण दुकान	प्रमोद साह, बाड़ी हाट	8651887934
8	प्राथमिक विद्यालय बाड़ी हाट, सरकारी स्कुल	अनिता देवी, बाड़ी हाट	8271656869
9	विवाह भवन	बसु बाबु, नवरतन हाता	9934677512
10	टेन्ट हाउस	शिगेश्वर सिंह, ममियाबाड़ी	882530439
11	टेन्ट हाउस	विजय कुमार, नवरतन हाता	9631908335
12	जिला प्राथमिक शिक्षक संघ	सत्येन्द्र कुमार सुमन नवरतन हाता	9934677392
वार्ड संख्या–22			
1	जन वितरण प्रणाली	प्रमाद साह, बाड़ी हाट	8651887934
2	कन्या मध्य विद्यालय	कंचन कुमारी, भट्टा बाजार	9304012657
3	राजेस्थान सेवा समिति भवन	श्रवण कुमार जंजानी, टेक्सी स्टेंड चित्रावाणी रोड	9955265225
4	सर्राफ एजेंसी	सुरेश कुमार सर्राफ, भट्टा बाजार	9431260138
5	सर्राफ डिस्टीब्यूटर्स	प्रवेज कमार सर्राफ, भट्टा बाजार	8409850687
वार्ड संख्या–23			
1	टेन्ट हाउस	मनोहर दास, दुर्गा बाड़ी सामुदायिक भवन	9431291918
2	विवाह भवन	दुर्गा बाड़ी सामुदायिक भवन	8340233021
3	सरकारी स्कुल	संख्या 3, बी.बी.एम. स्कुल रोड	9931926289
4	प्राईवेट स्कुल 9 कमरा	प्राईवेट स्कुल,महबुब खां टोला	9102949554
वार्ड संख्या–24			
1	मध्य विद्यालय धांगर टोली सरकारी स्कुल	अनिल कुमार सिन्हा, ततमा टोली	6200398002
2	ब्राईट केरियर स्कुल प्राईवेट	अंकुल भगत, शक्ति नगर पूर्णिया	9934474878
3	सामुदायिक भवन	संजय रजक, सुदीन चौक	6207888515
4	जन वितरण दुकान	शेखर राकेश कुमार, सुदीन चौक	9931047346
5	जन वितरण दुकान	मुन्नी लाल साह, सुदीन चौक	9470086836
6	जन वितरण दुकान	मुकेश कुमार शर्मा, नेवालाल चौक	9771633005

7	जन वितरण दुकान	आशीष कुमार, लाईन बस्ती	8340248505
वार्ड संख्या–25			
1	जन वितरण प्रणाली	रवि दास, विवेकानन्द कॉलोनी	9931466492
2	जन वितरण प्रणाली	विजय चौधरी, विवेकानन्द कॉलोनी	9431445748
3	किराना थोक बिक्रेता	विनोद कुमार, रजनी चौक	8897887705
4	प्राईवेट स्कुल	संस्कार स्कुल, नेताजी चौक	6200751478
5	प्राईवेट स्कुल	एस.के. मिशन स्कुल, रजनी चौक	8116360090
6	सरकारी स्कुल	प्रा.मध्य विद्यालय, विवेकानन्द कॉलोनी	93040884242
7	विवाह भवन	सुमन सिंह, रजनी चौक	9430634765
8	विवाह भवन	राजू बैठा, रजनी चौक	9430682776
9	पानी सप्लायर	अनिल चौधरी, विवेकानन्द कॉलोनी	9430522702
वार्ड संख्या–26			
1	प्राईवेट स्कूल तीन मंजील –12 रूम	कृत नारायण यादव, स्टार पब्लिक स्कूल, छठ पोखर रोड	9472049565
2	दवाई दुकान	रामचन्द्र झा, छठ पोखर ततमा टोली	6205646352
3	जन वितरण दुकान	शिवपूजन साह, छठ पोखर	8540898983
4	लगन टेन्ट हाउस	राजेश शर्मा, मंगल कॉलोनी छठ पोखर	8210137044
5	प्रियम जेनरल स्टोर (किराना हॉल सेलर)	मनोज चौधरी, मंगल कॉलोनी	7783067772
वार्ड संख्या–27			
1	प्राईवेट स्कूल (दस रूम)	फातमा गर्ल्स स्कूल, सज्जाद कॉलोनी	9199587776
2	प्राईवेट स्कूल (आठ रूम)	अल हावा एकेडमी, सज्जाद कॉलोनी	9199587776
3	पाईवेट स्कूल (आठ रूम)	सर सैयद एकेडमी, सज्जाद कॉलोनी	705045028
4	सिमांचल टेण्ट हाउस	मो० जावेद आलम, जजॉयी हार	7814526512
5	किराना हॉल सेल	सुभाष कुमार, भठ्टा बाजार	993124645
वार्ड संख्या–28			
1	जन वितरण प्रणाली उफान	ओम प्रकाश साह, खजाँची हाट	70503000039
2	रोशन होलसेल	संजय साह, भण्डा चौक	7004480424
3	दिल्ली पब्लिक स्कूल (15 रूम)	आर० के० भगत, भण्डा चौक दिल	7209048067
4	डेफोडीम्स स्कूल (10 रूम)	मजहर आलम, वी.आई.पी.कॉलोनी	7367028790
5	हमसफर मैरेज हॉल	अब्दूल हसन, आजाद नगर	8210905701
वार्ड संख्या–29			
1	जन वितरण प्रणाली	मो० नीसम, पाँचु टोला	9504676862, 9534621962
2	किराना सामान सालाचर	पन्ना लाल साह, शिव मंदिर लाईन बाजार	9430684918

3	स्कूल	मो० कुर्बान, अलहरी पब्लिक स्कूल, दफ्तर टोला लाईन बाजार	980146132
4	स्कूल	मो० कुर्बान, अस्सविल स्कूल, नीशिगंज लाईन बाजार	9708340336
5	स्कूल	मो० मुसब्बिर, पारामाउंट पब्लिक स्कूल, हसरत गंज, लाईन बाजार	8051593114
6	दवाई सप्लायर	मो० एकराम, नीशिगंज	8409150229
7	माणिचंद पैलेस (विवाह भवन)	अमरजीत कुमार, आशियाना कॅलोनी	790905098
8	कोहिनूर विवाह भवन	मो० रजा, झंडा चौक, आशियाना कॉलोनी	9006716835
वार्ड संख्या–30			
1	इण्टर नेशनल स्कूल (40 रूम)	डॉ० ईमाम साहन, लाईन बाजार	9431230975
2	मिलिया कोन्भेन्ट स्कूल (30 रूम)	डॉ0 ईमाम, राम बाग	9431230975
3	फातमा हॉस्पीटल	तनवीर आलम, लाईन बाजार	9931213287
4	जनवितरण प्रणाली	देव नारायण साह, जनता चौक	9430209813
5	जनवितरण प्रणाली	संजय कुमार साह, राम बाग	9431655615
6	जनवितरण प्रणाली	आर0 एन0 साह, वैरू गंज	9431097042
7	मैक्स 7 हॉस्पीटल	मैक्स 7 होप होस्पीटल, लाईन बाजार, रामबाग रोड	8405900515
8	सहयोग नर्सिग हाम	डॉ0 संजीव कुमार, राम बाग	7320921885
वार्ड संख्या–31			
1	विवाह भवन 4 कमरा	गुणेश्वर उरॉव, जी.पी. कांम्लेक्स बीवी गंज पुल के नजदीक	9661541618
2	श्रीनगर मेडिकल एजेन्सी	कन्हैया कुमार, जी. पी. काम्लेक्स बीवी गंज पुल के नजदीक	7903000590
3	टेन्ट हाउस	नारायण दास, जो. पी. काम्लेक्स बीवी गंज पुल के नजदीक	9934296961
4	जनवितरण दुकान	रविन्द्र साह, रेलवे गुमटी जनता चौक	8540017653
5	आवासिय विधालय	शांति निकेतन आवासिय विधालय, रामबाग पासवान चौक के नजदीक	9431412529
6	डीलर जनवितरण प्रणाली	विजय कुमार यादव, श्वैरूगंज	9431218625
वार्ड संख्या–32			
1	जनवितरण प्रणाली दुकान	मो० महताब आलम, मियाँ बाजार अंसारी टोला	94712129674
2	मोजीबुर टेन्ट हाउस	मोजीबुर, आसाम टोला चिमनी बाजार	6205087493
3	प्राथमिक मध्य विधालय उर्दु स्कूल	प्रभात कुमार, मियाँ बाजार अंसारी टोला	9771638263
4	मध्य विधालय उर्दु स्कूल	रईस जाफरी, चिमनी बाजार	9631276192
5	इस्लामिक दारूल हदिश उलुल मदरसा	नुर आलम, कनवा बाजार	8294769450
6	किराना हॉल सेल दुकान	मो० सकुर, सकुल टोला	6204069105
7	किराना हॉल सेल दुकान	मो० साफु, मोब्दीपुर	7250542826
वार्ड संख्या–33			
1	टेन्ट हाउस	मो० मोजीब रहमान, आसाम टोला, चिमनी बाजार	6205087493

2	दवा दुकान	डा0 हसीकुर रहमान, कनवा बाजार	8804029113
3	दवा दुकान	अताउर रहमान, चिमनी बाजार	7717704017
4	जनवितरण दुकान संचालक	आफताब आलाम, मियाँ बाजार, अंसारी टोला	9939071660
5	प्राइवेट राशन दुकान हॉलसेल	अताउर रहमान एवं अब्दुल मनान पैकार, कनवा बाजार, चिमनी बाजार	7992381554
वार्ड संख्या–34			
क्र0	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	विवाह भवन	आविद हुसैन, नाका चौक पूर्णियाँ सीटी	9801014876
2	टेन्ट हाउस	गिरिश चन्द मिश्रा, पूरण देवी चाक	9934230471
3	दवाई हॉल सेल	वासनाथ कुमार सिंह, नाका चौक सीटी	9263696642
4	जनवितरण दुकान	दीना नाथ चौधरी, पूर्णियाँ सिटी नाका चौक	8092667953
5	जनवितरण दुकान	नित्य किशोर पाण्डेय, पूर्णियाँ सिटी नाका चौक	9931495074
6	जनवितरण दुकान	मुरारी कुमार भगत, पूर्णियाँ सिटी	7004796079
7	जनवितरण	सरवर अली, पूर्णियाँ सिटी	9546031553
8	समुदायिक भवन	पूनम झा, पूरण देवी मंदिर, पूर्णियाँ सिटी	9934642674
9	निजी स्कूल (18 कमरा)	सुधाजली सेनापति, अर्सलाईन स्कूल, बंगाली टोला सिटी	9471557842
10	निजी स्कल (12 कमरा)	हरवेस्ट मिशन स्कूल निभा जैकब, जाफरी बाग	9801996345, 7825817000
11	निजी स्कूल (17कमरा)	नल कुमार विश्वास, रास कमल इंगलिश स्कूल, मुरायारी टोला सिटी	9934493206
12	कृषि महाविधालय सरकारी	डा0 पारस नाथ, मुरायारी टोला सिटी कसबा रोड	9470050628, 9123275933
13	सरकारी स्कूल	तरूण कुमार, कन्या म0 वि0, पूर्णियाँ सिटी	9431291870
14	सरकारी स्कूल	आर्दश मध्य वि0 पू0 सिटी, पूर्णियाँ सिटी	8051883132
वार्ड संख्या–35			
क्र.	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	जनवितरण प्रणाली दुकान	महरून निशा, हॉसदा कोठी	8521897763
2	किराना राशन का दुकान	महेन्द्र कुमार, गुलाबबाग	746401448
3	प्राईवेट विधालय	प्राईवेट स्कूलसंतयोतमस स्कूल मुंशीबाड़ी	6204870520
4	प्राईवेट विधालय	रमेश वर्मा, इंडियन पब्लिक स्कूल गुलाबबाग	9386262061
5	टेन्ट हाउस	मनीष टेप्पो हॉसदा	9153705670
वार्ड संख्या–36			
1	जे0 सी0 बी0 क्रेन	श्याम यादव, जिरो माईल नहर गुलाबबाग	9334913509
2	चुड़ा,चना,चीनी, थोक बिक्रेता	आलोक संचेती, बाजार समिति गुलाबबाग	6287930084
3	चुड़ा,चना,चीनी,थोक बिक्रेता	वकील साह, बाजार समिति गुलाबबाग	9931009609
4	थोक बिक्रेता	मो० मतलूब आलम, बाजार समिति गुलाबबाग	9504581763

5	जनवितरण प्रणाली	राजेन्द्र राम, दमका गुलाबबाग	99344275597
		वार्ड संख्या–37	
1	जनवितरण प्रणाली दुकान	गनपत मंडल, मेला ग्रउण्ड गुलाबबाग	8936824909
		वार्ड संख्या–38	
1	जनवितरण दुकान	कालू चौहान, चौहान टोला, गुलाबबाग	9430684365
2	जनवितरण दुकान	हरिहर राम, चौहान टोला, गुलाबबाग	8051718107
3	विवाह भवन 20 रूम	लक्ष्मी नारायण बजाज, गुलाबबाग	9934258991
4	जवाहर लाल नेहरू उच्च विधालय गुलाबबाग	चन्द्रभूषण सिंह प्रधानध्यापाक, लकड़ी पट्टी, गुलागबबाग मेन रोड	9304143766
5	मोहन लाल बजाज बालिका उच्च विधालय	मोहन लाल बजाज, गुण्डा चौक रोड, गुलाबबाग	860367771
		वार्ड संख्या–39	
1	धार्मिक स्थल 10 रूम	तेरापल भवन, हासदा रोड गुलाबबाग	7544060461
2	सरदार पटेल पब्लिक स्कूल 12 रूम	सरदार पटेल पब्लिक स्कूल,पालोग्राम हासदा रोड गुलाबबाग	9582084676, 7250197639
		वार्ड संख्या–40	
1	जनवितरण दुकान	नौनी गोपाल दत्ता, स्टेशन खुश्कीबाग पूर्णियाँ	9471011652
2	टेन्ट हाउस	अमित कुमार, लव कुश टेन्ट हाउस, (सदर थाना के सामने) पूर्णियाँ	8051031612
3	टेन्ट हाउस	बिट्टू साह, पूर्णियाँ सिटी	9065357777
4	प्राईवेट स्कूल	आनंद मार्ग स्कूल, पूर्णियाँ सिटी	6201797389
5	प्राईवेट स्कूल	रेडियेंट पब्लिक स्कूल, पूर्णियाँ सिटी	9931017643, 6202835726
6	समुदायिक भवन	सरस्वती पुस्ताकलय एवं समुदायिक भवन, पूर्णियाँ सिटी	7979706273
		वार्ड संख्या–41	
क्र.	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	जनवितरण प्रणाली	उज्जवल कुमार चौधरी, खुश्कीबाग	9471464179
2	जनवितरण प्रणाली	जीवन मिश्रा, खुश्कीबाग	9431864818
3	प्राईवेट स्कूल 25 रूम	सोल वीनींग मिशन स्कूल, कप्तान पाड़ा खुश्कीबाग	9431230137
4	तेरा पंत भवन	लक्ष्मी पत डागा, खुश्कीबाग हाट	9934230155
5	टेन्ट हाउस	अमित कुमार, लवकुश टेन्ट हाउस, खुश्कीबाग	8051031612
		वार्ड संख्या–42	
1	जन वितरण प्रणाली	वरूण साह, शिव मंदिर	7739274586
2	जन वितरण प्रणाली	बलराम महतों, कप्ता पाड़ा	9471018348
3	स्कूल सरकारी	गागुली मैडम, मध्य विद्यालय, प्रखंड मुख्यालय पूर्णियाँ पूर्व	8709000593
4	सरकारी भवन	प्रहलाद कुमार पासवान, आनंद नगर	9708386231
5	निजी होस्पीटल	डा0 अरविन्द कुमार, लाईन बाजार	9431292143

6	निजी होस्पीटल	ओ. पी. साह, लाईन बाजार	9431284488
7	आश्रम भवन सरकारी	रेखा देवी, इन्चार्ज, आश्रम भवन घोष पाड़ा महल्ला	9572487741
8	रेन बसेरा घोष पाड़ा सरकारी	ललिता देवी, इनचार्ज, रेन बसेरा घोष पाड़ा महल्ला	9097570005
		वार्ड संख्या–43	
1	स्कूल	पी0डी0के0एस स्कूल, भादो टोला पूर्णियाँ	9334965622
2	स्कूल	प्रीमियर स्कूल, भादो टोला पूर्णियाँ	9955613662
3	जन वितरण प्रणाली दूकान	अमरेन्द्र कुमार यादव, अनूप नगर बेलोरी पूर्णियाँ	8757965884
		वार्ड संख्या–44	
क्र0	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	आदर्श मध्य विद्यालय	देवेन्द्र कुमार, आदर्श मध्य विद्यालय बेलौरी	9113778285
2	बाबा टेन्ट हाउस, जेनरेटर	दुलाल दास, बेलौरी	9431864704
3	राशन सप्लायर	रजनी कान्त गुप्ता, बेलौरी चौक	7667899831
4	अर्णव मेडिसीन	अजीत कुमार, बेलौरी चौक	8235050500
6	जनवितरण प्रणाली	सुनिता देवी, बेलौरी	9709330061
7	जनवितरण प्रणाली	इन्दिरा देवी, बेलौरी	9939211436
		वार्ड संख्या–45	
क्र0	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**माबाईल नं.**
1	जन वितरण दुकान	रवि कुमार, गुण्डा चौक, चन्दन नगर	9661050913
2	जन वितरण दुकान	विशुण देव मंडल, काली गंज	8340191839
3	टेन्ट हाउस	विमल दास, दरगाह कॉलोनी	8084000985
4	टेन्ट हाउस	निर्मल दास, दरगाह कॉलोनी	9205200858
5	प्राथमिक विद्यालय हाजिर गंज सरकारी स्कूल	ललन कुमार ललित, हाजिर गंज	7903779907
6	प्रज्ञा हेरिटेज स्कूल	ओम सर, हाजिर गंज	9470045781
7	पाठ गोदाम	संदीप ज्ञानी, गुण्डा चौक	9006725300
		वार्ड संख्या–46	
1	जनवितरण दुकान	रवि कुमार मंडल, चांदन नगर	9661050913
2	जनवितरण दुकान	विएपू देव मंडल, काली गंज	8340191839
3	जनवितरण दुकान	मुस्तफा अंसारी, पोखरिया	9471629588
4	टेन्ट हाउस	विमल दास, दरगाह टोला	808400985
5	सरकारी स्कूल	मध्य विधालय, वेगमावाद	7979789938
6	होलसेल दवा दुकान	अमृतराज, चंदन नगर	9334331419
7	होलसेल दवा दुकान	राहुल भारती, वागेश्वरी	9852605259

निजी यांत्रिक संसाधन		वार्ड सं.– 01	
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	ट्रेक्टर	मनोज कुमार यादव, बैजनाथपूरी यादव टोला	7549711962
2	ट्रेक्टर	मिथुन यादव, मधुबनी कॉलोनी	7903564874
3	टक्टर	पिन्टू कुमार, कृष्णापूरी यादव टोला	9570933477
4	आटा चक्की मील	टिंका यादव, पासवान टोला, मधुबनी	7808808729
5	ट्रेक्टर	भूवनेश्वर यादव, कृष्णापूरी यादव टोला	9798384276
6	ट्रेक्टर	सुनील यादव, बैजनाथपूरी यादव टोला	7320030154
7	आटा चक्की मील	अनिल यादव, कृष्णापूरी यादव टोला	7004481736
		वार्ड संख्या–02	
1	क्रेन एवं भारी वाहन	पंकज श्रीवास्तव,अमला टोला	9973322145
		वार्ड संख्या–04	
1	एम्बुलेंश	तफेजुल, रहमत नगर	9560631781
2	ट्रेक्टर	अरमान ट्रेडस, रहमत नगर	7903799338
		वार्ड संख्या–07	
1	टेक्सर–1	रघुनन्दन यादव,न्यू सिपाही टोला पूर्णिया	9430637097
2	एम्बुलेंश – 1	सुशील कुमार, न्यू सिपाही टोला	8051579112
		वार्ड संख्या–09	
1	पूजा एग्रो फुड प्रा॰ लि॰, (आटा चक्की मील)	आशिष सिन्हा, बियाडा, मरंगा	9733056777
2	बासमिकी फुड पॉवडर (आटा चक्की मील)	बिक्रम कुमार सिन्हा, बियाडा, मरगा	8292072029
3	ट्रेक्टर	सुभाष दास, सत्संग बिहार	8002740107
		वार्ड संख्या–10	
1	टेक्टर 2	मो0 इसमाईल,मिल्की	9661880900
2	राईस मील	आयु सिन्हा, गुड मिल्की	8304654669
3	ट्रक 2	राजा दास,गुड मिल्की	9555230110
4	ट्रक 1	मो0 नसीम, मिल्की शेरसाहवादी टोला	8825153917
5	वाटर टैन्कर	रूपप्रकाश सिंह	8084002355

वार्ड संख्या–11			
1	आरा मिल	अरूण कुमार शर्मा, राम नगर	9430684423
2	ट्रेक्टर	मृत्युजय मिश्रा, राम नगर	9431482778
3	ट्रेक्टर	एस के ट्रेडस, राम नगर	9708736364
4	ट्रेक्टर	सुशोल कुमार, राम नगर	9430843319
वार्ड संख्या–12			
1	जे०सी०बी० मशीन	जे.सी.बी. कम्पनी सप्लायर, 4स्टार चौक सुभाष नगर	7281001048
2	ट्रेक्टर	मनोज दास, सुभाष नगर	9631091359
वार्ड संख्या–13			
1	समीर बस	अजय कृष्ण माधव, बस स्टेंड, पूर्णिया	9931425283
2	कुमार बस	क्रियानंद कुवर, बस स्टेंड, पूर्णिया	9525252605
3	ज०सी०बी०	सोनू रहमान, महबुब खॉ टोला	9431230492
4	जे०सी०बी०	मुकेश, पटना गैरेज, पूर्णिया	9006420740
5	जे०सी०बी०	अमोद मंडल, काली मंदिर महबुब खॉ टोला	9801785185
6	वाटर टैन्कर	सोहन कुमार	9570755238
वार्ड संख्या–14			
1	लकड़ी आरा मील	राम प्रवेश शर्मा, गिरजा चौक	9331060535
2	जे0सी0टी0 ट्रेक्टर 2	अमोद कुमार मंडल, गिरजा चौक	9431411677
वार्ड संख्या–15			
1	ट्रेक्टर	मो0 इजहार अहमद, सिपाही टोला मधुबनी	9709826004
वार्ड संख्या–16			
1	टेक्टर	कमलेश सिंह, गांधी नगर	9473112938
वार्ड संख्या–17			
1	एम्बुलेंश	अजय शर्मा, कोरठ बाड़ी मधुबनी	7644231089
2	टेक्टर	कुमोद कुमार राम, कोरठ बाड़ी मधुबनी	9931244700
वार्ड संख्या–18			
1	ट्रेक्टर	मंटू यादव, हवाई अडडा रोड	8539842102
2	आटा मील	कमलेश सिंह, कॉलेज रोड	9473112938

वार्ड संख्या–23			
1	ट्रेक्टर	बिसम्बर नियोगी, दुर्गा बाड़ी	9430686432
वार्ड संख्या–24			
1	टेक्टर 1	मनोज झा, सुदीन चौक	7909089276
2	टेक्टर 1	राम बजन दास, सम्राट चौक	8102642549
वार्ड संख्या–25			
1	टेक्टर मालिक	संतोष साह, नेताजी चौक	9934741451
2	टेन्ट हाउस एवं जेनरेटर	रूपेश जायसवाल, नेताजी चौक	9934461326
3	टेन्ट हाउस एवं जेनरेटर	सुमन सिंह, रजनी चौक	9430634765
4	टेन्ट हाउस एवं जेनरेटर	उमेश दास, रजनी चौक	8271699033
वार्ड संख्या–26			
1	जे०सी०बी० ट्रक्टर	राजीव मिश्रा, टीचर्स कॉलोनी	8757581299
वार्ड संख्या–28			
1	आरा मील	शमीम अख्तर, वी.आई.पी कॉलोनी	9470023007
2	ऐंमुब्लेंस	मो० अब्बास, मुज्फर अहमद नगर	739829360
3	ट्रंक–2, ट्रेक्टर–2	मो० अंसार आलम, आजाद नगर	9576465137
4	ऐंमुब्लेंस 2	नबेद अख्तर, अहमद नगर	7488762182
5	ट्रेक्टर	गुड्डू साह, इस्लाम नगर	9939706242
वार्ड संख्या–29			
1	एम्बुलेंस	मो० शौकत,लुट मोहल्ला	9162057993
वार्ड संख्या–31			
1	जे०सी०बी० –1 ट्रेक्टर–2	अरूण कुमार साह, रामबाग चौक	7903770058
	जे०सी०बी० –1 ट्रेक्टर–1	नागा जी, रामबाग चौक	9430562478
वार्ड संख्या–33			
1	जे०सी०बी०	अखतर हुसैन,मिर्जापूर चिमनी बाजार	7779826492
2	ट्रेक्टर	मो० नैयर आलम,स्कूल टोला चिमनी बाजार	9931738426

वार्ड संख्या–34			
1	ट्रेक्टर–2	राजेश कुमार साह,नाका चौक	9299534784
2	ट्रेक्टर	सरवर अली, पूर्णियाँ सिटी	9546031553
वार्ड संख्या–35			
1	ट्रेक्टर	रामोतार साह,हॉसदा	9546211027
2	चूरा मिल	वकील साह	9931009609
वार्ड संख्या–36			
1	अग्निशमन गाड़ी 6	मो० कासीम (अध्यक्ष), कृषि साख सहयोग समिति लि० गुलाबबाग	8084078132
2	क्रेन	अशोक कुमार साह, जोरो माईल गुलाबबाग	9431869143
3	फायर गाड़ी एवं एम्बुलश 6	बाजार समिति मेन गेट, हराव स्थाल	
वार्ड संख्या–38			
1	ट्रेक्टर	कालू चौहान, चौहान टोला गुलाबबाग	9430684365
2	ट्रेक्टर	प्रभाष चौहान, चौहान टोला गुलाबबाग	9431625353
3	ट्रेक्टर	लो० प्रसाद यादव, सरदार टोला गुलाबबाग	9504982956
4	ट्रेक्टर	राधे कृष्ण यादव, चौहान टोला	
5	आरा मिल	सुकुमार दास, चौहान टोला गुलाबबाग	9430811382
वार्ड संख्या–39			
1	लक्ष्मी शो आरा मिल	माणिक सेन गुप्ता, हासदा रोड गुलाबबाग	9431291725
वार्ड संख्या–40			
1	आटा मिल	याम कमर्शियल कम्पनी, जाफरी बाग	9431445532
2	ट्रेक्टर	सैयद आदिल हुसैन,जाफरी बाग	9430039254
3	ट्रेक्टर	आजाद हुसैन,जाफरी बाग	9431445804
वार्ड संख्या–41			
1	आरा मिल	गोपाल भवास, कप्तान पाड़ा खुश्कीबाग	7250829555
2	जे०सी०बी० हरक ट्रेक्टर	अभिनाश यादव, गजमतीया इन्टर प्राईजेज, शिवनगर खुश्कीबाग	6204755144
वार्ड संख्या–44			
1	आरा मिल	शतीस चौधरी, आगा टोला बेलौरी	9939894366
2	जे०सी०बी०	सोनू साह, साह टोला बेलौरी	9661821688

3	ट्रेक्टर	आनन्द कुमार, सतडोभ बेलौरी	7004968725
वार्ड संख्या–45			
1	चुड़ा मिल	विवेक जायसवाल, विवेक ट्रेडस, दरगाह कॉलोनी	9939501234
2	चुड़ा मिल	किशन जायसवाल, महावीर टेडस, हाजरीगंज सनथाल टोला	9113305896
3	3 जे०सी०बी०,+1 ट्रैक्टर	मुन्ना मिज, पचटकिया टोला	9304137629
4	जे०सी०बी० 3	बिन्देशरी साह, गुण्डा चौक	9939071218
5	पंप सेट	वेदनाथ सिंह, लालबाड़ी	8651371909
वार्ड संख्या–46			
1	जे०सी०बी०	मुन्ना उरॉव, पंचकटिया टोला	9934681118
2	जे०सी०बी०	प्रदीप जयसवाल, नागश्वरी	9661523491
3	जे०सी०बी०	धन्नजय सिंह, चांदन नगर	9431285870
4	जे०सी०बी०	राजेश सिंह, चांदन नगर	9801014600
5	जे०सी०बी०	नीरज सिंह, चांदन नगर	7541957133
6	ट्रेक्टर	मो0 मंजूर, चांदन नगर	8298599444
7	ट्रेक्टर	रित लाल साह, वेगमावाद	970961209
8	ट्रेक्टर	अनिल साह, वेगमावाद	7631219326
9	ट्रेक्टर	अरूण साह, वेगमावाद	9572928325
10	आरा मशीन	राकेश शर्मा, चंदन नगर	912153318
11	आरा मशीन	इन्दूभूषण चौधारी, बाईपास रोड	8789104803

9.4 वार्डवार संकरी गलियों की पहचान (चौड़ाई फीट में)

वार्ड सं.– 01			वार्ड सं.– 03		
क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई	क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3	1	2	3
1	सुमन यादव के घर से संतोष कुमार सोनी तक	8	1	शान्तिनगर मनोज झा के घर से देवनाथ मेहता घर तक	8
2	रामू मल्लिक से राजेश यादव के घर से मनिदेव वर्मा घर तक	8	2	शिवधाम बुलबुल पासवान के घर से रीता देवी घर तक	7
3	ठाकुर बाड़ी मंदिर से पंकज यादव एवं रामू मल्लिक घर तक	9	3	रामजी के घर से कृष्णा कुमार शिक्षक के घर तक	3
4	शेख तोफिक के घर से अनीरा आलम के घर तक	8	4	चुनापुर रोड से नारद पंडित के घर तक	8
5	असीम के घर से जसीन खान के घर तक	9	5	देवकी नंदन के घर से विवेका बाबू के घर तक	7
6	हरिजन स्कूल वाली गलियों	6	6	सोनी से प्रिंस सिन्हा के घर तक	8
7	खनेरा चंद्र घर से गुडिया कुमारी के घर तक	8			
8	मेघ कर्मकार के घर से सुरेश के घर तक	8			
9	सुघास सिंह के घर से मुकल यादव के घर तक	8			
10	सुरेश यादव के घर से मनोज यादव वाली सड़क	8			

वार्ड सं.– 04		
क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	एकबाल के घर से संजय गुप्ता के घर तक	8
2	आशुतोष के घर से मिथिलेश झा के घर तक	8
3	लटन सिंह के घर से कुंदन झा के घर तक	7
4	जवाहर मेहता के घर से सहानंद मेहता के घर तक	8
5	मो. नाजी के घर से मनोज झा के घर तक	7

वार्ड सं.– 06		
क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	चुन्नु सिंह के घर से एस एन झा के घर तक न्यू सिपाही टोला	8
2	योगेन्द्र कामती के घर से अजय कु. सिंह के घर तक	8
3	श्रीदेव सिंह के घर से अनिल मेहता के घर तक	8
4	गोपाल प्र. सिंह के घर से प्रमोद पंडित के घर तक	8

वार्ड सं.– 07		
क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	पप्पु पासवान के घर से अनिरूद्ध के घर तक न्यु सिपाही टोला	5
2	ललन के घर से रमाशंकर झा के घर तक	6
3	राजेश मुंशी के घर से सोनवा के घर तक	6
4	विकाश मंडल के घर से मनोज मंडल के घर तक	3
5	काजल के घर से भैस बथान तक	4
6	विनोद के घर से आंनद के घर तक	4
7	राजु पासवान के घर से जगदीश के घर तक	7
8	पप्पु पासवान के घर से श्याम के घर तक	4
9	धन्जय पासवान के घर से शिव मंदिर तक	6
10	उमेश यादव के घर से साह जी के घर तक	6
11	पिंकु के घर से संजय के घर तक	5
12	विकास के घर से सको चंद के घर तक	5

वार्ड सं.– 08		
क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	एन एच 31 से प्रवीण के घर तक	4
2	सुखो चौहान के घर से नरेश राम के घर तक	5
3	संतोष के घर से रामानंद के घर तक	6
4	मुख्य सड़क से शिबु के घर तक	8
5	बिन्द टोला मुख्य सड़क से अशोक के घर तक	6
6	विनोद के घर से आंनद के घर तक	4
7	बिन्द टोला मुख्य सड़क से संतोष के घर तक	8
8	मुख्य सड़क से भोम यादव के घर तक	5
9	मरंगा मुख्य सड़क से अशोक ठाकुर के घर तक	5
10	उपेन्द्र पासवान के घर से धनिक लाल के घर तक	4
11	सकलदेव पासवान के घर से चंदेश्वरी पासवान के घर तक	4
12	मुन्ना साह के घर से प्रमोद साह के घर तक	5
13	वर्मा कॉलनी से मिट्ठू सिंह के घर तक	5

वार्ड सं.– 09

क्र.	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	सैकेन दास के घर से मनोज साह के घर तक	8
2	सपन घोष से पप्पु के घर तक,बब्लु के घर से प्रिति के घर तक	8
3	रामचंद्र ऋषि के घर से लड्डु के घर तक	3
4	उर्मिला देवी के घर से राजु सिंह के घर तक	6
5	अमीर टोला मोड़ से सुरेन ऋषि के घर तक	4
6	मुख्य सड़क से विक्की के घर तक	5
7	मिश्री लाल के घर से एनएच–31 तक	5
8	संत्सग बिहार विद्यालय से पू.कार्तिकी के घर से पप्पु के घर तक	5
9	संत्सग बिहार विद्यालय से प. मुख्य सड़क से अशोक के घर तक	5
10	रामु ऋषि के घर से बौधु उरॉव के घर तक	8
11	मुख्य सड़क से चंदन ऋषि के घर तक	8
12	सीता राम उरॉव से धिरेन उरॉव के घर तक	8
13	मुर्गी फार्म गेट से सुखु मुर्मु टोला तक	8
14	विडियो शर्मा से मनोज मंराडी के घर तक	8
15	बिन्द टोला से विनोद के घर तक	3
16	भगवान सिंह से चंदन के घर तक	8
17	कैलाश मंडल से महाप्रभु घोष के घर तक	5

वार्ड सं.–10

क्र.	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	मदशो से अब्दुल बारी के घर तक	5
2	आमिर अली के घर से मो. रफीक के घर तक	6
3	नजरूल हक के घर से निजाम के घर तक	6
4	सुबेत के घर से सुल्तान के घर तक	5
5	मो. सिकन्दर अली के घर से मोख्तार के घर तक	7
6	मो. सदाम के घर से जाम मोहम्मद के घर तक	6
7	मंजुर के घर से मो. सोहराब के घर तक	6
8	अख्तर अली के घर से मो. जफर के घर तक	5

वार्ड सं.–11

क्र.	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	अशोक तिवारी से संजय सिंह के घर तक विकास नगर मरंगा	9
2	फर्चुनर साईन स्कूल के पीछे से संतलाल के घर तक	8
3	शत्रुधन सिंह से छोटे लाल झा के घर तक	8
4	अशोक चौधरी के घर से महंथ महेश के घर तक	8
5	दिव्या छात्रावास से संतलाल के घर तक	9
6	पप्पु चौधरी के मार्केट से इंजिनियर साहब के घर तक	9
7	अमिन साहब के घर से अनिल सिंह के घर तक	9
8	राकेश सिंह से रामजी के घर तक	9
9	बुधन सिंह के घर से अनिल सिंह के घर तक	9
10	मनोज पोद्दार के घर से नवीन सिंह के घर तक	7
11	मंजु सदन से पांडे जी के घर तक	8
12	उमेश पंडित से टी.के. यादव के घर तक	6
13	डा. शशि भूषण यादव से पप्पु सिंह के घर तक	7
14	पप्पु सिंह के घर से झा जी के घर तक	8
15	झा जी के घर से धीरेन्द्र सिंह के घर तक	8
16	राजेन्द्र सिन्हा के घर से फौजी संजय यादव के घर तक	8
17	विश्वास जी के घर से टावर गलियों तक	9
18	जितेन्द्र भगत के घर से मुकेश सिन्हा के घर तक	5

वार्ड सं.– 12

क्र.	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	पोस्टल कॉलनी में उमा देवी के घर से गणेश दास घर तक	8
2	राम प्रवेश महतों के घर से गणेश दास के घर तक	8
3	राज कुमार का किराना दुकान से आनंद भगत के घर तक	9
4	सुरेश दास के घर से उपेन्द्र साह के घर तक शारदा नगर	8

वार्ड सं.– 13

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	रामदेव अम्बष्ठा गलियों	6
2	हासीम गलियों	6
3	अजिन्द्र सिंह गलियों	6
4	मो. जहुर आलम से सरफराज के घर तक	8
5	मो. रफीक के घर से खोगेन्द्र पासवान के घर तक	9
6	मंजर हुसैन के घरसे इस्माईल के घर तक	4
7	मनीष के घर से मरहम निजाम के घर तक	7
8	मरहम हारूण के घर से मो. सादिक के घर तक	5
9	मो. यासिन के घर से अब्दुल के घर तक	5

वार्ड सं.–14

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	संजय चौधरी के घर से बिन्देश्वरी केशरी के घर तक	6
2	कुंदन सिंह के घर से हाउसिंग कॉलनी तक	8
3	सुचित सिंह के घर से विजय झा के घर तक	6
4	एनएच–31 पेट्रोल पम्प से सुदामा प्र यादव के घर तक	8
5	अशोक साह के घरसे एनएच–31 तक	4
6	मो. युनिस के दुकान से एनएच–31 जेल गेट तक	9
7	अमरजीत राय के दुकान से टैक्सी स्टेंड तक	9
8	शंकर यादव के घर से रवि कुमार के घर तक	6
9	प्रदीप चौहान के घर से जय नारायण मेहता के घर तक	8

वार्ड सं.–15

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	सुधीर झा के घर से अशोक केशरी के घर तक	8
2	ब्रह्मदेव मंडल के घर से अमन के घर तक	8
3	नूर सलाम के घर से मो. सोहेल के घर तक (मौलवी टोला)	8
4	रामविलास यादव के घर से उदय प्र० के घर तक (लंका टोला)	8
5	आनंद चौहान के घर से शरद चंद सिंह के घर तक	8
6	बड़ी मस्जिद से भाया मो. रउफ के घर तक(तारा नगर)	4
7	प्रमोद राय के घर से दिनेश चौरासिया के घर तक	8

वार्ड सं.–16

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	भोला प्र. सिंह के घर से कौशर के घर तक (मौलवी टोला)	9
2	राजेश कु. साह के घर से मनोज कु. वर्मा के घर तक	9
3	मुन्ना जी के घर से नुर आलम के घर तक (मौलवी टोला)	9
4	पप्पु टेन्ट से लड्डू जी के घर से रवि जी तक (मौलवी टोला)	8
5	प्रेम सिन्हा के घर से स्व. अनुज झा के घर तक (गाँधी नगर)	9
6	रमाकांत ठाकुर से राजेश के घर तक (गाँधी नगर)	8
7	मो. खलील के घर से संजय झा के घर तक	8
8	मो. जलाल के घर से रौनक के घर तक	8
9	मो. तमन्ना के घर से जोहेता जावेद के घर तक	9

वार्ड सं.–17

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	बलराम राम के घर से विजय राम के घर तक (मैथिल टोला)	6
2	मानो तिवारी के घर से सुखदेव राम के घर तक	6
3	घनश्याम शर्मा के घर से विपीन शर्मा के घर तक (कोरठबाड़ी)	8
4	तारकेश्वर दुबे के घर से बब्लू झा के घर तक	8
5	प्रदीप झा के घर से माँ काली मंदिर तक (मैथिल टोला)	4
6	महादेव मंदिर से होली चाईल्ड स्कूल तक	8
7	दिनेश झा के घर से फ्लकांत झा के घर तक (कोरठबाड़ी)	6
8	निपेन्द्र झा के घर से मुरलीधर झा के घर तक	8
9	राजेश झा से कुमोद झा के घर तक	6
10	शम्भू पासवान के घर से कमल सिन्हा के घर तक	7

वार्ड सं.–19

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	मनीष गुप्ता के घर से अशोक झा के घर तक (प्रभात कॉलनी)	8
2	रामरतन के घर से कल्याणी छात्रावास तक	8
3	धर्म नारायण के घर से बच्चा जेल तक (महराजी हाता मोहल्ला)	8
4	बिंदेश्वरी के घर से मणिकांत झा के घर तक	8
5	ललन मिल से सहजानंद राय के घर तक (भिक्अर कॉलनी)	8

वार्ड सं.–20

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	रविश सिंह के घर से बमबम साह के घर तक	8
2	संतोष भगत के घर से दिपक यादव के घर तक	7
3	सुरेश के घर से कल्याण सिंह के घर तक	7
4	मुन्ना पासवान के घर से अशोक के घर तक	8
5	कदम लाल पासवान के घर से रामेश्वर पासवान के घर तक	6
6	टुनटुन पासवान के घर से नारायण पासवान के घर तक	5
7	छोटे लाल से गोपाल रजक के घर तक	6
8	किराना दुकान से हरिलाल के घर तक	5

वार्ड सं.–18

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	जितेन्द्र सिंह के घर से आदिवासी टोला (कोर्ट स्टेशन रोड)	8
2	राजेश कु. के दुकान से रंजीत के घर तक (बंगाली टोला)	4
3	रामनाथ साह घर से अश्वनी सिंह के घर तक(कोर्ट स्टेशन)	5
4	सुभाष दास घर से भरम चंद्र दास के घर तक (बंगाली टोला)	4
5	संध्या दास से जनता चौक मेन रोड तक	4
6	गोपाल दास से जनता चौक मेन रोड तक	4
7	राजु वर्मा से ब्रज नारायण राय के घर तक (सहवान हाता)	8
8	उषा निवास से राजु वर्मा के घर तक	8
9	पुर्णिया कॉलेज मेन रोड से कोढ़ीपती निवास	8
10	जयवर्धन सिंह के घर से अंतातिका निवास तक (सुधांशुनगर)	8
11	ओम वीर सिंह से हीरा सिंह के घर तक	8
12	आलोक वर्मा से पूर्णिया कॉलेज मेन रोड तक	8
13	धुरता झा से अनील कुमार के घर तक (जय प्रकाश नगर)	8
14	पुरूषोतम यादव के घर से जितेन्द्र सिंह के घर तक	8
15	गंगेश झा के घर से प्रवोन झा के घर तक	8
16	रजिस्टार साहब घर से बंटी यादव के घर तक (पूर्णिया स्टेशन)	8
17	राय जी के घर से जयशंकर यादव के घर तक	4
18	मनोज राय के घर से चंद्रशेखर राय के घर तक	8
19	चैन दा के घर से स्व. रतन कुमार देव के घर तक	4
20	बब्लू मिश्रा के घर से मुन्ना झा घर तक	6
21	बब्लू राय के घर से भीम प्रसाद क घर तक	3
22	चितरंजन दास के घर से परितोष के घर तक (जनता चौक)	4

वार्ड सं.–21

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	मौलवी साहब दुकान से मो. अयुब के घर तक (इमली टोला)	8
2	डॉ एन.एन.पंडित से डॉ.सच्चिदानंद के घर तक(बाड़ीहाट नयाटोला)	9
3	मुंशी प्र. साह से शिशु कु. सिंह के घर तक	9
4	जर्नाधन गुप्ता के घर से योगेन्द्र यादव के घर तक	6
5	संजय मोहन प्रभाकर से आदित्य प्र. साह के घर तक	5
6	रघुनाथ साह के घर से दीपनारायण रजक के घर तक	8
7	अरविंद साह से छाया बुक्स तक	8
8	उपेन्द्र शर्मा के घर से उमेश चंद्र कुवर के घर तक	8
9	एफसीआई रोड से सुरेश के घर तक	9
10	नवरतन हाता दास जी के घर से महेन्द्र साह के मील तक	8
11	अभय सिन्हा के घर से गुल्ली सिन्हा के घर तक	8
12	डॉ दीपक के घर से ज्योतसना चौधरी के घर तक	8

वार्ड सं.–22

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	सोवर इंटर प्राइजेज से होते हुए पंचम सिंह के घर तक	5
2	सीताराम मंडल के घर से पारस होटल तक	8
3	छेदी रजक के घर से सरफुद्दीन के घर तक	8
4	टिंकु के दुकान से भगत जी के घर तक	9
5	त्रिभुवन साह के घर से गेना दास के घर तक (चित्रवाणी रोड)	5
6	त्रिभुवन साह से भाया संतोष राय के घर से अरूण श्रीवास्तव तक	8
7	प्रदीप कु. भारती के दुकान से मुनीलाल शर्मा के घर तक	8
8	धर्मजय राय के घर से मो. आजाद के घर तक	9
9	लक्ष्मी साह के घर से भाया रामचंद्र राय से बिनोद राय के घर तक	8

वार्ड सं.–23

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	विवके सिंह के घर से सुशील सिंह के घर तक (शिवपुरी मोहल्ला)	8
2	सपन चक्रवर्ती के घर से पार्थो दा के दुकान तक	8
3	बेनु मोदक के घर से रंजन सिन्हा के घर तक (बैंक कॉलनी रोड)	8
4	संदेश सिंह के घर से दिलीप सिंह के घर तक	8
5	संदेश बाबू के घर से सूरज सिंह के घर तक	8

वार्ड सं.–24

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	राजेन्द्र मोदी के घर से त्रिभुवन गुप्ता के घर तक (सुद्दिन चौक)	7
2	फनीभूषण दास के घर से मनोज रजक के घर तक	8
3	माधी उरांव के घर से लालगंज नाला तक	6
4	पिंकी मिश्रा के घर से सम्राट चौक तक (सम्राट चौक)	4
5	विमल के घर से परिमल सरकार के घर तक	5
6	सरोज दास के घर से मालाकार के घर तक	5
7	रवि कुमार के घर से छोटू साह के घर तक (सुद्दिन चौक)	5
8	जीतन दास के घर से राम उदागर दास के घर तक	6
9	मुन्ना दास के घर से मनोज वर्मा के घर तक(सम्राट चौक)	5

वार्ड सं.–25

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	मुंशी जी के घर से छेदी दास के घर तक (विवेकानंद कॉलनी)	4
2	छोटे लाल के घर से सिकन्दर दास के घर तक (शंकर चौक)	7
3	विजय दास के घर से मनोज राय के घर तक (नेताजी चौक)	5
4	अनील चौधरी से सोफी राय के घर तक (विवेकानंद कॉलनी)	7
5	प्रभाष झा के घर से मुकेश सिंह के घर तक (काली मंदिर)	7

वार्ड सं.–26

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	पंकज दास के घर से जर्नादन दास के घर तक	6
2	विजय दास के घर से रघुनाथ पंडित के घर तक	5
3	राम कु. दास के घर से बुच्चो दास के घर तक	7
4	कृष्ण देव शर्मा के घर से किशन दास के घर तक	7
5	महेन्द्र दास के घर से सखी देवी के घर तक	8
6	महेश ऋषि के घर से प्रकाश राय के घर तक	9
7	राम अवतार के घर से अशोक के घर तक	7
8	सचिन पोद्दार के घर से कन्हैया चौधरी के घर तक	8

वार्ड सं.–29

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	कसाई टोला से चौक से मो. सज्जाद के घर तक	7
2	कसाई टोला से मो. साबीर के घर से रहमान के घर तक	5
3	मस्जिद से नूर इकबाल के घर तक	5
4	जनता लॉज से मो. एनूल के घर तक	6
5	कसाई टोला से माजिद के घर तक	6
6	कसाई टोला हाजी जीमल से मो. रूस्तम के घर तक	6
7	गीता देवी के घर से सबीर वकील के घर तक	7
8	अयुब के घर से मो. मुस्तरी के घर तक	6
9	राईट विजन स्कूल से तनवीर के घर तक	6
10	आवासीय स्कूल से मो. मोईन के घर तक	7
11	छोटी मस्जिद से मो. हसन के घर तक	7
12	ईदगाह से मो. निजाम के घर से मो. मुन्ना के घर तक	7

वार्ड सं.–28

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	शखर मास्टर के घर से सुरेन्द्र सिंह के घर तक	8
2	फिरोज रिंग वाला के घर से पूरब मेडिकल हॉल तक	8
3	डिफेन्स स्कूल से मास्टर साहब के घर तक	8
4	समीम के घर से पश्चिम मकसूद के घर तक	8
5	फसलुद्दीन के घर से दक्षिण	8
6	महेन्द्र दास के घर से पश्चिम हीरा लाल के घर तक	8
7	डॉ अफरोज के घर से उत्तर अर्जुन राम से पूरब डॉ जीमल तक	10
8	कालीबाबु के घर से राजू मेडिकल तक	8
9	करीम के घर से पूरब वकील के घर तक	6
10	दिल्ली दरबार से पूरब समीम के घर तक	6
11	भोला के घर से मेन रोड तक	3
12	डॉ सफड के घर से मुकेश से मेन रोड तक	10
13	मास्टर साहब के घर से चौमिन दुकान तक	3
14	रेहान के घर से दक्षिण रज्जाक के घर तक	8
15	इकबाल के घर से दक्षिण नैयर के घर तक	8
16	ताहिर के घर से उत्तर आलम मेडिकल तक	8
17	जब्बार के घर से पश्चिम सरफुद्दिन के घर तक	8
18	प्रेम के घर से यादव जी के घर तक	8

वार्ड सं.–30

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	संजय पोद्दार के घर से मोहन साह तक	6
2	किर्शना उरांव से लल्लु राय के घर तक	6
3	मनोज ठाकुर के घर से हनुमान बाग गलियों तक	6
4	विक्रम यादव के मार्केट से उरांव टोला तक	4
5	तैयमुल के घर से मो. इस्लाम के घर तक	6
6	प्रभात कॉलनी से अमीत वाली गलियों	6
7	प्रभात कॉलनी से यादव गलियों	6
8	अशोक सिंह से नुतन मेडिकल तक	9

वार्ड सं.–31

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	रवि कुमार के घर से रेलवे ट्रैक तक (बीबीगंज रामबाग)	8
2	बसंत पासवान के घर से मंडल जी के घर तक	8
3	सरना चौक से सुशीला सिंह के घर तक	7
4	अशोक झा के घर से बंसत साह के घर तक	8
5	सरना चौक से पाठक जी घर तक	8
6	सुनील राय के घर से किशन पासवान के घर तक	8
7	रेलवे ट्रेक से राम बाग मुख्य सड़क तक	9
8	नागेन्द्र पासवान के घर से पांडव पासवान के घर तक	8
9	धमेन्द्र पासवान के घर से सरोवार पासवान के घर तक	8
10	उमेश पासवान के घर से फारबीस गंज सड़क तक	9
11	दीन दयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन से फारबीसगंज मुख्य तक	7

वार्ड सं.–34

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	कमल भगत के घर से मिर्जा कौशर अली के घर तक	8
2	मो. समद के घर से तनवीर खान के घर तक	8
3	राजा के घर से मिराज के घर तक	8
4	मौलाना मंजूर के घर से मो. शादिक के घर तक	8
5	रमण चौधरी के घर से नागेन्द्र चंद दास के घर तक	8
6	निर्धन चंद दास के घर से मिथुन दास के घर तक	8
7	नारायण चंद दास के घर से प्रकाश चंद दास के घर तक	8
8	नूर इस्लाम के घर से मो. नुजूर के घर तक	8

वार्ड सं.–32

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	मो. हन्नान के घर से अब्दुल हक के घर तक (स्कुल टोला)	6
2	मेन रोड से सैदुर रहमान के घर तक	7
3	हामेद अली के घर से सामेद वसी के घर तक	8
4	मो. बेलाल के घर से अंसारी टोला मस्जिद तक(अंसारी टोला)	8
5	कैयुम के घर से मोजीबुर रहमान के घर तक	8
6	अकबर के घर से हैदर अली के घर तक	9
7	तजमुल के घर से फजल रहमान के घर तक	9

वार्ड सं.–33

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	फैजुल गुडवा से धून टोला तक	8
2	नवाब टोला चौक से साह आलम के दुकान तक	8
3	बगान टोला मस्जिद से पश्चिम मो. रफीक के घर तक	8
4	दरगाह शरीफ मजार से सफीर मंडप क घर तक	8

वार्ड सं.–35

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	हॉसदा मिडिल स्कूल से बीना गुप्ता के घर तक	8
2	अजय झा के घर से काली मंदिर तक	7
3	सुरज के घर से मुन्ना उरांव के घर तक	8

वार्ड सं.–36

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	इब्राहीम के घर से बिनोद यादव के घर तक (शास्त्री नगर)	6
2	बिनोद यादव के घर से बास्की भगत के घर तक	6
3	सुभाष के घर से टिंकु सिंह के घर तक	6
4	स्व. महेश उरांव के घर से बजरंग बली मंदिर तक	6
5	एनएच–57 पोलोग्राम मार्ग से शंकर भगत के घर तक	6
6	मो.यासीन के घर से बजरंग बली मंदिर तक	7
7	कासीब के घरसे नसीमा खातुन के घर तक (नूर नगर)	6
8	अनवर आलम के घर से मिठाई लाल पंडित के घर तक	6
9	सोबराती के घर से तमीजउद्दीन के घर तक	5
10	जहाँगीर के घर से शाहाबुद्दिन के घर तक	5
11	अजमंरी के घर से संजय यादव के घर तक (राजा नगर)	7
12	एनएच–31 बजरंग बली मंदिर से संजय दास के दुकान तक	6

वार्ड सं.–37

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	सुरेन्द्र विनाकिया से मदरसा तक (खटाल पट्टी, गुलाबबाग)	8
2	मलिका के घर से बागेश्वरी रोड तक	8
3	दाउद आलम के घर से सिनेमा हॉल रोड तक	8
4	कम लनायक के घर से बागेश्वरी रोड तक (लोहा पट्टी रोड)	8
5	रतन राय के घर से पूर्णिया शिक्षिका के घर तक (ईमली टोला)	8
6	राम लखन साह के घर से नेपाली साह के घर तक	9
7	शैलेन्द्र चौरसिया के घर से दिलीप चौधरी तक (शनिमंदिर टोला)	9
8	रामानंद पासवान के घर से रविन्द्र मेहता के घर तक	9
9	इंदू देवी के घर से पवन साह के घर तक	8
10	चंद्रशेखर पासवान के घर से मोहन पासवान के घर तक	8
11	धनेश्वर पासवान के घर के बजरंगी पासवान के घर तक	8
12	शोभा साह के घर से फूल देवी के घर तक (सरदार टोला)	8
13	राजेन्द्र भगत के घर से प्रकाश चौहान के घर तक	9
14	विनोद पोद्दार के घर से सुबोध सिंह के गोदाम तक	9
15	जगरनाथ यादव के घर से अरूण साह के घर तक	8
16	रामानंदन के घर से बद्री के घर तक (गाड़ीवान टोला)	8
17	फिरोज के घर से रौशन अली के घरतक	8
18	नाथो पासवान के घर से दिलीप पासवान के घर तक	9
19	कुंदन सिंह के घर से राजेश झा के घर तक	8
20	घनश्याम राय के घर से गोपाल झा के घर तक	9
21	श्रीकांत राय के घर से पुष्पा रजक के घर तक (सरदार टोला)	9
22	दिलीप मोदी के घर से अरविन्द यादव के घर तक	9
23	पुष्पा रजक के घर से रमण झा के घर तक	9
24	राजेन्द्र भगत के घर से मोहन पासवान के घर तक	6

वार्ड सं.–38

क्र॰	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	जीवन चौहान से जितेन्द्र सिंह के घर तक	8
2	जय शंकर साह क घर से राधेश्याम के घर तक	7
3	रामपुकार साह के घर से बिकु ऋषि के घर तक	7
4	मो. राजु के घर से सिहेंश्वर राम के घर तक	7
5	मो. सिकन्दर के घरसे लक्ष्मी राम के घर तक	8
6	जया घोष के घर से जगदीश घोष के घर तक	6
7	शिव कुमार दास के घर से मास्टर साहब के घर तक	6
8	कन्हैया के घर से अतोला खान के घर तक	9
9	विद्या नंद चौहान के घर से संतोष चौहान के घर तक	5
10	बच्चु चौहान के घर से चितु चौहान के घर तक	5
11	महेन्द्र पासवान के घर से ओम प्रकाश पाठक के घर तक	7
12	गिरधारी चौहान के घर से मधु चौहान के घर तक	6
13	मनी लाल पासवान से मदन यादव के घर तक	7
14	जितेन्द्र यादव के घर से शिव नंदन पोद्दार के घर तक	6
15	मदन यादव के घर से गोपाल गौड़ के घर तक	6
16	रोशन यादव के घर से अरूण पोद्दार के घर तक	6
17	शरफुद्दिन के घर से आबदीन के घर तक	7
18	पप्पु साह के घर से जय नारायण के घर तक	8
19	बचपन स्कूल से ललन शर्मा के घर तक	7
20	कैलाश गुप्ता के घर से राजेन्द्र रजक के घर तक	8
21	लक्ष्मी कपडिया के घर से शनि मंदिर तक	8
22	अमित चौधरी के घर से क्षत्रिधारी दास के घर तक	7
23	मुरारी आर्य के घर से दिलीप चौधरी के घर तक	8
24	दिलीप चौधरी के घर से असर्फी पासवान के घर तक	8

वार्ड सं.–39

क्र॰	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	विनोद ठाकुर के घर से महेश राम के घर तक	8
2	मुकेश राम के घर से मुरली सहनी के घर तक	8
3	बबलु राम के घर से भूपेन्द्र पासवान के घर तक	4
4	दिनेश पासवान के घर स पदम पासवान के घर तक	3
5	सुनील ठाकुर के घर से किशन रस्तोगी के घर तक	7
6	दिनेश चौधरी के घर से मन्नु खान के घर तक	7
7	शमीम आजम के घर से मस्जिद तक	6
8	विजय के घर से संजीव मिश्रा के घर तक	8
9	सुबोध के घर से पवन के घर तक	7
10	संजयकर के घर से डी.एम. ठाकुर के घर तक	8
11	मुराद खाँ के घर से बादल के घर तक	5
12	मुन्ना पोद्दार के घर से साजन उरांव के घर तक	5
13	मुकेश पोद्दार के घर से बंटी उरांव के घर तक	5
14	सुरेन्द्र भगत के गोदाम से गणेश चोधरी के घर तक	9
15	हरिशंकर भगत के घर से राम चंद्र सहनी के घर तक	9
16	भागवत उरांव के घर से विमल उरांव के घर तक	8
17	राईस मिल से उमेश सिंह के घर तक	8

वार्ड सं.–40

क्र॰	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	काशी चौधरी के घर से महेन्द्र ठाकुर घर तक	9
2	काशी चौधरी के घर से अरूणा देवी के घर तक	9
3	दीपकधर से मंगलधर तक	6
4	बाबुधर से जयकांत धर तक	5
5	अमृत चौरसीय से मो. शाह आलम तक	5
6	जहाँगीर के घर से मो. आलम के घर तक	6
7	मास्टर के घर से पिंकु के घर तक	6
8	शिवनाथ सिंह के घर नौखर खाँ के घर तक	8
9	रहमान के घर से पप्पु के घर तक	5
10	अफसर खान के घर से मुसान के घर तक	8
11	छोटु मास्टर के घर से सुदुल के घर तक	7
12	जुवेद के घर से गुड्डु के घर तक	4
13	अनिल के घर से जीवन दा के घर तक	6
14	जीवन दा के घर से पारस दा के घर तक	8
15	नौनी मास्टर के घर से सुनील दत्ता के घर तक	4
16	श्रीधर के घर से टुनटुन के घर तक	8
17	सुरेश पासवान के घर से बंटी के घर तक	4
18	राजन के घर से विकास के घर तक	3
19	ताहिर के घर से अनवर के घर तक	8
20	सोनु के घर से बच्चा सिंह के घर तक	3
21	संजय उरांव के घर से सुरेन्द्र चौधरी के घर तक	7
22	बुट्टु के घर से विजय के घर तक	5
23	रामकृष्ण के घर से राम पाद्दार के घर तक	6
23	मुंशी के घर से जूली के घर तक	5
24	जूली देवी के घर से प्रदीप चौधरी के घर तक	6
25	डॉ दिलीप से पटवारी यादव के घर तक	5
26	प्रभात से घंघु के घर तक	8
27	राजु दास के घर सुधीर के घर तक	8

वार्ड सं.–41

क्र॰	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	अमित राय के घर से सुशील राय के घर तक	6
2	शिव ऋषि के घर से अजूर्ण ऋषि के घर तक	6
3	शंकर पाल के घर से भजन दास के घर तक	7
4	शिव रजक के घर से गोपाल के घर तक	6
5	लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के घर से नंदु उरांव के घर तक	7
6	राम किशुन चौधरी के घर से इंद्रानंद यादव के घर तक	6
7	उत्तम सिंह के घर से राम संजीवन के घर तक	6
8	विजय सिंह के घर से राजू कुमार के घर तक	4
9	रंजन कुमार के घर से मोना घोष के घर तक	4
10	प्रहलाद चौधरी के घर से वार्ड पार्षद सुमन चौधरी के घर तक	6

वार्ड सं.–43

क्र॰	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	उपेन्द्र दास के घर से रामदेव यादव के घर तक	5
2	चरितर दास के घर से तुलती दास के घर तक	6
3	रमण दास के घर से जीवन दास के घर तक	8
4	निखिल चंद दास के घर से मदन चंद दास के घर तक	8
5	नरेश सहनी के घर से रितेश के घर तक	8
6	सुबोध के घर से बप्पी राम के घर तक	5
7	प्रदीप सरदार के घर से छोटु सरदार के घर तक	7

वार्ड सं.–44

क्र॰	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	कटिहार रोड से बेचन मंडल के घर तक	6
2	अरूण शर्मा के घर से केशव शर्मा के घर तक	5
3	शंकर दास के घर से किशन दास के घर तक	4
4	कृष्ण के घर से डॉ पोर्टस दास के घर तक	6
5	बासु मंडल के घर से गंगा साह के घर तक	7
6	राम चंद्र महतो के घर से गुदरी टोला मेन रोड तक	5
7	तिलकधारी यादव के घर से संजय यादव के मिल तक	6

वार्ड सं.–45

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	पप्पु श्री के घर से गोपाल के घर तक	5
2	प्रभु के घर से मगरू के घर तक	4
3	कार्यश्री के घर से सोम के घर तक	5
4	अविनाश के घर से राजु के घर तक	5
5	उमेश सिंह के घर से पचटिकिया टोला तक	4

वार्ड सं.–46

क्र०	गलियों का नाम	चौड़ाई
1	2	3
1	शिव जी मंदिर से सीता राम पासवान के घर तक	8
2	चित्रलेखा देवी के घर से वोगी लाल उरांव के घर तक	6
3	शांति देवी के घर से डोमा उरांव के घर तक	5
4	मदन सिंह के घर से कैलाश मेहता के घर तक	4
5	कैलाश मेहता के घर से गजेन्द्र मेहता के घर तक	7
6	प्रेम साह के घर से विजय सिंह के घर तक	5
7	भिखन सहनी के घर से गुड्डु सहनी तक	8
8	नंदलान सहनी के घर से रोहित साह के घर तक	8
9	रंजन लोहार के घर से रेखा देवी के घर तक	5
10	फुलो सहनी के घर से राजेश मोहली के घर तक	8
11	अनिरूद्ध साह के घर से कमलेश के घर तक	4
12	चंदकांत पासवान के घर से बोधु पासवान के घर तक	5
13	सुनील चौधरी के घर से जुल्मी ऋषि के घर तक	4
14	जुल्मी ऋषि के घर से अशोक साह के घर तक	5
15	संत लाल के घर से जगदोश पासवान के घर तक	5
16	नन्कु के घर से फुलिया देवी पूर्व पार्षद के घर तक	5

9.4 शहर में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया का विवरण

क्र.सं.	प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मिडिया	संवाददाता का नाम	मोबाइल नं.
1	2	3	4
1	प्रभात खबर	अरूण	9431284572
2	दैनिक भास्कर	मनोहर/ अमित रंजन	9431616147/7870500375
3	दैनिक जागरण	दीपक शरण	7782808574
4	हिन्दुस्तान	कुंदन सिंह	9709885656
5	प्रायेक न्यूज	पवन/ सावन कुमार	9933865988/8252137971
6	The Royal News	नीतिश	8407457391
7	कोशी अशोक	संजय	9955230083
8	S.D.N. News	त्हसीन	8210269755
9	आवाज 24 न्यूज	श्राजन	8409482591
10	न्यूज 18	कुमार प्रवीण/प्रवीण झा	9199694477/8409130500

अध्याय : 10

पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास

RECONSTRUCTION AND REHABILITATION

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक अंतः संरचनाआ में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के घटित होने के साथ ही दैनिन्दिनी की कई गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवन प्रदायी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया जाता ह ताकि प्रभावित समुदाय या समाज की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन–सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हा, की जगह एक मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो 'टिकाउ विकास 'तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation)** : किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुर्नस्थापन कहा जायेगा।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है, इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाई जाय। तत्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित संस्था सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर निगम द्वारा आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा।

  इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः पूर्व से बेहतर रूप में बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली एवं संचार के सभी माध्यमों की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा। परिवहन तथा इंधन आपूर्ति के व्यवधान दूर करने होगे।

- **पुनर्वास द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation)** : आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

10.1 क्षति आकलन प्रक्रिया तथा प्रपत्र : भारत सरकार द्वारा निर्गत Post Disaster Damage Needs Assessment (PDDNA) एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक– 30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिदिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का चयन जिला दण्डाधिकारी को करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति को हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है, इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिय।

- आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति को हानि
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण की क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

सारणी – 10.1 संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी :

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलो को राहत शिविर या स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनो, सड़क संपर्क, पुल–पुलिया, जल–मल निकास नाली, संचार एवं विद्युत आपूर्ति संरचना तथा सुरक्षा तटबंध इत्यादि में हुई क्षति की मापी तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन की तैयारी।	भवन निर्माण प्रमंडल पथ प्रमंडल संचार प्रमंडल नगर विकास एवं आवास प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन की तैयारी।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी
6	कृषि/बागवानी पशु संसाधन	• बागवानी फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आकड़ा, रकबा एवं भू–मालिकों के ब्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की	प्रखंड कृषि बागवानी पदाधिकारी बीमा कम्पनी

		जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्याकंन करना।	
7	चिकित्सा (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराना। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराना।	असैन्य शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन)
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास संभाग, कल्याण विभाग

10.2 पीड़ितो को राहत : भूकंप, जल–जमाव तथा नगरीय बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका संक्षिप्त विवरण का उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नांकित है।

- मृत्यु, घायल या संपति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पॉस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक 01/प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF) 06/2021/6304/आ॰प्र॰ दिनांक 31.12.2022)**।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा निर्देश।

- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008।

- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning), लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies) नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। सड़क दुर्घटना को बाद में क्षतिपूर्ति देने हेतु अन्य प्रक्रिया अपनाई जा रही ह।

- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।

- कुछ विशेष परिस्थितियों में अगलगी से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है।
  - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,

- अगलगी पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
- अगलगी से होने वाले फसल क्षति के विरूद्ध अनुदान,
- गैस लीक से अगलगी से पीड़ित को अनुदान,

- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में राज्यादेश संधारित है। वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को भी समतुल्य अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस संबंधी राज्यादेश संधारित किया गया है।

10.3 आधारभूत संरचनाओं का पुर्नस्थापन : आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुर्नस्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसियों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

10.4 जोवन प्रदायी भवनों की मरम्मती : जल–जमाव एवं शहरो बाढ़ तथा भूकंप से क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो, उन भवनों की यथाशीघ्र मरम्मती कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मती युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

10.5 अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनो की मरम्मती तथा पुननिर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

10.6 जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होता है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊजा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्याओं से वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान, कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनवास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा शहरी विकास कार्यक्रमों में तरजीह दी जायेगी।

10.7 चिकित्सीय सुविधा का पुनर्स्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र में चिकित्सा के लिए स्थापित अस्पताल, नर्सिंग होम, आपदा प्रभावित हों तो इनका पुनर्स्थापन किया जायेगा। कभी–कभी इन हादसो से प्रभावित व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है, जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने में असमर्थ पाये जाते है। मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जायेगा।

10.8 दीर्घकालिक पुनवापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुर्नवापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'काउंसलिंग' की व्यवस्था करना होगा ताकि प्रभावितों की पीड़ा को कम किया जा सके।

:=:=:=:=:=:

अध्याय–11

न्यूनीकरण योजना

MITIGATION PLAN

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में उल्लेखित परिभाषा – अनुच्छेद 2(झ) "शमन से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत है;"

अधिकारिता एवं कृत्य :–

(i) उपरोक्त अधिनियम का अनुच्छेद 32 (क) (i) – "जिला योजना में यथा उपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समुदेशित है, को जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये आपदा प्रबंधन योजना में उपवर्णित होगा,"

(ii) उपरोक्त अधिनियम का अनुच्छेद 41(1)(ग) – "स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के शमन और निवारण के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशो के अनुरूप हैं;"

आपदा जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए संवेदनशीलता तथा एक्स्पोजर अवधि को कम करने या आपदा झेलने की क्षमता में वृद्धि करनी आवश्यक है। खतरों की तीव्रता भी जोखिम को घटाती या बढ़ाती है। सूत्र रूप में कहें तो $\text{जोखिम} = \frac{\text{संवेदनशीलता X खतरों की तीव्रता X एक्स्पोजर अवधि}}{\text{क्षमता}}$

11.1 लघु अवधि शमनीकरण योजना :–

जिला आपदा प्रबंधन योजना पूर्णिया 2022 में आपदावार विभागवार शमनीकरण के उपबंध अध्याय 5 में दिये गये हैं। नगरीय आपदा प्रबधंन योजना में शहरी विकास विभाग के लिए उपबंधित कार्य नगर निगम से अपेक्षित ह वह निम्नवत है :–

11.1.1 भूकम्पीय आपदा जोखिम का शमनीकरण :– बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 में भूकम्प रोधी भवन निर्माण के मानक विधियां तथा विशिष्टियाँ निर्धारित की गई है। भक्म्प प्रवणता की दृष्टि से पूर्णिया शहर जोन IV में स्थित है। यहाँ के स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पताल और नर्सिग होम, मॉल अथवा प्रेक्षा गृह, पुल–पुलिया, परिपथ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जैसी जनोपयोगी संरचनायें प्रशासन और व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण भवनों की संरचना एवं साज–सज्जा की प्राथमिकता के आधार पर भूंकप सुरक्षा की दृष्टि से जाँच कर उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जायेगा। इन भवनों/संरचनाओं का विस्तृत असुरक्षितता निर्धारण कराया जायेगा। इसके अंतर्गत भूकंपीय झटकों को झेलने वाले संरचनात्मक विन्यासों (components) के साथ–साथ भंडारित सामग्री, साज–सज्जा और अन्य आंतरिक संयोजन (fittings) की जाँच की जायेगी कि वे भूकंपीय झटको का किस हद तक सहन कर पाते है।

इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पद्मश्री डॉ॰ आनंद स्वरूप आर्या के द्वारा त्वरित जाँच कार्य विधियां डिजाइन कराई है। इसमें सभी प्रकार के भवन विनयासों यथा ईंट/पत्थर, मिट्टी के गारे के साथ चिनाई किये गये भवन या आर.सी.सी. ढांचे में सिमेंट गारे से ईंट/पत्थर/ब्लाक की चिनाई वाले भवनों के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार कराये हैं। इस जाँच विधि का उपयोग करते हुये प्राथमिकता के आधार पर सभी सरकारी भवनों/संरचनाओ का RVS कराया जायेगा। निजी भवनों की जाँच के लिए निजी क्षेत्र के वास्तुविद्ध/अभियंताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इनकी क्षमतावर्द्धन की जायेगी।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकम्प सुरक्षा के दृष्टिकोण से जारी की गई निम्नांकित मार्ग दर्शिकायें जनोपयोगी है जो www. bsdma.org पर उपलब्ध है।

(i) भूकम्प जोन IV में ईंट जोड़ाई पर आधारित मकानों के भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु मार्गदर्शिका ।

(ii) बांस निर्मित आपदा रोधी मकाना की निर्माण विधि ।

(iii) बिहार में ईंट जोड़ाई दीवार पर आधारित भवनों के लिए रेट्रोफिटींग की मार्गदर्शिका।

(iv) अपने मकान की भूकम्प से सुरक्षा की स्वयं जाँच कैसे करें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी Guidelines on Seismic Retrofitting of Deficient Building & Structure को भी संदर्भित किया जायेगा। वर्षों पूर्व, बिना नक्शा स्वीकृति के बने मकानों का वर्तमान भूकंपीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित व्यवस्था और निरंतर प्रयास किये जायेंगे :–

- मौजूदा निर्माणो की सूची तैयार की जायेगी।
- इन निर्माणो की असुरक्षितता का निर्धारण किया जायेगा।
- असुरिक्षत पाये गये भवनों/संरचनाओ की प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी।
- प्राथमिकता क्रम से इनका जीर्णोद्वार/रेट्रोफिटींग किया जायेगा।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना में एक ''भूकम्प सुरक्षा क्लीनिक एवं क्रेन्द्र की स्थापना की गई है। यहाँ निम्न विषयों पर प्रमाणिक जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैः–

- भवनों के भूकम्प रोधी निर्माण कैसे की जाय ?
- वर्तमान भवनों का भूकम्प रोधी सुदृढ़ीकरण कैसे की जाय ?
- वास्तविक आकार के भूकम्परोधी सुदृढ़ भवन का मॉडल प्रदर्शित किया गया है।
- इस केन्द्र पर भूकम्प रोधी भवन निर्माण अथवा रेट्रोफिटींग सलाह मुफ्त उपलब्ध है।
- इस केन्द्र में उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

11.1.2 अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अनिवार्य अनुपालन – विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन के बारे में अध्याय–3 में विस्तृत चर्चा की गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभिन्न हितधारकों द्वारा इन समस्याओं को रोकने तथा न्यूनीकरण हेतु क्रियाशील प्रक्रिया अपनाई जाए। सभी संबंधित इकाइयों/हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1980 के संगत नियमों के तहत अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष पिछले साल का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका समय बद्ध तरीके से निश्चित रूप से अनुपालन किया जाना है।

क्र. सं.	प्रपत्र/नियम	संबंधित यूनिट/हितधारक	वार्षिक रिपोर्ट जमा करने की तिथि	दायित्व
1	**प्रपत्र–IV** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016-24(2)	शहरी निकाय, नोटिफायड ऐरिया, औद्योगिक बस्ती	30 जून	जिला प्रशासन, नगर निकाय, सिविल सर्जन तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद यह सुनिश्चित करेगे कि नियमों का अनुपालन हो, साथ हीं प्रपत्रों में नियमित जानकारियां दी जा रही है।
2	**प्रपत्र–IV** जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्र० नि०, 2016-13 (i)	स्वास्थ्य सेवायें यथा अस्पताल, नर्सिंग होम, जाँच लैब, दंत क्लिनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र आदि	30 जून	
3	**प्रपत्र–V** प्लास्टिक अपशिष्ट प्र० नि०, 2016-17(ii)	शहरी निकाय द्वारा	30 जून	
4	**प्रपत्र–III** ई–कचरा अपशिष्ट प्र० नि० 2016-4,8,9,10& 11	इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणो के निर्माता,उत्पादक, नवीनीकरण करने वाले, पुर्नचक्र, थोक उपभोक्ता द्वारा	30 जून	
5	**प्रपत्र–II** कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिसन अपशिष्ट प्र० नि०, 2016-7(iii)	इन अपशिष्टों का स्टोर, प्रसंस्करण तथा पुर्नचक्र करने वाले यूनिट	30 जून	
6	**प्रपत्र–V** (पर्यावरण स्टेटमेंट) पर्यावरण सुरक्षा नियम, 1986-14	वैसी संस्था जिसने इस कार्य हेतु लाईसेंस प्राप्त किया है	30 सितम्बर	
7	**प्रपत्र–IV** खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार आवाजाही) नियम, 2016-16(6)	सभी व्यक्ति, संस्था, प्राधिकारी जिन्होंने सुसंगत नियमों के अंतर्गत अधिकार प्राप्त किया।	30 जून	

11.1.3 अग्नि सुरक्षा :– बिहार अग्निशमन सेवा अधिनिमय 2021 की कंडिका 23(घ) के अनुसार प्रत्येक हाईड्रेंड एवं जलश्रोतों के आकार को उपदर्शित किय जाने वाला पहचान प्लेट संबंधित भवन, परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा लगाया जायेगा एवं ऐसे सभी हाईड्रेंट एव जलश्रोतों का संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुरक्षण सुनिश्चित की जायेगी। अधिनियम की कंडिका (च) के अनुसार सभी सरकारी एवं सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन हेतु अबाध जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

अधिनियम की कंडिका 25 के अनुसार भवन निर्माण कार्य में संलग्न विभागों इकाईयों जैसे भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम इत्यादि में अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जायेगा।

इस नियमावली की कंडिका 12 के अनुसार ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा, राज्य के आपदा प्रबंधन की एक मौलिक इकाई होगी। इसका विस्तारण बाध्यकारी रूप से राज्य के सभी अग्नि आपदाओं के समय राहत एवं बचाव के अलावा आपदा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों तक होगा।

कंडिका 13 के अनुसार बिहार अधिनियम 6–2014 की धारा 17 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2007 के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा समुदाय की अनिवार्य एवं विशेष सेवा होगी।

कंडिका 14 झ के आलोक में सभी व्यवसायिक एवं सार्वजनिक भवनों विशेषकर नाजुक संस्थानो यथा स्कूलों, सार्वननिक भवनों, अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा एवं निकास योजना (Fire Safety & Evacuation Plan) विकसित किया जायेगा।

कंडिका 15 के आलोक में सभी संवेदनशील भवनों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता 2016, समय–समय पर यथा संशोधित के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग IV क निमित्त अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कंडिका 17 (क) के आलोक में अधिनिमय की धारा 25(2), 27, 32, 34, एवं 35 के प्रयोजनार्थ भवन एवं परिसर के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण हेतु राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 समय–समय पर यथा संशोधित, बिहार भवन उपविधि 2014 समय–समय पर यथा संशोधित एवं अन्य विधि के अंतर्गत निर्धारित किये गये मानक लागू किये जायेगे।

कंडिका 18 (क) अधिनियम की धारा 25,26, एवं 27 के प्रयोजनार्थ पंडाल के अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित IS 8758:1993 एवं अन्य विहित विधि के अंतर्गत अधिसूचित सभी मानक लागू किये जायेगा। जिसका अनुपालन पंडाल का निर्माणकर्त्ता स्वयं करेगा।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 2018 में जारी ''अगलगी की रोकथाम जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका के आलोक में निम्न शमनीकरण कार्यो किये जायेगे।

(क) प्रत्येक तीनवर्ष के अंतराल पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 675 दि० 30.05.2019 के आलोक में नगर निगम स्तरीय शहरों में अवस्थित बहुमंजिले/विशेष सार्वजनिक भवनों में लगे अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्य क्षमता की जाँच कर इसे सुदृढ़ करवाये जायेंगे।

(ख) नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 546 दि० 30.04.2019 के आलोक मे निम्नांकित कार्य किये जायेंगे :

(i) नगर निकायों के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी वाडो में उपलब्ध पानी की स्त्रोतो की पहचान एवं जरूरत पड़ने पर दमकल की गाड़ियों को पानी उपलब्ध कराना।

नगर निगम पूर्णिया के परिक्षेत्र मे संप्रति 5 संख्या हाईड्रेट स्थापित है। अग्निशमन कार्यालय के सुझाव पर 5 अतिरिक्त हाईड्रेट बनाना है तथा निजी नलकूपों की मैपिंग की जानी है।

(ii) वार्ड स्तर की बैठको में पूर्व की अगलगी के आधार पर कारणों का सामाजिक आडिट करना तथा इसके मद्देनजर रोकथाम/शमनीकरण के उपाय करना।

वार्ड समिति की बैठको में उपरोक्त अंकेक्षण कार्य किये जायेंगे तथा इसके प्रतिवेदन के आधार पर पणधारियों की सहभागिता के साथ शमनीकरण के सभी कार्य किये जायेंगे।

(iii) स्थानीय सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ अगलगी रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु समन्वय :– जिला अग्निशमन कार्यालय, पुलिस प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति तथा जिला आपदा प्राधिकरण के पदाधिकारियो के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यकता आधारित जरूरी उपाय किये जायेगें।

(iv) नगर निगम द्वारा अगलगी की रोकथाम न्यूनीकरण तथा तैयारियाँ संबंधी लिए गये सभी निर्णयों का नगर आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को सभी संभव एवं समुचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित निजी व्यवसायिक भवनों/बहुमंजिली इमारतों एवं सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य योजना :–

बिहार बिल्डिग बायलाज 2022 में निहित प्रावधानो के अनुसार शहरी क्षेत्रो में नियमावली के अध्याय IV में नियम 15 के आलोक में वर्णित सभी संवेदनशील श्रेणियों के भवनों के निर्माण पूर्व नक्शों की स्वीकृति हेतु अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना तथा इसका नवीनिकरण अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का सुगम बनाने हेतु नगर निगम/जिला अग्निशमन कार्यालय द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था कर इसे पारदर्शी बनाया जायेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2019 में नगर निगम स्तर के सभी निकायों में उक्त भवनों का सुरक्षा आडिट भी कराया गया है तथा पाई गई त्रुटियों का निराकरण कराया जा रहा है। इस प्रकार के सुरक्षा आडिट अधिनियम 2021 की कंडिका 2.2 के अथवा एक निश्चित समय अंतराल पर विभिन्न श्रेणी के संवेदनशील भवनों तथा सर्वप्रथम अस्पतालों, शैक्षनिक संस्थानों का प्राथमिकता के आधार पर तत्पश्चात पुराने भवनो के आडिट कराये जायेंगे।

(v) अग्निशमन सेवा की क्षमतावृद्धि – वर्तमान में फायर इन्जिनीयरिंग, प्रिवेन्टिव फायर मैनेजमेंट कार्यो के लिए कोई भी सक्षम तकनीकी कर्मी नहीं है। राज्य मुख्यालय एवं कम से कम प्रमंडलीय जिलों के कार्यालयों में इस प्रकार की विशेषज्ञ टीम का गठन होना है।

1.	बिहार बिल्डिग बॉयलाज 2022 (यथा संशोधित 2016) का अनुपालन तथा उस अनुरूप भवन के नक्शे की स्वीकृति	• नगर निगम • भवन निर्माण विभाग
2.	बिहार राज्य अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार भवन की अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना।(देखे अनुलग्नक –6)	• नगर निगम • जिला अग्निशामालय
3.	समय–समय पर विभिन्न स्थलों का फॉयर सेफ्टी आडिट कर तदनुसार कलर कोड तैयार कर अनुश्रवण की श्रेणी तय करना	• जिला प्रशासन • जिला अग्निशामालय
4.	अस्पताल का फॉयर सेफ्टी योजना सुनिश्चित करना	• सिविल सर्जन • चिकित्सा महाविद्यालय • जिला अग्निशामालय
5.	सभी बड़े मॉल तथा भवनों में 'स्मोक डिटेक्शन यंत्र' स्थापित करना	• नगर निगम • जिला अग्निशामालय • भवन के मालिक
6.	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सदैव एक फॉयर टेंडर का मौजुद रहना	• जिला अग्निशामालय
7.	भवन–आपाटमेंट्स में 'एसेम्बली प्लेस' की पहचान	• नगर निगम • भवन निर्माण

8.	सरकारी भवनों एवं अन्यत्र विद्युत कनेक्सन का सही होना	• जिला प्रशासन • भवन प्रमंडल • जिला अग्निशामालय • नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि॰
9.	कारखाना एवं उद्योग में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं तीव्रता के अनुरूप कलर कोडिंग करना	• कारखाना निरीक्षक • ब्यालर निरीक्षक

10.1.3.1 मलिन बस्तियों की अग्नि सुरक्षा : पूर्णिया शहर के उत्तर पूर्व क 7 वार्डो में 38 मलिन बस्तियां तथा दक्षिण पश्चिम के 8 वार्डो में 29 मलिन बस्तियां हैं। इस इलाके में रोड घनत्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। बारह मासी रोड का सर्वथा अभाव है। कई बस्तियों तक पहुँचने तथा इससे निकलने के मार्ग कच्चे तथा संकरे हैं। यहाँ आग लगने पर अग्निशमन यंत्रो का पहुँचना या निकलना दुष्कर है।

नगर निगम आपदा काल में इन बस्तियों तक पहुँचने तथा निकलने का रूट मैप तैयार कर चौड़ा तथा 12 मासी सड़क संपर्क निर्माण करने का प्रयास करेगी। इन्हीं मार्गो से अग्निशमन यंत्र राहत सामग्री पहुँचाने तथा विकट स्थिति में निकासी एवं बचाव कार्य के लिए उपयोग किये जायेंगे।

11.1.4 जल–जमाव/अतिवृष्टि/शहरी बाढ़ :–

(क) शहरी बाढ़/जल जमाव क खतरे को कम करने के लिए जल निकास प्रणाली का निर्माण करना।

पूर्णिया नगर निगम के अंतर्गत सभी वार्डो में वर्ष 2010 तक कुल 37.72 कि॰मी॰ लम्बी पक्की नालियाँ निर्मित हैं। ये नालियाँ टुकड़ो में बनी हैं। इनमें से कई नालियों का outfall किसी स्वतः प्रवाहित नाले में न होकर खाली पड़े जमीन में है, जो किसी प्राकृतिक ढलान युक्त जलबहाव मार्ग से नहीं जुड़ा है।

नगर निगम इन पक्की नालियों को विस्तारित कर इसे किसी प्राकृतिक ढलान वाली स्वतः प्रवाहित जलमार्ग अथवा कृत्रिम नाले से जोड़ेगी। सभी प्राकृतिक जल वहाव मार्गो को अतिक्रमण मुक्त या अक्षुण बनाये रखने का प्रयत्न करेगी।

(ख) नगर स्तर पर कूड़ा प्रबंधन करने हेतु विकेन्द्रित व्यवस्था अपनाना। इस हेतु वार्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रणाली को समुदाय के सहयोग से संचालित करना ।

संप्रति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गैर सरकारी संस्था के साथ करार किया गया है। वार्ड स्तर पर नगर वासियों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्त्रोत पर ही ठोस कचरा की छटाई करने पर बल दिया जाता है ताकि पुनर्चक्रण योग्य कचरा को अलग कर लिया जाय। बहिष्कृत कचरे को वार्ड नं 37 के चिन्हित भराव स्थल तथा अन्य जगहों पर निपटान किया जा रहा है। इस व्यवस्था को दिनानुदिन सुदृढ़ किया जायेगा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण भागलपुर स्थित निपटान केन्द्र भेजा जाता है। इसे पूर्णिया में ही इन्सीनेटर स्थापित कर निपटान का प्रयास किया जायेगा। एकल उपयोग वाले बहिष्कृत प्लास्टिक के विक्रय एव उपयोग पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार ने अधिसूचना संख्या 525 दिनांक 18.06.21 द्वारा पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। अपने क्षेत्र मे इसे क्रियान्वित करने के लिए नगर आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) बाढ़ एवं जल जमाव ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ रोधी मकान बनाना :– इस संदर्भ में बिहार भवन निर्माण उपविधि 2022 का सभी संशोधनो के साथ अनुपालन कराया जा रहा है। आपदा सुरक्षित मकानो के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

(घ) पुराने जर्जर भवनों एवं विद्युत पोलो, टावरों को नष्ट करने हेतु संबंधित व्यक्ति/संस्थान एवं विभागों को नोटिस देना :–

नगर निगम द्वारा असुरक्षित एवं जर्जर मकान या अन्य अंतः संरचनाओं की ''लाईफ एक्सपेक्टेसी'' की जाँच कराकर मरम्मती योग्य नहीं पाये जाने पर उन्हें सुरक्षित तरीके से ध्वस्त करके इसके मलवा का सुरक्षित निपटान की व्यवस्था किया जायेगा।

(ड.) लाईफ लाइन भवनों एवं सड़क, पुल, जलापूर्ति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण संरचनाओं को बाढ़ से सुरक्षित करना तथा उन्हें आपदा रोधी बनाना :—

उपरोक्त सार्वजनिक संरचनाओं का बहु आपदा सुरक्षा आडिट कराकर इनका सुदृढ़ीकरण करते हुये आपदा सुरक्षित शहर की परिकल्पना को साकार किया जायगा।

(च) बाढ़ के दौरान पेयजल की उपलब्धता के लिए ऊँचे स्थलों पर पेयजल स्त्रोत का निर्माण करना।

नगर निगम यथा उपबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

(छ) जिला योजना में उपबंधित उपर्युक्त शमनीकरण कृत्य के अतिरिक्त भी अधिनियम के अनुच्छेद 41(1)(ग) के संदर्भ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ प्रबंधन हेतु 2010 में जारी मार्गनिर्देशिका में सीवेज ड्रेनेज के रख रखाव के लिए दिये गये दिशानिर्देश का अनुपालन करते हुये निम्न उपाय किये जायेगे।

- सभी प्रमुख नालियों का मानसून पूर्व डि—सिल्टिंग प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जायेगा।
- सभी नालियों की सफाई के लिए एक रोस्टर बना कर निश्चित समय अंतराल पर इसकी सफाई कराई जायेगी।
- प्रमुख और छोटी नालियों से हटाये गये सभी अपशिष्ट को सूखने के लिए नाली के बाहर रखने की अनुमति आमतौर पर नहीं होगी। इसके बजाय गीले सिल्ट को एक निर्वाध कंटेनर में जमा किया जायेगा और जैसे ही इसे नाली से निकाला जाता है इसे अपशिष्ट निपटान केन्द्र पहुँचा दिया जायेगा। कुछ असाधरण मामलों में जहाँ गीले सिल्ट की तरलता अधिक हो एवं इसे यथावत् परिवहन न किया जा सके उसे नाली के बाहर लगभग 4 से 24 घंटों तक सूखने की अनुमति होगी।
- सभी नालियों के सफाई कार्यो पर Resident Welfare Association, Slum Dwellers Association, वार्ड समिति के सदस्यों अथवा विधान सभा/लोक सभा के सदस्यों के अधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण कराना आवश्यक होगा।
- म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स/मैनुअल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- लघु नालियों की सफाई इसके Outfall Point से शुरू करके उपर की ओर उपरी मुहाने तक की जायेगी।
- उपयुक्त संख्या में सफाई कर्मियों का नियोजन, उनके लिए स्वच्छता सुरक्षा किट जैसे दस्ताना, जूते, हेलमेट, यंत्र—संयंत्र, मशीनरी अन्य विशिष्ट उपकरणो के आपूर्ति एवं साज—सम्हाल के लिए नगर निगम के बजट मे यथोचित प्रावधान रखे जायेगें।
- बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा शहरी क्षेत्रो की बाढ़ प्रभावित एवं जल जमाव वाले क्षेत्रो की पहचान की गई है। अध्याय 4 में बाढ़/जल जमाव संवेदनशीलता की विवेचना की गई है जहाँ इन क्षेत्रों का विवरण देखा जा सकता है।
- बाढ़ आपदा के संदर्भ में पूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिए सौरा नदी के जल स्तर एवं बहाव की मात्रा की निगरानी करने आदि के लिए बाढ़ चौकी की स्थापना की जायेगी एवं किसी खतरे की स्थिति में संबंधित एजेसियों एवं विभागों के साथ इसे साझा किया जायेगा।
- मानसून के समय बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के स्तर पर बाढ़ सूचना केन्द्र की स्थापना की जायेगा तथा उस पर सतत् काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।
- ई॰ ओ॰ सी॰ के साथ समन्वय हेतु नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

11.1.5 मौसम आधारित एवं जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित आपदा जोखिम का शमनीकरण :— अतिवृष्टि, ठनका, ओलावृष्टि या तेजगति हवा (काल वैशाखी) मौसम आधारित इन आपदाओं के दौरान जान माल को इनकी चपेट में आने से बचाकर ही उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। इन खतरों का अवतरण कब और कहाँ होने वाला है इसकी जितनी सटीक तथा कम से कम समय अंतराल पर होगी हम अपने जान—माल के सुरक्षा के उतने ही ठोस प्रबंध करने में सक्षम होंगं।

लोअर गंगा बेसिन के इस भाग की भू पारिस्थितिकी के कारण इस इलाके में तीव्रगति हवा 'काल वैशाखी' के रूप में अपना रौद्र रूप दिखाती है। इस विभिषिका से बचने के लिए कम लागत के टिन की छतों वाले मकान का डिजाईन एवं निर्माण विधि, प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। उसकी जानकारी सभी संवेदनशील नागरिको तक बारम्बार पहुँचाई जा रही है तथा इसे अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

11.1.6 गर्मी / लू / शहरी उष्ण टापू :– प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु के अप्रैल एवं मई महीने में प्रचंड गर्मा और कभी–कभी गर्म हवाओं का प्रवाह लू के रूप में सामने आता है। जलवायु परिवर्तन जनित समस्या के रूप में शहरी उष्ण टापू निर्माण की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए निम्न उपाय किये जायेंगे।

(i) प्राकृतिक हो या कृत्रिम सभी प्रकार के सतही जल भंडारां यथा नदी, धार, चौर, मॉन, तालाब, पोखर इत्यादि जल भंडारों का संरक्षण एवं विस्तार किया जायेगा।

(ii) हरित आच्छादन एंव हरित घनत्व में (मियाबाकी तकनीक से) उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी।

(iii) घने रिहाईसी / व्यवसायिक इलाकों में बने बड़े–बड़े कंक्रीट के मकान अथवा टिन, जी.सी.आई. शोट की छत को ठंढा रखने के संरचनात्मक उपाय किये जायेंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी गृह स्वामियों के लिए छत और दीवाल ठंढा रखने के लिये दिशानिर्देश 2021 का अनुपालन को संवेदनशील इलाको में प्रोत्साहित किया जायेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या 374 दि॰ 05.02.21 द्वारा राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत निर्मित सभी पार्को का अनुरक्षण एवं विकास पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में आदेश दिया गया है। वन संरक्षक पूर्णिया तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्णिया के साथ समन्वित प्रयास द्वारा हरित आच्छादन संवर्धित किया जायेगा।

बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1194 दि॰ 29.04.21 द्वारा भीषण गर्मी एवं लू के विपरीत प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न विभागों के कृत्य निर्धारित किये गये है। इसके अनुसार नगर विकास विभाग के निम्नांकित कृत्यों को साकार किया जायेगा :–

(i) शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन स्थानों पर गर्म हवाओं तथा लू से बचने के संबंध मे सूचना प्रदर्शित की जायेगी। यह कार्य शहरी विकास एवं आवास प्रमंडल पूर्णिया द्वारा किया जायेगा।

(ii) सार्वजनिक चापाकलों तथा खराब पड़े सार्वजनिक नल की मरम्मति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व करा ली जायेगो।

(iii) सभी आश्रय स्थलों / रैन बसेरों में पेयजल आपूर्ति तथा आकस्मिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

11.1.7 शीत लहर :– इसके प्रभाव में कमी लाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र मे अवस्थित सभी आश्रय स्थलो / रैन बसेरो में मूलभूत आवश्यक सेवायें यथा भोजन, पेयजल, रोशनी, दवा उपलब्ध कराये जायेग।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से इस इलाके में शीत लहर प्रारंभ होने की पूर्व सचना प्राप्त होत ही नगर के सभी संवदेनशील वार्डो / मुहल्लों, स्लम बस्तियों में एडवाइजरी के साथ चेतावनी का प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं इन जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जायेगी।

11.1.8 सड़क सुरक्षा :– शहर के विभिन्न हॉट स्पॉट जहाँ अक्सर दुर्घटना होती है, उनकी पहचान कर लो गई है। इसका विस्तृत विवरण अध्याय 4 के कंडिका 4.2.8 पर देखा जा सकेगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति में उन कारणों को भी चिह्नित करने का प्रयास किया है जिसके कारण दुर्घटनायें घटित हो जाती हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रदत्त सुझावों के आलोक में ट्रैफिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उपयुक्त साइनेजेज की स्थापना, सड़क से अतिक्रमण हटाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति कर जोखिम को कम करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

क्र.सं.	गतिविधि	संबंधित विभाग
1	संवेदनशील स्थल (हॉट स्पॉट) का निरंतर अध्ययन करना।	पथ निर्माण विभाग।
2	सड़क सुरक्षा वार्षिक कार्य योजना।	
3	सड़क दुर्घटना में मृतक तथा घायलों को क्षतिपूर्ति देने के नियमों में बदलाव (देखे अनुलग्नक–8) तथा गुड सेमेरिटन को पुरस्कृत करने की योजना का प्रचार प्रसार करना	बीमा कंपनी/जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन/जिला परिवहन कार्यालय/अनुमंडल पदाधिकारी
4	फुटपाथ/फ्लैक का निर्माण एवं मरम्मति।	पथ निर्माण प्रमंडल/नगर निगम/ शहरी विकास प्रमंडल।
5	सड़क सुरक्षा ऑडिट।	पथ निर्माण प्रमंडल।
6	नगर निगम क्षेत्रान्तंगत सड़क दुर्घटना की जानकारी एवं समीक्षा।	नगर निगम/सिटी मैनेजर/पथ परिवहन कार्यालय।
7	नगर निगम से प्राप्त प्रतिवेदन का समेकित कार्य योजना में समावेश।	पथ प्रमंडल/शहरी विकास प्रमंडल/जिला सड़क सुरक्षा समिति।
8	सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।	नगर निगम/विद्युत प्रभाग।
9	पॉट होल का दुरूस्त रहना।	पथ प्रमंडल/नगर विकास प्रमंडल/ नगर निगम।
10	यातायात अवरोधक ट्राली, पाकिंग स्थल।	ट्रेफिक पुलिस/नगर निगम।
11	वेंडिग जोन का निर्धारण।	नगर निगम।
12	हेलमेट धारण, सीट बेल्ट का उपयोग तथा वाहन चलाते वक्त मोबाईल का उपयोग नहीं करना ।	जिला प्रशासन/यातायात पुलिस।
13	ट्रामा सेन्टर की स्थापना या उसकी अनुपस्थिति में निजी ट्रामा सेन्टर से समझौता।	जिला प्रशासन/असैन्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (स्वास्थ्य विभाग)।
14	त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया (रिस्पॉस) दल (QMRT) का गठन।	असैन्य चिकित्सा– सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सदर अस्पताल।
15	सरकारी एम्बुलेंस नहीं होने पर मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन योजना से क्रय एम्बुलेंस का प्रयोग।	
16	घायलों के मदद करने वाले मददगार व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को प्रोत्साहित करना।	जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन/ स्वास्थ्य विभाग/परिवहन कार्यालय।
17	सड़क दुर्घटना में मृतक तथा घायलों को क्षतिपूर्ति देने के नियमों में बदलाव तथा गुड सेमेरिटन को पुरस्कृत करने की योजना का प्रचार प्रसार करना।	बीमा कंपनी/जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन/जिला परिवहन कार्यालय/अनुमंडल पदाधिकारी
18	स्कूली पाठ्यक्रम (नवमी एवं दशमी) में सड़क सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम/सुरक्षित शनिवार विषयों को शामिल करना, एन.सी.सी. का जुड़ाव, महाविद्यालयमें सड़क सुरक्षा एम्बेसडर का चयन।	शिक्षा विभाग (स्कूली एवं उच्च शिक्षा) संबंधित महाविद्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्।
19	सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार–प्रसार तथा संबंधी स्लोगन, बैनर, हैंडविल, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक आदि को प्रदर्शित करना।	जिला प्रशासन/जिला परिवहन/ जिला जन संपर्क कार्यालय।
20	बस/टेम्पू स्टैंड में ड्राइवर जागरूकता कार्यक्रम तथा उनका स्वास्थ्य एवं नेत्र परिक्षण।	नगर निगम/पुलिस अधीक्षक/अपर समाहर्ता/जिला परिवहन पदाधिकारी /सिविल सर्जन।
21	पथ प्रमंडल के अभियंताओं, यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने वाले पदाधिकारियों को सड़क निर्माण तथा ट्रेफिक के विभिन्न आयामों (लेन ड्राइविंग हेतु मार्किंग समेत) पर प्रशिक्षण।	पथ निर्माण प्रमंडल/पुलिस प्रशासन/राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
22	गुड सेमेरिटन व्यक्तियों का प्रचार तथा यूनिवर्सल हेल्पलाइन की स्थापना एवं इसका प्रचार–प्रसार ।	असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/परिवहन कार्यालय/जिला जन संपर्क कार्यालय

23	सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना, जागरूकता रैली, स्कूल कॉलेज में विचार विमर्श आदि।	जिला प्रशासन/जिला शिक्षा पदाधिकारी/महाविद्यालय/ट्रेफिक पुलिस।
24	सड़क सुरक्षा मद में 'सड़क सुरक्षा निधि' से वर्तमान वार्षिक आंवटन (रू॰ 50000/–) में बढ़ोतरी किया जाना ताकि विषय को बढ़ाया जा सके।	पुलिस अधीक्षक/जिला परिवहन कार्यालय।
25	स्कूली बसों में बैठान क्षमता, चालक का नाम, मोबाइल नंबर, प्राथमिक उपचार किट हेतु बस मालिक एवं स्कूलों से समन्वय स्थापित करना ।	जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरिक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक।
26	शहर में उपलब्ध संयंत्र लगे दो क्रेन तथा दो वाहनो का उपयोग जरूरत पड़ने पर सुनिश्चित कराना।	पुलिस अधीक्षक/जिला परिवहन पदाधिकारी/सिविज सर्जन।
27	भारत सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना संबंधित आंकड़े तैयार करने के 17 बिन्दुओं के फॉर्मेट में भरा जाना।	पुलिस अधीक्षक का कार्यालय

अच्छे मददगार व्यक्ति (गुड सेमेरिटन)

- माननीय सवोच्य न्यायालय के द्वारा मददगार व्यक्ति के उत्पीड़न के बचाव के संबंध में पुलिस, अस्पताल सहित अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी किए गए है।
- सिविल सर्जन से सड़क दुर्घटना में घायलो को कितने गुड सेमेरिटन द्वारा जिला के अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लाये गये है, की प्रतिवेदन प्रत्येक माह प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- अच्छे मददगार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2021 में कुल 07 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था।
- 26 जनवरी 2022 को भी अच्छे मददगार कुल 3 व्यक्तियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सर्जन एवं पुलिस अधिक्षक महोदय से माँग की गई है।

11.1.9 औद्योगिक सुरक्षा :– नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र तथा विभिन्न उपक्रमों में सुरक्षा वातावरण का निर्माण BIADA तथा जिला उद्योग केन्द्र के पर्यवेक्षणाधीन है। सुरक्षा उपायों की जाँच परख कारखाना निरीक्षक द्वारा की जाती है। जिला अग्निशमन कार्यालय, अग्नि सुरक्षा मानको का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। इनको हर संभव सहयोग नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

11.2 दीर्घ अवधि शमनीकरण योजना :– दीर्घ अवधि शमनीकरण योजना में सभी हितधारको को शामिल करते हुये जोखिम प्रबंधन की एक स्वस्थ संस्कृति का विकास लक्षित है। सभी संवेदनशील समुदाय तथा विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल रखते हुये उनके अपने कृत्य एवं सवैधानिक दायित्व के अंतर्गत सभी विकास के कार्य किये जायेंगे।

नगर विकास योजना 2010–30 में प्रावधानित–

(i) वार्ड संख्या 35–36 में NH-57 के बगल में ट्रक टर्मिनल का निर्माण ।

(ii) वार्ड संख्या 36 गुलाबबाग एवं 38,39 खुशकीबाग तथा अन्य सघन बाजार क्षेत्र यथा भठ्ठा बाजार, लाईन बाजार, खंजाची हाट, जिला केन्द्रीय कारा, रेडियो टावर, जिला स्कूल के आस–पास NH तथा SH के बगल में उपयुक्त जगहों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था।

(iii) सभी रोड क्रांसिग, चौराहों का उन्नयन एवं सौन्द्रयीकरण ।

(iv) बस स्टैड का विकास।

(v) बन भाग से मंरगा तक बाईपास सड़क का निमाण।

(vi) सौरा नदी के दोनों किनारों पर रीभर फ्रंट का विकास।

उनमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :–

''विकास हो ऐसा जो आपदा से बचाये।

ऐसा न हो कि विकास ही आपदा ले आये।।''

पूर्णिया शहर को एक क्षेत्रीय परिवहन केन्द्र तथा पूर्वी भारत का प्रमुख व्यवसायिक एवं आर्थिक ''हब'' के रूप में विकसित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये एक टिकाऊ पर्यावरण के संवर्द्धन करने के साथ ही चिकित्सा, पर्यटन तथा कृषि आधारित उद्योगों की नगरी बनाने का लक्ष्य को सामने रखकर ''सिटी डेवलपमेंट प्लान'' की रचना की गई है। DFID द्वारा वित्तपोषित संवर्धन परियोजना (SPUR) के तहत् एक वृहढ़ आर्थिक क्रिया कलापो एवं सेवाओं जो गरीबो के विकास में सहायक हो सकती है, को केन्द्र में रखते हुये आर्थिक वृद्धि एवं गरीबी उन्मूलन में विशिष्ट योगदान के लिए पूर्णिया शहर को मजबूती प्रदान करने पर केन्द्रित बताते हुये वष 2010 में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह योजना प्रतिवेदन तैयार कराई गई थी। तत्कालीन अनुसूचित दर पर इस योजना की लागत 859.35 करोड़ थी। इस में मुख्य रूप से जल मल निकासी, जलापूर्ति, जल निस्सण, ठोस कचरा प्रबंधन, रोड ट्रैफिक तथा यातायात प्रबंधन, स्ट्रीट लाईट, सामुदायिक संरचनाएं, स्लम बस्ती विकास, आर्थिक विकास हेतु अंतः संरचना तथा पर्यावरण विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

पूर्णिया शहर के लिए बिहार विधान सभा ने 441.36 करोड़ की लागत से बनने वाली 'स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम' के योजना प्रस्ताव का मंजूरी दी है। इस योजना में शहर को जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु बुडको द्वारा तैयार कराये गये योजना प्रतिवेदन में वर्तमान ''तूफान जल निकासी प्रणाली'' को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में प्रथम फेज में 49.121 कि॰मी॰ तथा द्वितीय फेज में 36.285 कि॰मी॰ ढक्कन युक्त आर.सी.सी. नाला निर्माण किया जाना है। सरकार द्वारा वित्त पोषण की व्यवस्था किये जाने के उपरांत इसका निर्माण प्रारंभ किया जा सकेगा।

11.3 अन्य विकास योजनाओं के साथ अभिसरण :–

निम्नांकित योजनाओं के तहत पूर्णिया नगर निगम परिक्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्य किये जा रहे है जिनका अभिसरण करते हुये पूर्णिया को सुरक्षित शहर, सुरक्षित अंतःसंरचना, सुरक्षित सार्वजनिक सेवा तथा सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित किया जाना संभव होगा। सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा।

(i) मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम : भारत सरकार, साख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमपीलैडस प्रभाग) का परिपत्र सं. सी–05/2020 एमपीलैडस दि॰ 00.02.2021 द्वारा एमपी लैडस के अंतर्गत आपदा प्रतिरोध क्षमतापूर्ण परिसंपत्ति/संरचना तत्संबंधी आदेश दिये गये हैं। इसके अनुच्छेद 4 में यह अंकित है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की पूर्वोक्त धाराओं के महत्व को ध्यान में रखते हुये और साथ ही विद्यमान एमपीलैडस दिशानिर्देश पहले से ही अनिवार्य लाइफ लाईन भवनों को नई सुविधाओं सहित जैसे कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और आपात्काल में आश्रय के रूप में उपयोग किये जाने वाले सरकारी भवन तथा प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी उपलब्ध कराते हैं, अनुलग्नक IVE में अन्य सार्वजनिक सुविधायें शीर्ष के अंतर्गत योजना 014 और 015 क्रमशः जिला प्राधिकारी वैध एमपीलैडस कार्यो के तकनीकी अनुमान तैयार करने के स्तर पर ही, जहाँ कहीं भी व्यवहार्य हो, आपदा प्रतिरोध क्षमतापूर्ण परिसंपति/अवसंरचना निर्माण करने की आवश्यकता को संज्ञान में ले सकते हैं। (स्त्रोतःwww.mplands/circular/hindicircular) एमपीलैडस के अंतर्गत आपदा प्रतिरोध क्षमतापूर्ण परिसम्पति/अवसंरचना तत्संबंधी परिपत्र सं. फा.सं.सी.39/2013 एमपीलैडस दि॰ 08.09.2014 द्वारा एम.पी.लैडस संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.7 में संशोधन किया गया है । तद्नुसार प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के मामले में एम.पी.लैडस निधियों के आवरण के लिए वार्षिक सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। संबंधित राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद भी उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रु॰ प्रतिवर्ष तक के अनुमेय कार्यो की अनुशंसा कर सकते हैं।

परिपत्र सं. अ.शा.सं.सी.–19/2015–एमपीलैडस दि॰ 29.04.2015 पैरा 2 एम.पी.लैडस संबंधी दिशा निर्देशो में उल्लिखित प्रावधानो के अनुसर माननीय संसद सदस्य देश में कहीं भी 'गंभीर प्राकृतिक की आपदा' के घटित होने पर प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण काया के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपये की राशि की सिफारित कर सकते हैं । (दिशा निर्देश का पैरा 2.8)

(ii) प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) : सभी के लिए घर – इस योजना के तहत स्लम निवासियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अथवा निम्न आय वर्ग के लोग जो अस्थाई निमित मकानों में रह रहे है तथा बहु आपदा संवेदनशीलता धारण करते है उनकी सहायता के लिए पक्का मकान बना कर देने की यह एक महत्वकांक्षी योजना जारी है।

(iii) बिहार शहरी आजिवीका मिशन : यह योजना के निम्न अवयव शहरी गरीबो को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाकर उनकी आपदा संवदनशीलता कम करते हुये उनकी क्षमतावर्द्धन में सहायक होते है –

- सामाजिक जागरूकता एवं संस्था विकास
- कौशल प्रशिक्षण नियोजन के माध्यम से रोजगार
- शहरी पथ विक्रेताओ (वेन्डर) हेतु सहायता
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
- शहरी गरीबो हेतु आश्रय स्थल

(iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन : यह एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है जो आपदा से पूर्व एवं बाद के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।

(v) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युबल मिशल : शहरी अंतः संरचना एवं आधारभूत सेवा को सुदृढ़ करने की राष्ट्रीय योजना है। इससे परिवहन, यातायात, यात्री सुविधा तथा अन्य संरचनाएं विकसित की जा सकती है।

(vi) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना : आपदा के दौरान शारीरिक संघात होने पर बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय योजना आयुष्मान योजना में 5 लाख तक की प्रति परिवार प्रति वर्ष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(vii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : सस्ता एवं कम प्रीमियम वाली जोखिम तथा संवेदनशीलता में प्रभावी कमी के लिए जारी एक योजना है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त राज्य बजट से संपोषित सड़क निर्माण, भवन निर्माण, लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, शहरी आवास तथा विकास विभाग, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इत्यादि के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समन्वय किया जायेगा।

:=:=:=:=:

अध्याय : 12

वित्तीय व्यवस्था

FINANCIAL ARRANGEMENT

12.1 बजट एवं वित्तीय संसाधन :– पंचायतों की अपेक्षा नगर निकायों के आमदनी के श्रोत बेहतर होते है। इन श्रोतों में वृद्धि की गुंजाइस भी होती है। लेकिन यह भी सच है कि आय के श्रोत सीधे तौर पर नगर में रहने वाले नागरिकों से ही वसूली जा सकती है, इसलिए कर वृद्धि की अपनी सीमाएं है जिसे अनवरत बढ़ाया नहीं जा सकता है।

चूकि शहर में सुख सुविधा बढ़ाने, साफ–सफाई एवं बुनियादी सुविधा प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी नगर निगमों की है, इसलिए बीते वर्षों में निधि की आवश्यता बढ़ी है। ऐसे में राज्य वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रदान की जा रही निधि से वित्तीय संसाधन बढ़े है जिससे कई विकासात्मक कार्य किये जा रहे हैं। जिले में नगर विकास एवं आवास प्रमंडल द्वारा भी कई कार्य कराये जा रहे है।

12.2 पूर्णिया नगर निगम के बजटीय प्रावधान को देखने से साफ झलकता है कि नगर निगम क्षेत्र में मकानों (होल्डिंग) की कुल संख्या 61932 हैं, जिसमें 56108 आवासीय तथा 5824 गैर आवासीय गृह हैं। इस तरह से निगम को वर्ष 2020 – 2021 में हाल्डिंग टैक्स के मद में कुल अपेक्षित आय 9,76,25,740/– रूपये होनी चाहिए थी, जबकि होल्डिंग टैक्स से वास्तविक राजस्व की वसूली मात्र 5,07,22,044/– रूपये ही हो सको, जो अपेक्षित आय का मात्र 51.96 प्रतिशत है। विगत 5 वर्षों से ऐसी ही स्थिति है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस हेतु नगर निगम क्षेत्र के लोगो को ई–टैक्स माध्यम से पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा Tax-Complience की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे है।

12.3 नगर निगम के आय एवं व्यय की वास्तविक स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि ।

सारणी – 12.1 पूर्णिया नगर निगम के वर्ष 2020–21 की बजटीय स्थिति :–

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2020–21 बजट अनुमान (रू.)
1	2	3
1	प्रारंभिक शेष रोकड़ एवं बैंक (क)	57,97,81,972.18
2	राजस्व प्राप्तियां (ख)	1,04,77,27,451.00
3	पूँजीगत प्राप्तियाँ (ग)	76,81,24,580.80
4	कुल प्राप्ति (घ) = (क+ख+ग)	**2,39,56,34,003.98**
5	राजस्व भुगतान (च)	1,55,35,60,000.00
6	पूँजीगत भुगतान (छ)	83,37,06,978.80
7	कुल भुगतान (ज) = (च+छ)	**2,38,72,66,978.80**
8	अंतिम शेष रोकड़ एवं बैंक (झ) = (घ–ज)	83,67,025.18

स्त्रोतः नगर निगम कार्यालय, पूर्णिया

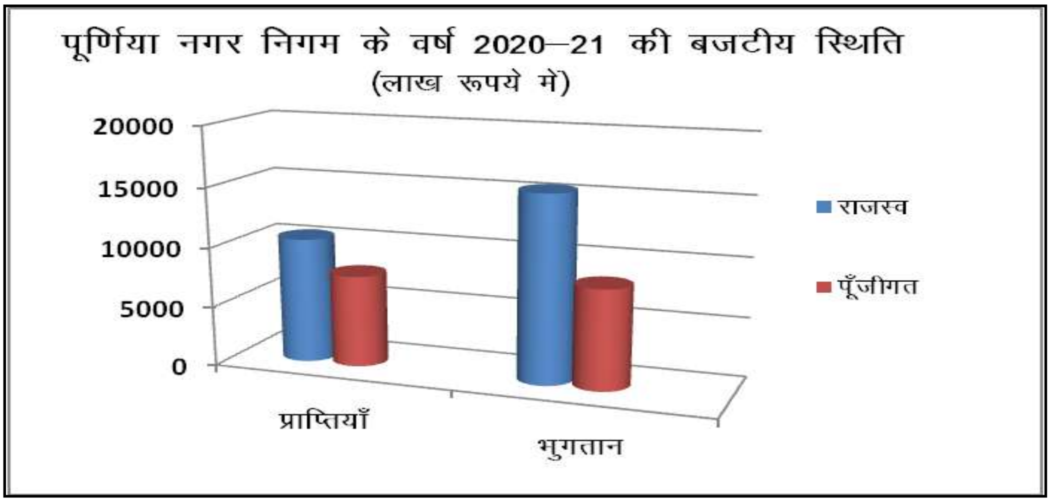

12.4 नगर निगम को अन्य श्रोतो से प्राप्त निधि :–

- पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि – 1,36,32,79,448/– रूपये
- पंद्रहवी केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि – 58,38,27,840/– रूपये

12.5 वर्तमान आय श्रोत :–

- होल्डिंग टैक्स
- व्यापार अनुश्रप्ति
- दुकान किराया
- सैरात बन्दोबस्ती
- स्टाम्प शुल्क
- नक्शा शुल्क
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
- केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदार

नगर निकायों हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय हेतु मार्गदर्शिका के अनुसार–

- *विकास निधि* (Development Fund) *के रूप में प्राप्त राशि* Tied *एवं* Untied *रूप में होगा।* Untied *राशि का व्यय संविधान के 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों पर किया जा सकता है जबकि ज्पमक राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्धारित योजनाओं पर किया जाता है।* Tied *राशि विकास निधि का* 84% *होगा।*
- *अनुरक्षण निधि* (Maintenance Fund) *से प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत व्यय निर्धारित 11 विषयों पर किया जाना है। इसमें भवन, फर्निचर, मशीनरी, बिजली का काम, पेयजल के पाइप लाइन, ठोस कचरा हेतु निर्माण एवं सड़कों पर बिजली के मद में किया जा सकता है।*
- *सामान्य निधि* (General Fund) *से की राशि नागरिक सुविधाएँ, प्रशासकीय एवं स्थापना संबंधित खर्च, क्षमतावर्धन से संबंधित प्रशिक्षण पर किया जा सकता है। शहरी स्थायी निकाय हेतु राशि का क्षैतिज वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के भारांक के आधार पर किया जायेगा जो क्रमशः* 90% *एवं* 10% *होगा।*
- *साथ हीं 15वीं वित्त आयोग (2021–25) से प्राप्त निधि जो* Non–million plus challenge fund (MCP) *शहरों को उसके जनसंख्या* (90%) *तथा नगर निकाय* (10%) *के क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित होना है। इसके लिए विभिन्न मदों हेतु मार्गदर्शिका भी जारी है। (राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग का उपरोक्त निदेश नगर विकास एवं आवास विभाग के वेब साईट के सर्कुलर सेक्शन पर क्लिक कर देखा जा सकता है।*

(ज्ञापांक 1844 दिनांक 13.05.2021एवं ज्ञापांक 3488 दिनांक 30.11.2021)

12.6 संभावित आय के श्रोत :

- बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 में किये गये संशोधन
- सम्पति (निर्धारण/संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013
- बिहार नगर पालिका सम्पति का (निर्धारण/संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं सम्पति कर नियमावली 2012 के अंतर्गत खाली परे भूखंडो पर कर
- मोबाइल संचार नियमावाली, 2012
- विज्ञापन कर एवं शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश एवं विनियम
- पार्किग शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश
- करो की ऑनलाइन संग्रह की सुविधा
- बाह्य संस्था के माध्यम से कर संग्रह
- व्यापार अनुज्ञा शुल्क
- स्मार्ट मीटर की स्थापना
- घर से कचड़ा उठाव (ठोस कचड़ा प्रबंधन)
- नामांतरण
- प्रोफेशन कर
- वाहन पार्किंग
- ठोस कचरा प्रबंधन हेतु

:=:=:=:=:=:

अध्याय–13

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

13.1 **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 32** के आलोक में जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

आपदा प्रबंधन योजना में निहित प्रावधानो का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगें और उसे अद्यतन (Update) करेंगें।

13.1.1 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन : अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसो पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

13.1.2 भीषण आपदा के समय योजना क प्रभावशीलता की जाँच : प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनप्राप्ति या पुनर्स्थापन काया में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नही होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

13.1.3 नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना : जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पताला एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियो/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो म सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहना चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहना चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते ह। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अद्यतन करना जरूरी है।

13.1.4 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच : योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से काय करता है। योजना की सफलता की गांरटी सुनिश्चित करता है।

13.1.5 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षणः नगर आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

13.1.6 योजना का अद्यतनीकरण : नगर निगम में गठित आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता तथा प्रयासा की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

13.1.7 योजना की प्रतियों का वितरण : सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। वार्ड स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

13.1.8 लोक जागरण : नगर आपदा प्रबंधन योजना को नगर निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा नगर निगम के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रम़खता से उल्लेख किया जायेगा।

:=:=:=:=:=:

अनुलग्नक

ANNEXURE

शहर में मानव संसाधन (पदाधिकारी एवं कर्मचारी) की सूची **अनुलग्नक –1**

क्र.सं. – 1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूर्णिया कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मियों की सूची :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	2	3	4
1	कुमार देवेन्द्र प्रौज्जवल	अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन	9473191359
2	श्री शशि भूषण कुमार शशि, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णिया	प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा	7999515556
3	श्री आदित्य रंजन	सलाहकार, जिला आ॰प्र॰ प्रा॰, पूर्णिया	7408209001
4	श्री गौतम बनर्जी	संविदा प्रधान लिपिक	9430927389
5	श्री सत्यजीत शरण	प्रोग्रामर	9708950559
6	श्री गौरव कुमार आर्य	प्रोग्रामर	9534636686
7	श्री प्रवीण कुमार	D.E.O	7549841963
8	श्री रंजीत कुमार	D.E.O	7979940927
9	श्री मंचन कुमार	IT Boy	7004436186

स्त्रोतः जिला आपदा प्रबंधन, पूर्णिया

क्र.सं. – 2 जिला आपूर्ति शाखा :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं./इमेल
1	2	3	4
1	श्री सुशील कुमार	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	8340509974 / mail2dsopurnia@gmail.com

स्त्रोतः जिला आपूर्ति कार्यालय, पूर्णिया

क्र.सं. – 3 वन प्रमंडल पूर्णियाँ :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं./इमेल
1	2	3	4
1		वन प्रमंडल पदाधिकारी	06454–242744

क्र.सं. – 4 बाढ़ नियंत्रण एवं जल निष्षरण प्रमंडल पूर्णिया में कार्यरत अभियंताओं की सूची :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल	इमेल
1	2	3	4	
1	ई. कन्हैया प्रसाद	कार्यपालक अभियंता	7463889220	
2	श्री अभिषेक कुमार	सहायक अभियंता	7463889221	
3	श्री धनंजय कुमार	सहायक अभियंता	7463889222	dhananjay97125@gmail.com
4	श्री चितरंजन चौधरी	कनीय अभियंता	7903251971	
5	श्री कौशिक दास	कनीय अभियंता	8789025586	

स्त्रोतः बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, पूर्णियाँ

क्र.सं. – 5 नगर निगम कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मी की सूची :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	2	3	4
1	श्री आरिफ अहसान, भा॰प्र॰से॰	नगर आयुक्त	9431435881
2	श्री शेखर कुमार प्रसाद	नगर प्रबंधक	7320826628
3	सुश्री आकांक्षा सिंह	सहायक अभियंता, बुडको	7870882462 / 8210097457
4	सुश्री विजेता बचन	सहायक अभियंता, बुडको	6207064272
5	मो॰ कलीम अहमद	सहायक अभियंता, बुडको	7415403465

6	श्री सत्येन्द्र कुमार रमन	सहायक अभियंता, बुडको	8789837380
7	श्री शिव शंकर सिंह	कनीय अभियंता, नगर निगम	9431865314
8	श्री फैयाज आलम	कनीय अभियंता, नगर निगम	7992280648
9	श्री पप्पु कुमार गुप्ता	कनीय अभियंता, बुडको	7903982354
10	श्री राजेश कुमार झा	प्रधान सहायक, नगर निगम	9199519001
11	श्री सुब्रत कर्मकार	लेखापाल	9431250525
12	श्री दीपक कुमार	रोकड़पाल	8409644661
13	श्री अनिनेश कुमार सिंह	मुख्य सफाई निरीक्षक–सह टैक्स दरोगा	9470261008
14	श्री दीपक कुमार सिंह	सफाई निरीक्षक	9204596165
15	श्री उमेश प्रसाद यादव	विद्युत पर्यवेक्षक	9431865069
16	श्री भुपेन्द्र कुमार यादव	हैकनीकेरेज इन्सपैक्टर	7903328146
17	श्री जगदीश प्रसाद सिंह	टैक्स दरोगा	9471672894
18	श्री अख्तर हुसैन	टैक्स दरोगा	7461081080
19	श्री इफ्तेखार आलम	योजना सहायक	9431274509
20	श्री दीपक कुमार सिन्हा	योजना सहायक	7739793069
21	श्री नन्द किशोर साह	स्थापना सहायक	9128108009
22	श्री रूपेश यादव	स्टॉल प्रभारी	7992213117
23	रानी चौधरी	सहायक	8935817159
24	रानी कुमारी	सहायक(सफाई शाखा एवं सूचना का अधिकार)	7061092979
25	मिनू कुमारी	पत्राचार सहायक	7808501590
26	श्री अरविन्द कुमार	कर–सहायक	9973175454
27	श्री अमित कुमार झा	कर–सहायक	9534413698
28	श्री विश्वजीत कुमार सिंह	कर–सहायक	9570573261
29	श्री दुर्गेश झा	कर–सहायक	8873089537
30	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	कर–सहायक	9199079903
31	श्री मणिलाल सिंह	कर–सहायक	9973712551
32	श्री सुबोध कुमार सुधीकर	कर–सहायक	9709928033
33	श्री विनोद कुमार यादव	कर–सहायक	9570617552
34	श्री उज्जवल कु॰ चौधरी	कर–सहायक	9570700350
35	श्री विमल कुमार सिंह	कर–सहायक	9973389556
36	श्री अशोक कुमार सिंह	कर–सहायक	9430036023
37	रूफी तबरेज	कर–सहायक	9155780251
38	श्री विजय ठाकुर	कर–सहायक	6287386090
39	श्री नदीम अहमद	कर–सहायक	7277003009
40	श्री जैकी मल्लिक	कर–सहायक	9709925625
41	श्री जितेन्द्र चौधरी	कर–सहायक	6204922125
42	श्री शुभंकर चौधरी	कर–सहायक	9931960253
43	श्री विमल कुमार पासवान	कर–सहायक	9631248838
44	श्री अनिल शर्मा	कर–सहायक	7549085023
45	इमरान खान	कर–सहायक	8809723712
46	श्री नवीन कुमार सिंह	कर–सहायक	8002368396
47	श्री मनीष कुमार सिंह	तकनीकी पर्यवेक्षक	7903274919
48	श्री ओम नाथ झा	योजना सहायक	9122663100
49	श्री उदय प्रताप सिंह	सहायक	9931738228
50	श्री रूपेश कुमार सिंह	सहायक	9955613652

51	श्री राजेश साह	आवास सहायक	9973086053
52	सैयद हुसैन अली	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9470023086
53	श्री के.बी.बिपिन कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9431206788
54	श्रीमती मौसमी सिन्हा	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8862803839
55	श्री करणजीत सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर	7277498181
56	श्री रितिक राय	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8789735726
57	श्री मनीष कुमार	कार्यपालक सहायक	9097848841
58	शब्बीर अख्तर	कार्यपालक सहायक	9507005056
59	श्री रानु रंजन	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं आवास सहायक	956338330
60	राहत अंजुम	आवास सहायक	8709230050
61	श्री नलीन भूषण	NULM सहायक	7091111833
62	श्री अमिताभ शर्मा	NULM सहायक	9155999915
63	श्री कृष्ण कुमार सिंह	सहायक(विद्युत शाखा)	9199709230
64	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	परिचारी	9905176161
65	श्री चंदर यादव	परिचारी	9570759573
66	श्री गंगाधर साह	परिचारी	
67	श्री गंगा पासवान	परिचारी	8229819941 / 9534776497
68	श्री विजय सिंह	परिचारी	7250474184
69	श्री बनारसी रजक	परिचारी	9122604372
70	श्री सुधीर मंडल	कर–संग्रहक	9199017090

स्त्रोतः नगर निगम, पूर्णिया

क्र.सं. – 6 शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की सूचो :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	2	3	4
1	श्री नाथ रजक	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	8544411774
2	श्री मनोहर सिंह	सहायक संसाधन विशेषज्ञ (एम.एस.एस.पी.)	8544411780

स्त्रोतः बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णिया संभाग

क्र.सं. – 7 विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर को सूची :–

क्र.सं.	प्रशिक्षक का नाम	विद्यालय का नाम	मोबाइल नं.
1	2	3	4
1	श्री धमेन्द्र कुमार	प्रा.वि.हरदिया रहिका, के. नगर	8540988617
2	श्री आनन्द मोहन सिंह	उ.उ.वि.हनुमान नगर के. बी. कोठी	9122899778
3	श्री सत्यम कुमार	प्रा. वि. दठकोलवा, बी. कोठी	9852627788
4	श्रीमती सुचित्रा कुमारी	प्रा. वि. कन्या परोरा, के. नगर	7544971199
5	श्रीमती शालिनी झा	उ.उ.वि.बनभाग दक्षिण, के. नगर	9006767675
6	श्री राहुल कुमार	उ.उ.वि. ओरलाहा, बी. कोठी	9534536726
7	श्रीमती प्रेमलता कुमारी	प्रा. वि. धीमा अनुसूचित जाति, बनमनखी	8298200955
8	श्रीमती कंचन भारती	उ.उ.वि.गुलाबटोल मलडीहा, बी.कोठी	9771668202
9	श्री विश्वंभर मिश्रा	ग्रीनफिल्ड पब्लिक स्कूल, हरदा पूर्णिया	7991104025
10	श्रीमती शबाना तनवीर	म.वि. सिमलगाछी, पूर्णिया	9852058633

स्त्रोतः बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णिया संभाग

क्र.सं. – 8 पूर्णिया शहर के मुख्य चिकित्सको का विवरण :–

क्र.सं.	मुख्य चिकित्सको का नाम	पता	मोबाईल
1	2	3	4
1	डॉ॰ मुकेश कुमार	अध्यक्ष, आई.एम.ए.	9431284890
2	डॉ॰ ए॰ के॰ गुप्ता	माँ पंचा देवी, स्टोन हॉस्पीटल, लाईन बाजार	9431230297
3	डॉ॰ देवी राम	लाईन बजार	9431230177
4	डा॰ पी॰ सी॰ झा	सलोनी नर्सिंग होम, लाईन बाजार	9934975705
5	डॉ॰ एस॰ पी॰ सिंह	हर्ष हॉस्पीटल, लाईन बाजार	9471250356
6	डॉ॰ ओ॰ पी॰ साह	नीलम नर्सिंग होम, लाईन बाजार	9771664005
7	डॉ॰ के॰ के॰ सिंह	के.के. हॉस्पीटल, लाईन बाजार	9731213521
8	डॉ॰ भी॰ सी॰ राय	तपोवन हॉस्पीटल, लाईन बाजार	9431230432
9	डॉ॰ एम॰ के॰ सिंह	कोशी नर्सिंग होम, लाईन बाजार	
10	डॉ॰ रेणुका सिंह	उपहार नर्सिंग होम, लाईन बाजार	7070303085
11	डॉ॰ बी॰ पी॰ साह	लाईन बाजार	9801912645
12	डॉ॰ उमेश कुमार	माधुरी क्लीनिक, लाईन बाजार	9431206422
13	डॉ॰ अरविन्द कुमार	आर्यन क्लीनिक, लाईन बाजार	9431292143
14	डॉ॰ संजीव कुमार	सहयोग नर्सिंग होम, लाईन बाजार	9431045227
15	डॉ॰ रजनीश कुमार	लाईन बाजार	
16	डॉ॰ तनुजा आनन्द	लाईन बाजार	
17	डॉ॰ आरती सिन्हा	लाईन बाजार	
18	डॉ॰ के॰ एस॰ आनन्द	लाईन बाजार	
19	डॉ॰ कुशल कुमार	सदभावना लाईन बाजार	8872869658
20	डॉ॰ तरवीर आलम	फातमा हॉस्पीटल, लाईन बाजार	
21	डॉ॰ बी॰ एन॰ कुमार	ग्लैक्सी हॉस्पीटल एंड हार्ट, लाईन बाजार	9431291930

स्त्रोतः सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्णिया

क्र.सं. – 9 पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों की सूची :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	2	3	4
1	श्री वासुदेव नंदर	कार्यपालक अभियंता	9470001297
2	श्री दिनेश प्रसाद मंडल	सहायक अभियंता	7321963771
3	श्री दिलीप प्रसाद सिंह	सहायक अभियंता	8789556440
4	श्री गोपाल मंडल	कनीय अभियंता	9835089453
5	श्री सुजीत कुमार	कनीय अभियंता	9835492447
6	श्री मिथिलेश कुमार मंडल	कनीय अभियंता	9934580575
7	श्री रामरूप मंडल	कनीय अभियंता	8709519711
8	श्री दुर्गा मुरमू	कनीय अभियंता	8809834898
9	श्री सुधांशु शेखर	कनीय अभियंता	9430581601
10	श्री धर्मेन्द्र कुमार	कनीय अभियंता	9905399113
11	श्री संजीव रंजन	कनीय अभियंता	9431431140
12	श्री विभाकर कुमार	कनीय अभियंता	9431055992

स्त्रोत : पथ प्रमंडल, पूर्णिया

क्र.सं. – 10 मुख्य अग्निशमन दस्ता के पदाधिकारीगण :–

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल	इमेल
1	2	3	4	5
1	राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक	वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं जिला अग्निशमन पदाधिकारी	9473191921 7004745386	co-hg-prn-bih@gov.in
2	श्री राय विमल विद्रोह	स्टेशन ऑफिसर		
3	श्री रंजन कुमार	सब–ऑफिसर–55		

स्त्रोत : अग्निशामालय, पूर्णिया

क्र.सं. – 11 भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ :–

क्र.सं.	कार्यरत पदाधिकारी एवं अभियंताओं का नाम	पदनाम	मोबाइल	इमेल
1	2	3	4	5
1	श्री गजाधर मंडल	कार्यपालक अभियंता	9661696981	ee.purnea.bcd@gmail.com
2	श्री कृष्ण किशोर	प्रमंडीय लेखा पदा॰	9835854944	
3	श्री लाल बहादुर सिंह	सहायक अभियंता(संविदा)	9431821638	lbsingh.brpnnl@gmail.com
4	श्री नंद लाल यादव	सहायक अभियंता	9430456541	nlyadav222@gmail.com
5	श्री सुधीर कुमार	कनीय अभियंता	9122486674	sudhirkumar67@gmail.com
6	श्री पारस प्रसाद	कनीय अभियंता,बड़ा बाबु	7717701640	
7	मो॰ ईमतियाज आलम	कनीय अभियंता	9472462471	imteazalam@yahoo.com
8	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव	कनीय अभियंता	8506029403	omprakashsri15@gmail.com

स्त्रोत : भवन प्रमंडल, पूर्णिया

क्र.सं. – 12 शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की सूची :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल नं.
1	2	3	4
1	श्री नाथ रजक	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	8544411774
2	श्री मनोहर सिंह	सहायक संसाधन विशेषज्ञ (एम.एस.एस.पी.)	8544411780

स्त्रोतः बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्णियाँ संभाग

चिकित्सीय मानव एवं उपक्ररण संसाधान **अनुलग्नक –2**

क्र.सं.		संख्या
1	2	3
1	बेड की संख्या	300
2	वार्षिक भरती मरीजों की संख्या (औसत)	68750
3	उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या	37
4	उपलब्ध पारा मेडिकल स्टॉफ की संख्या	90
5	कार्यरत एम्बुलेंस की संख्या	6
6	कार्यरत शव वाहन की संख्या	1
7	मोर्चुरी में शल रखने की क्षमता	5
8	उपलब्ध अतिरिक्त बेड की संख्या	10
9	उपलब्ध आई॰सी॰यू॰ की संख्या	5
10	उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या	15

स्त्रोतः सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्णिया

पूर्णिया सदर अस्पताल चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का विवरण :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	2	3		4
1	चिकित्सा पदाधिकारी	63	37	26
2	ग्रेड 'ए' नर्स	100	67	33
3	ए॰ एन॰एम॰	15	15	0
4	लैब टेकनीशियन	12	3	9
5	एक्स–रे टेकनीशियन	3	2	1
6	फार्मासिस्ट	8	3	5
7	शल्य कक्ष सहायक	10	2	8
8	फिजियोथेरेपिस्ट	2	2	0
9	लिपिक	13	7	6
10	चतुर्थवर्गीय कर्मी	56	44	12
	कुल	282	182	100

स्त्रोतः सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्णिया

नगर निगम के पास उपलब्ध यांत्रिक संसाधन :

- **जे.सी.बी. – 2**
- **ट्रैक्टर – 7**
- **बाब कैट – 1**
- **फॉगिग मशीन – 1**
- **वाटर टैंकर – 2**

क्स/ई–मेल

पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24/2006/ 1061/आ0प्र0

अत्यावश्यक

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8/3/16

विषयः **अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।**

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 818/आ0प्र0, दिनांक 04.03.2015 का उल्लेख करें जिसके अनुसार अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया परिचारित की गयी थी। उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से घटना स्थल पर पहुँचें एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश/निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र **(SEOC)** दूरभाष संख्या – 0612–2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305, 2217306, 2215731, 2215735, 2215738, 2215739, एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ, बिहार के पत्रांक–1042 दिनांक–02.03.2016 (फोटो प्रति संलग्न) विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौपे जा सकते हैं।

(iv) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न की अनुपलब्धता की दशा में विभाग द्वारा निर्धारित राशि नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्त्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(v) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(vi) राहत एवं बचाव कार्यो को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/ गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों/थानों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :-

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीड़ी-सिगरेट पीकर इधर-उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें-क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे-छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2015-2020 की अवधि में लागू नया मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ0प्र0 दिनांक 26.05.2015 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। नया मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। नए मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक-1023 दिनांक-21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी

बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) अग्निकांड की बड़ी घटनाओं की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग के WhatsApp group, Facebook Page एवं मोबाइल/दूरभाष के माध्यम से विभाग को तुरंत भेजा जाएगा। जो जिला पदाधिकारी WhatsApp group के सदस्य नहीं हैं, वे अपने Android mobile phone पर WhatsApp download कर इसकी सूचना प्रधान सचिव को भेज दें ताकि उन्हें Group में शामिल कर लिया जाए।

(xiii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiv) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेवसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0– यथा उपर्युक्त।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

बिहार अग्निशमन सेवा मुख्यालय, पटना

(अतिआवश्यक सूचना)

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार भवन की अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवश्यक सूचना :–

01. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली–2021 के अध्याय–IV के नियम–15 के आलोक में निम्न श्रेणियों के भवनों हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को अनिवार्य किया गया है। भवनों की श्रेणी निम्नवत है –

(I) सभी श्रेणी के बहुमंजिले भवन (15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले) अथवा भूतल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर (किसी भी तल)

(ii) विशिष्ट भवन, जैसे– होटल, शैक्षिक, सांस्थिक, वाणिज्यिक, मर्केन्टाईल, औद्योगिक, भंडारण, जोखिम वाला भवन तथा मिश्रित अधिभोग वाले भवन जहाँ इस प्रकार के भवनों में से किसी भी भवन के किसी एक या अधिक फर्शों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो ।

(iii) शैक्षिक, सांस्थिक भवन जिसकी उँचाई 09 मीटर या उससे अधिक हो।

(iv) सभी सभा भवन

(v) भवन जिसके किसी तल पर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र सभा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या चिन्हित हो ।

(vi) दो या दो से अधिक तहखाना (बेसमेंट) वाले भवन अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का एक तहखाना वाला भवन ।

(vii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य भवन के स्वामी के द्वारा भी राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग–IV के प्रावधान के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्णय लिया जा सकता है।

02. <u>औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवश्यक कागजात</u> :–
(क) प्रपत्र–ख
(ख) नक्शा 2 सेट।
(ग) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची–'ग')।
(घ) चेक लिस्ट (प्रपत्र–'ग')।
(ड.) शपथ पत्र/वादा (प्रपत्र–'घ')।
(च) 15% बैंक गारंटी।

03. <u>अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवश्यक कागजात</u> :–
(क) प्रपत्र–'ड'।
(ख) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची–'ग')।
(ग) चेक लिस्ट (प्रपत्र–'ग')।

04. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन के लिए आवश्यक कागजात</u> :–
(क) प्रपत्र–'ड'।
(ख) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची–'ग')।
(ग) चेक लिस्ट (प्रपत्र–'ग')।
(घ) अग्नि विशेषज्ञ जाँच प्रतिवेदन।

05. बिहार अग्निशमन सेवा 2021 के **अनुसूची** 'ग' के अंतर्गत भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र (Floor Area) के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क **Director, State Fire Service, Bihar, Patna** के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तावित नक्शा के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय में द्वितीय तल पर समय–**सुबह 9:30 बजे से संध्या 6:00 बजे तक** किसी भी कार्यालय दिवस में जमा किया जा सकता है।

06. प्रस्तावित भवन के नक्शा के साथ बिहार अग्निशमन सेवा 2021 के नियम 15 (घ) II मे उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार आवश्यक अग्नि प्रणाली के प्रावधान से संबंधित प्राक्कलन समर्पित करना होगा। उक्त प्राक्कलन का 15% बैंक गारंटी इस आशय के अंडरटेकिंग के साथ देना होगा की आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय को कारगर स्थित में रखा जाएगा। अन्यथा उक्त बैंक गारंटी के विरूद्ध उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों को कारगर स्थित में रखने में अग्निशमन विभाग द्वारा व्यय किया जाएगा। उक्त 15% राशि का निर्धारण Director General, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi द्वारा निर्गत Plinth Area Rates, 2020 के अनुरूप किया जाएगा।

07. अनापत्ति प्रमाण पत्र/नवीनीकरण/अग्नि अंकेक्षण/अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उदग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क दर निम्न प्रकार है:–

(अनुसूची 'ग')

भवन का श्रेणी	भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र (Floor Area) के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क निर्धारण				
	औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र	अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र	अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	अग्नि अंकेक्षण	अग्नि परामर्श
आवासीय	₹ 02	₹ 01	₹ 01	₹ 01	₹ 01
सभा भवन/सांस्थिक भवन	₹ 04	₹ 02	₹ 02	₹ 02	₹ 02
शैक्षिक	₹ 06	₹ 03	₹ 03	₹ 03	₹ 03
वाणिज्यिक/मर्केनटाईल	₹ 08	₹ 04	₹ 04	₹ 04	₹ 04
भण्डारण/औद्योगिक/खतरनाक भवन	₹ 10	₹ 05	₹ 05	₹ 05	₹ 05

नोट: 1. NOC हेतु आवेदन के लिए प्रपत्र वेबसाईट– **http://home.bihar.gov.in/CMS/fireNOC.aspx** से download कर भरकर जमा किया जाना है।
2. NOC संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ हेतु कार्यालय दुरभाष नं0:– 0612–2222020 पर संपर्क किया जा सकता है।

निदेशक सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
बिहार पटना

PR-0004946(State Fire) 2021-22

किसी भी तरह आपदा की जानकारी अथवा सुझाव हेतु आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

16 POINTS FIRE SAFETY VULNERABILITY MATRIX

Hospital:-   Date:-

S. No.	Short Term Measures (Non-Structural)	Weightage
1	**Ensure electrical load on electrical systems not beyond its sanctioned capacity**	**50**
1.1	Only Standard quality ISI marked and capacity of board(2), switches(2), wire/power strips(2), connections(2), sockets-5amp(2), 15 amp(2) are used.	12
1.2	Connecting wire: Connection with equipments, fridge, fan , light, heater, A.C. etc. are done through proper plug tops or connectors.	3
1.3	Insulating all wards with adequate number of proper capacity MCBs	5
1.4	Fire suppression system in MCB box/ Board is provided.	2
1.5	Provision of auto-start smoke extractors in OTs & Critical wards	3
1.6	Condition of connection between:- Wire & MCB(.5), MCB & SDB(.5), SDB & MDB(.5), MDB & Panels(.5)	2
1.7	Rubber Mat below the panels	1
1.8	Fire suppression system of SDB(2), MDB(2), Panels(2)	6
1.9	Proper cable connection from Panels to Transformers and DG Sets	2
1.1	Condition of cable	1
1.11	DG Sets:- Earthing for main and for neutrals with strips(2), auto start system/ Training of DG set operator(1), register of running time(1), register of maintenance(1), Safety and fire protected diesel tank(1)	6
1.12	Transformers:- Earthing* (2), Safety and fire protection (1), Vegetation clearance(1), condition of silica gel for oil filled transformers^(1), whether oil pit for dripping oil(1), Fuses on the HT side(1) *Test earthing station every 2 years & water the same if required. ^Check the transformer oil every 2 years after mansoon for Di Electric strength & if required get the de-hydration dome immediately.	7
2	Removal of unserviceable junk	**5**
3	Keep all means of ingress/egress clear of any impediments	**5**
4	Provision of alarm system/call bell/hooter and PA system	**5**
5	Adequate number of fire extinguishers and balls (re-filled on due dates)	**5**
6	Display proper fire signage and evacuation routes	**5**
7	Preparation of FRP (Fire Response Plan)	**4**
8	Coordination between FRP and Security (24X7)	**4**
9	Conduct Fire Drills every 6 months	**3**
10	Keep Portable Exhaust Blowers & Ducts in case of smoke	**3**
11	Ensure functioning of fire smoke check doors, fix fire protection systems and alarm systems	**2**
12	Training for Fire Response (Attendant, staff, ward boys, nurses, workers, security)	**2**
13	Establishment of Control room	**2**
14	Appoint Fire Safety Officer with adequate fire guards if beds > 250	**2**
15	No Objection Certificate from local fire services/authority at required intervals	**2**
16	Provision of fire hydrant	**1**
	SCORE (Total)	**100**

Index Full Point=No Progress
Half Point=Incomplete
Minimum Point=Completed

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–1 / प्रा0आ0–0–3–31 / 14.................................. / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

।। अधिसूचना ।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4 / 2015–NDM-1 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedics), नदियों / तालाबो / गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. उल्लेखनीय है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में आनेवाली चक्रवातीय तूफान का प्रभाव राज्य में भी पडता है, परन्तु स्थानीय आंधी–तूफान (Thunder Storm) से भी राज्य के जिले अधिकांश समय में प्रभावित होते रहते है। स्थानीय आंधी–तूफान को भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं0–1418 / आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 में भी आंधी–तूफान को राज्य के स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल नहीं किया गया है। आंधी–तूफान से प्रत्येक वर्ष राज्य में व्यापक जानोमाल की क्षति होती है, जिसका कुप्रभाव सीधे जनमानस एवं राज्य के विकास पर पड़ता है। अतएव दिनांक–13.09.2017 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में आँधी–तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आँधी–तूफान के घटित होने की दशा में आँधी–तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. वर्त्तमान में स्थानीय प्रकृति की आपदा में नदियों / तालाबों / गड्ढों में डूबने से हुए मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जाता है, परन्तु नहर में डूबने से मृत्यु का उल्लेख विभागीय अधिसूचना में नहीं है। जबकि जिलों से नहर में डूबने की घटना प्रतिवेदित हो रही है। अतएव दिनांक–12.06.2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्थानीय प्रकृति की आपदा से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.2015 में संशोधन करते हुए राज्य के विशिष्ट प्रकृति की आपदा में नदियों / तालाबों / गड्ढों के अतिरिक्त नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु में व्यक्ति / व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर SDRF/NDRF के सदृश्य अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–13.09.2017 में लिये गये निर्णय के आलोक में आँधी–तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आँधी–तूफान के घटित होने की दशा में आँधी–तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–12.06.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 को संशोधित करते हुए स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के अंतर्गत नदियों / तालाबों / गड्ढों के अतिरिक्त नहरों में भी डूबने से होने वाली मृत्यु में व्यक्ति / व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर ही SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान भुगतान करने के प्रावधान लागू होंगे।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....1891...... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–1/प्रा0आ0–0–3–31/14.....3832........../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27·09·2021

।। अधिसूचना।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4/2015–NDM-I दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या–1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–4887 दिनांक–11.08.2021 द्वारा बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने पर तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। यह नियमावली दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी है।

अतएव दिनांक–14.09.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के अन्तर्गत मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव में से **सड़क दुर्घटना को दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है** तथा अधिसूचना संख्या–1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 के शेष प्रावधान एवं समय–समय पर किये गये संशोधन यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव

ज्ञापांक–1/प्रा0आ0–0–3–31/14.....3832........./आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27·09·2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–1/प्रा0आ0–0–3–31/14.....3832........./आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27·09·2021

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मा0 उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

पूर्णिया शहर में सर्विलांस कैमरा का विवरण : अनुलग्नक –8

क्र.सं.	स्थल का नाम	थाना	विवरण
1	2	3	4
1	आर एन शॉ चौक	के हॉट	हाईवे
2	आर एन शॉ चौक	के हॉट	हाईवे
3	नगर निगम चौक	के हॉट	हाईवे
4	नगर निगम चौक	के हॉट	हाईवे
5	चौधरी मॉकेट चौक	सहायक खजांची	लाईव
6	चौधरी मॉकेट चौक	सहायक खजांची	लाईव
7	काली बाड़ी चौक	सहायक खजांची	लाईव
8	काली बाड़ी चौक	सहायक खजांची	लाईव
9	मस्जिद चौक	सहायक खजांची	लाईव
10	मस्जिद चौक	सहायक खजांची	कार्यप्रगति
11	जेल गेट	के हॉट	हाईवे
12	जेल गेट	के हॉट	हाईवे
13	सदर अस्पताल	के हॉट	लाईव
14	रजनी चौक	सहायक खजांची	कार्यप्रगति
15	लाईन बाजार चौक	सहायक खजांची	लाईव
16	लाईन बाजार चौक	सहायक खजांची	लाईव
17	वी2	मरंगा थाना	हाईवे
18	बस स्टैंड	सहायक खजांची	लाईव
19	बस स्टैंड	सहायक खजांची	लाईव
20	गिरजा चौक	के हॉट	लाईव
21	गिरजा चौक	के हॉट	लाईव
22	फॉड कंपनी चौक	के हॉट	लाईव
23	फॉड कंपनी चौक	के हॉट	लाईव
24	मधुबनी चौक	मधुबनी ओपी	कार्यप्रगति
25	मधुबनी चौक	मधुबनी ओपी	कार्यप्रगति
26	मरंगा मोड़	मरंगा थाना	हाईवे
27	मरंगा मोड़	माराबानी टॉप	हाईवे
28	मरंगा हाईवे	माराबानी टॉप	हाईवे
29	भट्टा बाजार, Opp. SBI Bank	सहायक खजांची	लाईव
30	भट्टा बाजार, Opp. SBI Bank	सहायक खजांची	लाईव
31	पचमुखी फार्बीसगंज मोड	सहायक खजांची	लाईव
32	पंचमुखी फार्बीसगंज मोड	सहायक खजांची	लाईव

PURNIA
To Kasba
To Chakla
To Gandbas
To Tharha
To Dalan
N
Shree Dham Mandir
City Kali Bari
Shia Masjid
millia polytechnique
Baghmara
Kosi Colony
Purnia Court RS
Purnea College
Ram Ratan Ji Nagar
Industrial Estate
Madhubani
Radha Krishna Mandir, Krishnapuri Madhubani
BMT Law College
PWD Colony
Prabhat Colony
Rambagh
Khushkibagh Masjid
Rangeela
Millia Convent English School
Rajendra Nagar
Ugna Shiv Mandir
Shitla Mandir
Hanuman Mandir
Simanchal ITI & Mount Carmel English School
Defence Colony
Jama Masjid
Celebration Restaurant
Sadbhawana Nagar
Ursuline Convent School
Bhoothnath Mandir
Purnea Sadar Hospital
Tilka Manjhi Nagar
Salem Pentecostal Church Khuskibagh
Baba Purneshwar Mahadev Mandir
NH-31
Indira Gandhi Stadium
Bhatta Durga Bari
NH-60
Durgasthan
Madhubani Market
Line Bazar
Om Complex
Maa Pancha Devi Stone Hospital
Shiv Mandir
Manas Bharti School
Bihar State Bus Depot
Bhagalpuri hotel
Abu Baker Masjid
Madhubani Masjid
Vatika Family Restaurant
Kolkata Guest House
VIP Colony
Shivaji Colony
Shiv Mandir
Sobha Hotel
Durga Badi Khajanchi Hat
s.c.b evening college
Zila School
Sajjad Colony
DPS Purnea
Rani Nagar
Government Girls High School
St Peters School
Rizwan Masjid
Islam Nagar
Shaktinagar Durga Temple
Hotel Raj Laxmi
Bhatta Bazaar Vegetable Market
Purnia Mahila College
New Market
Madhopara
Bajrang Bali Temple
Roopvani Movie Theater
E Cafe
Hotel Kaushaki
Bhatta Bazar
Don Bosco School
Mehboob Khan Tola
First Institute
New Sipahi Tola
Maa Durga Mandir
Directions Vnc kali puja samiti
B.B.M.High School
Malti mata
Mata Sthan
Mariam Nagar
Subhash Nagar
Sudin Chowk Market
aryan traders
Chenc International Pvt Ltd.
Sipahi Tola
Purnia Polytechnic College
Sri Prabhat Shoppers Point
Shakti Nagar
Amrud Bagan
Saura River
Government Polytechnic Purnea
Ram Thakur Baari Mandir
Bright Career School
Ram Nagar
Belouri Krishnapuri Colloni
Hanuman Mandir
NH-62
Bijendra Public School
Jai Guru Traders
Madhopura
NH-31
Sun Temple
Vidya Vihar Institute of Technology
LEGEND
Major Road
Other Road
Railway
Hotel
Hosptel
Religious Place
Education
Landmark
Bus Terminal
Map not to Scale
Copyright © 2016 www.mapsofindia.com

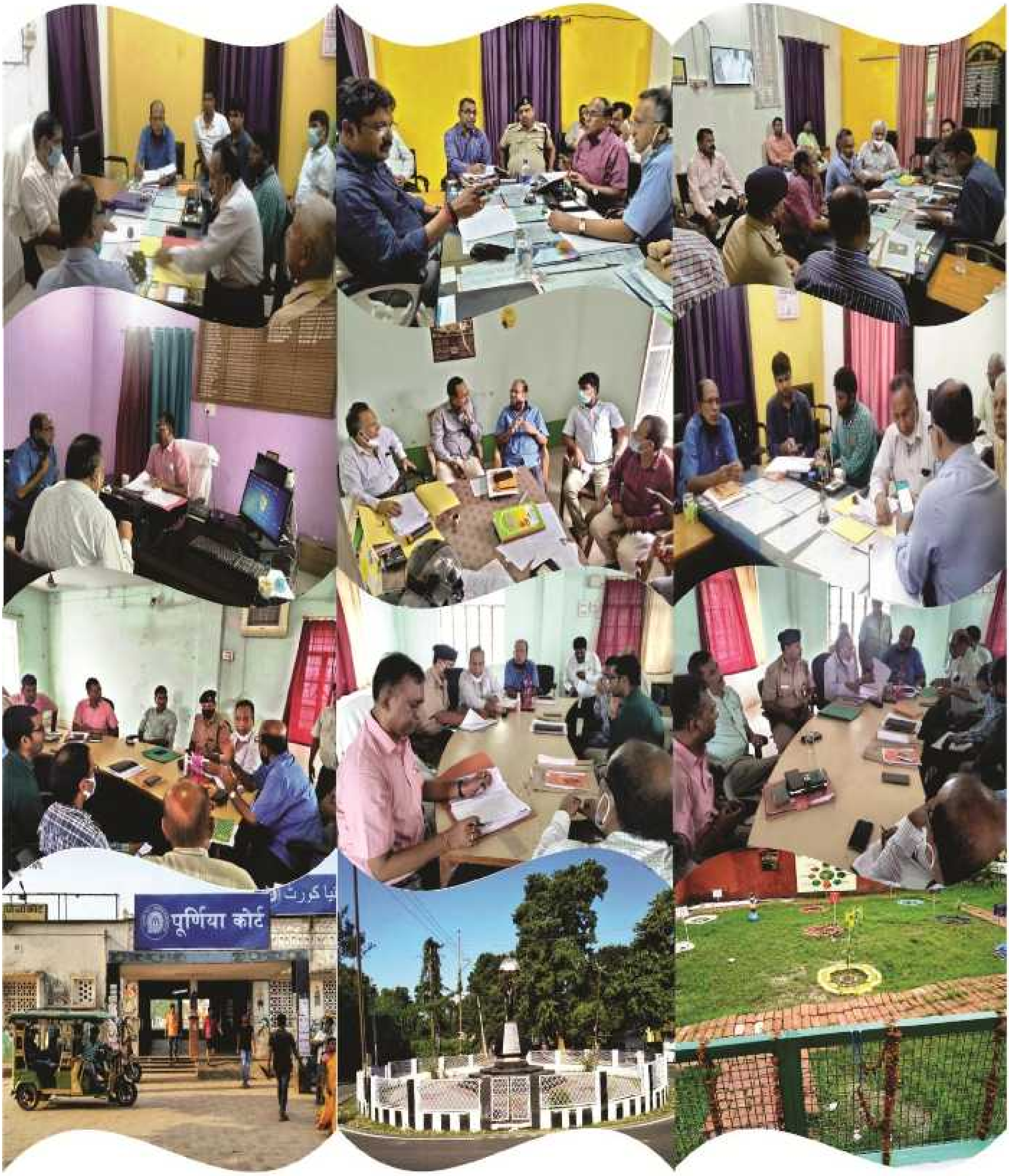

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना

पूर्णिया नगर निगम, शिवाजी कॉलनी, पूर्णिया –854301

नगर निगम कंट्रोल रूम – 06454–242902